29 नवम्बर, 1995
अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पन्द्रहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(iii)	10	श्री प्रमेश मुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
3	5	श्री सुरेन्द्र पाठक	श्री सुरेन्द्रपाल पाठक
8	नीचे से 8	श्री मूल्लापल्ली रामचन्द्रन	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
27	1,6,17 व नीचे से 9	श्री प्रभु दयाल कठेरिया	श्री प्रभू दयाल कठेरिया
40	6	श्री बी.निवास प्रसाद	श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद
43	प्रश्न संख्या 51 में प्रश्न का "ग" भाग मुद्रित नहीं हुआ है । अतः (ग) भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है, पढ़िए।		
43	नीचे से 12	(ग)	(घ)
47	14	(क) और (ख)	(ड.) और (च)
54	7	(क) और (ग)	(क) से (ग)
88	9	अनुवाद अधिकारी हेतु परीक्षा	अनुभाग अधिकारी हेतु परीक्षा
105	नीचे से 5	श्री रामसिंह कस्वा	श्री राम सिंह कस्वाँ
127	17	श्री विलासराव नागनाथराव गुडेवार	श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार
131	11	डा० खूबीराम डुंगरोमल जेस्वाणी	डा० खूबीराम डुंगरोमल जेस्वाणी
131	20	पंक्ति 20 के आगे (क) पढ़िए ।	
134	नीचे से 5	श्री केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर	श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर
136	17	(ग)	(ख)
187	2	प्रो० प्रेम कुमार धूमल	प्रो० प्रेम धूमल
202	नीचे से 5	(क) से (घ)	(क) से (च)
203	नीचे से 14	श्री प्रमथेस मुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
239	4	(ख)	(ग)

278	नीचे से 9	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
281	नीचे से 2	डा० अमृतलाल कालीदास पटेल	डा० अमृतलाल कालिदास पटेल
282	नीचे से 9	डा० साक्षी जी	डा० साक्षीजी
284	14	पंक्ति 14 के बाद बीच में रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) मोटे अक्षरों में मुद्रित करें । उसके बाद (क) एक विवरण संलग्न है, मुद्रित करें ।	
293	नीचे से 7	श्री सुदर्शनराय चौधरी	श्री सुदर्शन रायचौधरी
299	नीचे से 13	श्री हंस एच॰आर॰भारद्वाज	श्री एच॰आर॰भारद्वाज
330	नीचे से 1	श्री योगेन्द्र झा	श्री भोगेन्द्र झा
331	नीचे से 2	श्री जी॰ थाडे गोडा	श्री जी॰माडे गौडा
333	1	प्रो॰ के॰ वंकेटगिरी डौडा	प्रो॰ के॰ वेंकटगिरी गौडा
333	नीचे से 10	12•5 म॰प॰	12•05 म॰प॰
335	9	श्री जसवक्त सिंह	श्री जसवन्त सिंह
342	13	श्री एम॰आर॰कदम्बूर जनार्दनन	श्री एम॰आर॰कादम्बूर जनार्दनन
358	नीचे से 19	श्री शंकरराव देव काले	श्री शंकरराव दे० काले
380	नीचे से 2 व 6	विधेयक	विधेयकों
382	17	राजस्थान के घग्घर नदी में के बाद आयी जोड़ें ।	
383	7	डाक विभाग के विभानेता	डाक विभाग के विभागेत्तर
383	नीचे से 13	धनारा घाट	धनारा घाट के
385	16	श्री प्रमोथेश मुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
420	नीचे से 4	श्री शरद दिवधे	श्री शरद दिघे
422	नीचे से 19	श्री सुधीर गिरी	श्री सुधीर गिरि

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 3, बुधवार, 29 नवम्बर, 1995/8 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		**1-28**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	41 से 44	1–19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		**29-53**
तारांकित प्रश्न संख्या :	45 से 60	29–52
अतारांकित प्रश्न संख्या :	385 से 614	53–313
देश में मूल्य स्थिति के बारे में		**314-365**
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**365-380**
राज्य सभा से संदेश		**380**
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		**380**
छियालिसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
लोक लेखा समिति		**381**
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
कार्य मंत्रणा समिति		**381**
पचपनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव – स्वीकृत		
नियम 377 के अंतर्गत मामले		**382-385**
(एक) उड़ीसा में उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना करने की आवश्यकता		
डा. कार्तिकेश्वर पात्र		382
(दो) राजस्थान में घग्घर नदी में आयी बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता		
श्री बीरबल		382
(तीन) डाक विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता		
श्री मंगल राम प्रेमी		383

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में धनारा घाट के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए शारदा नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता	
डा. परशुराम गंगवार	383
(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में और अधिक संख्या में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	384
(छह) देश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिकेवल प्रसाद	384
उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	**385-420**
श्री प्रमेथेश मुखर्जी	385
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	387
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	391
श्री सत्यदेव सिंह	398
श्री अजय मुखोपाध्याय	411
श्री एस.बी. चव्हाण	413
मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम संबंधी विरचित प्रारूप के अनुमोदन के बारे में संकल्प—स्वीकृत	**420-426**
श्री एस.बी. चव्हाण	420
श्री जसवन्त सिंह	421
श्री राम नाईक	422
श्री सुधीर गिरि	422

लोक सभा

बुधवार, 29 नवम्बर, 1995/8 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

"एड्स" नियंत्रण

*41. **श्री सुरेन्द्र† पाल पाठक :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संक्रमित रक्ताधान भी "एड्स" रोग फैलने का एक मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन करने और पेरोवर रक्तदान को हतोत्साहित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राइवेट ब्लड बैंकों द्वारा "एड्स" विभाग (वाइरस) होने की संभावना की दृष्टि से रक्त की प्रत्येक यूनिट का परीक्षण नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रक्त की, विशेषकर पेरोवर रक्तदाताओं के रक्त की, शुद्धता संबंधी परीक्षण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) एच आई वी/ ऐड्स संक्रमण के कारणों में रक्ताधान एक कारण है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने बहुत–सी दृश्य श्रृव्य सामग्री तैयार की है जो पूर्णतः जनसाधारण तथा एक के बाद एक संप्रेषण के लिए है। प्रतिवर्ष एक अक्टूबर के आस पास इस अभियान को गति प्रदान की जाती है। इसे स्वैच्छिक रक्त–दान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन स्वैच्छिक रक्त–दान से संबंधित अनेक कार्यकलाप आरम्भ किये जाते हैं।

(घ) से (ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के भाग x11 ख, में एड्स सहित रक्त–परीक्षण रोगों को छोड़कर रक्त परीक्षण को आवश्यक बनाने का प्रावधान है। विधान के अन्तर्गत रक्त बैंकों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाना अपेक्षित है। राज्य, लाइसेंसिंग प्राधिकारी होने के कारण रक्त–बैंकों की आवश्यकताओं की निगरानी करते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी के अनुसार सरकार के कुल 612 रक्त बैंकों में से लगभग 300 रक्त बैंकों के पास विधिवत् लाईसेंस नहीं हैं। बहुत से रक्त बैंकों के पास पर्याप्त उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारी भी नहीं हैं। इंडियन रैडक्रास के कतिपय रक्त बैंक्स इन अनियमितताओं के लिये दोषी हैं जबकि इंडियन रैडक्रॉस की बम्बई शाखा 1992 में एड्स इन्फेक्शन का खून में नमूना प्रस्तुत कर चुकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक बहुत से रक्त बैंकों को लाईसेंस मुक्त क्यों नहीं रखा गया है तथा जिन रक्त बैंकों को विधिवत् लाईसेंस प्राप्त नहीं है, पर्याप्त उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गयी है?

[अनुवाद]

श्री पबन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सच है कि देश में कुछ रक्त बैंकों के पास लाईसेंस नहीं हैं। हम यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठा रहे हैं और उनसे उन रक्त बैंकों को आवश्यक लाइसेंस प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। वर्ष 1993 में हमने औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन करके रक्त बैंकों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों सहित अन्य विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य कर दिया है। कुछ ऐसे पुराने रक्त बैंक हैं, जो इन नई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। अतः, हम धीरे–धीरे इस सम्बन्ध में संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं। हम, सरकार के साथ–साथ

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की ओर से भी इन रक्त बैंकों को अद्यतन बनाने में भी उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वे सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और लाइसेंस प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मूल प्रश्न में पूछा था कि जिन प्राईवेट ब्लड बैंकों के पास अभी तक लाईसेंस नहीं हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक उपकरण नहीं हैं, क्या उनके खिलाफ कोई जांच की जायेगी, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रही है, इस प्रश्न का मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया।

श्री पबन सिंह घाटोवार : मैंने प्रश्न के लिखित उत्तर में पहले ही निवेदन किया है कि इस मामले में लाईसेंसिंग अथौरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ब्लडबैंक सैट अप करती है। हम स्टेट गवर्नमेंट से डिसक्शन करके उनसे अर्ज कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तमाम ब्लडबैंकों को लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने योग्य बनाये जाये। नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाईजेशन को भी हम इंक्विपमेंट और फाईनेन्श्यन ऐड देकर स्टैप बाई स्टैप इन ब्लडबैंक्स को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, एक और एड्स की रोकथाम और रक्ताधान के संबंध में सावधानी बरतने की बात की जा रही है, वहां इस देश में कुछ शरारती तत्व एच.आई.वी. से संक्रमित रोगियों पर अपरीक्षित प्रयोग और गैर–लाइसेंसकृत दवाओं का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि मुम्बई में कुछ महीने पहले इसी प्रकार का एक प्रयोग गुप्त रूप से किया गया। जिस दवाई का लोगों का प्रयोग किया गया था, उसका आविष्कार अमरीका के एक वैज्ञानिक ने किया था इसके लिए धनराशि एक अमरीकी नागरिक ने दी थी और इसका समन्वय भारतीय स्वास्थ्य संगठन के महासचिव डा.आई.एस. गिलाडा ने किया था। इस सम्बन्ध में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ने नागपुर स्थित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के महानिदेशक को एक ज्ञापन दिया था।

क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है ? अगर यह सत्य है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो इस प्रकार अनैतिक तरीके से भारतीय लोगों पर गिनि–पिगों की भांति प्रयोग करने में लगे हुए हैं? क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की है अथवा वह इस प्रकार के लोगों को देश के कुछ भागों में एड्स नियंत्रण तथा एड्स के रोगियों के पुनर्वास के नाम पर कुछ के संस्थान स्थापित करने में संरक्षण प्रदान करने जा रही है? मैं सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री पबन सिंह घाटोवार : महोदय, इसमें सच्चाई नहीं है। कोई भी फर्म, जो इस प्रकार का प्रयोग करना चाहती है, उसे प्रयोग करने से पहले भारत के औषध–नियंत्रक की अनुमति लेनी पड़ती है। इस दवाई का प्रयोग करने के लिए भारत के औषध–नियंत्रक ने अनुमति नहीं दी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कार्य गुप्त रूप से किया गया था। यही बात मैं कह रहा था।

श्री पबन सिंह घाटोवार : महोदय, इस दवाई का प्रयोग करने के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा गुप्त रूप से किया गया था। जिन लोगों पर यह प्रयोग किया गया था, उन्होंने न्यायालय में मामला दर्ज किया है। वे आकर इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। क्या इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई व्यवस्था है?

श्री पबन सिंह घाटोवार : मुझे अपना जवाब पूरा करने दीजिये। महोदय, समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें आई थीं कि इस प्रकार की घटना हुई है। हमने इस सम्बन्ध में सूचना के लिए महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से कहा। हम इन दो राज्य सरकारों से जवाब आने का इंतजार कर रहे हैं। महोदय, इस इन बातों पर समाचार पत्रों में प्रकाश डाला गया है।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जब ब्लड की कमी होती है और पेशेन्ट के लिये रक्त की मांग की जाती है तो उसके लिये सारी जगह घूमकर चाहे गलत हो या सही रक्त की सप्लाई कराई जाती है। इससे पता चलता है कि रक्त की जितनी डिमांड है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं और इसी कारण अवैद्य ढंग से रक्त की उगाही करने वाले लोग अशुद्ध रक्त मुहैया करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मांग के अनुकूल स्वच्छ रक्त की सप्लाई करने के लिये, पूर्ति करने के लिये क्या सरकार ने व्यवस्था की है ताकि अशुद्ध रक्त की सप्लाई को रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, यह सच है कि हमारी जरूरत का केवल 50 प्रतिशत रक्त ही हमारे पास उपलब्ध है। इसी वजह से, सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से रक्तादान को प्रचारित करने का कार्यक्रम शुरू किया है। रक्त उपलब्ध नहीं है और इसे कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता। अगर इस देश के नागरिक आगे आकर वर्ष में एक बार रक्तदान करें तो हमारे रक्त बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध होगा। हमारे रक्त बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि शिक्षित लोग भी जब अस्पताल जाते हैं तो वे व्यवसायिक रक्त दाताओं से रक्त खरीदने का प्रयास करते हैं। वे अपने रिश्तेदारों को अपना रक्त देने के इच्छुक नहीं होते। इस प्रकार के लोगों में ऐसी शिक्षा का अभाव है। हमें मंत्रियों के रूप में प्रतिष्ठित लोगों से अनेक बार अनुरोध प्राप्त हुए है। कि 'अस्पताल में हमारे व्यक्ति बीमार हैं, कृपया उनके लिए रक्त का प्रबंध कर दीजिये।' वे स्वयं का, अपने परिवार के सदस्य का रक्त अपने ही परिवार के सदस्यों को दान करने के लिए सहमत नहीं है। समस्या की यही विकटता है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह रोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 1994 तक 904 एड्स के रोगी हिन्दुस्तान में पाए गए हैं। दिन–प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। उसके मुकाबले में सरकार द्वारा अभियान चलाने के बावजूद ये रक्त परीक्षण केन्द्र 150 आंचलिक केन्द्रों पर व 62 निगरानी केन्द्रों तक सीमित रहे हैं। देश में 450 से अधिक जिले हैं। क्या मंत्री महोदय रोग की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक जिला केन्द्र पर रक्त परीक्षण केन्द्रों और निगरानी केन्द्रों की स्थापना करेंगे? यदि करेंगे तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया वह स्टेट गवर्नमेंट का है।

[अनुवाद]

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सभी रक्त दाताओं तथा रक्त बेचने वालों की समुचित जांच और सारे देश में पोले सभी रक्त बैंकों में सारे रक्त की शुद्धता सम्बन्धी परीक्षण के लिए एच.आई.वी. संक्रमण हेतु, विशेषज्ञों के अनुसार एच. आई. वी. संक्रमण की मौन महामारी भारत में पहुंच चुकी है, सरकार के पास उपयुक्त परीक्षण सुविधा उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं।

(ख) क्या आप सभा को अभी यह आश्वासन दे सकते हैं कि सरकार सभी प्रकार के रक्त दाताओं, सभी रक्त बेचने वालों तथा सारे देश में फैले सभी रक्त बैंकों में सभी प्रकार के रक्त के शुद्धता संबंधी परीक्षण के लिए तत्काल सभी आवश्यक उपाय करेगी?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, अधिनियम और नियमों में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। रक्त बैंक की क्या जरूरत है? उपकरण कौन–कौन से होने चाहिये और इस रक्त बैंक को कौन चलायेगा? सभी आवश्यकताओं का उसमें उल्लेख है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हम उन्हें रक्त बैंकों को अद्यतन बनाने का अनुरोध कर रहे हैं।

प्रो. आर.आर. प्रमाणिक : उत्तर नहीं दिया गया है। क्या वह सभा को आश्वासन दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य राज्य सरकार का है। कृपया इस बात को पहले समझ लीजिए।

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

*42. **प्रो. के.वी.† थामस** :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरानूर–मंगलौर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कार्य को कोंकण रेलवे निगम को सौंपने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना संभवतः कब शुरू होगी, तथा कब पूरी होगी और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस परियोजना को कोंकण रेलवे निगम को नहीं सौंपे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा क्या निगम का विचार इस प्रयोजनार्थ ऋण–पत्र जारी करने का है; और

(ङ) कोंकण रेलवे के अंतर्गत मंगलौर से मुबई तक की पूरी रेलवे लाइन कब तक चालू हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) निर्माण स्वामित्व पट्टा तथा हस्तांतरण (बोल्ट) योजना, जिसमें कोंकण रेल निगम भी भाग ले सकता है, के अंतर्गत गुरवायूर और कुट्टिप्पुरम के बीच एक नये ब.ला. रेल सम्पर्क के निर्माण सहित कुट्टिप्पुरम्–कालीकट–मंगलौर लाइन का दोहरीकरण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया है, इन कार्यों के पूरा होने पर इससे बरास्ता त्रिचूर, शोरूवण्णूर और मंगलौर के बीच दोहरीकरण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

(ख) परियोजना का ब्यौरा इस प्रकार है :

खंड	लम्बाई	लागत
गुरवायूर –कुट्टिप्पुरम	36 कि.मी	40 करोड़ रुपये
कुट्टिप्पुरम–कालीकट	56 कि.मी.	60 करोड़ रुपये
कालीकट –मंगलौर	221 कि.मी.	240 करोड रुपये

भूमि के अधिग्रहण सहित कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं और बोल्ट योजना के अंतर्गत संविदाओ को अंतिम रूप दिए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के कार्य के शुरू होने की तारीख इसके 3 वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

(ग) इसका भाग (क) के उत्तर मे पहले ही उल्लेख कर दिया गया है।

(घ) इस परियोजना की लागत 340 करोड़ रुपये है, संसाधन जुटाने के तौर–तरीके के बारे में कोंकण रेल निगम द्वारा कार्य का ठेका मिलने के बाद निर्णय लिया जाना होगा।

(ङ) कोंकण रेलवे पर मंगलोर से बंबई तक की पूरी रेल लाइन के 31.3.96 तक चालू होने का कार्यक्रम है।

प्रो. के.वी. थामस : मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि 31.3.1996 तक मंगलौर–मुम्बई रेलवे लाइन चालू हो जायेगी। इस योजना को निश्चित समयावधि में लागू करने के लिए मैं रेल मंत्रालय और कोंकण रेलवे निगम को बधाई देता हूं।

केरल राज्य को मद्देनजर रखते हुए, अगर शौरानूर से मंगलौर तक की रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाता है तो यह कोंकण रेलवे लाइन मददगार साबित होगी। माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि क्या शौरानूर से मंगलौर तक की रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए कोई समयबद्ध परियोजना तैयार की गई है ताकि कोंकण रेलवे परियोजना से केरल को फायदा हो सके।

श्री सुरेश कलमाडी : हम इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के इच्छुक हैं और इस परियोजना को पूरा करने के लिए निश्चित समयावधि तीन वर्ष रखी गई है। कुट्टीपुरम–कालीकट रेलवे लाइन निर्माणाधीन है। कालीकट–मंगलौर लाइन के लिए भी भूमि के अधिग्रहण का काम चल रहा है तथा कुट्टीपुरम–गुरूवयूर प्रखंड पर भी शीघ्र ही काम शुरू हो जायेगा। अतः, हमारा अनुमान है कि यह परियोजना तीन वर्ष में पूरी हो जायेगी। और मंगलौर तक आने वाली कोंकण रेलवे लाइन का लाभ हमें मिलने लगा है।

प्रो. के.वी. थामस : महोदय, माननीय मंत्री ने सोच–समझकर यह कहा है कि एक बार परियोजना पर काम शुरू हो जाये, तो इसके पूरा होने मे तीन वर्ष लग जायेंगे। यह भी कहा गया है कि यह बोल्ट अर्थात बिल्ट ऑन लीज़ ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत रहेगी। अतः, माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि वह परियोजना को कब आरम्भ करेंगे ?

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, परियोजना पर कार्य तुरंत शुरू होगा। आपको मालूम है कि कुट्टीपुरम–कालीकट लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कागजात राज्य सरकार को पहले ही दिये जा चुके हैं। निविदा संबंधी कागजात तथा बोल्ट की बोलियों के लिए पूर्वाश्यकतायें तैयार हैं तथा दिसम्बर, 1995 में बोली लगाई जायेगी। इस प्रकार इसमें तीन वर्ष का समय लगेगा, जो दिसम्बर, 1995 से शुरू हो जायेगा।

श्री मूल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, केरल के संपूर्ण विकास और विशेष रूप से मालाबार के पिछड़े जिलों की दृष्टि से मंगलौर शोरानूर लाइन का महत्व बढ़ गया है। इस लाइन का शीघ्रातिशीघ्र दोहरीकरण के लिए इस क्षेत्र के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं।

माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि सरकार इस परियोजना को बोल्ट योजना के अन्तर्गत निजी कम्पनियों को देने के लिए तैयार है। हाल ही में, कोंकण रेलवे निगम के अध्यक्ष ने अपने कालीकट के निवास के दौरान आश्वासन दिया और केरल के लोगों को वचन दिया था कि अगर परियोजना को रेलवे प्रशासन स्वीकृति प्रदान कर देता है तो वे रेलवे प्रशासन से एक पैसा भी लिये बगैर परियोजना को लेने के लिए तैयार है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकार को इस परियोजना को शुरू करने के लिए कोंकण रेलवे निगम को स्वीकृति देने में क्यों हिचकिचा रही है? इसके क्या कारण हैं?

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, इस योजना का आबंटन

बोल्ट योजना के अंतर्गत किया गया है और कोंकण रेलवे निगम इस **बोल्ट** निविदा के अन्तर्गत भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि कोंकण रेलवे निगम के अध्यक्ष ने इसका प्रस्ताव रखा है, तथापि हमें इस प्रस्ताव की जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पहले ही बहुत से वित्तीय दायित्व हैं। उन्होंने बताया है कि अगर मंगलौर-शौरानूर लाइन भी उन्हें दी जाती है, तो वह उस लाइन को पटटे पर दे सकते हैं। इस प्रकार इसके लिए वे पैसा एकत्र करेंगे। आजकल आपको मालूम ही है कि यहां तक कि कोंकण-मुम्बई लाइन, जो हमारी उच्च प्राथमिकता है, को भी पूरा करने के लिए हमारे पास अभी भी पैसे की कमी है। कोंकण रेलवे को अभी भी 300 करोड़ रुपये एकत्र करने हैं, जिसके लिए वे वचनबद्ध हैं। लेकिन स्थिति ये है कि उनके बॉण्ड बिक नहीं रहे हैं। अतः, उन्हें ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी। हमें वैद्यता के प्रश्न की तथा उनमें धन एकत्र करने की सामर्थ्य है अथवा नहीं, इस बात की जांच करनी होगी, लेकिन इसी दौरान, अगर वे भी **बोल्ट** योजना के अंतर्गत बोली लगाते हैं, तो हमें खुशी होगी।

श्री रमेश चेन्नित्तला : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं केरल राज्य में कौन-सी अन्य रेलवे लाइनों के दौहरीकरण किया जा रहा है।

क्विलोन-त्रिवेन्द्रम प्रखंड की एक लाइन के लिए बजट में पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और उस लाइन पर काम चल रहा है। लेकिन यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय इस मामले पर विचार करेगा और काम में तेजी लायेगा ताकि केरल राज्य में नई गाड़ियां आ सकें।

श्री सुरेश कलमाडी : मैंने अभी-अभी आपको बताया कि कुट्टीपुरम-कालीकट लाइन का दौहरीकरण किया जा रहा है। कालीकट-मंगलौर लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। कुट्टीपुरम-गुरूवयूर लाइन को दोहरा किया जा रहा है। आपने ठीक ही कहा है कि क्विलोन-त्रिवेन्द्रम लाइन का काम कुछ धीमा चल रहा है। हम इसके लिए बजट में पहले ही 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम उस गति से नहीं हो रहा है, जिस गति से हम चाहते थे। परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध है और अगर भूमि अधिग्रहण का काम तीव्र गति से चलता है तो हम इसे बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। भूमि के संबंध में, जहां पर जमीन उपलब्ध है, बड़े-बड़े ठेके दिये गये हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत होने के कारण इसमें विस्फोट करने का कार्य नियंत्रित ढंग से किये जाने की आवश्यकता है और अगर आप हमें जमीन पहले दे देते हैं, तो हम शीघ्रता से आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए बजट हमने पहले से ही तैयार कर लिया है। यह मैं एक अन्य लाइन क्विलोन-त्रिवेन्द्रम के दौहरीकरण के बारे में कह रहा हूं। क्याकुलम-क्विलोन लाइन के दौहरीकरण का काम 31.1.1996 को अर्थात् जनवरी, 1996 में पूरा हो रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*43. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो शीर्षस्थ अधिकारी अथवा मुख्य प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक के बिना ही कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या मुख्य प्रबंध निदेशकों के न होने की वजह से कुछ एकक घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री के. करुणाकरण) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1.11.1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 37 उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक) के पद रिक्त थे। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम परिशिष्ट में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) नियमित मुख्य कार्यपालकों की अनुपस्थिति में इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक प्रमुख कार्यपालकों के दायित्वों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए थे ताकि कार्य और कार्य निष्पादन पर प्रभाय न पड़े। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का वित्तीय कार्य निष्पादन विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे कि संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, बाजार स्थितियां आदि और इसलिए नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लाभ/हानि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।

परिशिष्ट

क्र.स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम
1.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
2.	भारत भारी उद्योग निगम लि.

3. भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि.

4. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजी. लि.

5. ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.

6. ब्रोडकास्ट इंजी. कंसलटेंट्स

7. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.

8. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

9. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि.

10. इंजीनियर्स इण्डिया लि.

11. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.

12. भारी इंजीनियरी निगम लि.

13. हिन्दुस्तान कॉपर लि.

14. हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.

15. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र. लि.

16. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कं. लि.

17. आइबीपी कंपनी लि.

18. भारतीय रेलवे वित्त निगम

19. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.

20. कर्नाटक एंटिबायोटिक्स फार्मास्युटिकल्स लि.

21. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.

22. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.

23. नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.

24. राष्ट्रीय बीज निगम लि.

25. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.

26. नूमालीगढ़ रिफाइनरीज लि.

27. ऑयल इण्डिया लि.

28. ओएनजीसी विदेश लि.

29. पवन हंस लि.

30. पावर ग्रिड कारपो. ऑफ इण्डिया लि.

31. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इको. सर्विसिस

32. राष्ट्रीय कैमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.

33. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

34. स्कूटर्स इण्डिया लि.

35. सेमी कंडक्टर्स काम्प्लेक्स लि.

36. भारतीय नौवहन निगम लि.

37. भारतीय टायर निगम लि.

श्री. इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे विश्वास है कि आपको इस वक्तव्य से यह पता चलने पर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के कम से कम 37 उपक्रम ऐसे हैं, जिनमें कोई भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अथवा अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक नहीं है। यह पद कब तक नहीं भरे जा सकेंगे निःसंदेह जवाब में इसका संकेत नहीं किया गया है। लेकिन इससे यह दर्शित होता है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति स्पष्ट रूप से इस मामले के प्रति बिल्कुल बेखबर है अथवा कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है, जिनका यहां पर उल्लेख किया जाना चाहिये था। जो भी हो, महोदय, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उपक्रम हैं, जैसे भारत अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड—मैं उन सभी के नाम नहीं पढूंगा—हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि।

अब, मैं एक आश्चर्यजनक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जवाब में माननीय मंत्री ने कहा है कि, "नियमित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जब तक नियमित आधार पर पदों को नहीं भरा जाता, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि इसका कार्य और कार्य–निष्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़ सके। 'वैकल्पिक व्यवस्था' से क्या तात्पर्य है? इसकी परिभाषा भी हमें स्पष्ट नहीं है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि वहां किसी अन्य व्यक्ति को रखा जाता है अथवा कोई अन्य संरचनागत व्यवस्था की जाती है अथवा कोई अन्य व्यवस्था की जाती है? हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अगले वाक्य में, जो वक्तव्य का अंतिम वाक्य है, उन्होंने कहा है कि "नियमित मुख्य प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के फायदे/नुकसान के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नही हो सकता।" इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के बिना भी ये सरकारी

क्षेत्र के उपक्रम बिना किसी फायदे अथवा नुकसान के चल सकते हैं अथवा उनके कार्य–निष्पादन को आवश्यक रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस सबसे उनका क्या तात्पर्य है और इस अति गंभीर स्थिति से उनका किस प्रकार निपटने का विचार है।

श्री के. करुणाकरण : महोदय, सरकारी क्षेत्र के इन 37 उपक्रमों में मार्च, 1994 के बाद ही 30 पद खाली हुए हैं।

अनेक माननीय सदस्य : मार्च, 1994 के बाद से?

श्री के. करुणाकरण : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। उन सभी की बात नहीं है। यह पद 30 मार्च, 1994 से रिक्त है लेकिन इनके रिक्त होने की तिथियां अलग-अलग है। महोदय, यह वक्तव्य क्यों दिया गया है, यह वक्तव्य यह बताने के लिए दिया गया है कि उपक्रम में स्थायी अध्यक्ष के अभाव में हमें नुकसान नहीं हो रहा है। इस वक्तव्य का मूल यही है। महोदय, अगर वक्तव्य को पढ़ें, मैं आपको बता सकता हूं कि 37 उपक्रमों में से 17 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया है। केवल 18 उपक्रमों को नुकसान हुआ है। अब, हमने ऐसा इसलिए बताया है कि आजकल जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, वह सामान्य तौर पर इस प्रकार की है कि उपक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम व्यक्तियों को चुना जाता है। मैं उत्पादन इत्यादि तथा अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। अतः केवल उपक्रमों के अध्यक्ष ने होने से ही उत्पादन पर प्रभावित नहीं होता है। हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैंने यही वक्तव्य दिया है। अब, रिक्तियों को भरने के लिए हम शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : वे कौन–सी कार्यवाहियां हैं?

श्री के. करुणाकरण : बहुत से तरीके अपनाये जा सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे किसी विभाग अथवा किसी विभागीय अध्यक्ष द्वारा ही किया जा सकता हो। प्रक्रिया यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों की भर्ती के लिए एक समिति है–सरकारी उद्यम चयन बोर्ड। हालांकि यह समिति पूर्ण रूप से स्वायत्त समिति नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यवहारिक दृष्टि से यह विशेषज्ञों का एक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष को चार सदस्य होते हैं। वे अनुमान के आधार पर सिफारिशें पेश करते हैं, और उनके आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। संबंधित उपक्रम अथवा विभाग को इस निकाय को रिपोर्ट देनी चाहिये और उसके पश्चात् वे भर्ती करने की पहल करेंगे।

अब हमने सभी संस्थानों विशेषकर कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निर्देश दे दिए हैं कि वे 147 दिनों के अन्दर भर्ती कर लें। हमें एक निश्चिन्त समय–सीमा दी गई कि यदि इस तारीख तक कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो इस से इस तारीख तक अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए और प्रार्थना पत्र मंगा कर चयन कर लेना चाहिए। जब कभी भी आवश्यकता हो वे उस विशिष्ट संस्थान से एक विशेषज्ञ सदस्य भी नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए, जैसा कि सामान्यतः होता है हम यह सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर सकते हैं।

महोदय, आप संघ लोक सेवा आयोग के बारे में तो जानते ही हैं। जैसे ही संघ लोक सेवा आयोग के पास सूचना पहुंचती है वे पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं। इसी तरह से सार्वजनिक उपक्रमों की भी यही प्रक्रिया है। लेकिन यह एक दिन में नहीं होता है। **(व्यवधान)** फिर भी, मैं इस सभा को यह आश्वासन देता हू कि हम पूरी प्रक्रिया को अपनाने और सभी रिक्तियों को भरने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : आप सभा पटल पर अपना उत्तर रखिए।

श्री हरि किशोर सिंह : ऐसा क्यों है कि डेढ़ साल का समय लग जाता है? **(व्यवधान)** अनेक पद रिक्त क्यों पड़े हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : आपका जवाब संक्षेप में होना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री के. करुणाकरण : इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहले रिक्तियों का पता चलता है। लेकिन वास्तव में रिक्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं। ऐसा किसी अन्य कारण से हो सकता है। मैंने इस बात पर ठीक से विचार नहीं किया है कि वहां एक ही व्यक्ति कार्य क्यों कर रहा है। फिर भी, अन्ततः 246 उपक्रमों में से केवल 37 उपक्रमों में ही पद रिक्त पड़े हैं। **(व्यवधान)** एक माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे थे। कि किस आधार पर यह वक्तव्य दिया गया था। इन 37 उपक्रमों में से 18 उपक्रम लाभ कमा रहे हैं और 19 उपक्रम घाटे में जा रहे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है जो इन उपक्रमों पर लागू होती है। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं जो भी बात कहता हूं वह पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं और उस पर अटल रहता हूं **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : आप इन रिक्त पदों को कब भरेंगे ?

श्री. के. करुणाकरण : मैंने पहले ही कहा है कि आज से 147 दिनों के भीतर उन रिक्तियों को भर दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इस वक्तव्य में कही गई बात के आशय को समझते हैं। इस बात का तर्कपूर्ण आशय यह है कि इन उपक्रमों का लाभ तथा हानि मुख्य कार्यकारियों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति से संबंध नहीं रखता है। तब इस वक्तव्य का आशय क्या है? हम इन पदों को समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं? वे वहां मात्र दिखावे के लिए नहीं हैं। वे वह लोग हैं जो कि अनेक लाभों सहित अच्छे वेतन ले रहे हैं। यदि उनको कार्य निष्पादन से कुछ नहीं लेना है तो वे उन पर धन व्यर्थ क्यों कर रहे हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनके बिना भी ठीक चल रहे हैं? क्या यह आपका सुझाव है कि ऐसे पदों का होना आवश्यक नही हैं।

श्री के. करूणाकरण : मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि एक विद्वान सदस्य ने ऐसी टिप्पणी की है। जो कुछ मैंने कहा है वह यह है कि हालांकि एक पूर्णकालिक मुख्य प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक वहां नहीं है फिर भी वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है। कई बार मुख्य प्रबंध निदेशक के सहायक वरिष्ठ अधिकारी को अल्पावधि के लिए यह प्रभार सौंपा जा सकता है...**(व्यवधान)**। क्या यह असामान्य या असाधारण बात है? सरकारी सेवा में भी यदि किसी अधिकारी को छुट्टी लेनी होती है। तो अगला व्यक्ति प्रभार संभालता है। न केवल सार्वजनिक उपक्रमों में बल्कि किसी भी उपक्रम में केवल यही प्रक्रिया है जिसको अपनाया जा सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यदि वह किसी प्रतिष्ठित संस्थान के विद्यार्थी होते तो वे बाहर निकाल दिए जाते अथवा फेल हो जाते क्योंकि उनके अनुसार 246 में से 37 15 प्रतिशत होता है। और किसी भी परीक्षा में 15 प्रतिशत को ही मान्यता दी जानी चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। वह ठीक कह रहे हैं कि इसे प्रत्यक्ष रूप से लाभ और हानि से जोड़ा नहीं जा सकता है। वास्तव में कई बार एक विशेष मुख्य प्रबन्ध निदेशक की उपस्थिति लाभ और हानि को बढ़ावा देती है। मैं उस बात को समझ सकता हूं। निश्चय ही वह इससे अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मुद्दा यह है कि उन्होंने किसी प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि इसमें एक से डेढ़ वर्ष अथवा इससे अधिक का समय लगता है। हम डेढ़ वर्ष पहले ही प्रक्रिया आरम्भ क्यों न कर दें उन्हें इसी बात की व्याख्या करनी है। क्या वह बिना प्रधान मंत्री के मंत्रिमंडल के कार्य करने की कल्पना कर सकते हैं? जब प्रधान मंत्री विदेश जाते हैं तो वह अपना प्रधान मंत्री का पद सुरक्षित करके जाते हैं। वह किसी अन्य मंत्री को उस पद पर कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं। सामान्यतः अधिक महत्व के क्षेत्रों में चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बजट में कटौती की जा रही है, वहां वे विलम्ब कैसे कर सकते हैं अथवा वे उस प्रक्रिया में दुगुना समय कैसे लगा सकते हैं और सभी प्रक्रियाओं को रिक्तियों को अधिसूचित करने के बाद कैसे आरम्भ कर सकते हैं? क्या वह इस बात की व्याख्या करेंगे?

श्री के. करुणाकरण : महोदय, दुर्भाग्यवश माननीय सदस्य ने सरकार के विरुद्ध आरोप लगाकर प्रश्नकाल का उपयोग किया है। मैं इस सभा का नया सदस्य हूं और सभा के सभी सदस्य विद्वान हैं। मुझे उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। फिर भी, प्रश्न यह है, कि यह कार्य कैसे होंगे। मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सक्षम व्यक्ति इन उपक्रमों के प्रमुख होने चाहिएं। 246 उपक्रमों में से केवल 37 उपक्रमों में पद रिक्त पड़े हैं और 37 में से भी केवल 18 उपक्रम लाभ कमा रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने अधिक लाभ कमाया होता। आप डेढ़ वर्ष पहले ही प्रक्रिया आरम्भ क्यों नहीं कर देते?

श्री के. करुणाकरण : आप कह सकते हैं कि हालात और बेहतर होते लेकिन यदि आप भूतकाल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि संतोषजनक प्रगति हो रही है। अब मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इन रिक्त पदों को भरने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चुनावों से पहले।

श्री के. करूणाकरण : 147 दिनों के अन्दर।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : मैंने मंत्री जी का उत्तर सुना है। मैं मंत्रीजी को केवल एक बात कहना चाहूंगा। वे कहते हैं कि मुख्य कार्यकारी को जिम्मेदारी सौंपने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं। मुझे उन लोगों से मिलने का अवसर मिला था जो कि स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। वहां यह समस्या आती है कि जब वे स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे होते है तो उनके पास पूरा अधिकार नहीं होता है। क्या कंपनी का एक व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अथवा एक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है अथवा अन्य कंपनी के एक अध्यक्ष अथवा एक प्रबंध निदेशक किसी अन्य कंपनी के एक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, उसके पास पूरा अधिकार नहीं होता है। तब, कंपनी कैसे कार्य करेगी? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है; आप इन रिक्त पदों को भरने में कितना समय लेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : महोदय, पहले प्रश्न के बारे में क्या हुआ?

श्री के. करुणाकरण : महोदय, जहां तक कि पहले प्रश्न का संबंध है, जिस व्यक्ति को प्रभार सौंपा जाता है उसके पास स्थायी मुख्य प्रबंध निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक के पूरे अधिकार होते हैं। यहां तक कि मुख्य प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक को सब कुछ करने का अधिकार नहीं होता है। मुख्य प्रबंध–निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक पर भी बोर्ड का नियंत्रण होता है। बोर्ड को न केवल नीति संबंधी मामले अथवा कुछ अन्य मामलों का निर्णय लेना होता है बल्कि बोर्ड मुख्य प्रबंध–निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक को निर्देश भी देगा। मुख्य प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक के न होने से कार्य में कोई अन्तर नहीं आयेगा। बोर्ड कार्य कर रहा है! बोर्ड उपक्रम के कार्य के लिए जिम्मेदार है।

श्री चेतन पी. एस. चौहान : तो मुख्य प्रबंध निदेशक किसलिए हैं? (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करने का आश्वासन दिया है। वे यह भी सही कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सही तरह के सक्षम लोग नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है....(व्यवधान) वास्तव में, यह हमेशा आवश्यक होता है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के लिए वचनबद्ध हों।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति लागू होने के पश्चात् तथा एम.एन.सी. के कारण, हमारे कुछ कार्यकारी एम.एन.सी. की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम छोड़ रहे हैं और एम.एन.सी. में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा दिए जा रहे वेतन, भत्ते तथा लाभ अधिक आकर्षक हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सही तथा सक्षय व्यक्ति का चयन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या विचार है? कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकारियों में उस समय असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जब वे प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों इत्यादि के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं इत्यादि के साथ अपने भत्ते, वेतन तथा अन्य सुविधाओं की तुलना करते हैं क्योंकि उनके वेतन अधिक आकर्षक हैं।

श्री के. करुणाकरण : यह कुछ हद तक सही है। साथ ही उन व्यक्तियों में से चयन किया जाता है जो उसी उपक्रम में कार्य कर रहे होते हैं। अथवा उस विशिष्ट उपक्रम में कोई सक्षम व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो हम अन्य उपक्रमों से भी व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सक्षम व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, केवल तभी हम बाहर से व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं। निश्चय ही जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है वह सच है। कुछ हद तक, अनेक कार्यों में वेतन अधिक है। इस मामले में हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति नियुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहां ऐसे लोग भी हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। अथवा, कुछ लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा के लिए प्रतिष्ठा के कारण नियुक्त करना पड़ता है। ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और सक्षम लोग उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी मालिक हिन्दुस्तान की जनता है। यह जो 37 अंडरटैकिंग्स की सूची दी है इसमें क्या इनको पता है कि जो रांची का हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन है, सीएमडी की गैर मौजूदगी के कारण वहां जो रशियन होस्टल था और उसका जो होस्पिटल था उसको प्राइवेट पार्टी को बेचने तक की भी चीजें गई हैं, जो हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन हिन्दुस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बना हुआ था उस सार्वजनिक क्षेत्र की यह स्थिति है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां सीएमडी बहुत दिनों से नहीं था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या यह सही नहीं है कि वहां का रशियन होस्टल और वहां का जो होस्पिटल है उसको प्राइवेट पार्टी को बेचने तक की चीजें गई हैं? अब वहां हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन की क्या माली हालत है और वह किस तरीके से चल रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री के. करुणाकरण : महोदय, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि कोई विशेष प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

फिरोजाबाद रेल दुर्घटना

*44. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोज़ाबाद में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बारे में की गई न्यायिक जांच और वरिष्ठ सरकारी रेल निरीक्षक द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कौन–कौन से निवारक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां, रेल सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी सर्कल की रिपोर्ट जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की थी, 21.11.1995 को प्राप्त हुई है।

(ख) रेल सुरक्षा आयुक्त ने फिरोज़ाबाद पश्चिम केबिन के स्विचमैन को मुख्य रूप से इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया है। रेल सुरक्षा आयुक्त की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) मृतकों के आश्रितों को 29,10,000 रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों के सम्बन्ध में निर्णय देने के बाद शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(घ) **ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए उपाय**

1. सरकार ने मार्च, 1996 तक ट्रंक मार्गों तथा मुख्य लाइनों के सभी स्टेशनों पर उल्लंघन चिह्न तक पूरा रेलपथ परिपथन करने का निर्णय लिया है। सभी ट्रंक मार्गों पर जून 1996 तक स्टार्टर तथा अग्रिम स्टार्टर के बीच रेलपथ परिपथन पूरा कर दिया जाएगा।

2. स्टेशन कर्मचारियों, चलती गाड़ी के ड्राइवर तथा गार्ड के बीच रेडियो–आधारित संचार, प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए निवारक कार्रवाई की जा सकेगी।

3. रेलों को स्टार्टर सिगनल के आगे रेलपथ परिपथ की व्यवस्था की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ताकि गाड़ी के जाने के बाद स्टार्टर सिगनल लाल हो जाए।

4. छोटे स्टेशनों पर स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर के बीच दूरी को कम करके 180 मीटर किया जा रहा है ताकि यदि गाड़ी अग्रिम स्टार्टर से नहीं गुजरी हो तो इसे केबिनमैन द्वारा देखा जा सके।

5. सिगनल सर्किटों में इस प्रकार से आशोधन किया जा रहा है कि स्टेशन सीमाओं में किसी भी समय विशेष पर एक लाइन पर केवल एक ही गाड़ी की मौजूदगी सुनिश्चित हो।

6. भारतीय रेलों पर संरक्षा के स्तर में और सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय "संरक्षा दल" का गठन किया गया है।

7. इसके अलावा, परामर्श देने निरीक्षण/जांच, निगरानी करने जैसे पहले से किए जा रहे संरक्षा उपायों में और तेजी लाई गई है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के बीच जो भंयकर दुर्घटना हुई थी वह भारत में पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक जघन्य है, भयावह है और उसमें लगभग 500 से अधिक लोग मारे गए तथा बहुत से लोग घायल हुए। माननीय मंत्री महोदय से पूछा गया था कि जूडिशियल एंड सीनियर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे ने जो जांच की, उसका क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस प्रतिवेदन से क्या नतीजा निकला। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने जूडीशियल और सीनियर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे की जांच के बारे में कुछ नहीं कहा, जांच हुई या नहीं हुई, इस प्रश्न को वे टाल गए और उत्तर में बताया कि सुरक्षा अधिकारी ने जांच की, जिसका प्रतिवेदन हमारे पास आया है और उस प्रतिवेदन की हम जांच कर रहे हैं। इतने जघन्य कांड के बारे में सदन में यह नहीं बताया गया। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात का प्वाइंटेड उत्तर दें कि जूडीशियल और सीनियर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर द्वारा क्या जांच करवाई गई और उसका क्या प्रतिवेदन है। यदि प्रतिवेदन नहीं है तो इसके क्या कारण हैं?

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हुए तथा कितने व्यक्ति टेंपरेरी डिसेबल हुए तथा प्रति व्यक्ति कितना एक्सग्रेशिया पेमेंट किया गया। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस दुर्घटना की भयावहता को देखते हुए आमतौर पर दिए जाने वाले एक्सग्रेशिया पेमेंट से डबल पेमेंट किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि प्रति व्यक्ति दी गई। यह भी बताएं कि इसके अंदर वास्तव में जो गार्ड था, क्या उस गार्ड को कोई सिगनल दिया गया था?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। आप ठीक से प्रश्न पूछिये।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, प्रश्न यह है कि क्या

अध्यक्ष महोदय : क्या न्यायिक जांच की गई थी अथवा नहीं, क्या रिपोर्ट दे दी गई है अथवा नहीं और रिपोर्ट में क्या–क्या कहा गया है। बस यही पूछना है कृपया अब बैठ जाइए।

श्री गुमानमल लोढा : कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग स्थायी रूप से अपाहिज हो गए हैं। कितने लोग अस्थायी रूप से अपाहिज हुए हैं और प्रत्येक को क्षतिपूर्ति को कितनी राशि दी गई है।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। महोदय, माननीय सदस्य ने सभा पटल पर रखे गए विवरण को नहीं देखा है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आयुक्त, रेल सुरक्षा, उत्तरी मंडल की रिपोर्ट 21.11.1995 को प्राप्त हुई है, जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की थी। वह केवल एक सप्ताह पहले की बात है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने फिरोज़ाबाद स्टेशन के स्विचमैन, गोरेलाल को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया है।

महोदय, हमने उन्हें दुगुनी क्षतिपूर्ति, अनुग्रह राशि इत्यादि दी है जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया था। कुल 310 लोगों की जानें गईं और 252 लोग घायल हुए। जिसमें से 152 की हालत गंभीर थी। लेकिन इन 152 लोगों में से केवल छः लोग अभी भी गंभीर हैं। और अस्पताल में है। पहले हमने अनुग्रह राशि की अदायगी की है।

जहां तक कि 2 लाख रु. के क्षतिपूर्ति दावे के दिए जाने का सम्बन्ध है, रेलवे दावा न्यायाधिकरण इन मामलों पर कार्यवाही रहा है। अब तक, 146 व्यक्तियों ने इसके लिए दावा किया है और हम दावा न्यायाधिकरण के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने जानना चाहा था कि क्या कोई जूडीशियल और सीनियर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे से जांच करवाई गई। क्योंकि रेलवे मंत्री ने घोषणा की थी कि इस भंयकर दुर्घटना को देखते हुए जूडीशियल सीनियर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर से जांच करवाई जाएगी। क्या यह जांच करवाई गई, यदि नहीं कराई गई तो क्यों नहीं कराई गई।

जैसा कि बताया गया है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, प्रिकाशंस लिए जायेंगे, तो क्या आसपास के स्टेशंस पर रेडियो सिगनल देने की शीघ्र व्यवस्था करेंगे। आज सेलुलर कोन्स का युग है, जो कि आसपास के 10–15 किलोमीटर के इलाके में लगाए जा सकते हैं जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ।

तो क्या आप शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों तथा आगे दुर्घटनाएं न हों इसके लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, इस बात की घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी मंडल इसकी जांच करेगा और उन्होंने पिछले सप्ताह तदनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

अब, हमने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वास्तव में रेलवे ने सुरक्षा पहलू को उच्च प्राथमिकता दी है और हम बहुत सूक्ष्मता से इस ओर ध्यान दे रहे हैं चाहे वह एक छोटी सी दुर्घटना ही क्यों न हो।

हम सभी स्टेशनों पर ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइनों पर फाउलिंग मार्क से फाउलिंग मार्क तक की जांच का कार्य पूरा कर रहे हैं जो कि वास्तव में जून अन्त तक समाप्त हो जाना था। अब वे इसे मार्च तक पूरा करेंगे। अगले वर्ष दिसम्बर तक स्टार्टर और एडवान्सड स्टार्टर के बीच रेलपथ जांच का कार्य भी पूरा किया जाना था। लेकिन हमने इसे इस वर्ष जून तक बढ़ा दिया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारा ध्यान सुरक्षा की ओर केन्द्रित है।

संचार प्रणाली, जिसके बारे में आपने उल्लेख भी किया है, हम ड्राइवर, गार्ड तथा रेलवे स्टेशन के बीच नवीनतम संचार प्रणाली अपनाने जा रहे हैं। दो वर्ष के लिए 200 करोड़ रु. के बजट का लक्ष्य रखा गया है। अनेक स्थानों पर प्रयास आरम्भ कर दिए गए हैं। और हम इस प्रणाली को आरम्भ कर रहे हैं। संचार भी हमारे लिए एक अन्य उच्च प्राथमिकता का विषय है क्योंकि इससे सुरक्षा बढ़ेगी।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वी. एस. दत्ता आयोग की सिफारिशें क्या हैं। मंत्रीजी कह रहे थे कि कुछ उपाय किए गये हैं जैसे कि पूर्ण रेल पथ जांच, स्टेशन स्टाफ के बीच रेडियो आधारित संचार प्रणाली इत्यादि। लेकिन यदि आप दुर्घटनाओं की संख्या पर गौर करें तो आप देखेंगे कि वर्ष 1990–91 में यह संख्या 532 थी 1991–92 में यह 530, 1992–93 में 524 वर्ष 1993–94 में 520 और वर्ष 1995–96 में यह संख्या 520 हो गई है। इसमें सभी प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं चाहे वह आग लगने से हुई हों अथवा रेलवे फाटक पर हुई हों या गाडियों की टक्कर से हों।

माननीय प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के एक विशेष दल द्वारा विकसित देशों में रेलवे सुरक्षा प्रणाली के संबंध में एक अध्ययन का आदेश दिया है। इस विशेष दल की सिफारिशें क्या हैं, दत्ता समिति की सिफारिशें क्या हैं और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं।

श्री सुरेश कलमाडी : प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया था। सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए समिति के कुछ सदस्य इंग्लैंड तथा कुछ सदस्य जापान गए थे समिति अपनी रिपोर्ट दिसम्बर तक देगी।

जहां तक रेल दुर्घटनाओं की संख्या का संबंध है, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष प्रति वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है। वर्ष 1960–61 में यह दर 5.5 प्रति मिलियन रेल मार्ग (ट्रेन किलोमीटर) थी जो कि वर्ष 1990–91 में कम हो कर 0.86 हो गई थी। वर्ष 1990–91 में दुर्घटनाओं की संख्या 532 थी जो कि वर्ष 1994–95 में घटकर 501 हो गई है। वर्ष 194–95 में अप्रैल से अक्टूबर तक 307 दुर्घनाएं हुई और वर्ष 1995–96 में अप्रैल से अक्टूबर तक 215 दुर्घटनाएं हुई। अतः दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं और हम किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं। पिछले ढाई महीनों में हुई 50 दुर्घटनाओं के लिए लगभग 50 व्यक्तियों को निलंबित किया गया है। हम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जीवन अमूल्य है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, कानपुर और टुंडला के बीच में हर वर्ष 100 के करीब छोटी–बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हम अपने पुराने साथी शंकर दयाल सिंह जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने गये थे। इस लाइन पर कानपुर के बाद गाड़ी की दुर्घटना हुई थी। ट्रेक्टर और ट्राली आपस में भिड़ गये जिसके कारण हमें आठ घंटे का विलम्ब हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार कानपुर और टुंडला के बीच यातायात की बहुतायत को देखते हुए डबल लाइन की व्यवस्था करेगी जिससे दुर्घटनाएं कम हों और रेल यात्रियों तथा सामान के लाने ले जाने में अवरोध पैदा न हो।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, हम सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : बहुत अच्छे ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद की घटना के बाद इस तरह की दुर्घटनाओं से ट्रैक बहुत ज्यादा हो गया है। चूंकि उसका दायरा इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा फिरोजाबाद की दुर्घटना का था। इसलिये सरकार का ध्यान ऐसी बातों की तरफ नहीं जाता। इसका प्रमुख कारण है जैसा कि हरि किशोर जी ने कहा कि गाजियाबाद और कानपुर के बीच जो रेलवे लाइन है, वह संचुरेशन प्वाइंट से ऊपर है। वहां 135 परसैंट रेल गाड़ियां चल रही हैं। माल ढुलाई से लेकर सवारी गाड़ियां उन पर चल रही हैं। इसलिये बार–बार ऐसे वक्तव्य विभाग की तरफ से आये कि कानपुर और टुंडला के बीच और टुंडला और गाजियाबाद के बीच दो ट्रैक की बजाय चार ट्रैक बनाये जायेंगे। ऐसी घोषणा भी की जा चुकी है लेकिन अभी उस पर कोई अमल विभाग कर रहा है, हम इस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में जानकारी चाहेंगे? साथ ही साथ मूल प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि इस दुर्घटना के बाद मृतकों के आश्रितों को आपने क्या सहायता दी? मेरी जानकारी के अनुसार मृतकों के परिवारों का पता विभाग सही–सही आज की तारीख में न तो प्रकाशित कर सका है और न मालूम कर सका है? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में कितने निराश्रित और अनाथ बच्चे सरकार की मदद से इमदाद पाकर किन्हीं स्थानों में रखे गये हैं?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह बहुत व्यस्त मार्ग है। हम इस मार्ग के कतिपय दूरियों में तीसरी लाइन के बारे में भी सोच रहे हैं। हम पूरी संचार प्रणाली तथा सिंगनकिंग प्रणाली को भी अद्यतन कर रहे हैं। उस ढंग से रेलगाडियों की बारम्बारता आदि में भी वृद्धि की जा सकती है।

जहां तक क्षतिपूर्ति का संबंध है, अधिकांश लोगों को उसकी अदायगी की जा चुकी है, प्रत्येक व्यक्ति को अनुग्रह धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। 19 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है अथवा उन्हें कोई लेने नहीं आया है।

अतः केवल यही मामले लम्बित है। अब जहां तक रेल दावे अधिकरण के पास गये मामलों का संबंध है, अब तक क्षतिपूर्ति के 146 मामले दायर किए गये हैं। सामान्यतया, रेल दावा अधिकरण लगभग छः माह में भुगतान करता है। उन सबको मुआवजा मिलता है। अतः, प्रक्रिया जारी है। रेलवे की ओर से, हमने उस प्रत्येक प्रवाणित व्यक्ति को फार्म दिए हैं सभी प्रमाणित परिवारों को फार्म दिए गए हैं। सभी मामलों को फार्म दिए गए हैं। वह सब किया गया है।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में स्विचमैन को दोषी ठहराया गया है। फिरोजाबाद और प्रधानखंटा का जो ऐक्सीडेंट हुआ था, उसमें स्विचमैन को ही दोषी ठहराया गया था। जहां–जहां भी ऐक्सीडेंट होता है, वहां स्विचमैन ज्यादातर दोषी पाया जाता है। स्विचमैन, रनिंग स्टाफ और चौथी श्रेणी के स्टाफ की कमी की वजह से ही ऐक्सीडेंट होते हैं और इनको कभी–कभी 8 घंटे के बदले 12, 18 और 22 घंटे तक भी ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रेल विभाग में इन श्रेणियों की जो वकैंसियां खाली पड़ी हैं, उनकी आप पूर्ति करना चाहते हैं या नहीं? फिरोजाबाद की दुर्घटना में स्विचमैन दोषी पाया गया। उसने आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी की थी या नहीं? बड़े–बड़े अफसरों की पोस्टें भरी रहती हैं लेकिन रनिंग स्टाफ और थर्ड व फोर्थ ग्रेड की पोस्टों को फिल–अप नहीं किया जाता है। वे आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी न करें जिससे ऐक्सीडेंट न हो सकें ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संगत प्रश्न ही उठाएं।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : मैं यह जानना चाहता हूं कि फिरोजाबाद के स्विचमैन ने आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी की थी या नहीं?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में स्विचमैन ने आठ घंटे से अधिक समय तक अपना कार्य नहीं किया। वह लगभग 15 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर गया हुआ था। वह वापस आया और विगत दो दिन से वह अपनी ड्यूटी पर था यह केवल आठ घंटे के लिए था। यह भी सही नहीं है कि केवल स्विचमैन को ही पकड़ा गया है। यद्यपि वह इस त्रासदी के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है। वह कई क्षेत्रों में असफल रहा था। लेकिन हमने कई अन्य बातों के लिए भी कार्यवाही की है।

दोषपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए, हमने श्री आर.पी.यादव, स्टेशन अधीक्षक, फिरोजाबाद को निलम्बित किया है। हमने श्री ए.के. सक्सैना, ट्रैफिक इन्सपैक्टर, टुन्डला को भी निलम्बित किया है, जो मार्शलिंग यार्ड का भी इंचार्ज था।

हमने श्री के.एस. मान, यार्ड मास्टर, दिल्ली मेन, श्री कुलभूषण, यार्ड मास्टर, दिल्ली मेन, श्री आर.पी. पाण्डेय, यार्ड मास्टर, दिल्ली मैन, और श्री एस.एन. शर्मा, उप. यार्ड मास्टर, दिल्ली मेन, को भी अनुपयुक्त मार मार्शलिंग के लिए आरोप पत्र दिए हैं। हमने वरिष्ठ मण्डलीय सुरक्षा अधिकारी इलाहाबाद तथा मण्डलीय ट्रैफिक अधीक्षक, टुन्डला के विरुद्ध भी कार्यवाही की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी दुर्घटना के मामले में, किसी को भी छोड़ा नहीं जायेगा। और उन सभी को उत्तरदायित्व स्वीकार करना होगा। केवल ये व्यक्ति ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी है। अतः हमने विगत अढाई वर्षों से रेलवे में अचानक निरीक्षण प्रणाली प्रारम्भ की है। प्रत्येक व्यक्ति अचानक निरीक्षण के लिए जा रहा है। बोर्ड के सदस्यों से लेकर महाप्रबंधक तक वे जाकर अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। अतः इसके लिए काफी लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, 27 तारीख को दिल्ली से जाने वाली गोआ एक्सप्रेस से एक लड़की मेनका चढ़ी...

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न ऐक्सीडेंट का है, आप उसको गोआ ले जा रहे हैं। आप बैठ जायें, मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। माननीय मंत्री जी समझते हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और उन्हें स्मरण होगा कि अभी रेल मंत्री कह रहे थे कि 90 शव ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी...

श्री सुरेश कलमाडी : 90 नहीं, 19 थे।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : नहीं, यह सत्य नहीं है। 40 शव ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी और बाकी 20 परसेंट लोग फिरोजाबाद स्टेशन पर सिर पटक–पटक कर रहे गये, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया और सरकार यहां कहती है कि स्विचमैन के कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। पिछले ऐसे हुए 10 एक्सीडेंट्स में यह इतना भयंकर था। सिर्फ स्विचमैन को दोषी ठहराकर सरकार अपने उत्तरदायित्व से हट रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जिन्होंने नींद के इंजैक्शन लगाये। प्रधानमंत्री जी वहां मौजूद थे, मैंने इस बात की ओर इशारा भी किया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी बताया है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मान्यवर ऐसा नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो नींद के इंजेक्शन लगाये गये थे, उन अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही हुई ? दूसरी बात यह है कि ऐक्सीडेन्ट के बाद जो बिजली की अव्यवस्था के कारण 20 परसेंट लोग मरे, उसके लिये सरकार ऐसा कौन–सी कार्यवाही कर रही है? एक्सीडेंट के बाद बिजली के खम्भे की लाईन बोगियों पर गिरी जिसमें 20 परसेंट लोग मरे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर लीजिये।

श्री सुरेश कलमाडी : अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि 19 लोगों की बॉडीज़ आईडेन्टीफाई नहीं हो पाई हैं। हम लोगों ने सारी बॉडीज के फोटोग्राफ्स कलर और ब्लैक एंड व्हाईट में ले लिये हैं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं आपको लिखित में दे सकता हूं।

श्री सुरेश कलमाडी : मैं फिर भी यही कहूंगा कि यदि आपने कहा है तो हम चैकअप कर लेंगे और जैसा कि मैंने कहा है काफी लोगों पर एक्शन लिया है, संस्पैंड किया है सिर्फ स्विचमैन पर नहीं।

श्री राजबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो स्विचमैन प्रशिक्षण लेकर 15 दिन पहले ड्यूटी पर आया था क्या यह सच है कि वह प्रशिक्षण में फेल हो गया था और उसको कह दिया गया था वह यह ड्यूटी नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी उसको स्विचमैन की ड्यूटी दी गयी? यह मेरी जानकारी में है और ऐसा किसी ने मुझे बताया है। उसको जबरदस्ती ड्यूटी पर रखा गया और अधिक समय ड्यूटी पर रखा गया तथा रैस्ट भी नहीं दिया गया।

मेरा दूसरा प्रश्न इसके साथ यह जुड़ा हुआ है कि जैसा अभी श्री हरि किशोर जी ने कहा कि बहुत रश है। क्या इस रश को कम करने के लिए गाजियाबाद–मुरादाबाद को डबल लाईन कर देंगे ताकि हावड़ा की तरफ जाने वाली गाड़ियां वाया बरेली और कानपुर दोनों तरफ से होकर जाने लगें? मेरा सुझाव है कि सिर्फ 50–60 किलोमीटर का खर्चा पड़ेगा और सस्ता भी होगा तथा इससे आपको सुविधा भी हो जायेगी।

श्री सुरेश कलमाडी : गोरे लाल स्विचमैन रिफ्रैशर कोर्स के लिये गया था और आपने सही कहा कि वह पास नहीं हो सका....**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : फिर उसे ड्यूटी पर क्यों रखा गया, यही मैं पूछना चाहता हूं...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर वहां हत्याएं कराई गयी हैं।

श्री सुरश कलमाडी : यह तो सही है कि वह रिफ्रैशर कोर्स के लिये गया था लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आया था। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्विचमैन के रूल्स को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। आजकल कोई भी चौथी या पांचवीं पास व्यक्ति स्विचमैन बन सकता है लेकिन अब हम उन रूल्स को बदल रहे हैं। आइंदा जो स्विचमैन होंगे वे दसवीं पास व्यक्ति होंगे और उन्हें ए.एस.एम. के बराबर ग्रेड हम देने के बारे में सोच रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आपने कितने आदमियों को अब तक सस्पैंड किया?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-विनिवेश

*45. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन की शेयर पूंजी का अब तक विनिवेश हो चुका है;

(ख) वहां कुल कितने प्रतिशत शेयर पूंजी का विनिवेश किया गया है और इस प्रकार एकत्रित हुई धनराशि का एकक–वार विवरण क्या है;

(ग) इस धनराशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की शेयर पूंजी का और आगे विनिवेश करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु विचाराधीन एककों के नाम क्या हैं; और

(च) उक्त विनिवेश किये जाने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करुणाकरन) : (क) और (ख) अब तक सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश किया गया है उनके नाम, कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में विनिवेशित शेयर पूंजी तथा एकक–वार प्राप्त राशि से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) विनिवेश से प्राप्त राशि भारत सरकार के समेकित निधि में जमा कर दी जाती है।

(घ) से (च) वर्ष 1995–96 में जिन सरकारी उपक्रमों में विनिवेश किया जाना है उनके नाम संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। विनिवेश जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बंधी वक्तव्य में वर्णित कारणों से तथा संघीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार किया जा रहा है। वर्ष 1995–96 के विनिवेश का पहला चरण अक्तूबर, 1995 में प्रारम्भ किया गया था।

विवरण–I

वर्ष 1991-92 में विनिवेश के जरिए प्राप्त राशि का वर्षवार/उपक्रम-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम	कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में विनिवेशित शेयर पूंजी	प्राप्त राशि (करोड़ रुपये)		
			1991–92 @	1992–93	1994–95 *
1	2	3	4	5	6
1.	एण्ड्रयु यूले	9.45	–	–	–
2.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	25.00	–	–	48.270
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	24.14	–	–	47.170
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	31.46	–	8.21	301.340
5.	भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.	30.00	–	331.18	–
6.	बोगांईगांव रिफाइनरीज एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि.	25.40	–	45.40	–
7.	सीएमसी लि.	16.69	–	–	–
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	6.12	–	–	–
9.	ड्रेजिंग कारपो. लि.	1.44	–	–	–

1	2	3	4	5	6
10.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	1.67	–	1.30	–
11.	एचएमटी लि.	9.68	–	23.38	–
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	2.03	–	–	–
13.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	1.12	–	–8.07	–
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	20.00	–	–	–
15.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपो. लि.	37.00	–	331.85	563.110
16.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.	12.53	–	–	–
17.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	24.07	–	81.55	–
18.	इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	19.03	–	–	–
19.	इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं. लि.	0.26	–	–	–
20.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.	21.86	–	15.63	–
21.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	16.92	–	–	–
22.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	32.82	–	–	1322.124
23.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	0.67	–	–	–
24.	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	12.81	–	244.20	0.010
25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2.35	–	0.72	0.300
26.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	1.62	–	17.88	–
27.	नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.	6.14	–	70.43	--
28.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लि.	7.50	–	30.36	–
29.	भारतीय नौवहन निगम लि.	19.88	–	–	28.240
30.	राज्य व्यापार निगम	8.98	–	2.25	–
31.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	10.60	–	700.10	22.670
32.	विदेश संचार निगम लि.	15.00	–	–	–
33.	भारतीय कंटेनर निगम लि.	20.00	–	–	99.720
34.	इण्डियन ऑयल कारपो.	3.92	–	–	1033.697
35.	तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपो.	2.00	–	–	1051.530
36.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.	5.99	–	–	67.526

1	2	3	4	5	6
37.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	3.37	–	–	194.119
38.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	10.00	–	–	51.985
39.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.	0.97	–	–	11.389
	जोड़		3098	1912.51	4843.200

1. @ चूंकि वर्ष 1991–92 में शेयरों की बिक्री बण्डलों के रूप में की गई थी, इसलिए प्राप्त राशि का एकक–वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। कुल 3038 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

2. *कुल प्राप्त राशि 9793.71 करोड़ रुपये है।

विवरण-II

वर्ष 1995-96 में विनिवेश हेतु सूचीबद्ध एककों का विवरण

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.
2.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.
3.	ऑयल इण्डिया लि.
4.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो–कैमिकल्स लि.
5.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.
6.	विदेश संचार निगम लि.
7.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
8.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.
9.	भारतीय नौवहन निगम लि.
10.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.
11.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.
12.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.
13.	एयर एडिया
14.	भारतीय कंटेनर कारपो.

नेहरू रोजगार योजना

*46. **श्री प्रवीन डेका :**
श्री राम नाईक :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना और अन्य विकासीय योजनाओं के अंतर्गत इन योजनाओं के आरंभ होने से 30 सितम्बर, 1995 तक, कुल आबंटित, जारी की गई, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त हुई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान असम राज्य द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विगत में जारी की गई धनराशि के कम उपयोग को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली राशि में तदनुरूप कटौती की जा सकती है;

(ङ) क्या योजनावधि के अंत तक योजनागत वित्तीय और भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) असम राज्य के पास गत दो वर्षों अर्थात 1993–94 और 1994–95 हेतु उपलब्ध कुल 456.99 लाख रुपये की राशि (केन्द्रीय तथा राज्य अंश) में से राज्य ने 512.50 लाख रुपये के उपयोग की सूचना दी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 227 करोड़ रुपये के नियतन से, नेहरू रोजगार योजना में 2.25 लाख शहरी गरीबों को छोटे उद्योग लगाने, 175 लाख श्रम दिवसों के मजदूरी रोजगार सृजन तथा 4.50 लाख रिहायशी मकानों

के सुधार में मदद किये जाने की उम्मीद है। योजना अवधि के लिए राज्य–वार लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं क्योंकि मांग और उपयोग के अनुसार धन राशि का नियतन वर्ष–वार किया जाता है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ प्रदेश का नाम	30.9.95 तक केन्द्रीय राशि आबंटित	30.9.95 तक केन्द्रीय राशि जारी	30.9.95 तक उपलब्ध कुल कुल राशि (केन्द्रीय + राज्य)	30.9.95 तक उपयोग की गई कुल राशि	30.9.95 तक कुल अनुप्रयुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4792.36	4378.54	6641.67	4120.04	2521.63
2.	बिहार	4836.56	3908.11	5702.36	1701.50	4000.86
3.	गुजरात	2566.83	2162.40	3120.70	1461.67	1659.03
4.	हरियाणा	945.04	881.11	1332.77	996.04	336.73
5.	कर्नाटक	4689.45	3992.22	6084.84	2267.84	3817.00
6.	केरल	1896.00	1779.80	2693.29	2314.03	379.26
7.	मध्य प्रदेश	5081.49	4824.45	7383.32	3094.63	4288.69
8.	महाराष्ट्र	5976.97	5176.12	7742.90	3566.17	4176.73
9.	उड़ीसा	1726.27	1582.87	2345.75	1523.09	822.66
10.	पंजाब	1567.40	1529.09	2288.43	1402.96	885.47
11.	राजस्थान	3248.59	2926.94	4388.93	2892.80	1496.13
12.	तमिलनाडु	5335.01	4924.90	7495.66	4670.95	2824.71
13.	उत्तर प्रदेश	12711.98	12048.86	18001.73	11709.70	6292.03
14.	पश्चिम बंगाल	4107.34	3295.22	4906.94	1921.90	2985.04
15.	गोवा	189.04	159.79	235.07	87.35	147.72
16.	अरूणाचल प्रदेश	272.73	167.12	258.24	71.58	186.66
17.	असम	1173.51	1016.97	1535.90	803.17	732.73
18.	हिमाचल प्रदेश	403.03	403.23	622.55	155.94	466.61
19.	जम्मू व काश्मीर	625.49	540.25	833.71	372.48	665.94
20.	मणिपुर	353.56	306.61	470.14	234.26	235.88
21.	मेघालय	251.64	190.56	292.31	39.43	252.88

1	2	3	4	5	6	7
22.	मिजोरम	190.83	166.28	251.85	286.52	–
23.	नागालैंड	291.67	167.82	272.12	–	272.12
24.	सिक्किम	198.69	178.12	273.18	119.17	154.01
25.	त्रिपुरा	212.10	192.46	286.85	216.14	70.71
26.	अंडमान व नि. आईलैंड	96.95	76.19	76.19	32.27	43.92
27.	चण्डीढ़	140.32	110.62	110.61	76.35	23.65
28.	दादरा व नगर हवेली	74.53	56.03	56.03	16.66	39.37
29.	दमन व दीऊ	140.74	97.16	97.16	34.30	62.86
30.	पांडिचेरी	180.78	142.68	213.23	55.96	157.27
31.	दिल्ली	282.07	188.07	304.28	105.53	198.75

*इसमें राज्य अंश भी शामिल है।

कलकत्ता के मेट्रो रेलवे में आग लगने की घटनायें

*47. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित मेट्रो रेलवे में सितम्बर, 1995 से दुर्घटनाएं और आग लगने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गये और इनके परिणामस्वरूप रेलवे को लगभग कितनी हानि हुई;

(घ) क्या इन घटनाओं के संबंध में किसी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) मेट्रो रेलवे में अग्नि–शमन प्रणाली स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1995 से मेट्रो रेल (कलकत्ता) में आग लगने की चार घटनाएं हुई हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

दिनांक	स्थान	गाड़ी संख्या	कारण
1	2	3	4
9.10.95	भवानीपुर और जतिन दास पार्क स्टेशनों के बीच	टी डी–4	एक कोच के नीचे बिजली के केबुल की इंसुलेशन में आग लगने की सूचना दी गई रेल संरक्षा आयुक्त, मेट्रो सर्किल जांच कर रहे हैं।
17.10.95	मैदान स्टेशन पर	टी डी–71	गति धीमी होने के समय एक कोच के एक जोड़ी मोटरों के कंटेक्टर अलग नहीं हो पाए।

1	2	3	4
10.11.95	मैदान और रवीन्द्र सदन स्टेशनों के बीच	(सुरंग के भीतर)	केबुल जोड़ की खराबी जिससे इंसुलेशन जल गया और धुंआ निकलने लगा।
17.11.95	सेंट्रल स्टेशन	दमदम–टाली गंज अप पायलट (खाली कोचिंग रेक)	षड्यंत्र का संदेह है।

(ग) 9.10.1995 को गाड़ी सं. टी डी–4 के 38 यात्रियों पर धुएं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिनका डाक्टरी इलाज करने के बाद उसी दिन दोपहर बाद घर भेज दिया गया बाकी की तीन घटनाओं में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ।

मेट्रो रेलवे (कलकत्ता) को लगभग 1.35 लाख रुपए की हानि हुई।

(घ) और (ङ) रेल संरक्षा आयुक्त, मेट्रो सर्किल, गाड़ी सं. टी डी–4 से संबंधित 09.10.1995 को हुई घटना की जांच कर रहे हैं। 17.10.1995 और 10.11.1995 को हुई घटनाओं की विभागीय जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं जबकि 17.11.95 को हुए संदिग्ध षड्यंत्र के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

(च) मेट्रो रेलवे में अग्निशमन अवसंरचना की व्यवस्था की गई है जिसे और मजबूत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा का सहयोग भी लिया गया है ताकि मेट्रो रेल प्रणाली में ऐसी स्थितियों से निपटा जा सके।

मेट्रो रेलवे, कलकत्ता में लगाई गई अग्निशमन प्रणाली निम्नलिखित है :–

1. पूरे मेट्रो संरेखण में दो 6" वाली पाइन लाइनें बिछा दी गई हैं। ये पाइन लाइनें प्रत्येक स्टेशन पर बनी मेट्रो रेलवे की शिरोपरि टंकियों से जुड़ी हुई हैं, ताकि हर समय पर्याप्त दबाव सहित पानी उपलबध रहे।
2. इन दोनों पाइप लाइनों में थोड़ी–थोड़ी दूरी के बाद नलों की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्येक 50 मीटर की दूरी के बाद एक नल उपलब्ध रहे।
3. स्टेशनों के मेज्जानीन तलों पर भी नलों की व्यवस्था की गई है।
4. गाड़ियों के डिब्बों और स्टेशनों पर 744 सुवाह्य अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की गई है।

सी.जी.एच.एस. कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*48. **श्री तारा सिंह :**
श्री बी. निवास प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने 9 नवम्बर, 1995 को उनके मंत्रालय के बाहर धरना दिया था।

(ख) यदि हां, तो क्या संघ के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी भी दी है;

(ग) इन कर्मचारियों की माँगें क्या हैं;

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पैरा–मेडिकल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थी दवाई प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पैरा–मेडिकल कर्मचारियों की सेवाओं को आवश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत लाने और हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) संघ ने 15.11.1995 से अनिश्चितकाल की हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। बहरहाल, उन्होंने इसे स्थगित कर दिया है।

(ग) संघ द्वारा रखी गई मांगें इस प्रकार हैं :

(1) कर्मचारी अध्ययन यूनिट की रिपोर्ट को समाप्त करना।

(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार के साथ 4.9.1991 को हुए समझौते को लागू करना।

(3) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कलकत्ता के कार्य को सुचारू बनाने के लिए वहां की समस्याओं का समाधान करना।

(4) धुलाई भत्ते की राशि को 15 रुपये से बढ़ाकर 60 रु. करना जैसा कि दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के कर्मचारियों के लिए किया गया है।

(5) होम्योपैथिक स्टोर-कीपरों तथा होम्योपैथिक फार्मासिस्टों के वेतन मान की अनियमिता को दूर करना।

(घ) मांग संख्या 4 पूरी कर दी गई है तथा आदेश जारी कर दिए गए हैं। मांग संख्या 3 की स्थिति से संघ के प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया है। शेष मांगों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

(ङ) इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(च) और (छ) चिकित्सा तथा अर्थ-चिकित्सा चिकित्सा सेवाओं को अनिवार्य सेवा अधिनियम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

फोटो पहचान पत्र

*49. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में मतदाता सूचियां और पहचान-पत्र तैयार किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

(घ) क्या सभी मतदाताओं को आगामी आम चुनाव में बिना पहचान-पत्रों के मतदान की अनुमति दे दी जायेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) (ग) और (च) निर्वाचन आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.1996 के प्रति निर्देश से निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण असम और जम्मू-कश्मीर राज्यों और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति पर है। इसी प्रकार फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समाप्ति के विभिन्न चरणों में है। निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार, फोटो पहचान पत्रों को तैयार करने और जारी करने का कार्य, आगामी साधारण निर्वाचनों से पहले ठीक समय में पूरा किया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) आयोग ने इस संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है।

[अनुवाद]

मलेरिया नियंत्रण

*50. **श्री जार्ज फर्नांडीज :**
डा. बसंत पवार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में मलेरिया ने महामारी का रूप ले लिया है जिसके कारण अनेक मौतें हुई हैं और अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इस महामारी से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या अनेक मामलों में मलेरिया के उपचार हेतु प्रयोग की गई औषधियां निष्प्रभावी सिद्ध हुई है; और

(घ) मलेरिया को फैलने से रोकने और मलेरिया के उपचार हेतु इस्तेमाल होने वाली औषधियों के निष्प्रभावी होने की समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) राजस्थान, नागालैंड और मणिपुर राज्यों ने 1994 में मलेरिया की घटना और उससे हुई मौतों की संख्या में वृद्धि होने की सूचना दी है। 1995 के दौरान यह प्रकोप असम और महाराष्ट्र में फैला है। इस रोग के कारण हुई रूग्णता और मौतों से प्रभावित जनसंख्या में उत्पादन की क्षति हुई है।

(ग) कुल मिलाकर मलेरिया क्लोरोक्वीन फास्फेट और प्राइमाक्वीन से कम हुआ है। उन क्षेत्रों में जहां क्षेत्रीय अध्ययनों के दौरान प्रतिरोध शक्ति देखी गई है, सल्फा–पाइरेमेथामाइन सम्मिश्रण जैसी विशेष औषधि की सिफारिश की जाती है।

(घ) किए गए उपायों में शामिल हैं :–

– मलेरिया रोगियों का शीघ्र पता लगाना और तत्काल उपचार करना।

– संचरण को रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रभावी इस्तेमाल करके देखकर नियंत्रण;

– मच्छरों के फैलने के स्रोतों में कमी करके, लार्वानाशकों का इस्तेमाल करके और जैव पर्यावरणिक नीतियां अपनाकर मच्छरों के पनपने को समाप्त करने के लिए लार्वारोधी उपाय करना।

– मलेरिया के निवारण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना;

– औषध संवितरण और बचाव उपचार में समुदाय की सहभागिता।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा सोलर सैलों का निर्माण

*51. **श्री हरिन पाठक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने स्थलीय सोलर सैलों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार सोलर सैलों का निर्यात करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) (रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ङ) जैसा कि 10 अगस्त, 1995 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या–255 के उत्तर में बताया गया था, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अपनी बंगलौर यूनिट में सौर सैलों के निर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए फरवरी, 1994 में अमरीका की कम्पनी मैसर्स स्पायर कारपोरेशन के साथ एक करार किया था। यह सुविधा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नालाजी पार्क (ई.एच.टी.पी.) योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है।

अप्रैल, 1994 में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने इन सौर सैलों के निर्यात के लिए अमरीका की कम्पनी मैसर्स रेक्सर कारपोरेशन के साथ एक दूसरा करार किया था। इस करार के अनुसार मैसर्स रेक्सर कारपोरेशन भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को कच्ची सामग्री की आपूर्ति करेगी और निर्मित सौर सेल वापस उनसे खरीदेगी।

निर्माण सुविधा तदनुसार 1995 में स्थापित कर दी गई है प्रोयोगिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। निर्मित सौर सैलों के नमूने मूल्यांकन के लिए कुछ प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं को भेज दिए गए हैं। इन सौर सैलों का वाणिज्यिक उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुरू हो जाएगा।

प्रचालन के प्रथम पांच वर्षों में उत्पादन की योजना नीचे दिए अनुसार बनाई गई है :–

प्रचालन वर्ष	वार्षिक उत्पादन
पहला वर्ष	1.25 एम डब्ल्यु
दूसरा वर्ष	1.650 एम डब्ल्यु
तीसरा वर्ष	2.000 एम डब्ल्यु
चौथा वर्ष	2.250 एम डब्ल्यु
पांचवां वर्ष	2.250 एम डब्ल्यु
कुल :	9.275 एम डब्ल्यू

वार्षिक निर्यात प्रचालन के चौथे वर्ष में 2 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंचने की सम्भावना है।

नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना

*52. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में चलाई जा रही रेलगाड़ियों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र में कुछ और गाड़ियां चलाने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही गाड़ियों की संख्या प्राप्त होने वाली यात्री यातायात की सेवित करने के लिए सामान्यतः पर्याप्त है। लोकल तथा क्षेत्र से बाहर जाने वाली दोनों प्रकार की गाड़ी सेवाओं की बदलती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है/उन्हें कारगर बनाया जाता है/उनका विस्तार किया जाता है। 1995–96 के दौरान 4 जोड़ी गाड़ियां चलाई गई है, दो जोड़ी गाड़ियों का चालन बढ़ाया गया है और एक जोड़ी गाड़ी के फेरे बढ़ाए गए हैं जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है :–

1. नई गाड़ियां

1. गुवाहाटी और हावड़ा के बीच 3045/3046 साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।
2. अलीपुरद्वार तथा सिलीगुड़ी (मी.ला.) के बीच 5741/5742 तेज रफ्तार वाली पैसेंजर गाड़ी।
3. आमगुरी और तुली (मी.ला.) के बीच 259/260 पैसेंजर गाड़ी।
4. गुवाहाटी और लमडिंग के बीच 5665/5666 एक्सप्रेस गाड़ी।

2. गाड़ियों का विस्तार

1. 4055/4056 दिल्ली–लमडिंग ब्रह्मपुत्र मेल का दीमापुर तक विस्तार किया गया।
2. 4055 ए/4056 ए गुवाहाटी–लमडिंग लिंक एक्सप्रेस का दीमापुर तक विस्तार किया गया।

3. फेरा में वृद्धि

3141/3142 सियालदह–न्यू अलीपुरद्वार/हल्दीबाड़ी को सप्ताह में छः दिन चलने वाली गाड़ी से बढ़ाकर रोजाना चलने वाली गाड़ी बना दिया गया है।

इसके अलावा, जनवरी, 96 तक नई दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस का फेरा सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन करने का प्रस्ताव है। गुवाहाटी–न्यू बोंगाइगांव क्षेत्र में पुश पुल सेवाएं भी चलाने का प्रस्ताव है। उत्तरोत्तर आमान परिवर्तन से भी दीमापुर से आगे तिनसुखिया की ओर बड़ी लाइन सेवाओं की व्यवस्था की जा सकेगी।

[हिन्दी]

मतदाता सूचियां

*53. **श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मतदाता सूचियों में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) मतदाता सूची में विदेशी राष्ट्रिकों के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में शिकायतें संबद्ध निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/भारत के निर्वाचन आयोग को की जाने के लिए अपेक्षित हैं। जब कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं, उन्हें समुचित कार्रवाही के लिए निर्वाचन आयोग को अग्रेषित कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास

*54 **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार 1994–95 के दौरान 8.4 प्रतिशत वृद्धि तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम दो महीनों के दौरान 14.2 प्रतिशत की संतोषप्रद वृद्धि के बावजूद भारतीय उद्योग का समग्र विकास 1980 के दशक की तुलना में असंतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन तथ्यों की जानकारी औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अध्ययन से हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1995 में औद्योगिक विकास की स्थिति क्या है; और

(च) औद्योगिक विकास में कब तक वृद्धि होने की संभावना है तथा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरन) : (क) से (च) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए त्वरित औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के अनुसार अप्रैल–जून, 1995 के दौरान समग्र औद्योगिक विकास दर 13.3 प्रतिशत थी जबकि 1994–95 में

विकास दर 8.2% थी। यह विकास दर 1980 के दशक की औसत औद्योगिक उत्पादन विकास दर जो थी औसतन 7.8 प्रतिशत थी, से अपेक्षाकृत अधिक है।

[हिन्दी]

रेल फाटक पर दुर्घटनाएं

*55. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में कितने रेल–फाटकों पर कर्मचारी तैनात नहीं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे रेल–फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) इनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में कर्मचारी विहीन रेल फाटकों के लिए कर्मचारी नियुक्त करने का कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) विभिन्न रेलवे जोनों में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या :

मध्य रेलवे	–	1303
पूर्व रेलवे	–	687
उत्तर रेलवे	–	3090
पूर्वोत्तर रेलवे	–	2615
पूर्वोत्तर–सीमा रेलवे	–	1701
दक्षिण रेलवे	–	2324
दक्षिण–मध्य रेलवे	–	2108
दक्षिण–पूर्व रेलवे	–	3467
पश्चिम रेलवे	–	3972
जोड़		21267

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसे समपारों पर हुई दुर्घटनाओं और उनमें हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या :

वर्ष	बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
		मारे गए	घायल
1992–93	35	72	78
1993–94	54	146	273
1994–95	54	140	115
जोड़	143	358	466

(घ) भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के शिकार सड़क उपयोगकर्त्ताओं को रेवले द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है।

(ङ) और (च) पहचाने गए भेदय समपारों को छोड़कर बिना चौकीदार वाले समपारों पर राज्य सरकार के अनुरोध तथा उनकी लागत पर चौकीदार तैनात किए जाते हैं।

रेलों ने 1994–95 के दौरान समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। इन पर चौकीदार तैनात कर दिए गए हैं।

यह भी विनिश्चय किया गया है कि भविष्य में किसी भी समपार से चौकीदार न हटाया जाए तथा कोई भी नया समपार बिना चौकीदार के न हो।

संरक्षा में सुधार करने के लिए बिना चौकीदार वाले समपारों पर दृश्य–श्रव्य अलार्म भी लगाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित दो दृश्य–श्रव्य अलार्म सैटों का परीक्षण किया जा रहा है। इन्हें सफल पाए जाने पर कार्यक्रमबद्ध आधार पर बिना चौकीदार वाले अन्य समपारों पर भी इनकी व्यवस्था की जाएगी।

[अनुवाद]

रेल कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

*56. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगभग सत्रह सौ कर्मचारी (अधिकारी संवर्ग) पिछले कई वर्षों से तदर्थ आधार पर सेवारत हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) नियमित चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक कार्य की आवश्यकता को देखते हुए तदर्थ पदोन्नतियां की जाती हैं। इस संबंध में आवश्यक ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, जहां आवश्यक हो, चयन की निर्धारित प्रक्रिया के बाद नियमित पेनल तैयार करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जम्मू काश्मीर में आंतकवाद

*57 **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1995 से 15 नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान काश्मीर में आंतकवादी गतिविधियों और बम विस्फोटों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान हुए बम विस्फोटों तथा इनमें मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है : और मारे गए/पकड़े गए/आत्म समर्पण करने वाले आतंकवादियों की संख्या तथा उनके गिरोहों के नाम क्या–क्या हैं और उनसे कितनी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक आतंकवादी पर इनाम की कोई राशि घोषित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) काश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.6.1995 से 15.11.1995 तक की अवधि के दौरान बम विस्फोटों की 194 घटनाएं घटीं। इस अवधि के दौरान आतंकवादी क्रियाकलापों में 791 सिविलियन तथा सुरक्षाबल–कर्मी मारे गए तथा विभिन्न गिरोहों से सम्बद्ध 641 उग्रवादी मारे गए एवं 458 ने अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

2. 1 जून, 1995 से 31 अक्टूबर, 1995 तक की अवधि के दौरान बरामद किए गए हथियारों और गोलीबारूद को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा किए गए विशिष्ट अच्छे कार्य के लिए उन्हें मामले दर मामले के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है।

(ङ) कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाने और शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, इनमें शामिल हैं–चौकसी बढ़ाना; सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखना और उनके खिलाफ आप्रेशन चलाना; आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों की गति तेज करने और युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के कदम उठाना; स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने और इसे लोगों के और नजदीक लाने तथा इसमें लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देना और कदम उठाना; बढ़ी हुई पारदर्शिता और अन्य उपाय जैसे–निरुद्ध व्यक्तियों को रिहा करना आदि जिससे कि लोगों में तनाव न रहे और उनका विश्वास बहाल हो, और राज्य में राजनीतिक ताकतों तथा तत्वों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयास करना। इन सभी प्रयासों का समग्र सुरक्षा स्थिति एवं माहौल पर एक निश्चित सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और सरकार इन प्रयासों को जोर–शोर से जारी रखेगी।

विवरण

1.6.1995 से 31.10.1995 तक की अवधि के दौरान बरामद किए गए हथियारों एवं गोली बारूद का विवरण

मद का नाम	मात्रा
1	2
रॉकेट लांचर	14
मशीन गन	25
ए.के. श्रेणी की राइफलें	787
स्नाइपर राइफलें	20
पिस्तौल/रिवाल्वर	363
गोलीबारूद (मिला [illegible]	106779

1	2
ग्रेनेड	1179
रॉकेट	73
रॉकेट बूस्टर	11
बारूदी सुरंग	231
बंदूकें	158
विस्फोटक (किग्रा.)	508
बम	25
मोर्टार	1
बाकी टाकी सैट	107

[अनुवाद]

मेडिकल और डेंटल कालेज

*58. **श्री मुही राम सैकिया :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्राइवेट मेडिकल तथा डेंटल कालेजों द्वारा अपने छात्रों को एक सप्ताह या पन्द्रह दिनों के अंदर वृत्तिका तथा ऋण के भुगतान किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय का 11 अगस्त, 1995 का निर्देश लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.8.1995 के आदेश के अनुसरण में पात्र प्राइवेट मेडिकल कालेजों को आर्थिक सहायता के भुगतान की मंजूरी आदेश सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दिए गए हैं। सरकार अलग–अलग कालेजों को उनसे प्राप्त आवश्यक मांगों और उनसे मांगी गई सूचना के प्राप्त होने पर रकम का भुगतान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कालेजों के छात्रों को ऋण मंजूर करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की डिग्रियां

*59. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने चिकित्सा स्नातकों को उनके पाठ्यक्रम तथा इनटर्नशिप की अवधि की समाप्ति के दस महीने के बाद भी डिग्रियां प्रदान नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त संस्थान द्वारा जारी की गई अनन्तिम (प्रोविज़नल) डिग्रियों को विदेशी विश्वविद्यालयों, विशेषतः अमरीका के विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जा रही है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों में अव्यवस्थिति के कारण दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) संस्थान ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को अनंतिम प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। छात्रों के अनुरोध पर उन्हें विशेष प्रमाण–पत्र भी जारी किए गए हैं।

सरकारी आवास

*60. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** सरकारी आवासों पर अवैध कब्जों के बारे में 7.8.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग के) राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग) जिन व्यक्तियों

का सरकारी मकानों पर अवैध कब्जा है या पहले अवैध कब्जा था तथा जिनके ऊपर किराये की राशि अभी भी बकाया उनके नाम आदि की सूचना व सत्यापन की कार्रवाही, बड़ी संख्या में व्यक्तिगत फाइलों की पड़ताल के बाद, करनी जरूरी थी, इसलिए इस कार्यवाही में इतना समय लगा। ऐसे लगभग 3000 से अधिक लोगों की सूची बनाई गई है जिनका या तो अवैध कब्जा है या अवैध कब्जा था। सूचना को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व इन लोगों के ऊपर बकाया राशि बाबत पूरी तरह जांच की जा रही है। यह सूची तैयार होते ही, सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

नाभिकीय विद्युत निगम

385. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाभिकीय विद्युत निगम के राज्य विद्युत बोर्ड-वार बकाया बिलों का ब्यौरा और 31 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार वे कितने समय से लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) प्रत्येक चूककर्ता राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित बिलों में कितनी राशि शामिल है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया बिलों की वसूली के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ग) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 31 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 879.82 करोड़ रुपए की राशि देय है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये देय राशियां, राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अदायगी न किए जाने के कारण पिछली साढ़े तीन वर्षों की अवधि में जमा हो गई हैं।

(घ) अदायगी समय पर न करने के लिए देरी से की अदायगी संबंधी प्रभार 10.5% से 24% तक भिन्न प्रतिशतता पर लगाया जा रहा है। राज्य विद्युत बोर्डों और संबंधित राज्य सरकारों से तुरन्त अदायगी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कहा जा रहा है। अंतिम उपाय स्वरूप संबंधित राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता के समायोजन द्वारा भी वसूली की जा रही है।

विवरण

(लाख रुपए)

बिजली घर	लाभभोगी	बकाया राशि		
		ऊर्जा	देरी से की अदायगी संबंधी प्रभार	कुल
1	2	3	4	5
तारापुर परमाणु बिजली घर	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	0	0	0
	गुजरात विद्युत बोर्ड	3242	540	3782
	उप-योग	3242	540	3782
राजस्थान परमाणु बिजली घर	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	2378	6338	8716
मद्रास परमाणु बिजली घर	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	291	230	521
	केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केरल)	98	673	771

1	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	4166	402	4568
	कर्नाटक विद्युत बोर्ड (कर्नाटक)	1328	158	1486
	पांडिचेरी	0	0	0
	उप-योग	5883	1463	7346
नरोरा परमाणु बिजली घर	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	15460	9433	24863
	दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम	5000	990	5990
	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	23	192	215
	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	5422	3459	8881
	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	6792	3861	10653
	जम्मू और काश्मीर, विद्युत विभाग	736	634	1370

[हिन्दी]

उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण

386. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बाढ़ तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में उपग्रह सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) सूखे के लिए उपग्रह-आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण 11 राज्यों-तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात (जनजातीय क्षेत्रों सहित), राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार-के लिए किया गया है। मासिक रिपोर्ट, जिनमें जिला स्तर पर सूखे का निर्धारण, सूखे की आपेक्षिक गंभीरता स्तर तथा प्रतिकूल मौसमी स्थितियों की विद्यमानता का विवरण दिया होता है, को 11 राज्यों के लिए तैयार किया जाता है तथा इन्हें कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के पास भेजा जाता है। विशेष रूप से गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित 1 : 50,000 के पैमाने पर भूमि-उपयोग, जल-भू-आकृति-विज्ञानीय संबंधी जैसे थिमेटिक मानचित्रों को तैयार करने के लिए आई.आर.एस. आंकड़ों का उपयोग करते हुए पंचमहल जिले के सूखा-ग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। इन थिमेटिक मानचित्रों को मृदा और ढलान से संबंधित सूचनाओं को देते हुए समाकिलत किया गया है, ताकि सूखे के प्रभाव को मुख्य रूप में न्यून करने के लिए भूमि और जल-संसाधनों के विकास के लिए स्थान-विशिष्ट विशेष कार्य योजनाएं तैयार की जा सकें।

मॉनसून के मौसम में जब देश में मुख्य बाढ़ें जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में आती हैं तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह से सर्वेक्षण किया जाता है। यह कार्य 1992 के बाद से उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रचालनात्मक रूप में किया जा रहा है। प्रमुख बाढ़ों के आने की सूचना मिलने पर बाढ़ से जलमग्न क्षेत्रों के मानचित्र तथा क्षति संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं और इन्हें संबंधित राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों को भेजा जाता है।

लेकिन, चूंकि गुजरात में कोई प्रमुख बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है, अतः हाल ही में कोई उपग्रह सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कर्षण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी

387. **श्री विजय एन. पाटील :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की आधुनिकीकरण योजना में रेल इंजनों तथा चल स्टॉक की कर्षण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोद्योगिकी प्राप्त करने हेतु रेलवे का नवीनतम प्रस्ताव क्या है;

(ख) क्या विदेशों से प्रौद्योगिकी अर्जित करना आवश्यक हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जो प्रौद्योगिकी सप्लाई करने के लिए सहमत हैं तथा उनकी शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) रेलों ने (I) 3 फेज ए.सी.सी बिजली रेल इंजनों (II) 4000 अश्वशक्ति वाले ईंधन कुशल आधुनिक डीजल रेल इंजनों (III) आधुनिक हल्के वजन के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रही हैं।

(ख) जी हां।

(ग) भारतीय रेलों को दस वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है :–

मद	सहयोगी	प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का मूल्य
6000 3 फेज ए.सी. बिजली रेल इंजन।	स्विटजरलैंड	9.2 मिलियन स्विस फ्रेंक *19.2 मिलियन ड्यूश मार्क
4000 अश्व शक्ति वाले ईंधन कुशल आधुनिक डीज़ल रेल इंजन।	संयुक्त राज्य अमेरिका	17.5 मिलियन अमेरिकी डालर
आधुनिक हल्के वजन के सवारी डिब्बे।	जर्मनी	20.8 मिलियन ड्यूश

सर्कुलर रेलवे

388. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सर्कुलर रेलवे के प्रिंसेपघाट और माजेरघाट के बीच रेलवे संपर्क न होने की जानकारी है;

(ख) क्या योजना आयोग को काफी समय पूर्व दोहरी लाईन के साथ–साथ ऊपर उठाये गए मार्ग के निर्माण और सर्कुलर रेलवे के सम्पूर्ण मार्ग का विद्युतीकरण करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस कार्य पर होने वाले व्यय के बारे में सर्वेक्षण करा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) दमदम से प्रिंसेप घाट तक इकहरी गैर विद्युतीकृत सर्कुलर रेल लाइन दैनिक यात्री यातायात के लिए पहले ही चालू कर दी गई है। योजना आयोग के निदेशानुसार इसके माजेरहाट तक विस्तार तथा समूची लाइन के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के बारे में नई तकनीकी–आर्थिक रिपोर्ट और इस समय किये जा रहे लागत लाभ विश्लेषण अध्ययन को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद विचार किया जाएगा।

परियोजना की विस्तृत लागत अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही ज्ञात होगी।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का अवैध अधिग्रहण

389 **श्री ललित उरांव :** क्या **शहरी तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1995 तक कितने सरकारी आवासों पर अवैध अधिग्रहण किया गया था और उन पर किन–किन लोगों ने कब्जा किया था तथा उन पर कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) सरकार द्वारा अवैध अधिग्रहण से क्वाटरों को मुक्त कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री) (श्री आर.के. धवन) : (क) 31.5.95 की स्थिति के अनुसार 391 अनाधिकृत दखलकारों की एक सूची, जिसे रिट याचिका संख्या 585/94 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.4.95 के आदेश के प्रत्युत्तर में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, विवरण के रूप में संलग्न है। इस सूची को निरन्तर अद्यतन किया जा रहा है। 1.11.95 की स्थिति के अनुसार अनाधिकृत दखलकारों तथा उन पर बकाया किराये से संबंधित सूचना तैयार की जा ही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की कार्रवाही की जा रही है। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के तहत भी बेदखली के प्रयास तेज किए गए हैं। 1.1.95 से सम्पदा अधिकारी के समक्षम 2033 मामले दर्ज किए गए हैं तथा कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं। 1.1.95 से 911 अनधिकृत दखलकारों को बेदखल किया गया है/मकान खाली कराए गए हैं।

विवरण

31.5.1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी वास के अनधिकृत दखलकारों की सूची

क्र.स.	दखलकार का नाम सर्व/श्री/श्रीमती	आवास का विवरण	जिस तारीख से अनधिकृत दखल ह
1	2	3	4
		टाइप-I	
1.	प्रभात सिंह	एम–1 सी.आर.के. पुरम	31.1.86
2.	सागर सिंह	21 245 (ओल्ड) प्रेम नगर	1.8.86
3.	त्रिलोक सिंह	एन–4 135, एन्ड्रयूजगंज	30.10.89
4.	हर प्रसाद	25/281 (ओल्ड) प्रेम नगर	14.2.89
5.	राम प्रसाद	4/71 (ओल्ड) प्रेम नगर	26.11.91
6.	शिवचरन	एस–11/388, आर.के. पुरम	31.7.92
7.	रामू	एस–11/587, आर.के. पुरम	1.11.92
8.	हवेराम	404. अलीगंज	30.11.93
9.	एस.एस. रावत	एस–11/1158 आर.के. पुरम	9.4.93
10.	गोवर्धन सिंह	एस–11/1118, आर.के. पुरम	1.8.93
11.	देशबन्धु	3/183, एन्ड्रयूजगंज	26.3.93
12.	मंगतराम	एस–11/601, आर.के. पुरम	1.6.94

1	2	3	4
13.	शोभाराम	एस–11/990, आर.के. पुरम	30.4.94
14.	सी. थिमम्मा	एस–11/1007, आर.के. पुरम	31.10.94
15.	जी. रमैय्या	एस–11/298, आर.के. पुरम	31.8.94
16.	गोविन्द राम	एस–11/197, आर.के. पुरम	26.8.94
17.	चन्द्रावती	के–151, काली बाड़ी मार्ग	20.2.94
18.	श्रीराम	40/475, पी.के. रोड	1.8.94
19.	संतराम	26/314, पी.के. रोड	1.12.94
20.	रामचरन	4–ए/सेक्टर–4, डी आई जेड एरिया	3.3.89
21.	रामपत्र	7/118 (ओल्ड), प्रेम नगर	7.2.94
22.	कालूराम	3/179, एन्ड्रयूजगंज	1.12.94
23.	सरूप सिंह	एच–53, श्री निवासपुरी	31.3.81
24.	रघुवीर सिंह	ए–417, मिन्टो रोड	8.3.90
25.	जय किशन	167, लान्सर रोड	1.4.90
26.	मेवालाल	डी–70, किदवई नगर	1.4.90
27.	विनोद कुमारी	एफ–2008, नेताजी नगर	8.7.93
28.	मुन्नी लाल	एफ–2001, नेताजी नगर	21.10.93
29.	बनवारी लाल	ए–147, मिंटो रोड	30.11.93
30.	गनेश लाल	सी–271, नेताजी नगर	31.5.93
31.	सूमेरा	सी–267, नेताजी नगर	22.11.92
32.	भीम सैन	ई–335, किदवई नगर	27.5.94
33.	बंसीलाल	डी–290, किदवई नगर	18.4.94
34.	सुन्दरी लाल	एस–111/890, एम.वी. रोड	22.7.94
35.	जय करन	एच–III/448, एम. बी. रोड	4.10.92
36.	प्रेमवती	ए–33, मिंटो रोड	31.12.94
37.	बोधूराम	ए–493, मिंटो रोड	30.4.95
38.	दीवान चन्द	ए–85, मिंटो रोड	31.12.94
39.	सोहन लाल	ए–186, मिंटो रोड	31.12.95
40.	राजेसिंह	ए–323, मिंटो रोड	28.2.95
		टाइप-II	
41.	सोहनलाल	सी–621, श्री निवासपुरी	18.9.92
42.	सैनदास	जी–135, श्री निवासपुरी	30.9.89
43.	ओम प्रकाश	जी–541, श्री निवास पुरी	31.1.94

1	2	3	4
44.	बंधराम	जी–524, श्री निवास पुरी	1.2.94
45.	स्व. लेखराज	जी–387, श्री निवास पुरी	12.4.92
46.	स्व. श्री एम.एम. शर्मा	जी–380, श्री निवास पुरी	24.17.92
47.	के.के. चंडोक	एच–231, नानकपुरा	30.4.94
48.	टी. सागर	एच–310, नानकपुरा	5.1.95
49.	एम.एल. कौल	एफ–167, नानकपुरा	30.4.95
50.	शकुन्तला देवी	एम–363, नानकपुरा	30.4.95
51.	जी.डी. शर्मा	एफ–241, नानकपुरा	10.4.87
52.	स्व. श्री एच.एस. रावत	जी–98, नानकपुरा	23.2.93
53.	देशराज सिंह	एफ–263, नानकपुरा	28.2.90
54.	हीरा लाल	ई–1503, नेताजी नगर	16.2.89
55.	पंचम पोतेदार	डी–872, नेताजी नगर	22.11.93
56.	कृष्ण सिंह	बी–2865, नेताजी नगर	1.4.93
57.	एम.एस. शर्मा	बी–2856, नेताजी नगर	17.12.86
58.	जी.एन. सिंह	ई–1694, नेताजी नगर	1.3.81
59.	बी.पी. गुप्ता	डी–840, नेताजी नगर	1.4.92
60.	एस.पी. पुरी	एफ–1511, नेताजी नगर	1.11.94
61.	इन्द्रजीत सिंह	एफ–2591, नेताजी नगर	9.3.86
62.	एम.सी. खन्ना	1787, लक्ष्मी बाई नगर	1.11.94
63.	लोक मनी	1576, लक्ष्मी बाई नगर	1.7.94
64.	के.के. कपूर	जी–219, अल्बर्ट एक्सवर	31.12.94
65.	टी.जे. पाल	163–टी, आराम बाग	1.11.93
66.	बी.डी. पान्डे	1363, एन.आर. काम्पलैक्स	1.9.94
67.	केहर सिंह	1084, एन.आर. काम्पलैक्स	24.2.95
68.	ए.के. त्रिखा	जे–857, मंदिर मार्ग	28.2.95
69.	आर.के. शर्मा	सी–72, किदवई नगर	1.9.94
70.	सरवर सिंह	सी–454, मंदिर मार्ग	19.8.94
71.	बी.एस.मेहर	233, मोहम्मद पुर	19.08.94
72.	सुखदेव	53, मोहम्मद पुर	1.8.88

1	2	3	4
73.	श्रीमती कृष्णा अग्निहोत्री	डी–372, मोती बाग	1.11.94
74.	एन.जी. चक्रवर्ती	ए–372, मोती बाग	1.9.94
75.	एच.एम. पंजाबी	ए–180, मोती बाग	1.11.94
76.	वी.पी. शर्मा	92, एन डब्यू मोती बाग	1.9.93
77.	एस.आर. जेटनी	एफ–213, मोती बाग	26.7.93
78.	कृष्ण चन्द्र	बी–53, मोती बाग	20.3.91
79.	एल.डी. शर्मा	सी–2/142, लोदी कालोनी	5.3.91
80.	तेजवीर सिंह	बी–110, मोती बाग	13.2.90
81.	एच.एस. लेहरावत	162 11ए (37) लन्सर रोड	1.6.93
82.	जे.पी. पुरी	1305 (एम एस), तिमारपुर	30.4.93
83.	एन.के. वत्सय	5411ए (82) तिमारपुर	31.12.92
84.	नुरूरचरन सिंह	1939 (एच एस), तिमारपुर	31.8.93
85.	आर.एन. चौधरी	1602 (618), तिमारपुर	30.11.93
86.	जीवन दास	128 जेड (588), तिमारपुर	1.5.90
87.	सोहनलाल	1040, तिमारपुर	1.5.90
88.	एस.एस. मिश्र	1281 (एम एस), तिमारपुर	1.1.95
89.	मंसाराम	37, लांसर रोड	15.12.94
90.	पी.एन. शर्मा	1930, तिमारपुर	1.12.93
91.	सी.एम नथानी	एस–3/1475, एम.वी. रोड	28.2.91
92.	लाल चंद	एस, 3/1408, एम.वी. रोड	30.7.91
93.	किशन चंद	एस.3/919, एम.वी. रोड	31.3.93
94.	एम.एन. मार्या	एस.3/444, एम.वी. रोड	30.6.94
95.	अजय सिंह	एस. 5/569, एम.वी. रोड	4.8.94
96.	तेज सिंह	एस.I/103/10, एम.वी. रोड	30.9.94
97.	जे.डी. शर्मा	एस. 12/960, आर.के. पुरम	1.2.86
98.	राम किशन	एस. I/3/4, एम.वी. रोड	1.2.93
99.	छोटे लाल	एस–I/101/ एम.वी. रोड	24.12.93
100.	जग्गी लाइस	एस.I/146/2, एम.वी. रोड	5.5.94
101.	राम चन्दर	एस.11/136/10, एम.वी. रोड	1.6.91

1	2	3	4
102.	एच.एस. नंदा	एस.I/82/5, एम.वी. रोड	14.6.94
103.	सीसराम	एस.I/55/14, एम.वी. रोड	31.5.89
104.	मुन्नी लाल	एस 7/204, आर.के. पुरम	7.12.93
105.	प्रकाश राम	एस 8/519, आर.के. पुरम	31.10.94
106.	बी.एस. संधू	एस.8/163, आर.के. पुरम	2.8.90
107.	बी.एस. जून	एस 4/86–जी, एम.वी. रोड	12.1.93
108.	परवेश सैमुअल	एस 4/3–जी, एम.वी. रोड	1.7.94
109.	मोहिन्दर सिंह	एस.4/62ए, एम.वी. रोड	7.1.95
110.	कुशलराव	एस.7/1544, एम.वी. रोड	31.1.95
111.	नानक चन्द	एस.7/1168, एम.बी. रोड	16.2.95
112.	आर.के. वासुदेव	एस.5/991, आर.के. पुरम	31.3.94
113.	किशन चंद	एस. 5/1574, आर.के. पुरम	31.5.93
114.	एल.सी. ठाकुर	एस. 5/1604, आर.के. पुरम	30.5.86
115.	धीरज सिंह	एस. 5/581, आर.के. पुरम	31.3.95
116.	बी.एस. सिंघल	एस. 5/499, आर.के. पुरम	31.12.94
117.	सगबीर सिंह	एस. 5/617, आर.के. पुरम	31.1.91
118.	आर.एम. सिंह	एस. 5/188, आर.के. पुरम	30.11.94
119.	रविन्द्र राम	एस. 5/1002, आर.के. पुरम	31.10.94
120.	एन.डी. कौशल	एस. 7/793, आर.के. पुरम	31.1.89
121.	विजय करन	एस. 7/292, आर.के. पुरम	28.7.90
122.	जय किशन	एस. 7/572, एम.बी. रोड	29.11.94
123.	बी.के. चावला	एस. I/798, आर.के. पुरम	24.4.88
124.	हरजाला सिंह	एस. I/806, आर.के. पुरम	17.8.90
125.	एच.सी. सिंघले	I/699, आर.के. पुरम	31.8.88
126.	भगवन दास	I/625, आर.के. पुरम	16.2.93
127.	एल.आर. शर्मा	I/645, आर.के. पुरम	16.2.93
128.	के. मधुर	एस9/441, आर.के. पुरम	31.1.94
129.	राम चन्द्र	जी–131, नौरोजी नगर	25.3.94
130.	प्यारे लाल	एस–I/628, आर.के. पुरम	1.7.94

1	2	3	4
131.	रिछपाल सिंह	एस. 9/944, आर.के. पुरम	28.1.93
132.	एम.एस. शर्मा	एस. 9/135, आर.के. पुरम	28.12.94
133.	जी.एस. रावत	एस.4/64, आर.के. पुरम	31.7.94
134.	एम.के. पुंज	एस4/151, आर.के. पुरम	30.4.94
135.	ओ.के. भंडारी	एस.4/224, आर.के. पुरम	30.11.94
136.	एस.एस. बिष्ट	एस.4/915, आर.के. पुरम	31.12.94
137.	सुरेन्द्र सिंह	एस. 2/492, सादिक नगर	31.4.94
138.	लाजवंती विलयम्मा	एस.2/3K4, सादिक नगर	31.1.94
139.	आर.वी. श्रीनिवासन	एस.2/744, सादिक नगर	31.10.94
140.	सी.जी. बघारे	एस. 2/286, सादिक नगर	29.10.88
141.	बी.के. अग्रवाल	एस.4/925 आर.के. पुरम	10.10.94
142.	रामेश्वर	एस.4/144, आर.के. पुरम	10.10.94
143.	जगत सिंह	एस.4/987, आर.के. पुरम	22.2.91
144.	गिरकर	एस.1/538, आर.के. पुरम	8.9.92
145.	राधेश्याम	एस.1/151/7, एम.बी. रोड.	1.12.92
146.	प्रेमलता पाठक	जी–303, नौरोजी नगर	22.8.94
147.	विष्णु कुमार	एस. 2/789, सादिक नगर	11.3.94
148.	आर.वी. सिंह	एस.4/1181, आर.के. पुरम	30.11.93
149.	केसर सिंह	एस.2/843, सादिक नगर	31.12.94
150.	टी.आर. नायर	बी.90, सरोजिनी नगर	1.1.93
151.	एस.के. मेहता	एल.173, सरोजिनी नगर	1.5.88
152.	ओम प्रकाश	एल.IV/77–आर, एम.बी. रोड	25.7.92
153.	जवाहर सिंह	एस.IV/115–सी, एम.बी. रोड	3.5.92
154.	अमर सिंह	वाई–332, सरोजिनी नगर	1.9.92
155.	जी.डी. सुलखान	एच–310, सरोजिनी नगर	1.6.93
156.	बी.पी. गोस्वामी	एल. 113, सरोजिनी नगर	7.3.94
157.	जे.एल. जोशी	डीजी 926 सरोजिनी नगर	1.9.94
158.	आई.पी.एस. जायसवाल	एच.42, सरोजिनी नगर	1.7.94
159.	किशनदास	एफ.84, सरोजिनी नगर	1.1.94

1	2	3	4
160.	घनश्याम	एच–519, सरोजिनी नगर	1.1.95
161.	जे.आर. विलडयाल	जी, 123, सरोजिनी नगर	1.2.95
162.	जे.आर. बेदी	एम, 123, सरोजिनी नगर	1.2.95
163.	जगन नाथ	जी–वाई–1066, सरोजिनी नगर	1.2.95
164.	रघुनाथ	बी.डी. 1019, सरोजिनी नगर	1.2.95
165.	बी.एस. शर्मा	जी.आई–725, सरोजिनी नगर	1.3.95
166.	उधम सिंह	जी.आई–1055, सरोजिनी नगर	1.3.95
167.	तुलसी राम	एम–251, सरोजिनी नगर	1.3.95
168.	आर.एस. राठौर	बीडी 976, सरोजिनी नगर	1.3.95
169.	जी.पी. जायसवाल	एस–IV/554 एम.वी. रोड	1.3.95
170.	एन.आर. गुप्ता	बी–724, सरोजिनी नगर	1.4.95
171.	ए.के. अप्पाराव	एस–IV/149–एम, एम.बी. रोड	1.4.95
172.	कुलदीप कुमार	ए–301, सरोजिनी नगर	1.5.95
173.	एस.डी. गुप्ता	बी–358, सरोजिनी नगर	1.5.95
174.	एल.सी. शर्मा	सी.428, सरोजिनी नगर	23.5.95
175.	ए.पी. शर्मा	जी 614 सरोजिनी नगर	1.5.95
176.	बलदेव चन्द	आई–67, सरोजिनी नगर	1.5.95
177.	एच.सी. जोशी	आई–304, सरोजिनी नगर	1.4.95
178.	रघुनाथ सहाय	जे–345 सरोजिनी नगर	1.3.95
179.	आर.एम. पाराशर,	एल–134, सरोजिनी नगर	1.3.95
180.	वी.आर. शर्मा	एन–158, सरोजिनी नगर	1.5.95
181.	वी.आर. राघवन	जी वाई 905, सरोजिनी नगर	1.4.95
182.	ए.सी. शर्मा	666, बी.के.एस मार्ग	30.6.84
183.	पी.एन. परेजा.	68/3–डी एस II डीआईजेड एरिया	1.7.87
184.	आई.डी. दीक्षित	17/906, लोदी कालोनी	28.2.91
185	एस.एस. धारीवाल	62/2 बी एल–II, डीआईजेड एरिया	30.11.91
186.	टी.एल. शर्मा	78/1 सीएस–II, डीआईजेड एरिया	10.7.93
187.	टी.एन. कटके	4/2सीएस–II, डीआईजेड एरिया	10.11.93
188.	जगदीश प्रसाद	17 (एनएस), तिमारपुर	30.11.93

1	2	3	4
189.	सुरेन्द्र कौर	8/534, लोदी कालोनी	18.2.94
190.	अजमेरी खान	16/392, लोदी कालोनी	1.12.94
191.	सी.एम. सिंह	12/220, लोदी कालोनी	12.01.95
192.	बी.एल. वोहरा	21–II एफ(875), तिमारपुर	31.8.94
193.	जसवन्त सिंह	79/292, एस–I डी आई जेड एरिया	1.9.94
194.	एस.एस. परवाना	56(एम एस), तिमारपुर	30.6.94
195.	एच.आर. ब्रालिंग	75/236 एस–I डी आई जेड एरिया	30.9.94
196.	आर.एस. मल्होत्रा	81/324 एस–I, डी आई जेड एरिया	31.5.94
197.	आर.के.भारद्वाज	1023, बी.के.एस. मार्ग	31.5.94
198.	नेतराम	91–सी एस–4, डी आई जेड एरिया	31.5.94
199.	बी.एम.माथूर	94–एम.के. रोड	30.8.94
200.	एच.डी. मुदगिल	95–सी/एस–4 डी आई जेड एरिया	31.12.94
201.	बी.एस. माथुर	1043, बी.के.एस. मार्ग	30.9.94
202.	जे.आर. कछारी	1054, बी.के.एस. मार्ग	30.6.94
203.	के.एस. हान्डा.	93–के–एस, 4, डी आई जेड एरिया	30.11.93
204.	ओ.सी.शर्मा	42/Iसी, एल–II, डीआईजेड एरिया	1.10.94
205.	पी.एम.तनेजा	31/I–ए सी, एल–II, डीआईजेड एरिया	1.6.94
206.	के.एल. साहा	45/I सी, एल–II डी आईजेड एरिया	1.11.94
207.	पी.एन.शर्मा	62/2 ए, एस–II, डीआईजेड एरिया	1.11.94
208.	बनारसी दास	12/195, लोदी कालोनी	30.9.94
209.	के.आर. वालो	251/3, एन्ड्रयूज गंज	1.8.94
210.	डी.एस.नेगी	22–क्यू, बसंत विहार	1.9.94
211.	हरीशंकर	9/761, लोदी कालोनी	1.11.94
212.	ओम प्रकाश	एफ50/4, एन्ड्रयूजगंज	15.11.94
213.	के.पी. यादवादी	21–II–बी (440), तिमारपुर,	30.11.94
214.	क्यू.एल.सोनी	ए–174, आराम बाग	31.12.94
215.	आर.पी.तनेजा	8/4 डीएल–II, डीआईजेड एरिया	1.1.95
216.	टी.आर. शर्मा	4/60, लोदी कालोनी	1.5.95
217.	राजरानी शर्मा	4/22, लोदी कालोनी	31.5.95
218.	आर.के. सचदेवा	12/188, लोदी कालोनी	1.4.95

1	2	3	4
219.	आई.डी. गुप्ता	बी 13/22, देवनगर	30.9.83
220.	आई.एस. छावड़ा	ई–68, करोल बाग	31.12.80
221.	एन.एस. बिष्ट	जी–275, नानकपुरा	31.3.81
222.	आर. वालम्मा	एस–III/1042, आर.के. पुरम	19.3.83
223.	दुर्गा प्रसाद	7/108, लोधी कालोनी	30.4.91
224.	डी.के. घोष	1631 एस.आर. काम्पलेक्स	5.12.87
225.	बी. गनपती	238, एल.आर काम्पलेक्स	5.12.87
226.	आर.के. घोष	सी–107, मिंटो रोड	2.8.89
227.	जे.आर. गुप्ता	एस–8/709, आर.के. पुरम	28.10.91
228.	मो. इसमाइल	सी–173, मिंटो रोड	14.10.92
229.	डी.सी. मलिक	एस–7/922 एम.बी. रोड	1.1.93
230.	एच.के. शहमान	ई–17, करोलबाग	1.5.94
231.	टी.सी. पीपल	एफ–7, साऊथ मोती बाग मार्किट	1.5.94
232.	इन्दरजीत गैद	105/15, एस.I सादिक नगर	31.5.94
233.	जावेद सिराज	एस. 2/151, सादिक नगर	31.5.94
234.	जय नारायण	12/141, देवनगर	9.8.94
235.	हंसराज	73/8, एस I एम.बी. रोड	1.9.94
236.	आर.एन. कचरू	एस.I/33, आर.के. पुरम	1.9.94
237.	जोगिन्दर सिंह	एस IX/893, आर.के. पुरम	1.9.94
238.	मुखतार सिंह	16–जेड, मीजी रोड	2.9.94
239.	एच.के. सक्सेना	122,6, एस. I एम.बी. रोड	10.9.94
240.	ओ.पी. पांडे	एम–IX/864, आर.के. पुरम	10.9.94
241.	गंगा सिंह	III/10 एस. I, एम.बी. रोड	12.11.94
242.	धालू मन	एम–3/366, सादिक नगर	26.11.94
243.	एस.डी. प्रकाश	87/एम–I एम.बी. रोड	1.12.94
244.	के.एस. मेहता	एम 9/777, आर.के. पुरम	1.12.94
245.	जी.डी. सचदेवा	एफ–4/एस–मार्किट, आर.के. पुरम	1.12.94
246.	मदन लाल	ई–378, देव नगर, करोल बाग	1.1.95
247.	के.पी. तिवारी	977/एम–7 एम.बी. रोड	1.1.95

1	2	3	4
248.	नन्द लाल खत्री	ई–371, करोल बाग	1.1.95
249.	मोहन लाल	11/5/ एम–I एम.बी. रोड	1.1.95
250.	पूनम सक्सेना	एम–XII/371, आर.के. पुरम	15.1.95
251.	सी.रामा रेड्डी	2220 एलआर काम्पलेक्स	31.1.95
252.	बी.डी. भट्ट	एल–IX/556, आर.के. पुरम	24.1.95
253.	सुशीला देवी	ई–477 करोल बाग	1.2.95
254.	मनीराम शर्मा	ए–2548, नेताजी नगर	1.2.95
255.	प्रमिला चंधा	जी–292, नानकपुरा	1.2.95
2_6.	बी.एस. गुप्ता	एस–I/76 सादिक नगर	1.2.95
257.	पी.एस. लाम्बा	1944 एल.आर काम्लेक्स	1.2.95
258.	त्रिभुवन गरोती	76/9 एस–I एम.बी. रोड	1.2.95
259.	आर.टी. गुप्ता	1985 लोदी रोड काम्पलेक्स	1.3.95
260.	बी.आर. राहुल	एल–VIII/872 आर.के. पुरम	1.3.95
261.	के.आर. शर्मा	90/13 एस–I एम.बी. रोड	16.3.95
262.	अनवर युसूफ	89/12 एस–I एम.बी. रोड	21.3.95
263.	गौहर अली	सी–321 मिंटो रोड	24.3.95
264.	एस.आर. ध्यानी	एम–1/211 सादिक नगर	1.4.95
265.	हरी राम	एम–2/29 सादिक नगर	1.4.95
266.	संत राम	सी–36 नेताजी नगर	1.4.95
267.	हंस राज	एस–I/237 सादिक नगर	1.4.95
268.	भोपाल दास	एस–18 914, आर.के. पुरम	1.1.95
269.	एम.एम.एल. कपूर	11/I एस–I एम.बी. रोड़	1.5.95
270.	बी.के. शर्मा	148एस–VII एम.बी. रोड	23.4.95
271.	नरेन्द्र कुमार	एम–8/8.8 आर.के. पुरम	1.5.95
272.	एस.एस. मिश्रा	107/10 एम–I एम.बी. रोड	1.5.95
273.	एम.एस. शर्मा	डी–709 मंदिर मर्ग	1.9.94
274.	पी. हलधर	169 हनुमान रोड	1.9.94
275.	विमला बत्रा	9/781 लोदी कालोनी	6.8.93
276.	यू.एन. नायक	4/63 लोदी कालोनी	7.2.95

1	2	3	4
		टाइप-IV	
277.	डा. (मिसेज) एम. दुढेजा	ए–87 पंडारा रोड	17.11.91
278.	के.आर. पांडा	ए–2443 नेताजी नगर	1.2.93
279.	एन.के. गोइला	233, लक्ष्मीबाई नगर	30.4.80
280.	जे.जे. सान	बी–1/4, पेशवा रोड	5.12.85
281.	स्व. श्री एम.जी. हसन	बी–21/2, एम.बी. रोड	9.6.92
282.	आर.पी.गुप्ता	I (एलएफ) बाबर प्लेस	24.3.90
283.	धनवन्त सिंह	60–डी, थॉमसन रोड	24.3.90
284.	के.एम. कौल	3 (यूएफ) टोडर मल रोड	10.2.91
285.	जी.सी. अग्रवाल	48–डी, प्रेस लेन	31.3.87
286.	डी.के. पटेल	675 लक्ष्मीबाई नगर	26.6.91
287.	एम.एन. नाथानी	एस–3/577, आर.के. पुरम	28.2.92
288.	एस.के.लूथरा	49, एम.डब्ल्यू, मोती बाग	31.12.93
289.	टी.एन. मृथुकृष्णन	एस–4/368, आर.के. पुरम	1.1.93
290.	बी.के. शर्मा	एस–4/562, आर.के.पुरम	12.12.93
291.	बी.एस. सिंघल	23/155, लोधी कालोनी	1.5.94
292.	एस.बाला सुब्रमणयम	एन–208/एस–8, आर.के. पुरम	31.12.93
293.	एस.डी. शर्मा	423, लक्ष्मीबाई नगर	9.2.92
294.	श्रीमती पुष्पा पौल	1321/एस 12, आर.के. पुरम	1.5.94
295.	श्रीमती पी.के. भारद्वाज	ए–20/9, लोधी कालोनी	28.2.95
296.	टी.सी. जुनेजा	473, लक्ष्मीबाई नगर	30.11.94
297.	बी.एम. माकरा	1130/एस–8, आर.के. पुरम	31.7.94
298.	आर.पी.गुप्ता	590/एम–3, आर.के. पुरम	30.11.94
299.	एस.के.गुप्ता	485/एस–9, आर.के. पुरम	28.2.95
300.	सूर्य प्रकाश	745/एस–3, आर.के. पुरम	1.12.94
301.	जे.वी.एस. नेगी	284/एस–8, आर.के. पुरम	30.11.94
302	कृष्ण चावला	सी–47, नानकपुरा	1.6.94
303	एम.एस.रावत	सी–48, नानकपुरा	1.7.94
304.	आर.एस. श्रीवास्तव	351/एस–3, आर.के. पुरम	1.1.94
305.	ए. वेंकटेश	497/ए. एस–3, आर.के. पुरम	1.1.95

1	2	3	4
306.	के.एन.राहा	353/एस–3, आर.के. पुरम	1.12.94
307.	लक्ष्मन दास	बीडी–3/पेशवा रोड	2.3.95
308.	सी. मार्गाबंधू	96/एम–3, सादिक नगर	1.3.95
309.	ओ.पी. राठौर	एक्सबाई–44, सरोजिनी नगर	1.12.94
310.	जे.के.एस. पायल	II–कालीबाड़ी अपार्टमेंट	1.4.95
311.	चन्द्र सेन	617/एन–4, आर.के. पुरम	30.6.94
312.	जे.पी. भारद्वाज	771–लक्ष्मीबाई नगर	1.4.95
313.	एस.पी. श्रीवास्तव	बी–12, नानकपुरा	31.10.94
314.	एम.एस.कृष्ण सहाय	ए–21/118 लोधी कालोनी	28.1.93
315.	आर.के.सेन	624/एन–4, आर.के. पुरम	1.9.93
316.	भक्ति शर्मा	ए/25, पंडारा रोड	1.3.93
317.	बी.के. जयापुन्नी	ए–187, पंडारा रोड	1.7.89
		टाइप-V	
318.	आलमी उर्दू कांफ्रेंस	ए) 164, डी साऊथ एवेन्यू	10.5.87
		बी) 166–डी, साऊथ एवेन्यू	4.11.87
319.	प्रेसीडेंट दिल्ली मजदूर कांग्रेस	15–सी, मार्केट रोड	25.6.92
320.	श्रीमती ए.एस. वालासुब्रामनियम	डी II/339, पंडारा रोड	10.11.92
321.	शंखु चौधरी	डी–II/6, पंडारा रोड	1.12.92
322.	मौ. बीमाना	ई–31 एफ, राजोरी गार्डन	7.12.92
323.	एम.डी. रॉय,	बी–4 बी–24, लोधी रोड काम्पलेक्स	1.1.93
324.	डा.एम. गोलमाई	15–डी, पार्क लेन	1.7.87
325.	के.सी. वर्मा	डी–II, 348 पंडारा रोड	1.4.93
326.	डी.बी.आर.चौधरी	जी–82, सुजानसिंह पार्क	24.6.93
327.	टी.एन.गुप्ता	472, ऐ.जी.पी.सी.	1.7.93
328.	प्रेसीडेन्ट महिला दक्षता समिति	19–डी, फायर बिग्रेड लेन	1.7.93
329.	एस.एच. खान	डी–II 199 काका नगर	1.8.93
330.	एम.एस. सचदेवा	25 2, एमबी.रोड	16.8.93
331.	एम.एस. सिरोही	22–डी देव नगर	1.4.94

1	2	3	4
332.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था खंड	34–डी, कोटला रोड	1.4.95
333.	स्व. डब्ल्यू डी.जे. इमटी का परिवार	डी–II 85, किदवई नगर	21.5.94
334.	एम.एम. गोयल	डी–II/100 किदवई नगर वेस्ट	31.7.94
335.	देबू भट्टाचार्यजी	92. ए.जी.बी. काम्पलेक्स	1.10.94
336.	श्रीमती आशा मूर्ति	डी–II ए–I नानकपुरा	14.11.94
337.	डी.पी. राय	760, ए.जी.वी. काम्पलेक्स	1.12.94
338.	एस.के. पुरी	O–7–2, आर.के.पुरम	1.1.95
339.	अनुराधा प्रसाद	एफ–II/100 ए.जी.जी. काम्पलेक्स	8.2.95
340.	जी.एस. रन्धावा	डी–II/366 मिनट कार्य	1.3.95
341.	ए.के. चक्रवर्ती	89, ए.जी.वी. काम्पलेक्स	2.3.95
342.	एम. ए. रामाननम	239, ए.सी.जी काम्प्लेक्स	1.4.95
343.	बी.आर. नमकुमार	डी–II/एम–2748 नेताजी नगर	17.4.95
344.	अपरमजीत सिंह	29/1 एंड्रयूजगंज	1.5.95
345.	यू.के. वर्मा	डी–II/81 पंडारा रोड	29.4.95
346.	तुलसी दास	डी–II/243 विनय मार्ग	7.5.95
347.	सी. फर्नांडिज	डी–II/193 काका नगर	11.5.95
348.	एल. सहाय	डी–II/149 किदवई नगर	1.3.94
349.	राकेश अग्रवाल	एफ–II/एन्ड्रयूज गंज एक्स.	1.8.94
350.	जे.पी.गुप्ता	ई–13, एन्ड्रयूजगंज एक्स.	1.5.95
351.	वाई.पी. भास्कर	जी–13, एन्ड्रयूजगंज एक्स.	1.5.95
352.	आर.सी. प्रकाश	एच–16, एन्ड्रयूजगंज एक्स.	1.6.94
		टाइप-VI	
353.	पं. रवि शंकर	95, लोदी एस्टेट	11.6.92
354.	स्व. श्री सुरेन्द्र नाथ का परिवार	68–लोदी एस्टेट	9.8.94
355.	जफर सैफुल्लाह	100–लोदी एस्टेट	30.11.94
356.	जी.राम.रेड्डी(स्व.)	सी–I/10 पंडारा पार्क	4.1.95

1	2	3	4
357.	एच.एन. शर्मा	सी–II/151 चाणक्यपुरी मोती बाग	28.4.90
358.	स्व. श्री सी.वी. गौतम	सी–II/29, मोती बाग	5.8.91
359.	रविन्द्र नायक	6.3 एम.एस. फ्लैट शाहजहां रोड	12.4.92
360.	एस.के.एन. नायर	सी–II/72 बापा नगर	1.8.93
361.	पी.सी. डोगरा	सी–II/1 मोती बाग	29.12.93
362.	श्रीमती सुनीता मुखर्जी	सी–II/4 बापा नगर	1.9.94
363.	डी.एन. सदनशिव	सी–II/38 बापा नगर	1.10.94
364.	श्रीमती राधीनायर	सी–II 125 चाणक्यकपुरी	25.10.94
365.	बी. सामैय्या	सी–II, 20 बापा नगर	5.12.94
366.	आर.सी. कोहली	सी–II, 73 बापा नगर	10.1.95
367.	ए.पी.सिंह.	सी–II 105 मोती बाग	6.2.95
368.	श्रीमती अमरजीत कौर	सी–II 17 बापा नगर	8,4.95
369.	बी.एस. मीना	डी–I, 43 रविन्द्र नगर	1.10.94
370.	नरेन्द्र सिंह	डी–I, III चाणक्यपुरी	1.10.94
371.	जे.एस. उप्पल	डी–I 72 चाणक्यपुरी	1.2.95
372.	हीरा सिंह	डी–1 147 चाणक्यपुरी	1.5.95
373.	एम.एम.अली खान	103, 105 नार्थ एवेन्यू	19.4.92
374.	वाई.पी. गंभीर	डी–I 32 एस.पी.मार्ग	1.5.95
375.	सी.एन.एम. नायर	डी–I 104 ए. चाणक्यपुरी	24.6.93
		टाइप-VII	
376.	कमल मोरारका	12, तीन मूर्ति लेन	2.5.94
		टाइप-VIII	
377.	स्व. श्री दरबारा सिंह का परिवार	9–के.एम. मार्ग	11.5.90
378.	श्रीमती इन्द्रानी देवी	6–के.एम. मार्ग	2.11.91
379.	देवी दास	16, तुगलक रोड	31.10.92
380.	एम. पद्माभन	7, रायसीना रोड	2.5.92
381.	के.सी. पन्त	7, त्याग राज मार्ग	1.1.95
382.	डी.एन. द्विवेदी	I–बी. मौलाना आजाद रोड	3.3.95

1	2	3	4
		होस्टल	
384.	डा. एल. सत्यानारायण स्वतन्त्रता सेनानी	सी–806 कर्जन रोड	24.2.91
385.	एल.एच.टी. मेनन	ए–203, प्रगति विहार	1.6.92
386.	आर.एन. रस्तोगी	एफ–511 कर्जन रोड	7.9.92
387.	सुश्री रानी बधेरा	डी–147, कालकाजी महिला होस्टल	2.1.94
388.	के. आमे. प्रकाश	बी–119 न्यू मिन्टो रोड होस्टल	1.10.94
389.	सुश्री एम.जे. मैरी	डी–138, कालकाजी महिला होस्टल	16.10.94
390.	गोपाल कृष्ण	605 एशिया हाऊस होस्टल	10.4.93
391.	राय.एस. मथरानी	ए–101 कर्जन रोड होस्टल	26.4.94

भूस्वामियों को मुआवजा

390. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **प्रधान मंत्री** 23 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या–3038 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन व्यक्तियों को अब तक मुआवजा दिया गया है;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) मुआवजा देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए थे?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सीमा सड़क संगठन पुलों/सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार से समुचित प्राधिकारियों के माध्यम से अधिग्रहण करता है। मुआवजे के मानदंड, मुआवजे की मात्रा और इसके संवितरण से संबंधित कार्य भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार ही सीमा सड़क संगठन भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास राशि जमा कराता है। सीमा सड़क संगठन भू–स्वामियों को धनराशि का संवितरण नहीं करता है।

[अनुवाद]

अनुवाद अधिकारी हेतु परीक्षा

391. **श्री बलराज पासी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारी ग्रेड हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 4 वर्षों की एक समान पात्रता सेवा के प्रावधान संबंधी संगत नियमों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों में किए गए संशोधन को अधिसुचित किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो संशोधनको किस तिथि तक अधिसूचित कर दिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए चार वर्षों की एक समान पात्रता सेवा के प्रावधान संबंधी मामले की संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

अनारक्षित सवारी डिब्बे

392. **श्री केशरी लाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लम्बी दूरी के रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं

जिनमें अनारक्षित सवारी डिब्बे में यात्रा कर रहे सामान्य यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु अनारक्षित सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है; और

(ख) उपरोक्त श्रेणी के यात्रियों के लिए भविष्य में सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों का लगाया जाना

393. **डा. जयन्त रंगपी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा "कर अवकाश" की घोषणा के बाद से अनिवासी भारतीयों/विदेशी निवेशकों द्वारा लगाए गए उद्योगों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) ऐसी छूटों के चलते सरकार को किस हद तक आर्थिक घाटा हुआ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार द्वारा बजट में कर अवकाश की घोषणा करने के बाद असम राज्य में विदेशी पूंजी निवेश के जरिये उद्योग स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

यात्री सुविधायें

394. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न रेलवें स्टेशनों और रेलगाड़ियों में अपर्याप्त यात्री सुविधाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) सुविधाओं में कमी की कुछ घटनाएं नोटिस में आई हैं।

(ख) और (ग) रेलों का सदैव यह प्रयास रहता है कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. स्टेशनों और गाड़ियों में सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना और ग्रेडोन्यन करना एक सतत प्रक्रिया है। उठाए गए कदमों में शामिल है : यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए धनराशि आबंटन 1994-95 के 67.26 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1995-96 में 90 करोड़ रुपये करना, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली का विस्तार, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनें लगाना, इत्यादि गाड़ियों में यात्रियाओं की सुविधा के लिए चुनिन्दा गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकों तथा त्वरित कार्रवाई दलों की व्यवस्था की गई है।

केरल के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

395. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) केरल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) राज्य में इस क्षेत्र में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) भविष्य के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.पी. जे. कुरियन) : (क) केरल राज्य में 42,000 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 2 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र, 4.48 लाख उन्नत चूल्हे, 5 बायोमास गैसीफायर, 36 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सैल, 3 ऊर्जा ग्राम, सौलर वाटर हीटरों के अधीन 2319 एम² कलक्टर क्षेत्र, कलक्टर क्षेत्र, 188 सौलर कुकर, 9810 सौलर लालटेन, 715 सौलर प्रकाशवोल्टीय घरेलू लाइट, 420 सौलर प्रकाशवोल्टीय स्ट्रीट लाईट, 4 सौलर प्रकाशवोल्टीय पावर पैक, 2.025 मेगा. पवन पावर, 20 कि. वा. लघु हाइड्रो पावर तथा 150 किवा. वेव पावर परियोजनाएं आदि स्थपित की गई हैं।

(ख) इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग 19.83 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1500 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 2 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र, 70,000 उल्लम चूल्हे, 10,000 सौलर लालटेन, 450 सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू लाइट तथा 215 सौर प्रकाशवोल्टीय स्ट्रीट लाइट स्थापित करने की योजना है। 17 मेगा. की औसत क्षमता वाली 7 लघु हाइड्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त, केरल में इरेडा, राज्य सरकार तथा निजी विनियोक्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में छोटे विनियोक्ताओं को उत्साहित करने के लिए

साम्या (इक्विटी) भागीदारी सहित ज्वाइंट सैक्टर विंड एस्टेट कम्पनी की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

396. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री बलराज पासी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को जुटाने के लिए ऋण हेतु एशियाई विकास बैंक से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ऋण राशि मांगी है; और

(ग) इस संबंध में एशियाई विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.पी. जे. कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) 150 मिलियन अमरीकी डालर।

(ग) एशियाई विकास बैंक ने 20 मई से 3 जून, 1995 तक एक तथ्य खोजी मिशन तथा बाद में 21 अगस्त से 4 सितम्बर, 1995 तक एक मूल्यांकन मिशन भेजा। मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा ऊर्जा के अक्षय स्रोत संबंधी विशिष्ट क्षेत्र जुटाने के लिए 105 मिलियन अमरीकी डालर ऋण की सिफारिश की है। ऋण की प्रकारता को अंतिम रूप देने के लिए विचार–विमर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खगड़ा किशनगंज में रेल उपरि पुल का निर्माण

397. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर खगरिया किशनगंज, बिहार में कोई रेल उपरि–पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) यह प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इसके कार्यान्वयन में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इस सड़क उपरि पुल की अनुमानित लागत कितनी है और इसमें विभिन्न प्राधिकरण किस अनुपात में राशि देंगे; और

(च) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां,

(ख) 1979

(ग) सामान्य व्यवस्था संबंधी आरेखण को अंतिम रूप दे दिया है। अनुमान स्वीकृति हेतु जुलाई, 1995 से राज्य सरकार के पास हैं।

(घ) और (च) राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण अभी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया है। ये औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों पर कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद यह कार्य 2–3 वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

(ङ) कुल अनुमानित लागत–7.57 करोड़ रु.

रेलवे का हिस्सा –3.78 करोड़ रु.

राज्य सरकार का हिस्सा –3.79 करोड़ रु.

सवारी डिब्बों में कमी

398. **श्री पी.सी. थामस :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों की सवारी डिब्बों की संख्या कम कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इन सवारी डिब्बों को पुनः लगाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां, 2625/2626 केरल एक्सप्रेस, 2617/2618 मंगला एक्सप्रेस तथा 6525/6525 बंगलूर–कन्याकुमारी एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों की संख्या कम कर दी गयी है।

(ख) कम व्यस्त अवधि के दौरान कम यातायात प्राप्त होने के कारण।

(ग) व्यस्त अवधि के दौरान यथा क्रिसमस तथा सबरीमाला अवसरों पर इन गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री

399. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन फैक्ट्रियों को किन–किन स्थानों पर स्थापित किये जाने की संभावना है और इसमें कितनी अनुमानित लागत आयेगी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सहायता प्रदान किये जाने के लिये कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अस्पतालों के लिये विदेशी सहायता

400. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने के लिये विदेशों और अनिवासी भारतीयों से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य रक्षा की योजाओं के लिये 1995–96 के दौरान; राज्यवार, राज्य सरकारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कन्नोर एक्सप्रेस को अलेप्पी तक बढ़ाना

401. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नोर एक्सप्रेस को अलेप्पी तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाइन क्षमता और टर्मिनल की तंगी।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

402. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995–96 के दौरान रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए राज्य–वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में अब तक कितने उपलब्धि हासिल हुई है; और

(ख) प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	1995–96 में रेल लाइनों का दोहरीकरण	राज्य	हासिल की गई उपलब्धि	1995–96 में आबंटित की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	दिवा–बसई रोड	महाराष्ट्र	विस्तारित बोर्ड द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा इस परियोजना को अनुमोदित कर दिये जाने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।	5.00
2.	दिवा–पनवेल	महाराष्ट्र	परियोजना अनुमोदित कर दी गई है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।	5.00
3.	दीई–भिगवण	महाराष्ट्र	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये गये हैं।	1.5
4.	निशातपुरा (ए और डी कैबिनें) कौर्ड लाइन	मध्य प्रदेश	कार्य चल रहा है।	0.43
5.	टूंडला–यमुना पुल	उत्तर प्रदेश	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	5.28
6.	मुरादनगर–मेरठ शहर	उत्तर प्रदेश	बोल्ट योजना के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	5.00
7.	गाजियाबाद–मुरादाबाद लाईन का कहीं–कहीं दोहरीकरण	उगई राशि प्रदेश	बोल्ट योजना के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	5.00
8.	कानपुर–पनकी	उत्तर प्रदेश	प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।	5.00
9.	छरकुरा–रायपुरा–सरोना	मध्य प्रदेश	प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।	2.00
10.	रघुनाथपुर–गोरखनाथ–रहामा कहीं–कहीं दोहरीकरण	उड़ीसा	प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है।	6.00
11.	गुसकारा–बोलपुर	पश्चिम बंगाल	प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	3.00
12.	बजबज–अकरा	पश्चिम बंगाल	प्रारंभिक कार्य शुरू कर कर दिए गए हैं।	3.00
13.	कुट्टीपुरम–गुरूवायूर	केरल	प्रारंभिक कार्य शुरू कर कर दिए गए हैं।	5.00

1	2	3	4	5
14.	बेंगलूरू–केंगेरी कहीं–कहीं दोहरीकरण	कर्नाटक	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	2.00
15.	बम्बई सेंट्रल –बोरीवाली 5वीं और छठी लाइन	महाराष्ट्र	विस्तृत अनुमान आदि की प्रक्रिया से संबंधित प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	10.00
16.	कोटा–गुर्ला–चम्बल पुल	राजस्थान	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	5.00

[हिन्दी]

ई.एम.यू. कोच

403. **डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के अधीन उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या–क्या हैं जहां 1995–96 के दौरान ई.एम.यू. कोच शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन्दौर–उज्जैन–नागदा–कोटा, सवाई माधोपुर से जयपुर तक नई रेल सेवा शुरू करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 1995–96 के दौरान भिलाड–सूरत–सूरत–भरूच–बडोदरा, बड़ोदरा अहमदाबाद खण्डों पर एम. ई. एम. यू. गाड़ियां चलाई गई हैं।

(ख) और (ग) इंदौर–उज्जैन–नागदा–कोटा–सवाई माधोपुर–जयपुर के बीच एक गाड़ी चलाने के संबंध में जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों की प्रतिष्ठा

404. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में सेना के जवानों द्वारा उन्मत्त होकर पुलिस सहित नागरिकों पर हमला करने की घटनाओं के कारण एक अनुशासित बल के रूप में हमारी सेना की प्रतिष्ठा पर आंच आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यह कहना सही है कि एक अनुशासित बल के रूप में सेना की प्रतिष्ठा संतोषजनक नहीं रही है। जुलाई–अक्तूबर, 1995 के बीच पश्चिम बंगाल में सेना कार्मिकों तथा पुलिस समेत सिविलियनों द्वारा आरोपों और प्रत्यारोपों की चार घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। एक मामले में पीड़ित सेना अफसर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है तथा एक अन्य मामले में संबंधित सैन्य प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। शेष दो मामलों में सैन्य प्राधिकारियों द्वारा जांच–पड़ताल की जा रही है।

बड़ी लाइन की रेलगाड़ी

405. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की ओर से सरकार को दरभंगा से बड़ी लाइन की रेलगाड़ी चलाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दरभंगा से बड़ी लाइन की गाड़ी चलाने के लिए माननीय सदस्यों सहित कुछ अन्य लोगों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ग) आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो जाने और दरभंगा में अनुरक्षण सुविधाओं के विकास के बाद ही दरभंगा से बड़ी लाइन गाड़ियां चलाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

गंज बसोडा पर हाल्ट उपलब्ध कराया जाना

406. **श्री रामबदन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एक्सप्रेस रेलगाडियों का क्या नाम है जिनके लिए गंज बसोडा रेलवे स्टेशन पर "हाल्ट" उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं जहां पर वर्तमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्टेशन पर "हाल्ट" उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (ख)

(क) 1077/1078 झेलम एक्सप्रेस और 1771/1172 शिप्रा एक्सप्रेस को गंज बसोडा स्टेशन पर ठहराव देने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) फिलहाल, गंज बसोडा स्टेशन पर किसी अतिरिक्त गाड़ी को ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम रेलवे में अनियमितताएं

407. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों में मार्च, 1995 से अक्तूबर, 1995 तक के बीच भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधियों, दुर्व्यवहार और धन के दुरुपयोग के बारे में रेल अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के संबंध में इस अवधि के दौरान की गई जांचों तथा की गई प्रशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां। इस अवधि में 768 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

मण्डल	की गई जांचें	प्रशासनिक कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट मामले	अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत जितने पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई	
			बड़ी शास्ति	छोटी शास्ति
बंबई	46	41	01	05
बड़ोदरा	44	48	03	02
रतलाम	29	27	01	–
कोटा	17	29	–	06
अजमेर	21	15	01	–
जयपुर	18	12	01	–
राजकोट	23	11	02	–
भावनगर	13	09	02	–
अन्य	25	14	02	02
जोड़	236	206	13	15

[हिन्दी]

मलेरिया टीका

408. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया का मुकाबला करने के लिए कोई टीका विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह टीका पर्याप्त परीक्षण के पश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क)और(ख) कोलम्बिया में मलेरिया वैक्सीन का विकास किया गया था लेकिन मलेरिया के विरूद्ध मनुष्यों को रोग प्रतिरक्षित करने में कारगर नहीं पाया गया है; तथापि आरम्भिक परीक्षणों से उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिए थे।

(ग) से (ङ) जैसा कि सूचित किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोलम्बिया में विकसित किए गए वैक्सीन समेत मलेरिया को किसी वैक्सीन का अनुमोदन नहीं किया है।

[अनुवाद]

कलपुर्जों की आपूर्ति

409. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश सैन्य उपकरणों के कलपुर्जों के लिए अभी भी रूस पर निर्भर है;

(ख) क्या रूस कुछ महत्वपूर्ण कलपुर्जों का भारत को निर्यात करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो देश ने इस संबंध में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए हैं; और

(घ) देश इस संबंध में आत्मनिर्भर कब तक बन जाएगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)से(घ) भारत सरकार ने रूस के साथ कई समझौता ज्ञापनों/प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से एक में रक्षा उपस्करों से सम्बद्ध मदों/हिस्से–पुर्जों की गारंटीशुदा आपूर्ति किए जाने तथा अनुरक्षण, मरम्मत, सम्पूर्ण मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक विस्तृत सेवाएं और उत्पाद सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

पूर्व–सोवियत संघ के विघटन के बाद, सरकार रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूस के साथ–साथ पूर्व–सोवियत सघ के उत्तरवर्ती प्रत्येक देश के साथ संपर्क स्थापित किए जाने की नीति का भी अनुसरण कर रही है।

साथ ही साथ सरकार अन्य स्रोतों से रक्षा आयात बनाए रखने और स्वदेशी उत्पादन सुविधाओं को मजबूत बनाए जाने के उपयों का भी अनुसरण कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा संबंधी हिस्से–पुर्जों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ ही देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सके।

मैसूर शहर के लिए जलापूर्ति योजना

410. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "हुडलो" की सहायता से मैसूर शहर के लिये जलापूर्ति योजना शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि मांगी गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओ. डी. ए. सहायता

4.11 **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विभिन्न जिलों में ओ.डी.ए. सहायता से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा प्रदान करने हेतु एक क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) यदि हां, तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक की उपलब्धि क्या है; और

(घ) उड़ीसा में अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत एवं जारी की गयी है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) और (ख) ओ. डी. ए. सहायता वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना उड़ीसा के पांच जिलों नामतः क्योंझर, सम्बलपुर, मयूरभंज, ढेनुंकनाल और सुन्दरगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) परियोजना के अन्तर्गत अब तक 406 उपकेन्द्र, 88 लेडी हैल्थ विजिटर क्वाटरों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप मंडलीय अस्पतालों में आपरेशन थियेटर सहित 10 पलंगों वाला वार्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 135 स्टाफ क्वार्टरों उपमंडलीय अस्पतालों में 108 क्वाटरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 82 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। सभी उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपमंडलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि को फर्नीचर तथा उपकरणों की आपूर्ति भी गई है। अब तक, परियोजना के अन्तर्गत 23041 चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 65.66 करोड़ रु. है और सितम्बर, 1995 तक राज्य को 59.09 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान विमुक्त किया गया है।

सैनिक विद्यालय

412. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 तक और 1996–97 के दौरान राज्य–वार किन–किन स्थानों पर सैनिक विद्यालय खोले जाने की संभावना है; और

(ख) 31 अक्टूबर, 1995 तक पश्चिम बंगाल के किन–किन स्थानों पर सैनिक विद्यालय विद्यमान हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय किसी भी राज्य में कोई नया सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक सैनिक स्कूल 1962 से चल रहा है।

सैनिक समाचार के लिए कागज

413. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय सैनिक समाचार के मुद्रण हेतु कागज की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों से इसके लिए कागज की पर्याप्त और लगातार आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस भूल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सैनिक समाचार के लिए कागज की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रबन्ध किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सैनिक समाचार के मुद्रण के लिए कागज की नियमित आपूर्ति में कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई थीं।

(ग) सैनिक समाचार के मुद्रण के लिए कागज पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से खरीदा जाता है। छपाई के कागज की लगातार बढ़ती हुई कीमतों के कारण पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से नियमित आपूर्ति में कठिनाइंया पैदा हुई।

(घ) सैनिक समाचार के लिए छपाई का कागज खरीदे जाने में हुए विलम्ब की जिम्मेदारी इस पत्रिका को तैयार करने के कार्य से जुड़े अधिकारियों की नहीं है।

(ङ) जब कभी पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से आपूर्ति में विलंब होता है तो सैनिक समाचार के लिए छपाई का कागज खुली निविदा के माध्यम से अधिप्राप्त किए जाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

जमालपुर रेलवे फैक्ट्री

414. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर रेलवे फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कोई आबंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1995–96 के लिए 402.00 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। परियोजना की कुल लागत 966.84 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

विमान . दुर्घटना

415. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बिछिया गांव शाहपुर थाना, में 25 जून, 1995 को लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच अदालत से पता चला है कि उक्त वायुयान भूमि पर उतरने के लिए मुड़ते समय टेलशूट फैलाव के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उड़ान भरने के बाद रेडियो ट्रांसमीटर काम न करने के कारण पायलट टेलशूट छोड़ने के लिए भूमि स्टेशन में दिए गए संकेत को मॉनीटर नहीं कर सका था। टेलशूट फैलाव का कारण अंतिम रूप से निश्चित नहीं किया जा सका।

(घ) जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। जब भी कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति या कमजोर क्षेत्र देखा जाता है तो उक्त समस्या की बारीकी से जांच करने तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं के विशेषज्ञों की सहायता से विशेष संयुक्त अध्ययन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सरकारी अस्पतालों का निजिकरण

416. **श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री रामसिंह कस्वा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों के निजीकरण के संबंध में कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णग कब तक लिया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग

417. **श्री राम पाल सिंह :**
श्री रामसिंह कस्वा :
श्री सुदर्शन राय चौधरी :
श्री बोला बुल्ली रामय्या :
श्री रूप चन्द पाल :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सरकार संयुक्त राज्य अमरीका सहित विभिन्न देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने और उसे बढ़ाने की नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इस नीति को चरणवार रूप से और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आवश्यक सीमा तक लागू किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनवरी, 1995 में अमरीकी रक्षा सचिव की भारत यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच रक्षा संबंधों के बारे में एक "सहमत कार्यवृत्त" पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें दोनों देशों के सिविलियनों के बीच पारस्परिक संपर्क, दोनों देशों की सेनाओं में सहयोग और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम

418. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधान मंत्री द्वारा घोषित समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने द्वितीय श्रेणी के 600 से अधिक शहरों की पहचान की है जहां गंदी बस्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्णय किया है कि कार्यक्रम के प्रथम चरण में 345 शहरों को शामिल किया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कार्यक्रम को पूरी तरह कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोज़गार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में श्रेणी-11 के सभी 345 शहरी कस्बों का प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई यू पी ई पी) के अंतर्गत शामिल करने हेतु पता लगाया गया है।

(ङ) और (च) इस कार्यक्रम के लक्ष्य सामाजिक लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्ति, समुदाय को अधिकार देना, रोजगार सृजन और कौशल उन्नयन, जानकारी तथा पर्यावरणीय सुधार है। 5 वर्ष (1995-96 से 1999-2000) की सम्पूर्ण कार्यक्रम अवधि के दौरान लगभग 5 मिलियन शहरी, निर्धनों को लाभान्वित किया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रादेशिक सेना का विस्तार

419. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना पर दवाब कम करने और रक्षा व्यय में कटौती करने की दृष्टि से क्षेत्रीय सेना के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) नियमित सेना के बोझ को कम करने के उद्देश्य से प्रादेशिक सेना का विस्तार करने से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, प्रादेशिक सेना की संकल्पना, भूमिका और नियोजन के बारे में विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है।

[अनुवाद]

सुरक्षा उपाय

420. **श्री चित्त बसु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेलवे में रेलमार्ग सिगनल प्रणाली और वायरलैस संचार प्रणालियों आदि जैसी सुरक्षा प्रणालियों को कार्यान्वित करने हेतु समयबद्ध लक्ष्यों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष और आगामी दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए कोई उच्च स्तरीय दल गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दल ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान ट्रंक मार्गों तथा मुख्य रन थ्रू लाइनों पर रेलपथ परिपथन और बेतार संचार की कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं और इन योजनाओं के लिए आबंटित धन से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है :-

I. सिंगनल व्यवस्था

क्र.सं.	विवरण	1995–96 में पूरी की जाने वाली	1996–97 में पूरी की जाने वाली
1.	उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेलपथ परिपथन	146 स्टेशम	216 स्टेशन
2.	उल्लंघन चिह्न से ब्लाक खंड सीमा तक	275 स्टेशन	404 स्टेशन
3.	अन्य लूप लाइनें	17 स्टेशन	22 स्टेशन
4.	आबंटित धन	34 करोड़ रूपये (लगभग)	50 करोड़ रुपये (अनंतिम)

II. दूर संचार संबंधी कार्य

दक्षिण तथा मध्य रेलवे पर क्रमशः : 3.60 करोड़ रुपये की लागत पर ड्राइवर, गार्ड तथा निकटवर्ती स्टेशन के बीच व्यापक–गाड़ी रेडियो संचार की व्यवस्था हेतु दो योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

विद्युतीकृत खंडों में इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए 1996–97 के निर्माण कार्यक्रम में, जिसके संबंध में प्रक्रिया चल रही है, लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत के कार्य शामिल करने का प्रस्ताव है।

इन योजनाओं के निष्पादन पर भी अनुमोदन के बाद 2 वर्ष का समय लगेगा।

(ग) जी हां।

(घ) दल ने अभी अपना अध्ययन पूरा नहीं किया है। इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

लीगल सर्विस अथारिटी

421. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में प्रवर्तित लीगल सर्विस अथारिटी एक्ट, 1987 की क्या मुख्य विशेषताएं हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस अधिनियम के लाभों को केवल निर्धनों और समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा 9.11.1995 से प्रवर्तन में लाया गया है, उद्देश्य की चर्चा अधिनियम की धारा 4 में की गई है, जिसके दो भाग हैं अर्थात् लोक अदालत को कानूनी आधार देना और इसके विनिश्चय को न्यायालय की डिक्री मानना और स्थापित न्यायालयों के अनुपूरक के रूप में स्थायी आधार पर आनुकल्पिक विवाद समाधान फौरम के रूप में लोक अदालत प्रणाली को बढ़ावा देना।

इसका दूसरा उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अमुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों, महिलाओं, आदि, में विधिक ज्ञान और विधिक जागरूकता पैदा करना तथा उस निमित्त निवारक और अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रम उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के भी गठन की प्रक्रिया चल रही है।

अधिनियम का अध्याय 3 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक तालुक। मंडल या तालुकों या मंडली के किसी समूह के लिए तालुकविधिक सेवा समिति से संबंधित हैं।

केवल कुक राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम ने नियम भेजे हैं, अन्य राज्यों को अभी नियम बनाने हैं। जब तक नियम बनाए नहीं जाते हैं और राजपत्रित नहीं किए जाते हैं तब तक अध्याय 3 का संबंधित राज्यों में प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार, उच्च न्यायालयों के परामर्श से, राज्य सरकारों से नियमों की प्रतीक्षा कर रही है।

सेना कैन्टीन

422. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर के वायुसेना कैन्टीन तथा देहरादून के सेना कैन्टीन में लाखों रुपये की जालसाजी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस को प्रथम सूचना दर्ज करायी गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) यूनिट द्वारा संचालित कैंटीम निजी अधिकार क्षेत्र में आती हैं जोकि सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्ध यूनिटों/विरचनाओं के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं। उनकी निधियां गैर–सरकारी निजी रेजिमेंट की निधियां होती हैं तथा इन पर सरकार का कोई नियंत्रण/क्षेत्राधिकार नहीं होता है। तथापि, देहरादून की सम्बद्ध सैन्य यूनिटों से स्थापित के बारे में जांच की गई है जिससे यह पुष्टि हो गई है कि देहरादून के सब–एरिया मुख्यालय के अंतर्गत कोई भी कैंटीन धनराशि की जालसाजी के किसी मामले में शामिल नहीं है। जोधपुर की वायुसेना कैंटीन के प्रबंधन द्वारा किए गए पाक्षिक निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां देखी गई थीं। जिसके लिए दोषी पाए गए कैंटीन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

सरकारी आवास

423. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी के पुत्र अथवा पुत्री, जो उसके साथ रह रहा/रही है, के नाम आवास को नियमित करने के लिए यह पूर्व शर्त है कि वह मकान किराया भत्ता नहीं ले रहा/रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण और औचित्य हैं;

(ग) प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकारी आवास को इस आधार पर नियमित नहीं किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के साथ उसका पुत्र अथवा पुत्री नहीं रह रहे थे और आवास भत्ता ले रहे हैं जबकि वे आवास भत्ते की एकमुश्त राशि जमा करने के लिए तैयार हैं;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को आवास प्रदान करने हेतु सरकार ने अपनी सौहार्दता दर्शाने हेतु क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या सेवानिवृत्ति पर उन सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास अपना कोई घर नहीं है आवास प्रदान करने हेतु इस प्रक्रिया को सरल बनाने का है। और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां।

(ख) नियमितीकरण एक कल्याणकारी उपाय है जिसका उद्देश्य सेवा–निवृत्त कर्मचारियों को मकान मुहैया कराना है। यदि सरकारी कर्मचारी का पुत्र/वर्ग उसके साथ नहीं रहे तो यह उद्देश्य पूरा नहीं होता। सरकारी कर्मचारियों के साथ आबंटित क्वार्टरों में रहने वाले उनके पुत्र/पुत्री मकान किराया भत्ता पाने, के हकदार नहीं हैं। इस उद्धेश्य को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक मकान किराया भत्ता न लेने की शर्त निर्धारित की गई है।

(ग) ऐसे किसी उपाय पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के अनुरोध, प्रचलित नियम के अनुसार निबटाये जाते हैं। इस संदर्भ में ऐसे कागजातों का अलग से कोई विशेष रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(च) नियमों को सरल बनाना जरूरी नहीं समझा गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रूस के मिग-मैपो के साथ विमानन परियोजना समझौता

424. **श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस कि मिग–मैपो तथा भारत की हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच दो रक्षा विमानन परियोजनाओं के लिए जिनमें से एक भारत में मिग–1 का दर्जा बढ़ाने के लिए है और दूसरी भारत में फालतू पुर्जे तैयार करने तथा

मिग विमान की मरम्मत करने के लिए है कोई संयुक्त उद्यम स्थापित करने के समझौता को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस विमानन परियोजनाओं से भारत को अन्य बातों के साथ-साथ क्या लाभ होंगे और उन पर कितना व्यय होगा; और

(ग) समझौता पर कब तक हस्ताक्षर हो जायेंगे और परियोजनाएं कब से चालू हो जायेंगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ग) मिग-21 बी आई एस वायुयान को उन्नत बनाने की परियोजना से संबंधित एक आशय-पत्र रूस को जारी किया गया है। दिनांक 12 सितम्बर, 1994 को इंडो-एशियन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई थी, जिसमें अन्यों के साथ-साथ रूस की एम ए पी ओ-मिग और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की भागीदारी है।

(ख) इंडो-एशियन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी 40 करोड़ रुपये है और इसमें हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश-निगम (आई सी आई सी आई) और रूसी संगठनों के बीच शेयरों की भागीदारी क्रमशः 48 : 5 : 47 के अनुपात में है। इस संयुक्त उद्यम के कार्य-क्षेत्र में वैमानिकी सामान का भण्डारण और सम्बद्ध कार्य शामिल हैं। इससे अतिरिक्त हिस्से-पुर्जे तथा उत्पादन सहायता प्राप्त करने के हमारे प्रयासों में मदद मिलेगी। मिग-21 बी आई एस वायुयानों के उन्नयन से उनकी संक्रियात्मक क्षमताएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी।

हिमगिरी एक्सप्रेस में वेस्टीबूल प्लेट का गायब होना

425. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बेगमपुर और बरूईपारा स्टेशनों के बीच हिमगिरी एक्सप्रेस के दो डिब्बों के बीच वेस्टीबूल प्लेट के गायब होने के परिणामस्वरूप एक महिला यात्री की मृत्यु के बारे में 25 अक्टूबर, 1995 के "आजकल" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां, ऐसी सूचना मिली थी कि 2373 अप हिमगिरि एक्सप्रेस में कोच संख्या एस 7 में आरक्षण के साथ यात्रा कर रही एक महिला यात्री बेगमपुर और बरूईपारा स्टेशनों के बीच गाड़ी से गिर गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी 21.10.1995 को मृत्यु हो गई थी। यह मामला राजकीय रेलवे पुलिस, कुमार-कुन्डू, पश्चिम बंगाल द्वारा जांच पड़ताल किये जाने के लिये भेज दिया गया है।

(ख) एस-7 कोच का गलिपारा ठीक हालत में था। कोच सं. एम का हवडा के छोर वाला गलियारा बन्द था जिसे एक सिरे पर जबरन खोला गया पाया गया। इस मामले की राजकीय रेलवे पुलिस, कुमार कुन्डू, पश्चिम बंगाल द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, तथापि, रेल मंत्रालय द्वारा सभी रेलों को यह अनुदेश दोहरा दिए गए हैं कि वे सभी सवारी डिब्बों के गलियारों की फिटिंग्स की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि ये चालू हालत में हैं और यात्रियों द्वारा निरापद रूप से उपयोग में लाये जा सकने योग्य हैं।

हानिकारक जूं नाशक लोशन

426. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में उपलब्ध जूं नाशक लोशनों में मैलाथियन, परमिथियन, कारबेरिल तथा लिन्डेन जैसे हानिकारक कीटनाशी होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जूं नाशक लोशन के उपयोग एवं दुरुपयोग से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी हानियों के प्रति लोगों को अधिक जागरूक बनाने हेतु संयुक्त अभियान चलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ग) यह बताया गया है कि जूं के उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लोशन हानिकारक नहीं होते बशर्ते उन्हें एक प्रतिशत के निर्धारित सान्द्रण में प्रयोग किया जाए। इन औषधों के सूत्रों का विकसित देशों में भी विपणन किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां निरपवाद रूप से उपभोक्ताओं के मार्ग दर्शन के लिए पैकेट पर मुद्रित की होती हैं।

इंटरसिटी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

427. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के राजकोट डिविजन में हदमतिया रेलवे स्टेशन के पास इंटर सिटी एक्सप्रेस के दस डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो डिब्बों के पटरी से उतरने के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां, 4.10.95 को पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के हदमतिया स्टेशन पर इंटर एक्सप्रेस के 10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

(ख) गाड़ी के पटरी से उतरने का कारण स्लैक गेज (लूज फिटिंग्स और पुराने स्लीपर) था।

(ग) से (ङ) अधिकारियों की समिति द्वारा जांच की गई थी जिन्होंने इस दुर्घटना के लिए राजकोट के दो रेलपथ निरीक्षकों को दोषी ठहराया था। जिन्हें निलंबित कर दिया गया है।

रेल प्रशासन द्वारा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कारवाई की जा रही है।

गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन

428. **श्री हरिलाल ननजी पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक दी गई/खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विद्युत का कितना उत्पादन होगा और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो.पी.जे. कुरियन) : (क) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए गुजरात राज्य को सम्मिलित करते हुए कोई धनराशि राज्यवार निर्धारित नहीं की गई है। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि वार्षिक आधार पर दी जाती है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात राज्य के लिए व्यय किए गए धन का वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

रुपये (करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित
1992-93	13.16
1993-94	17.42
1994-95	12.34
1995-96	0.95
(अक्टूबर, 95 तक)	

(ग) : गुजरात में 77.5 मेवा. औसत क्षमता वाली बिंड पावर परियोजना स्थगित की गई हैं। इन बिंड जनरेटरों ने ग्रिड को ग्रिड को 151 मिलीयन यूनिट पावर सप्लाई की है। इसके अतिरिक्त 2 मेवा. क्षमता की। लघु हाइड्रो परियोजना, 1100 सौर लालटेन, 370 सौर घरेलू रोशनी, 346 सौर सड़क रोशनी, 51 सौर सामुदायिक रोशनी तथा 3 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र औसत क्षमता 14 कि.वा. तथा 250 बायोमास गैलीफायर स्थापित किए गए हैं।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

429. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्विलन त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को दोहरा करने के कार्य पर चालू वित्त वर्ष के दौरान आबंटित 15 करोड़ की राशि में से अब तक किए खर्च का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : इस कार्य पर 1.4.95 से आज तक किये गये खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(i)	सिविल इंजीनियरी कार्य	1.08 करोड़ रु.
(ii)	सिगनल एवं दूर संचार कार्य	0.36 करोड़ रु.
(iii)	बिजली संबंधी कार्य	0.35 करोड़ रु.
(iv)	स्थापना तथा अन्य कार्य	0.22 करोड़ रु.
		2.01 करोड़ रु.
	केरल सरकार से प्रत्याशित भूमि डेबिट।	लगभग 4 करोड़ रु.

मोनो सोडियम ग्लूटेमेट

430. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मनुष्यों पर कृत्रिम खाद्य रसायन मोनोसोडियम ग्लूटेमेट(एम.एस.जी.) का कई प्रकार से घातक प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत–सी अमरीकी कम्पनियां जैसे केंटुकी फ्राइड चिकन (के.एफ.सी.) और उसकी भारतीय सहयोगी कम्पनियों के भारतीय फास्ट फ्रूट बाजार में बड़ी संख्या में आने की सम्भावना है तथा वह अपने खाद्य पदार्थों में (एम.एस.जी. सहित) इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग करेंगे; और

(ग) सरकार ने एम.एस.जी. तथा अन्य हानिकारक रसायनों के खाद्य पदार्थों में मिलाये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री(श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एम. एस.जी.) के उपयोग से स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 केवल उन्हीं पदार्थों की अनुमति देता है, जो सुरक्षित हैं। खाद्य पदार्थ में गैर–अनुमति वाले पदार्थों का उपयोग खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

431. **श्री गुरुदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के डाक्टर संस्थान छोड़कर बाहर जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) मध्यम स्तर के कुछ डाक्टर वैकल्पिक नौकरियों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को छोड़कर चले गए हैं। निदेशक ने वरिष्ठ डाक्टरों की एक समिति बना दी है और इसकी रिपोर्ट संस्थान के शासी निकाय के समक्ष रख दी जायेगी।

आमान परिवर्तन

432. **श्री काशी राम राणा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–अजमेर और मेहसाना–अहमदाबाद के बीच की रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है और अजमेर–मेहसाना रेल लाइन के शेष भाग को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, इस सम्बंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह लाइन कब तक पूरी और चालू हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दिल्ली–अजमेर और मेहसाणा–अहमदाबाद खण्ड पूरे हो गए हैं और यातायात के लिए खोल दिये गये हैं। अजमेर–मेहसाणा खण्ड पर निर्माण कार्य चल रहा है और अब तक हुई प्रगति इस प्रकार है :–

खण्ड का नाम	प्रगति
अजमेर –मारवाड़	66 प्रतिशत
मारवाड़–आबू रोड	4 प्रतिशत
आबू रोड–पालनपुर	15 प्रतिशत
पालनपुर–मेहसाणा	15 प्रतिशत

(ग) परियोजना 31.12.96 तक पूरी हो जाने की आशा है।

कामगारों का पुनः नियोजन

433. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप के इंजनों के उपयोग को बंद करने के कारण तथा भाप के इंजनों के लोकोशेड को बंद किए जाने से बड़ी संख्या में कामगार फालतू हो गए थे, जिनका अभी तक पुनः नियोजन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां। बहरहाल ये सभी रेल कर्मचारी रेलों के रौल पर बने हुए हैं।

(ख) भाप इंजन शेडों के बंद हो जाने के कारण फालतू घोषित हो गए कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक कार्य ढूंढना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना अनिवार्य रूप से एक ऐसा कार्य है जिसमें काफी समय लगता है और इसमें तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

पैदल डाक्टर

434. **श्रीमती सरोज :**
श्री विजय एन. पाटील :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक्टरों के लिए आवश्यक ग्रामीण सेवा के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण लोगों को सहायता हेतु अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) से (ग) केन्दीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद ने अक्टूबर, 1995 में नई दिल्ली में हुए अपने सम्मेलन में संकल्प पारित किए कि भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को स्थाई पंजीकरण प्रदान करने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में उनकी तैनाती को अनिवार्य बनाया जाये और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने से पहले इसे पूर्वापेक्षित अर्हता भी बनाया जाये।

तटरक्षकों द्वारा मत्स्यन नौकाओं का जब्त किया जाना

435. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय सीमाओं का उल्लंघन करने पर तटरक्षकों ने पड़ोसी देशों की बहुत सारी मत्स्यन–नौका जब्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मत्स्यन–नौका एवं अन्य पोत पकड़े गए और इनके स्वामी कौन हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ मत्स्यन–नौकाओं में रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चार्ट और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गजट पाए गए;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन घुसपैठियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इनके कार्यकलापों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय तटरक्षक ने 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान कुल मिलाकर 111 विदेशी मत्स्य नौकाएं पकड़ीं। इन पकड़ी गई नौकाओं में से श्रीलंका की 48 नौकाएं, थाईलैंड की 33, पाकिस्तान की 16, ताईयान और इंडोनेशिया प्रत्येक की 4, चीन की 3 और म्यांमार, दक्षिण कोरिया और मलेशिया–प्रत्येक की 1 नौका थी।

(ग) से (घ) जी, नहीं।

(ङ) तटरक्षक के सभी उपलब्ध पोत और वायुयान समुद्री क्षेत्र में चौकसी और निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र(ई ई जेड) में तैनात किए जाते हैं। दोषी विदेशी मत्स्य नौकाओं को कब्जे में करके उनके विरुद्ध पदाभिहित भारतीय न्यायालयों में भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 और उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सौंप दिया जाता है।

"भेल" की माइक्रोचिप परियोजना

436. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" ने हरिद्वार में "माइक्रोचिप परियोजना" आरम्भ कर दी है और रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है;

(ख) क्या क्रयादेश की कमी के कारण "भेल" द्वारा यह परियोजना बन्द की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस इकाई को बन्द होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : (क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हरिद्वार स्थित अपने संयंत्र के एक छोटे से भाग में एप्लिकेशन स्पेसिफिक इंटिग्रेटेड सर्किटों

(एएसआईसीएस) के निर्माण के लिए कुछ करने हेतु सुविधा स्थापित की है। एएसआईसीएस का प्रयोग दूरसंचार, परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा तथा अंतरिक्ष इत्यादि जैसे उद्योगों में इलेक्ट्रानिक प्रणालियों में किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सादुलपुर रेलवे स्टेशन

437. **श्री राम सिंह कस्वां : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सादुलपुर रेलवे स्टेशन और इसके निकटवर्ती क्षेत्र को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन सी सरकार तैयार की गई है और कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(ग) यह कार्य कब से शुरू हो जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या सादुलपुर रेलवे फाटक पर उपरि पुल का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सादुलपुर रेलवे स्टेशन और इसके आस–पास के क्षेत्रों का रख–रखाव संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। स्टेशन के और सौन्दर्यकरण के लिए कोई विशिष्ट योजना अपेक्षित नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आरक्षण कोटा

438. **श्री पीयूष तीरकी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सीमान्त रेलवे के जलपाईगुड़ी रोड जलपाईगुड़ी टाउन तथा अलीपुर द्वारा रेलवे स्टेशनों पर राजधानी एक्सप्रेस के लिए कोई आरक्षण कोटा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्टेशनों पर आरक्षण कोटा उपलब्ध करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) 2423/2424 नई दिल्ली--गुवाहाटी –नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां जलपाईगुड़ी रोड/जलपाईगुड़ी टाउन और अलीपुद्वार स्टेशनों पर नहीं ठहरती हैं। अतः इन स्टेशनों पर आरक्षण कोटे के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता

439. **श्री हाराधन राय : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के मुनाफा कमाने या घाटा उठाने की स्थिति के बावजूद उनके कर्मचारियों को अंतरिम सहायता का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के अधिकारियों और प्रबन्धन कार्मिकों को अंतरिम सहायता का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अंतरिम सहायता और बकाया राशियों का भूतलक्षी प्रभाव से भुगतान कब तक हो जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के 60 उद्यमों (सूची संलग्न विवरण पर है) जिन के कर्मचारियों (जिसमें अधिकारी तथा प्रबंधकीय स्टाफ भी शामिल है।) ने केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति अपनाई हुई है और जिनके लिए उच्चाधिकार वेतन समिति (एचपीपीसी) की अनुशंसा लागू थी और जो 1.1.1986 और 31.12.1988 तक इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्टाफ संख्या में शामिल थे उनके लिए 1.4.1995 के मूल वेतन के 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर अन्तरिम राहत स्वीकृत की गई थी जो कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह की शर्त के अधीन थी। चाहे वे उपक्रम लाभ अर्जित करने वाले या घाटा करने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के उन कर्मचारियों के लिए भी अंतरिम राहत देय नहीं है जिनकी नियुक्ति 1.1.1989 को या इसके पश्चात् हुई

है क्योंकि ये कर्मचारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 3.5.1990 और 28.8.1991 के दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति और संबद्ध वेतनमानों द्वारा शासित है। सरकार ने 9.11.93 और 28.7.95 को अंतरिम राहत से संबंधित अनुदेश जारी कर दिए हैं और प्रबन्धनों द्वारा उन्हें लागू करना अपेक्षित है।

विवरण

क्र.स.	उपक्रम का नाम
1	2
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लि.
2.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
3.	भारत गोल्ड माइन्स लि.
4.	भारत लेदर कारपो. लि.
5.	भारत आप्थैल्पिक ग्लास लि.
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रो–कैमिकल्स लि.
7.	सीमेंट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
8.	केन्द्रीथ अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
9.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम
10.	भारतीय कपास निगम लि.
11.	दिल्ली परिवहन निगम
12.	एजूकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लि.
13.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.
14.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
15.	भारतीय खाद्य निगम लि.
16.	भारी इंजीनियरी निगम लि. (केवल मेडिकल डाक्टर्स)
17.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
18.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
19.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
20.	भारतीय अस्पताल परामर्शदायी निगम लि.
21.	आवास एवं शहर विकास निगम
22.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
23.	इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपो. लि.
24.	इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
25.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.
26.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.
27.	भारतीय पटसन निगम लि.
28.	महानगर टेलीफोन निगम लि.
29.	मैगनीज ओर (इण्डिया) लि.
30.	मझगांव डॉक लि.
31.	खनिज गवेषण निगम लि.
32.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
33.	मार्डन फूल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.
34.	राष्ट्रीय विमानापत्तन प्राधिकरण
35.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि.
36.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
37.	नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.
38.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.
39.	नेशनल इन्स्ट्रमेंट्स लि.
40.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
41.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
42.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि.
43.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
44.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
45.	नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि.
46.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे)
47.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
48.	नेटेका (गुजरात) लि.
49.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
50.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
51.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.

1	2
52.	नेटेका (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.
53.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
54.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा). लि.
55.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.
56.	उत्तर–पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
57.	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
58.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.
59.	रेल इण्डिया टेकनिकल एण्ड इको. सर्विसिज लि.
60.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
61.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
62.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
63.	सांभर साल्ट्स लि.
64.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.
65.	टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इण्डिया लि.
66.	यूरेनियम कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
67.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लि.
68.	विदेश संचार निगम लि.
69.	भारतीय जल एवं विद्युत परामर्शदायी सेवाएं लि.

इलैक्ट्रोहोम्योपैथी में अनुसंधान

440. **श्री सुकदेव पासवान : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलैक्ट्रोहोम्योपैथी के संवर्धन, विकास और अनुसंधान के लिए किसी संगठन को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन का नाम क्या है;

(ग) क्या इस संगठन ने अपने विकास के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रगति रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) सरकार द्वारा स्थापित समितियों की रिपोर्ट के आधार पर इसके विकास की वर्तमान अवस्था में इलैक्ट्रो होमियोपैथी की पद्धति को सरकारी मान्यता न देने का निर्णय लिया गया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण कर्मचारियों की कमी

441. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे दिल्ली क्षेत्र में आरक्षण कर्मचारियों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आज तक कर्मचारियों को कमी के कारण दिल्ली क्षेत्र में कितने आरक्षण काउन्टर बंद रहे हैं;

(ग) कर्मचारियों के कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र में आरक्षण कर्मचारियों की कमी है और 100 आरक्षण काउंटरों में से औसतन 10–12 काउंटर प्रतिदिन बन्द रहते हैं।

(ग) और (घ) पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों के काडर में रिक्तियां है और मौजूदा स्वीकृत संख्या थी अपर्याप्त है। रिक्तियां भरने और अतिरिक्त पदों पर सृजन करने के लिए कार्रवाही की जा रही है।

पवन ऊर्जा

442. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में देश आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या 1997 के अन्त तक 500 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में देश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के द्वारा 1000 मेगावाट उत्पादन की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों को 10 महत्वपूर्ण संघटकों को शुल्क मुक्त कर आयात की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो देश में विद्युत की कमी को पूरा करने में पवन ऊर्जा से किस हद तक सहायता मिलेगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) और (ख) आठवीं योजना में पवन विद्युत उत्पादन के 500 मेवा. के संशोधित लक्ष्य को सितम्बर, 1995 में प्राप्त कर लिया गया है। अब कुल संस्थापित क्षमता 556 मेवा. है और संस्थापना की वर्तमान दर पर योजना अवधि के अंत तक इसके 750 मेवा. तक पहुंच जाने की संभावना है।

(ग) स्थानीय संयोजन तथा विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पवन टरबाइन उपकरणों के विनिर्माताओं को 10 विशेष हिस्सों ओर संघटकों को शुल्क मुक्त रूप से आयात करने के लिए अनुमति दी है।

(घ) एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार देश में समग्र पवन विद्युत संभाव्यता 20,000 मेवा. है। संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान, तकनीकी संभाव्यता और इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी पर पवन विद्युत परियोजनाओं की पूर्ण संभाव्यता का दोहन निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

जम्मू तथा कश्मीर में विधान सभा चुनाव

443. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :
कुमारी उमा भारती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर में दिसम्बर, 1995 में विधान सभा चुनाव कराने हेतु राजनैतिक दलों से विचार–विमर्श करने के पश्चात एक अधिकारिक प्रस्ताव भारत के निर्वाचन आयोग को भेजा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्वाचन आयोग ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(घ) क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग की सलाह मान ली है तथा उसका विचार स्थिति की समीक्षा इस वर्ष के अंत तक करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) विधान सभा के चुनाव कब तक कराये जायेंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (च) सरकार, जम्मू व कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के प्रश्न पर समय–समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार–विमर्श करती रही है। ऐसे विचार–विमर्शों से उभर कर आए विचारों को ध्यान में रखने के बाद तथा राज्य में व्याप्त स्थिति के सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि राज्य में चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल है। तदनुसार, निर्वाचन आयोग से यह सिफारिश की गई थी कि जम्मू व कश्मीर की विधान सभा के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु कार्रवाई शुरू की जाए है। तथापि, निर्वाचन आयोग का यह विचार था कि राज्य में इस समय चुनाव कराने के लिए स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की जा चुकी है जिसमें सरकार को भी एक पार्टी बनाया गया है। चूंकि मामला न्यायाधीन है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की और टिप्पणी करना उचित नहीं है।

2. सरकार का उद्देश्य और प्रयास, राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक संस्थानों की बहाली करना है, इतना ही नहीं बल्कि इसका यह भी प्रयास होगा कि राज्य में भविष्य में भी शांति बनी रहे। सरकार प्रत्येक सुअवसर का लाभ उठाकर और स्थिति को आगे मजबूत बनाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती रहेगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार राज्य के भीतर और बाहर, राजनैतिक विचार वाले विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत व विचार–विमर्श करने के लिए भी हमेशा तत्पर रही है।

निर्यात आदेश

444. **श्री महेश कनोडिया :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इसकी नए और पुराने इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों हेतु कोई निर्यात आदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां;

(ख) निम्नलिखित निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(1) नए

	रेल इंजन (अदद)	सवारी डिब्बे (अदद)
श्रीलंका (मई, 1995 में आर्डर प्राप्त हुआ (2 ब.ला.)	—	
बंगलादेश (जनवरी, 1995 में आर्डर प्राप्त हुआ (10 मी.ला.)	—	
वियतनाम (फरवरी/अप्रैल, 1995 में निष्पादित किया गया)		15 (मी.ला.)

(2) पुराने

नेपाल (अक्टूबर, 1994 में निष्पादित किया गया 2 (छो.ला.)		6 (छो.ला.)

(3) नए अथवा पुराने मालडिब्बों के लिए कोई निर्यात आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) लगभग 36 करोड़ रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं

445. **श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए सरकार द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) और (ख) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन महाराष्ट्र राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा सिस्टम/पद्धतियां स्थापित करने के लिए कई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। इनमें बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा, बायोमास गैसीफायर, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सैल, ऊर्जा ग्राम, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली, सौलर वाटर हीटर, सौर कुकर, विंड पंप, विंड पावर, लघु हाइड्रो पावर परियोजनाएं तथा बैटरी चालित वाहन आदि शामिल हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए 238 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से 7,500 परिवार आकार के बायो गैस संयंत्र, 15 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र 1,60,000 उन्नत चूल्हा तथा 500 सौर लालटेन राज्य भर में फैले स्थानों पर स्थापित करने का लक्ष्य है। केन्द्रीय सरकार की 384 लाख रुपये की सहायता से चक्केवाड़ी में 2.5 मेवा. क्षमता वाली एक पवन विद्युत परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। जिसकी कुल लागत 866 लाख होगी। केन्द्रीय सरकार के 170.45 लाख रुपये के फंड के करंजवान में एक 3000 मेवा. क्षमता वाली लघु हाइड्रो पावर परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 750 किवा., 2250 किवा. तथा 200 किवा. क्षमता वाली तीन अन्य लघु हाइड्रो परियोजनाएं क्रमशः सूर्या केनाल, मझलगांव तथा तेरावन मेधे में निर्माणाधीन है।

[अनुवाद]

द्वितीय तल का निर्माण

446. **डा. सुधीर राय : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय/ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा साकेत के एस.एस. फ्लैटों के साथ जुड़े गैराज–सह–सर्वेण्ट क्वार्टरों में द्वितीय तल के निर्माण हेतु की मांग भारी मांग पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण और औचित्य हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के. धवन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं की गई है, इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली रिज पर अतिक्रमण

447. **श्री श्रीकांत जेना : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली रिज को केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल तथा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अतिक्रमण से मुक्त कराने में असफल रहा है; और

(ख) मंत्रालय द्वारा अतिक्रमण करने वालों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) आई. टी.बी.पी. ने दक्षिण रिज पर घेरी हुई भूमि खाली कर दी है।

जहां तक सी.आर.पी.एफ का सम्बन्ध है, मामला गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि अधिग्रहित करके 150 एकड़ भूमि सी. आर.पी.एफ को दे दे ताकि सी.आर.पी.एफ रिज क्षेत्र को खाली कर सके।

रेल संपत्ति को हानि

448. **डा. खुशी राम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1994 से वर्ष 1995 में अब तक रेलवे को देश के विभिन्न हिस्सों में हुई दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से तथा यातायात में बाधा आने के कारण कितनी आर्थिक हानि हुई; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : 1994–95 के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं में रेल संपत्ति को हुई हानि की लागत 52.34 करोड़ रु. और अप्रैल–अक्तूबर, 1995 के दौरान 35.18 करोड़ रु. (अनंतिम) आंकी गई है। दुर्घटनाओं के कारण यातायात में हुए अवरोध के कारण हुई वित्तीय हानि के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) रेलें गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रेलों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियो का बेहतर अनुरक्षण और संरक्षा उपकरणें का उपयोग अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं; संरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैं :

1. सभी ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइन स्टेशनों पर उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक रेलपथ परिपथन पूरा कर लिया गया है सिवाय 362 स्टेशनों के जिन पर इसे मार्च, 1996 तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष 679 स्टेशनों के लिए स्टार्टर से अग्रिम स्टार्टर रेलपथ परिपथन जून, 1996 तक पूरा कर लिया जाएगा। उपर्युक्त कार्यों पर लगभग 100 करोड़ रु. की लागत आएगी। इससे संरक्षा में काफी हद तक सुधार आएगा।

2. आगे जाने वाली गाड़ी के लिए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल के पीछे हटने तक स्लाट दिए जाने को रोकने के लिए सिगनल परिपथन में परिवर्तन करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। अग्रिम स्टार्टर पर स्टेशन मास्टर के स्लाइड कंट्रोल की भी व्यवस्था की जाएगी।

3. स्टेशन कर्मचारियों, चलती गाडियों के चालक, और गार्ड के बीच 200 करोड़ रु. की लागत से एक संचार सुविध की व्यवस्था की जाएगी। प्रणाली का नागपुर–दुर्ग और दिल्ली–मुगलसराय खंडों के बीच परीक्षण किया जा रहा है। इस प्रणाली में "एसओएस" बटन लगा होगा जिससे 5 कि.मी. की परिधि के भीतर की सभी गाडियों और स्टेशनों को चेतावनी मिल सकेगी।

4. रेलपथ संरचना को सुदृढ़ किया गया है। फिश प्लेटों को हटा कर और पटरियों की झलाई करके उन्हें झलाईयुक्त लंबे पटरी पैनलों में बदला गया है। कुछ रेलपथ के लगभग आधे भाग पर, जिसमें लगभग समस्त महत्वपूर्ण मुख्य लाइनें शामिल हैं, लचकदार स्थिरकों सहित कंक्रीट स्लीपर लगाए गए हैं।

5. रेलपथ का अनुरक्षण टाईटैम्पिंग और गिट्टी साफ करने वाली मशीनों से किया जाता है। अब रेलपथ भी रेलपथ नवीकरण गाड़ियों और पोर्टल क्रेनों की सहायता से बिछाया जा रहा है।

6. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी करने के लिए, अत्याधुनिक रेलपथ अभिलेखी यानों, दोलनदेखी यानों और सुवाह्य त्वरणमापी यंत्रों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

7. आंख से न दिखने वाले पटरी के अप्रत्यक्ष दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनिक (अल्ट्रासोनिक) दोष संसूचकों का उपयोग किया जा जाता है।

8. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा में सुधार लाने के लिए, श्रव्य–दृश्य अलार्म संस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए, मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित दो श्रव्य–दृश्य अलार्म सेट बैंगलूर के निकट परीक्षणाधीन हैं। इनकी बिना चौकीदार वाले अन्य समपारों पर भी उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

9. यह विनिश्चय किया गया गया है कि बिना चौकीदार वाला कोई नया समपार नहीं खोला जाएगा। सभी नए समपारचौकीदार युक्त होंगे।

10. चल–स्टाक की स्थिति में सुधार किया गया है। चौपहिया माल–डिबों को बेहतर बोगी वात–ब्रेक स्टाक में बदला जा रहा है।

11. विनिर्मित किए जा रहे नए सवारी–डिब्बे आईसीएफ/इस्पात बांडी के हैं जो बेहद मजबूत और एंटीटेलिस्कोपिक हैं।

12. धुरों के अपने आप टूट जाने के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में उत्पन्न होने वाले दोष के मामलों को समय से ढूंढ़ निकालने के लिए सभी नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में पराध्वनिक जांच उपस्कर लगाए गए हैं।

13. दुर्घटना हो जाने पर, और आगे दुर्घटना को रोकने के लिए संकेत देने हेतु रेल इंजनों पर फ्लेशर लाईटें लगाई हैं।

14. कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर प्रोजेक्टर, स्लाइडों, दुर्घटना के मामलों का अध्ययन और उन पर परिचर्चा जैसी बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं जुटा कर और बल दिया गया है।

15. परिचालन कोटियों (सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक चालक) के भर्ती स्तर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं आरंभ की गई हैं।

16. चालकों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर संस्थापित किए गए हैं। कानपुर और तुगलकाबाद में एक–एक सिमुलेटर कार्य कर रहा है। दो अन्य आस्ट्रेलिया से आयात किए जा रहे हैं।

17. ड्यूटी आरंभ करने से पूर्व श्वास–विश्लेषण टैस्ट द्वारा चालकों की मद्यपान जांच भी की जाती है।

18. चलती गाड़ी के चालक को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने तथा यदि वह चालक पूर्व–निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर न दे तो गाड़ी को रोक देने के लिए "सहायक चेतावनी प्रणाली" पहले ही बंबई के उपनगरीय खंडों पर चालू कर दी गई है।

19. आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों और ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया गया है।

20. निरीक्षणों और अचानक जांचों की बारंबारता बढ़ा दी गई है। और संरक्षा अभियान आरंभ किए गए हैं।

वह चाल पूर्व–निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर न दे तो गाड़ी को रोक देने के लिए "सहायक चेतावनी प्रणाली" पहले ही बंबई के उपनगरीय खंडों पर चालू कर दी गई है।

अपर श्रेणी लिपिकों का वेतनमान

449. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री 2.8.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थता बोर्ड ने अपर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन हेतु अंतिम निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पूर्व वेतनमानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस संबंध मे शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) इस मामले पर आगे की कार्यवाही बोर्ड के अधिनिर्णय (अवार्ड) के प्राप्त होने पर की जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति

450. **श्री केसर बाई सोनाजी क्षीरसागर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद और होम्योपैथी को वही दर्जा प्राप्त है जो एलोपैथी को प्राप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को देश में प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में इन पद्धतियों के अस्पताल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) आयुर्वेद तथा होम्योपैथी भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणालियां हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी) तथा होम्योपैथी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जैसे औषध रहित चिकित्सा विज्ञान के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्य से दिनांक 8.3.1995 को अधिसूचना डी ओ सी संख्या सी डी–163/95 के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग नामक एक नए विभाग का सृजन किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का यह नया विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, औषध गुणवत्ता नियंत्रण, चिकित्सीय पादपों की खेती, विशेषीकृत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी केन्द्रों की स्थापना, कार्मिक शक्ति के विकास आदि के लिए विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश में लागू करेगा।

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

451. **श्री राजेश कुमार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में जनसंख्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दो से अधिक बच्चों वाले नागरिकों को मिलने वाली आरक्षण सुविधाएं वापस लेने का है इन सुविधाओं का लाभ और अधिक लोगों को मिल सके; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्पन्न वर्गों को इन सुविधाओं से वंचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श से तैयार की गई कार्य योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। सूचना, संचार और शिक्षा संबंधी कार्यकलापों में पुनः जान डाली गई है और परामर्श देने संबंधी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया जा रहा है। दो राज्यों (केरल और तमिलनाडु), एक संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़) और 14 अन्य राज्यों में 18 जिलों को प्रौद्योगिक आधार पर गर्भ निरोधक लक्ष्यों से मुक्त घोषित किया गया है।

(ख) दो से अधिक बच्चों वाले नागरिकों से आरक्षण सुविधाएं वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्पन्न वर्गों को इन सुविधाओं से वंचित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शाखाओं का पुनर्गठन

452. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उसकी कुछ शाखाओं का पुनर्गठन किया गया है और हाल में इसे क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अब तीन प्रभागों में बांटा गया है अर्थात भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग, विशेष अपराध प्रभाग तथा आर्थिक अपराध विभाग। इसके पुनर्गठन के परिणामस्वरुप 18 नई शाखाएं/इकाइयां भी बनाई गई हैं।

नौसेना की संचालनात्मक क्षमता

453. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के एक प्रकाशन "दि जेम्स फाइटिंग शिप्स" के नवीनतम संस्करण में भारतीय नौसेना की संचालनात्मक स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय नौसेना की संचालनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संसाधनों की कमी के कारण नौसेना के लिए सामान खरीदे जाने में कुछ कमी आई है। बल स्तर की गिरावट को रोके जाने तथा संक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए हाल ही में सामान प्राप्त/ अनुमोदित किए गए हैं। इनमें यूनाइटेड किंग्डम का एक प्रशिक्षण पोत, रूस का एक टैंकर तथा स्वदेशी स्रोतों से एक नौचालन प्रशिक्षण पोत, चार फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, प्रक्षेपास्त्र–सज्जित दो नौकाएं और 10 डोर्नियर वायुयान शामिल हैं। पोत और पनडुब्बियां प्राप्त किए जाने से संबंधित कुछ बड़े प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पूर्व–सोवियत संघ के विघटन के बाद रूसी हिस्से–पुर्जों की अनुपलब्धता से भी नौसेना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ संपर्क स्थापित किए जाने से बहुत से हिस्से–पुर्जों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव हो गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

454. **श्री वृशिण पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साठ के दशक में स्थापित किए गए औद्योगिक विकास केन्द्र आजकल पूरी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण के बाद की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) साठ के दशक में कुल ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए और प्रत्येक केन्द्र की वर्तमान कार्यात्मक स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केन्द्रों को पुनः कब चालू किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क)से(च) पुरानी विकास केन्द्र योजना भारत सरकार द्वारा उद्योग रहित जिलों का औद्योगीकरण करने के लिए 1983 में आरंभ की गयी थी। इस योजना के अधीन प्रत्येक उद्योग रहित जिले में पता लगाए गए एक या दो विकास केन्द्रों को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जानी थी। जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) कार्रवाई योजना 1979–90 के अनुसार पूरे देश में "उद्योग रहित जिलों" के रूप में कुल 93 जिलों का पता लगाया गया था।

उपर्युक्त योजना के अधीन 1988–89 तक जब जून, 1988 में भारत सरकार द्वारा नयी विकास केन्द्र योजना की घोषणा की गयी थी, 9 राज्यों के 30 विकास केन्द्रों का अनुमोदन किया गया था। नयी विकास केन्द्र योजना आरंभ हो जाने पर 1983 की पुरानी उद्योग रहित जिला योजना बन्द कर दी गयी है। किन्तु, जिन चालू परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति हो गयी है वे 31 मार्च, 1996 से पूर्व केन्द्रीय सहायता का पूरा हिस्सा पाने की पात्र होंगी। योजना के अधीन अनुमोदित 30 केन्द्रों में से 9 केन्द्रों के लिए पूरी केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गयी है। 2 केन्द्रों को नयी विकास केन्द्र योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। शेष 19 केन्द्रों में से 10 केन्द्र पहले ही रद्द हो चुके हैं क्योंकि उनकी प्रगति असंतोषजनक थी और पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से किसी भी प्रकार की प्रगति की सूचना नहीं दी गयी थी। शेष 9 केन्द्र 31.3.95 तक केन्द्रीय सहायता की शेष राशि प्राप्त कर सकते हैं। इन 30 विकास केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

जारी की गयी केंद्रीय सहायता के ब्यौरे पुरानी विकास विकास केंद्र योजना–उद्योग रहित जिला

क्र. सं.	विकास केंद्र/राज्य का नाम	जारी की गई सहायता रू. लाख में	टिप्पणी
1	2	3	4
(क)	**पहले ही पूरे हो चुके अथवा नयी योजना में परिवर्तित केन्द्र**		
कर्नाटक			
1.	बिदर	200.00	पूरा हो गया

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
2.	भिंड	200.00	यथोपरि
3.	मंडला	200.00	यथोपरि
4.	धार	200.00	यथोपरि
5.	राजगढ़	200.00	यथोपरि
6.	झबुआ	200.00	यथोपरि
	उड़ीसा		
7.	बोलनगीर	200.00	यथोपरि
	राजस्थान		
8.	सिरोही	200.00	यथोपरि
	महाराष्ट्र		
9.	गडचिरोली	102.00	यथोपरि
	मिजोरम		
10.	आइजवल	50.00	नयी योजना में परिवर्तित
11.	**पश्चिम बंगाल**		
12.	मालदा	50.00	यथोपरि
	उपजोड़ :	1802.00	

(ख) प्रगति का सूचना देने वाले और 31.3.96 से पूर्व और केंद्रीय सहायता पाने के पात्र केंद्र

1	2	4
बिहार		
1.	भोजपुर	100.00
मध्य प्रदेश		
2.	पन्ना	100.00
उड़ीसा		
3.	बालासोर	150.00
राजस्थान		
4.	बारमेड़	96.66
5.	चुरू	70.50
6.	जैसलमेर	41.50
पश्चिम बंगाल		
7.	जलपाइगुड़ी	150.00
8.	कूचबिहार	100.00
9.	बंकूरा	100.00
	उप जोड़	908.66

(ग) ऐसे केन्द्र जिनकी प्रगति या तो असंतोषजनक है या जिनमें पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से किसी प्रकार की प्रगति न होने की सूचना है।

1	2	3	4
बिहार			
1.	पुर्णिया		50.00
2.	खगड़िया		50.00
उड़ीसा			
3.	फूलबनी		50.00
उत्तर प्रदेश			
4.	जौनपुर		100.00
5.	जलौन		100.00
6.	कानपुर देहात		100.00
7.	फतेहपुर		100.00
8.	सुल्तानपुर		100.00
9.	बांदा		50.00
10.	हमीरपुर		50.00
	उप जोड़ :		750.00
	कुल जोड़ :		3460.66

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

455. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग से लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत आने वाले उद्योगों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तथापि, चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने का निर्णय नहीं लिया गया है।

मेडिकल कालिज

456. **श्री राम पूजन पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालिज खोलने हेतु कोई कार्यवाही शुरू की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में चिकित्सा कालेज खोलने की अनुमति हेतु दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। देहरादून में एक चिकित्सा कालेज शुरू करने के लिए अनुमति दे दी गई है। दूसरे आवेदन-पत्र को भारतीय चिकित्सा परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद के संशोधित विनियम में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार पंजीकृत सोसाइटियां और न्यास निजी क्षेत्र में चिकित्सा कालेज खोलने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

रेल लाइन का विस्तार

457. **श्री याइमा सिंह युमनाम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में जिरीबम में रेल लाइन के विस्तार कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इम्फाल को रेलवे लाइन से जोड़ने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) लाइन के लिए 1990 में अद्यतन किये गए सर्वेक्षण से पता चला था कि लागत 833 करोड़ रुपये होगी तथा प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। वर्तमान लागत बहुत अधिक होगी। इसकी अलाभप्रद प्रकृति तथा संसाधनों की तंगी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

458. **श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बम्बई-मद्रास मध्य रेल लाइन पर पुणे से शोलापुर तक रेल लाइन के विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या समयबद्ध तैयार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैंटकी फ्राईड चिकन

459. **श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा अस्वच्छता अथवा हानिकारक सोडियम अल्युमिनियम फास्फेट के उपयोग किए जाने के आधार पर दिल्ली में कैंटकी फ्राईड चिकन के बिक्री केन्द्र के लाइसेंस को रद्द किए जाने के संबंध में उनके मंत्रालय की राय मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या राय दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) जी, नहीं। उन्होंने अनुरोध किया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में उल्लिखित स्थिति को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

(ग) खाद्य अभिप्राय निवारण नियमों के उपबन्ध प्रवर्तन प्राधिकारियों के ध्यान में है।

इलैक्ट्रोपैथी

460. **श्री विश्वेश्वर भगत : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान विकास के उन्नत चरण में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस चिकित्सा प्रणाली के प्रति किये जा रहे भेदभाव के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क)से(घ) इलैक्ट्रोपैथी/इलैक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी तौर पर मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों तथा अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पद्धति के गुण की जांच करने के लिए समितियां गठित कीं। इन समितियों की रिपोर्टों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इलैक्ट्रोपैथी होम्योपैथी पद्धति के मौजूदा विकास को देखते हुए इसे सरकारी मान्यता न दी जाए।

सशस्त्र सेना में रोजगार

461. **कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि सशस्त्र सेना में रोजगार के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और जवानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं पड़ोसी देशों में उनके समकक्ष अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) लोगों की रोजगार वरीयता पर विशेष रूप से सशस्त्र सेनाओं के संदर्भ में सरकार द्वारा अभी तक कोई सरकारी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन जब सशस्त्र सेनाओं ने पांचवें वेतन आयोग के लिए कार्य आरंभ किया तो उन्होंने सेवारत कार्मिकों की भरती के लिए आवश्यक गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रेरित करने के साथ ही पांचवें वेतन आयोग के पास अपने प्रस्तावों को मजबूत करने के संबंध में प्रयुक्त किए जाने वाले बाजार क्षेत्र के परिलब्धि ढांचे में परिवर्तन करने के लिए विपणन और अनुसंधान दल बनाया गया। परामर्शदाताओं की रिपोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं द्वारा परियोजना निर्देश में परिकल्पित इस मूल कल्पना का समर्थन किया है कि सशस्त्र सेनाओं में कैरियर को "इतना आकर्षक नहीं" के रूप में देखा जाता है।

2. लेकिन, संगठनात्मक अनुसंधान तथा शिक्षा संबंधी फाउंडेशन द्वारा कैरियर विकल्पों पर किए गए सर्वेक्षण, जैसा कि दिनांक 19 अप्रैल, 1995 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है, से पता चलता है कि वर्ष 1983 और 1985 की तुलना में वर्ष 1994 में कैरियर के रूप में सशस्त्र सेनाओं से संबंधित विकल्प में स्थिति 7 बढ़कर स्थिति 6 हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्थिति 1 से घटकर स्थिति 4 (भा.प्र.से के सम्बन्ध में) और स्थिति 2 से घटकर स्थिति 5 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में) आ गई।

3. सशस्त्र सेनाओं में चयन के लिए बड़ी संख्या में युवक सामने आ रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन और भत्ते केन्द्र सरकार के समकक्ष स्तर के सिविलियन कर्मचारियों के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को ऐसी कई अन्य परिलब्धियां और सुविधाएं दी जाती हैं जो सिविलियन कर्मचारियों को नहीं दी जाती।

4. सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्ते और अन्य सुविधाएं हर देश में अपने–अपने तरह की हैं और कई बातों पर निर्भर करती हैं। अतः यह विचार किया गया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को स्वीकार्य सुविधाओं की तुलना अन्य देशों में स्वीकार्य सुविधाओं से करना संभव नहीं होगा।

"दिल्ली में मास रैपीड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.)"

462. **श्री राजेश कुमार :**
श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में "मास रैपीड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.एस.) का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की सघन आबादी वाले क्षेत्र हेतु मंगोलपुरी से अ.रा.ब.अ. के बीच बाहरी रिंग रोड को इस परियोजना के अन्तर्गत लाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) दिल्ली एम आर टी एस परियोजना के लिए भारतीय वित्त संस्थानों से ऋण जुटाने की संभावना पर 17.10.95 को हुई बैठक में भारत के कुछ प्रमुख वित्त संस्थानों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि रियायती शर्तों पर दीर्घकालिक जितनी वित्त सहायता की मांग की गई है, शायद उनकी सहायता उपलब्ध नहीं होगी। यह भी कहा गया है कि यदि देश के भीतर इतनी दीर्घकालिक वित्त सहायता जुटा भी ली जाये तो भी ब्याज दर 18% वार्षिक से कम नहीं होगी। यह दर परियोजना की भुगतान क्षमता से कहीं अधिक होगी।

(ग) और (घ) एम आर टी एस परियोजना के प्रस्तावित प्रथम चरण में तीन कोरीडोर नामतः शाहदरा-नांगलोई, सब्जी मण्डी, होलाम्बी कलां तथा केन्द्रीय सचिवालय विश्वविद्यालय कोरीडोर शामिल हैं।

शाहदरा -नॉंगलोई कोरीडोर पर, मुलतान नगर तथा मंगोल पुरी स्टेशन बाहरी रिंग रोड के निकट तथा दोनों ओर स्थित हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सचिवालय-विश्व विद्यालय कोरीडोर पर आई.एस.बी.टी., सिविल लाइन, पुराना सचिवालय तथा विश्व विद्यालय स्टेशन तथा सब्जी मंडी होलाम्बी कलां कोरीडोर पर उद्योग नगर तथा ट्रांसपोर्ट नगर बाहरी रिंग रोड के निकट स्थित हैं। सामान्यतः उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बाहरी रिंग का कोई भी स्थान, उपर्युक्त स्टेशन के बिल्कुल निकट है। फीडर बस सिस्टम का नक्शा इस प्रकार बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को निकटतम एम.आर.टी.एस. स्टेशन या बस स्टैण्ड तक पहुंचने के लिए 500 मीटर से अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा।

[हिन्दी]

जैव प्रौद्योगिकी संबंधी व्याख्यान

463. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पर लोकप्रिय व्याख्यान माला हेतु अनुदान आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किए गये आबंटन का संस्थावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना की उपयोगिता का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, बायोटेक्नोलॉजी विभाग की "बायोटेक्नोलॉजी पर लोकप्रिय व्याख्यान" संबंधी योजना है, जिसके द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा बायोटेक्नालॉजी पर लोकप्रिय व्याख्यान माला का आयोजन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं, विश्व विद्यालयों तथा पंजीकृत सोसाइटियों को निधि का आबंटन किया जाता है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 10 संस्थाओं को निधि का आबंटन किया गया है। राजस्थान से किसी विश्वविद्यालय/संस्था से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में किए गए आबंटन का संस्था-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भाग लेने वालों से प्राप्त सूचना से इस बात का संकेत मिलता है कि ऐसी व्याख्यान-माला लाभप्रद हैं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) लोकप्रिय व्याख्यान माला योजना 1990 में शुरू की गई थी। विभाग को लोकप्रिय व्याख्यानों के आयोजन के लिए शुरू में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अभी हाल ही में, विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों से व्याख्यानों का आयोजन करने संबंधी प्रस्ताव मंगाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि योजना कालेज तथा

स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव डाल रही है। तथापि, पंजीकृत स्थानीय निकायों को व्याख्यानों का आयोजन करने के लिए सुग्राही बनाने की आवश्यकता है ताकि स्कूलों तथा कालेजों में विद्यार्थियों तथा शिक्षण संकाय तक पहुंच सकें।

विवरण

	संस्था	राज्य
1.	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	उत्तर प्रदेश
2.	कृषि तथा प्रौद्योगिकी का चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर	उत्तर प्रदेश
3.	इंडियन ग्रास लैंड एण्ड फॉडर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, झांसी	उत्तर प्रदेश
4.	औषधीय तथा सुगन्धित पादपों का केन्द्रीय संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
5.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	उत्तर प्रदेश
6.	ए. पी. एस. विश्वविद्यालय, रीवा	मध्य प्रदेश
7.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	मध्य प्रदेश
8.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापना, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
9.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	मध्य प्रदेश
10.	औषधीय तथा सुगन्धित पादपों का केन्द्रीय संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक

464. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित सुविधाओं युक्त अतिरिक्त आवास इकाईयां बनाने के उद्देश्य से आवास ऋणों के लिए आवास वित्त संस्थानों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित कराकर आवास वित्त बाजार के संवर्धन की दृष्टि से बंधक मोचन निषेध तीव्र गति से करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की आवास रहित जनसंख्या को पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आवास इकाइयों की आवश्यकता है और इस जनसंख्या को पर्याप्त आवास सुविधाएं प्रदान कराने के लिए निर्धारित किसी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभागों) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क)और(ख) इस बारे में सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) 1991 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय भवन–निर्माण संगठन (एन.बी.ओ.) ने बेघर परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3.1 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.4 लाख मकानों की आवश्यकता का आकलन किया है।

आवास राज्य विषय होने के नाते, विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए आवास स्कीमें बनाने और कार्यान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। इन स्कीमों का वित्त पोषण राज्य के बजटीय संसाधनों और/अथवा संस्थागत वित्त से किया जाता है। हडको, ई डब्ल्यू एस/एलआईजी के लिए रिहायसी इकाइयों के निर्माण हेतु आवास एजेंसियों को कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करता है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवास मुहैया कराने के राज्य सरकार के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार ने कई केन्द्र प्रवर्तित स्कीमें शुरू की हैं, जिनमें रियायती शर्तों पर केन्द्रीय इमदाद (सब्सिडी) हडको ऋण देने का विचार किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. इन्दिरा आवास योजना–ग्रामीण गरीबों के लिए इमदाद प्रदत्त आवासीय योजना।
2. नेहरू रोजगार योजना के तहत आश्रय सुधार, जिसका लक्ष्य शहरी गरीबों के लिए रिहायशी इकाईयों के सुधार हेतु सब्सिडी और हडको ऋण देना है,
3. शहरी पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा और सफाई सुविधा,
4. इमदाद प्रदत्त ग्रामीण आवास योजना, जिसमें राज्य सरकारों को ग्रामीण आवास के लिए उनके संसाधनों के संवर्धन हेतु केन्द्रीय सब्सिडी का विचार किया गया है,

5. प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी–गरीबी उपशमन कार्यक्रम के आश्रय सुधार घटक के अन्तर्गत इकाई/नवीकरण/मरम्मत लागत के 25% की दर से सब्सिडी।

आयुध कारखाने

465. **डा. आर मल्लू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध कारखानों तथा रक्षा उपक्रमों के भविष्य के सम्बन्ध में कोई विस्तृत अध्ययन कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) सरकार, आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों सहित रक्षा उत्पादन व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझती है। तथापि, उत्पादन लाइनों में समय–समय पर समुचित संशोधन किए जाते हैं ताकि वे सशस्त्र सेनाओं की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सकें। तदनुसार पूंजीगत निवेश किया जाता है और संयंत्र एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जाता है। सिविल क्षेत्र के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और स्थापित क्षमता का इष्टतम उपयोग किए जाने के भी उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालयों का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना

466. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे कुछ सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रम के एककों का पता लगा लिया था जिन्हें दिल्ली से हटाया जाना था;

(ख) यदि हां, तो पता लगाए गए कार्यालयों में से वास्तव में कितने कार्यालयों को दिल्ली से हटाया गया है और शेष कार्यालयों/एककों को कब तक हटा लिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रम एककों को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए पता लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां।

(ख) तीन सरकारी कार्यालय तथा चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम दिल्ली से बाहर शिफ्ट किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों को शिफ्ट् करने के लिए कोई समय–सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि इनका शिफ्ट् किया जाना भूमि की उपलब्धता, भवन के निर्माण, निधियों की व्यवस्था, आदि जैसे बहुत से निर्धारक कारकों पर निर्भर होता है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नेहरू रोजगार योजना के निर्देशों का उल्लंघन

467. **श्री खेलन राम जांगडे :**
श्री कुंजी लाल :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेहरू रोजगार योजना में अनियमितताएं बरतने अथवा इसके निर्देशों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कोई जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कौन–कौन से राज्य दोषी पाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान किन–किन राज्यों को उपचारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (घ) नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर, 1989 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी निर्धनों के लिये स्वः रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के अवसर सृजित करना है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देते समय केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत नीति दिशा–निर्देशों का उल्लेख किया जाता है।

इसके कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। मंत्रालय, इन दिशा–निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार अनियमितता अथवा उल्लंघन ध्यान में आने पर सुधारात्मक उपाय करती है।

एड्स की जांच

468. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एड्स तथा क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक कानून बनाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य रक्षा योजना

469. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लोक स्वास्थ्य विभाग की कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

• (ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग) नीदरलैंड सरकार की 175.00 करोड़ रुपये की सहायता से गुजरात राज्य में माध्यमिक स्तर के अस्पतालों के विकास के लिए एक संशोधित प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है। यह प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारियों को आगे भेजने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया है।

फार्मेसिस्ट की सेवाओं का नियमित किया जाना

470. **श्रीमती भावना चिखलिया** : (क) क्या पश्चिम रेलवे विशेषकर गुजरात के मंडलीय अस्पतालों में लम्बे समय से कार्य कर रहे अस्थायी फार्मेसिस्टों की सेवाओं को अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इन फार्मेसिस्टों को विशिष्ट सेवा के लिए "ग्रुप कास्ट अवार्ड" दिया गया था और उन्होंने "सेवा कालीन फार्मेसिस्टों का विशेष प्रशिक्षण" भी प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इन फार्मेसिस्टों की सेवाओं को कब तक नियमित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

471. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र से चलने वाली गाड़ियां अक्सर विलम्ब से चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दुर्घटना, दंगे, उपस्करों की खराबी, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती गतिविधियों जैसे कारणों से कभी–कभी गाड़ियों का चालन समय प्रभावित होता है।

(ग) मंडल तथा मुख्यालय दोनों स्तरों पर प्रति दिन समय पालन बैठकें आयोजित करने तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फुट प्लेटिंग निरीक्षण करने सहित विभिन्न स्तरों पर गहन जांच तथा प्रतिदिन नियमित मानिटरिंग की जाती है। इसके अलावा, निरीक्षक तथा अधिकारी दोनों स्तरों पर समय पालन संबंधी अभियान भी आयोजित किए जाते हैं तथा प्रणाली में पाई गई खराबियों को दूर किया जाता है।

हावड़ा से शुरू होने वाली ट्रेनें

472. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हावड़ा तारापीठ रोड के बीच एक्सप्रेस ट्रेन की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर रेलवे तथा पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हावड़ा से सुबह चलने वाली और शाम को वापस चल कर पुनः हावड़ा लौटने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) तारापीठ जाने वाले यात्रियों/पर्यटकों के लिए हावड़ा/सियालदह से रामपुर हाट तक, जो तारापीठ रोड का निकटवर्ती स्टेशन है, प्रातः कालीन/ सांयकालीन एक जोड़ी गाड़ी (5657/5658 कंचनजंगा एक्सप्रेस) सहित 5 जोड़ो दैनिक मेल/ एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं। इसके अलावा हावड़ा/सियालदह और रामपुर हाट के बीच तारापीठ रोड को सेवित करने वाली 4 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं। ये सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल लाइन

473. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में करीमपुर से होकर कृष्ण नगर से ब्रहमपुर तक एक नई रेल लाइन बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मूर्तियों द्वारा दुग्धपान

474. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मूर्तियों द्वारा दूध पीने की घटना के बारे में वैज्ञानिक जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) एक समूह द्वारा रिपोर्ट की गई प्रारम्भिक जांच के अनुसार यह घटना पृष्ट–तनाव के कारण हुई जो आण्विक बलों तथा परिणामी साइफन क्रिया पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

औषधि पर प्रतिबंध

475. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरों निडाजोल, डी–आई–आयोडी हाइड्रो क्विनोलीन तथा उत्प्रेरित (सक्टिवेटेड) डे में थिरान को मिलाकर बनाये जाने वाली औषधियों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस तरह से प्रतिबंधित औषधियों को मिलाकर किये जाने वाले उत्पादन के कितने मामलों का पता लगाया गया है।

(घ) इसमें कौन कौन–सी कम्पनियां शामिल हैं तथा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर किसी अन्य औषध के साथ मिलाकर औषधों के डी आई आदो डी–हाइड्रोक्सी–क्विनोलीन समूह के सम्मिश्रण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गऐ हैं। अन्य औषधों के साथ मिलाकर इस सम्मिश्रण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना अभी लागू नहीं हुई है। अतः बाजार में इन सम्मिश्रणों की उपलब्धता पर अभी कोई मानीटरिंग नहीं की जाती है। बाजार में खरीदी–बेची जा रही और पता लगाई जा रही ऐसी अन्य प्रतिबंधित औषधों के बारे में रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. में बिना बारी के आबंटन

476. **श्री ललित उरांव** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में बिना बारी के घर दिए जाने हेतु आवेदन दिए हैं;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों और आपदाग्रस्त व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) वर्ष 1990, 1991, 1992, 1993 और 1994 के दौरान किन-किन व्यक्तियों को बिना बारी के घरों का आबंटन किया गया था; और

(घ) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने व्यक्तियों को बिना बारी के घर दिए गए थे?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क)और(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना-बारी आबंटन हेतु वर्तमान में 1035 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। इस आवेदन कर्त्ताओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग, विकलांग आपदाग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं। विद्यमान नीति के तहत कुल फ्लैटों के 2.5 प्रतिशत फ्लैट प्रत्येक वर्ष बिना बारी आबंटन हेतु आरक्षित रखे जाते हैं। इस आरक्षित 2.5 प्रतिशत कोटे में से श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के लिए आबंटन हेतु कोई अलग से कोटा तय नहीं किया गया है। और इसलिए इन श्रेणियों से सम्बन्धित आवेदकों की अलग से कोई सूचियां नहीं रखी गई हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों सहित पिछले पांच कलेन्डर वर्षों के दौरान किये गये बिना-बारी आबंटनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

1990	—	162
1991	—	116
1992	—	055
1993	—	125
1994	—	053

एम आई जी, एल आई जी और जनता श्रेणी के आबंटनों की वर्ष-वार सूची संलग्न विवरण-I और स्ववित्त पोषित फ्लैटों की संलग्न विवरण-II पर दी गयी है।

विवरण-I

वर्ष 1990 के दौरान एस.आई.जी/एलआईजी/जनता श्रेणी के तहत किए गए बिना बारी आबंटनों वाले व्यक्तियों के ब्यौरे

1	2
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
1.	गजे सिंह
2.	के.एल. बालगोहार
3.	कमला देवी
4.	माधोदास
5.	लज्जा वर्मा
6.	जगवती शर्मा
7.	शशि कपूर
8.	मध सौनी
9.	कैप. अजीत सिंह
10.	एम. वैद्यनाथन
11.	कषण किशोर
12.	पीतम कौर
13.	सावित्री खन्ना
14.	पदमा बन्दोपाध्याय
15.	गोदावरी बाई
16.	विवेक पाण्डेय
17.	हासमी बेगम
18.	कमला मल्होत्रा
19.	अमीना खातून
20.	प्रवीण कौशल
21.	हरमीत कौर
22.	प्रेम लता
23.	रामस्वरूप
24.	हरनाम सिंह तलवार

1	2
25.	ओ.पी. रहन
26.	सिप्तार सिंह
27.	आर. के. महाजन
28.	के.के. गुप्ता
29.	पी.सी. डोगरा
30.	एस.एन. चिश्ती
31.	शालिनी बजाज
32.	एस.ए. पांधरी
33.	देवराज
34.	पी.सेतु. माधवन
35.	देवेन्द्र कौर
36.	रूबी चटर्जी
37.	तरणजीत कौर
38.	रूबी कुमारी
39.	किशोर सिंह
40.	मोहिन्द्र सिंह
41.	शान्ता हाण्डा
42.	मधु गुप्ता
43.	बी. अतयार स्वामी
44.	कैप्टन आर. मलिक
45.	शर्तो देवी
46.	सी. सरलम्मा
47.	वैल्ला मारिया
48.	शहनाज बेगम
49.	प्रेम नारायण सिंह
50.	एन.सी. जैन
51.	बलवन्त गार्गी
52.	द्वारका नाथ
53.	प्रीतपाल कौर

1	2
54.	कमलेश भसीन
55.	चमन रानी
56.	मोहनचन्द पाठक
57.	लीला सुन्दरम
58.	हेमकान्ति मिश्रा
59.	वी. निगम
60.	अतुल शर्मा
61.	त्रिलोचन कौर
62.	निशा भारद्वाज
63.	सरस्वती श्रीवास्तव
64.	केतुका देवी
65.	गोविन्द सिंह
66.	पूर्णिमा अरोड़ा
67.	राजबहादुर जैन
68.	राजरानी चौपड़ा
69.	सतिन्द्र पाल
70.	के. शिवदास पिल्लै
71.	मीना कोहली
72.	चन्द्रमोहिनी
73.	सुखदेव सिंह
74.	अरुणा ठाकुर
75.	कमला बंसल
76.	शशि गुप्ता
77.	नूरजहां बेगम
78.	सावित्री डबास
79.	त्रविन्द्र कौर
80.	ए.एन. कपूर
81.	निर्मला देवी
82.	लक्ष्मी सक्सेना

1	2
83.	कमला ग्रोवर
84.	शीला कानींजिया
85.	रजनी उप्पल
86.	जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
87.	राजवन्ती देवी
88.	विमला रानी
89.	उषा जैन
90.	भगवती देवी
91.	एस.सी. रस्तोगी
92.	कमला देवी
93.	सुरेश रानी
94.	के.सी. सक्सेना
95.	ऋषि राम
96.	गुरशरण कौर
97.	आर.पी. वर्मा
98.	नन्दलाल गलाठी
99.	कमला बिष्ठ
100.	मुद्रिका देवी
101.	सरस्वती देवी
102.	भारती देवी
103.	वीना कुमारी
104.	हरिदत्त
105.	दर्शन सिंह
106.	किशन लाल
107.	एम.एल. गुप्ता
108.	त्रिवेणी देवी
109.	हसिना
110.	त्रणजीत कौर
111.	पुष्पलता शर्मा
112.	प्रवीण सुलताना जाफरी
113.	ताराचन्द
114.	गुरबख्श सिंह मरवाह
115.	मुकन्द लाल
116.	नागिन चन्द सौनी
117.	किरण मल्होत्रा
118.	वीना
119.	राजकुमार
120.	उर्मिला
121.	बृज कृष्ण लाल निझावन
122.	मोनिका घोष

वर्ष 1991 के दौरान एम आई जी/एल आई जी/ जनता श्रेणी के तहत व्यक्तियों को बिना जारी किए गए आबंटनों के ब्यौरे

1	2
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
1.	सुशील कान्ता
2.	सन्तोष कुमार
3.	रानी भटनागर
4.	सुरेश चन्द्र शर्मा
5.	हरभजन कौर
6.	पूर्णिया सक्सेना
7.	सुरेश कथरिया
8.	सुशील सहानी
9.	एस.सी. भार्गव
10.	सुमित्रा कौशिक
11.	बलबीर कौर
12.	एस.ज्ञान चन्दानी

1	2
13.	शान्ति उनियार्ल
14.	जी. एन. शर्मा
15.	धापो देवी
16.	हरविन्द्र कौर
17.	सुदर्शन कुमारी
18.	सुनीता
19.	करण सिंह
20.	शान्ति देवी
21.	मसूद अक्तर
22.	इन्दु कमारी
23.	समशूद्दीन
24.	प्रेमनाथे
25.	मंगलदेव शर्मा
26.	सुमनलता भटानी
27.	लता शर्मा
28.	सुनीता दत्ता
29.	एन.एन.डी. कौल
30.	रमेश कुमारी धवन
31.	आशा राठौर
32.	सुनन्दा घोष
33.	शान्ति देवी
34.	गुरजीन्द्र कौर
35.	हरिदत्त पाण्डेय
36.	तारादेवी महरौत्रा
37.	पुष्कर राज पाण्डेय
38.	सुमन कोहली
39.	आशारानी गुप्ता
40.	सावित्री
41.	रेणु शर्मा

1	2
42.	जनक बाला सहगल
43.	वी. राजेन्द्र कुमार
44.	वीना खोसला
45.	आर.सी. उपाध्याय
46.	सतिन्द्र कौर
47.	सुमन लता
48.	वीना देवी
49.	कौशल्या देवी
50.	समीम
51.	कमलेश ग्रोवर
52.	मोहिनी मनचन्दा
53.	मोहम्मद रफीक
54.	ग्यानन्द सिंह सैनी
55.	देवेन्द्र मोहन शर्मा
56.	ऊषा रानी
57.	पार्वती देवी
58.	अतर सिंह
59.	सारिका भौमिक
60.	ओम नारायण
61.	रुकमणी
62.	लाल मणी तिवारी
63.	राजकुमार
64.	जमुना प्रसाद
65.	कुल भूषण
66.	राजबाला
67.	सन्तोष कुमारी
68.	कमला देवी
69.	फूलन देवी
70.	विमला देवी

1	2
71.	मधु शर्मा
72.	रोशन लाल
73.	फूल देवी
74.	नफीसा बेगम
75.	सुनीता शर्मा
76.	जसविन्द्र कौर
77.	विश्नाथ नौटियाल

वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान एम आई जी/एल आई जी/जनता श्रेणी के तहत व्यक्तियों को किये गये बिना बारी आबंटनों के ब्यौरे

1992 (1.1.92 से 31.12.92)

क्र.सं.	आवेदक का नाम
1	2
1.	श्रीमती अनिता पाण्डे
2.	श्रीमती गीता सेन
3.	लाला अमरनाथ
4.	श्रीमती ऊषा ग्रोवर
5.	श्री चन्द्रिकादत्त सिंह
6.	श्रीमती बी. चावला
7.	श्री बी.एस. राही
8.	श्रीमती मीना कठियाल
9.	श्रीमती प्रभाती देवी
10.	श्रीमती साधना
11.	श्री एस. जे. पिल्लई
12.	श्री एम. एन. बदाम
13.	कैप्टन राम सिंह
14.	श्री योगिन्द्र नाथ
15.	श्री कमलजीत सिंह
16.	श्रीमती इले चाको
17.	श्री गुरूदीप सिंह
18.	श्रीमती आशा शर्मा
19.	श्रीमती आर. रंगामल
20.	श्रीमती जे. राय
21.	श्री सुरजीत सिंह तमिल लाली तुल्ली
22.	श्रीमती आशा किरन अहलुवालिया
23.	श्री वी. पी. श्रीवास्तव
24.	श्रीमती प्रभा कुमारी
25.	श्री शिवकुमार शर्मा
26.	श्रीमती शकुंतला चिल्लर
27.	श्री नाथू राम निसाद
28.	श्रीमती कांती शर्मा
29.	श्री ए.सी. द्विवेदी
30.	श्रीमती कुंदन देवी जोशी
31.	श्रीमती गीता देवी
32.	श्रीमती पूनम
33.	श्री शिवनाथ साह
34.	श्री पी. के. भाटिया, श्रीमती सुनीता भाटिया व श्री अमित भाटिया
35.	श्री डामन साह
36.	श्रीमती ललिता कुमारी
37.	श्रीमती अंगूरी राठी व श्री तसबीर सिंह राठी
38.	श्रीमती सुषमा चावला
39.	श्री रती राम भाटी
40.	श्री बालकिशन वोहरा
41.	श्रीमती हरदयाली
42.	श्री अरुण कुमार सिंह
43.	श्री किशन लता

1	2
44.	श्री विमला देवी
45.	श्रीमती मिरारी देवी
46.	श्री अशोक कुमार
1993 (1.1.93 से 31.12.93)	
47.	श्रीमती तलत हारून
48.	श्री सराय चन्द
49.	श्री कुलवन्त राय
50.	श्री ओ.पी. भामूरी
51.	श्रीमती छत्ता जार्ज
52.	श्री आर.पी.एस. वर्गा
53.	श्री राजेन्द्र सिंह
54.	श्री बृज मोहन शर्मा
55.	श्री प्रमोद कुमार साहनी
56.	श्रीमती शीला देवी तिवारी
57.	श्रीमती सुमन जैन
58.	श्रीमती पुष्पा दत्ता
59.	श्री रामनाथ भारद्वाज
60.	श्री राजकिशोर
61.	श्रीमती मोहिनी गर्ग
62.	श्रीमती शशि सहगल
63.	एचएमएच सेलिग (श्रीमती)
64.	श्रीमती मधु भाटिया
65.	श्रीमती श्यामदेवी मलिक व श्री हरबंश मलिक
66.	कु. आर.कोर व पी कोर
67.	श्रीमती सुनीता मेहता
68.	श्री अनवर हरवानी
69.	श्रीमती आशा आनन्द
70.	श्रीमती जजियावती प्रेमी
71.	श्री अनिल कुमार मारवाह व श्री जे. के मारवाह

1	2
72.	श्री जे. के. चावला
73.	श्री वेद प्रकाश
74.	श्री सतीश कुमार
75.	श्री एच. एन. मुखर्जी
76.	श्रीमती रीना धनिया
77.	श्री जराबहादुर थापा
78.	श्रीमती शीला रंघानी
79.	श्रीमती सुखदेवी
80.	श्रीमती वन्दना
81.	श्रीमती मधु शर्मा
82.	श्रीमती कमलेश
1994 (1.1.94 से 31.12.94)	
83.	श्रीमती शशि वाला श्रीवास्तव
84.	श्री नेगी राम
85.	श्रीमती अनीता रानी
86.	श्री महेन्द्र सिंह
87.	श्री पी. एन. किल्लम
88.	डा. अलका दुसई
89.	श्रीमती बीना साहनी
90.	श्री सुरेश अजमानी
91.	श्रीमती विमला जनेजा
92.	श्रीमती किरण त्रिपाठी
93.	श्रीमती सरला देवी
94.	श्री बुध प्रकाश चतुर्वेदी व श्रीमती चंद्रकाता चतुर्वेदी
95.	श्रीमती रेनु जोशी
96.	श्रीमती कल्पना रानी मित्तल
97.	श्री एम.एम. कौल
98.	श्री सोम दत्त शर्मा
99.	श्रीमती सरस्वती देवी

1	2
100.	मिस रेनु साहनी
101.	श्रीमती ओम धारा
102.	श्रीमती शाली देवी
103.	श्री कला नन्द
104.	श्रीमती रश्मि देवी
105.	श्री मुरारी लाल
106.	श्रीमती सपना
107.	श्री तापेश्वर प्रसाद
108.	श्रीमती प्रभा

विवरण-II

1.1.1990 से 31.12.1990 के दौरान (एस. एफ. एस. श्रेणी) किये गये बिना वारी आवंटन :

क्र.सं.	आवेदक का नाम
1	2
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
1.	कैप्टन अजीत सिंह
2.	श्रीमति राम प्यारी वर्मा
3.	नीलम गोयल
4.	प्रमीला मंसारमणी
5.	सुश्री मधु सोनी
6.	के.एन. सिंह
7.	डा. जी. अंसारी
8.	एस. चौधरी
9.	श्रीमति सी.पी. माथुर
10.	मंजू कुमार
11.	महनुद्दीन
12.	एल.एस. पचोरी
13.	मधु दत्ता
14.	धनीक लाल मंडल

1	2
15.	उमा शशि नय्यर
16.	टी. एन. चर्तुवेदी
17.	श्रीमति कैनी
18.	हित्तन भाया
19.	कांता कौल
20.	एम. डी. धापर
21.	नीलम शर्मा
22.	ब्रिगेडियर अवतार सिंह
23.	रेनु शर्मा
24.	सैयद नसीम चिश्ती
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
25.	सैयद नसीमचिश्ती
26.	जी. लक्ष्मी राव
27.	गीता मोरे
28.	वीर भद्र सिंह
29.	अंजू दुआ
30.	एस. सुब्रामणियम
31.	के.वी. विजयन
32.	नीता मल्हौत्रा
33.	विनोद सेना
34.	प्रोमिला गुप्ता
35.	सी.एल.च न्द्राकर
36.	'शिव स्वरूप
37.	कामनी थुसू
38.	सुष्मा कालिया
39.	मौली थौरेन
40.	अन्नपूर्णा दीक्षित

1.1.1991 से 31.12.1993 तक की अवधि के दौरान (एस.एफ.एस) किए गए बिनाबारी आबंटन

क्र.सं.	आवेदक का नाम
1	2
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
1.	विंग कमाण्डर एम. दत्त
2.	हर्ष देव शर्मा
3.	कैप्टन जुडित परैरा
4.	डा. हरीदेव शर्मा
5.	एस.सी. कोचड़
6.	उमा आनन्द
7.	मोहम्मद सफी बट
8.	ले. के. आर.पी. बहल
9.	डा. (श्रीमती) अमरजीत कौर
10.	न्यायमूर्ति एन.सी. कौचड़
11.	उर्वशी सूरी
12.	गिरजा टिकू
13.	बी.बी. श्रीवास्तव
14.	डा. एस. रामाचन्द्रन
15.	मोहिनी बाला
16.	आनन्द शर्मा
17.	भूदेव शर्मा
18.	आर. पी. शर्मा
19.	ब्रिगे. अवतार सिंह
20.	के. सी. मेहता
21.	सीमा आनन्द
22.	डा. आर. सेतुअम्मा
23.	वी. बी. पटेल
24.	बिथा गोस्वामी
25.	प्रमीला सिंह
26.	एम.एस. सिन्धु
27.	वी. जे. जोन
28.	सी. जे. जोश
29.	सी. डी. जोसफ
30.	गुलजारी लाल नन्दा
31.	वी. देव नाथन
32.	मीना चौहान
33.	अमृत कौर
34.	ज्योत्सना मिश्रा
35.	नीता गुप्ता
36.	नमीता गुप्ता
37.	मनजीत कौर
38.	मधु सिंघल
39.	गीता सिंह

1.1.1992 से 31.12.1992 की अवधि के दौरान (एस. एफ. एस.) किए गए बिना बारी आबंटन

क्र.सं.	आवेदक का नाम
	सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी
1.	अटल बिहारी वाजपेयी
2.	कैलाश प्रकाश
3.	संगीता मिश्र
4.	कुंवर मोहम्मद अली खां
5.	आर. के. टिकू
6.	प्रभा देवी
7.	जी. आर. कार
8.	नरेश चन्द्र
9.	पामिला मेहता

1.1.1993 से 30.12.1993 की अवधि के दौरान अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किये गये बिना बारी एस. एफ. एस. आबंटन

क्र.सं.	आवेदक का नाम
1	2
1.	जी. संध्या
2.	जसबीर सिंह
3.	हरकमल जीत सिंह
4.	अंजली इस्सार
5.	मंजुला मलिक
6.	रीता वर्मा
7.	संगुना स्वामीनाथन्
8.	ए. सी. शर्मा
9.	राकेश राणा
10.	एस. एस. विर्क
11.	जगमोहन सप्रा
12.	सी. गोपालन्
13.	मीना गुलाम कादिर
14.	आशा बवेजा
15.	टी. आर. मालाकार
16.	रितु सांकला
17.	महेन्द्र लाल
18.	संतोष कुमारी
19.	संदीप सिंह
20.	गोधा देवी
21.	प्रिया दबीर
22.	जिग्गी तेजी
23.	एम. एस. शोखन
24.	विमला त्यागी
25.	ऊषा सिंह
26.	अनिता गौरी
27.	के. जी. घटर्जी
28.	आचार्य गणपति राय
29.	श्री मति पूनम तलवार
30.	अनिल कुमार पवर
31.	लक्ष्मी कुमार
32.	सत्यवती
33.	ए. एस. नरूला
34.	त्रिपत कौर
35.	मंजीत धालीवाल
36.	सीडनी रिबेरो
37.	सुगन्धा वेंकटरमण
38.	कैलाश पति
39.	सुभाष चन्द्र
40.	ऊधव दास
41.	राम सिंह खींची
42.	मंजूला अग्रवाल
43.	डा. बी. के. शर्मा
44.	अनीप कुमार शाही
45.	आशा ठाकुर
46.	आशा लथा
47.	किरन सहगल
48.	एम. के. रस्तोगी
49.	आर. के. शर्मा
50.	ऊषा सिंह
51.	ब्रजेश चड्डा
52.	दर्शन लाल
53.	वी. पी. शर्मा
54.	प्रभाती राम
55.	बिजेन्द्र रस्तोगी
56.	पी. के. बिस्वास
57.	धरम 'गाज सिंह
58.	शेरी आर्या
59.	अनील कपूर

1	2
60.	जोगिन्दर कुमार
61.	दर्शना वशिष्ट
62.	के. सूर्यनारायनन्
63.	जी.एस. रन्धवा
64.	एस. के. श्रीवास्तवा
65.	आई. के. ब्रथाकुर
66.	के. के. कुरील
67.	चांद रानी
68.	प्रवीण डावर
69.	मधुमती विष्ट
70.	रामेश्वर तिवारी
71.	अनुपमजीत कौर
72.	जयश्री जोशी
73.	गीता रैनबोथ
74.	शीला चमन
75.	अश्रणा सिंह
76.	रितु नाथ
77.	लेखा बहल
78.	हाकिन परतीन (एस टी)
79.	चंचल
80.	एम ए खान
81.	डा. बरसाने लाल चर्तुवेदी
82.	विशम्भर सिंह
83.	श्रीमती ओमा कौल
84.	श्रीमती बीना खन्ना
85.	नरेश कुमार
86.	'श्रीमती सविता शर्मा
87.	श्रीमती शीला देवी
88.	श्रीमती कृष्णा मुलगंकर
89.	श्रीमती स्नेह लता गोगीया

1.1.1994 से 31.12.1994 के दौरान किये गये बिना वारी आबंटन

क्र.सं.	आवेदक का नाम
1.	श्रीमती रचना लांबा
2.	श्री मती रेनु बाला गुप्ता
3.	श्री मती रेनु रैना
4.	श्री मती कृष्णा
5.	श्री मती विजय बाला शर्मा
6.	श्री मती किम निगुरद्दीन लानस्नेट
7.	डा. एम. के. मुगासीन
8.	ओम प्रकाश शर्मा
9.	धमेन्द्र सिंह यादव
10.	एम. वेनगोपला राव
11.	श्री मती निर्मल भाग्य
12.	श्री मती इन्दिरा गिल
13.	श्री मती वीना शशि
14.	श्री मती सुमन अरोड़ा
15.	सुश्री पुनीत
16.	अनील भान
17.	श्री मती वीना प्रसाद
18.	अशोक पाटल
19.	बृज रानी शर्मा
20.	विरेन्द्र प्रभाकर
21.	कैप्टन अधिराज सिंह
22.	राजिन्द्र सिंह
23.	श्रीमती आर.एम. वथोव
24.	श्रीमती यास्मिन शेफुल्ला
25.	निर्मला
26.	जयन्त भट्टाचार्य जी
27.	राम रतन राय

[अनुवाद]

बिजली का फेल होना

477. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग पर 10 अक्तूबर, 1995 की रात मे बिजली फेल होने के कारण रेल यातायात अवरुद्ध हो गया था और इससे उस मार्ग पर बिजली की ऊपरी लाइनों की बिजली चली गई थी;

(ख) यदि हां, तो बिजली फेल होने के क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न आने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां 10 अक्तूबर, 1995 को लगभग 22.54 बजे उत्तर क्षेत्र पावर प्रणाली के ग्रिड में खराबी पैदा हो गई जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में रेलाकर्षण प्रणाली के लिए बिजली की आपूर्ति में रुकावट हुई। इसके कारण दिल्ली–हावड़ा मार्ग के दिल्ली–मुगलसराय खंड पर रेल यातायात में बाधा पड़ी है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जैसा कि विद्युत मंत्रालय ने बताया है ,कि बिजली की खराबी के कारण तथा इस प्रयोजनार्थ गठित समिति की सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं :–

ग्रिड में खराबी के कारण

समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रिड में खराबी एक नकली सिगनल के कारण हुई जो दादरी 400 कि.वा. सब–स्टेशन पर ब्रेकरों की मल्टिपल ट्रिपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले आर एक्स एम एस–1 रिले को परिचालित कर रहा था। पावरग्रिड के 400 कि.वा. कानपुर सब–स्टेशन पर एस वी सी प्रणाली की कैपेसिटर बैंकों को क्षति, कैपेसिटरों पर अत्याधिक भार के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप एस. वी. सी–1 के पांचवें हार्मोनिक फिल्टर बैंकों तथा एस वी सी–2 के थाइरिस्टर स्विच् 3 कैपेसिटर बैंकों की कुछ कैपेसिटर इकाइयां फट गई थीं।

सिफारिशें

समिति ने, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिश की है :–

1. पावरग्रिड तथा एन टी पी सी द्वारा दादरी 400 कि. वा. सब–स्टेशन तथा एच वी डी सी दादरी स्टेशन पर ब्रेकर खराबी संरक्षी योजना के लिए आर एक्स एम एस–1 रिलों के साथ–साथ एक अंसवेदी इकाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सहमति व्यक्त की गई है कि पावरग्रिड द्वारा एन टी पी सी के लिए भी अंसवेदी इकाइयां खरीदी जाएंगी।

2. पावरग्रिड द्वारा दो बस सैक्श–नला–इसर्स के लिए ब्रेकर खराबी संरक्षा हेतु ट्रिप सिगनल को पृथक करने के लिए एन टी पी सी के दादरी 400 कि. वा. सब स्टेशन तथा दादरी एच वी डी सी स्टेशन के बीच एक पृथक नियंत्रण केबल बिछाई जानी चाहिए।

3. पावरग्रिड को मै. ए. बी. बी. के साथ मिलकर कैपेसिटरों पर अत्यधिक भार तथा उसके परिणामस्वरूप एस बी सी –1 के पांचवें हार्मोनिक फिल्टर बैंक तथा कानपुर 400 कि. वा. सब–स्टेशन पर संस्थापित एस वी सी–2 के थाइरिस्टर स्विघ्ड कैपेसिटर बैंकों में लगी आग के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा इसके निवारक उपायों की सिफारिश करनी चाहिए।

4. पावरग्रिड तथा मै. ए.बी.बी. को संरक्षा रिलों की स्थापना समीक्षा करनी चाहिए विशेषकर कानपुर में एस वी सी में कैपेसिटर बैंक में संस्थापित ओवर वोल्टेज (नौका) रिले/मै. ए.बी.बी. को आंतरिक फ्यूजों की स्थिति का पता लगाने के लिए कैपेसिटर इकाइयों की आवधिक जांच करने हेतु उपाय प्रस्तुत करने को भी कहा जाना चाहिए।

5. एस वी सी–2, टी एस सी से पृथक होने के बाद पावरग्रिड द्वारा पहले ही चलाया जा रहा है। पावर–ग्रिड द्वारा एस वी सी–1 के क्षतिग्रस्त पांचवें हार्मोनिक फिल्टर बैंक, एस वी सी–2 के टी एस सी के कैपेसिटर बैंक तथा एस वी सी–2 के अर्थिंग ट्रांसफार्मर की मरम्मत हेतु तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

6. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने पनकी, लखनऊ मुरादनगर तथा मुरादाबाद 400 कि. वा. सब स्टेशनों पर संस्थापित करने के लिए निर्धारित एस वी सी की शीघ्र खरीद की जानी चाहिए।

7. एन आर ई बी के सभी संघटकों द्वारा एन आर ई की सिफारिशों के अनुसार अंडर फ्रिक्वेंसी रिलों (सपाट और डी ए एफ/डी टी दोनों) की मरम्मत के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उन्हें डेसू प्रणाली

के अनुरूप कार्यक्रम माइक्रोप्रोसेसर के माध्यम से रोटेशनल अंडर फ्रीक्वेंसी लोडशेडिंग के लिए योजना भी बनानी चाहिए।

8. दादरी तथा अन्य उन सब स्टेशनों जहां ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, वहां क्रमिक घटना रिकार्डरों के लिए बिजली की आपूर्ति यू पी एस के माध्यम से की जानी चाहिए।

9. फ्रीक्वेंसी पर सक्रिय नियंत्रण के लिए 100 मैगावाट तथा इससे अधिक क्षमता सृजन करने वाली इकाइयों को प्राकृतिक रूप से चलाया जाना चाहिए।

10. एन टी पी सी द्वारा हाउस लोड पर सिगरोली एस टी पी एस की कुछ इकाइयों के लिए तथा रिहंद दादरी एच वी डी सी प्रणाली सहित रिहंद एस टी पी एस के लिए, द्वीपीय योजना शुरू करने हेतु तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

11. पावरग्रिड द्वारा सिंगरौली/रिंहद सुपर ताप बिजली घरों के लिए ब्लैक स्टार्ट पावर की व्यवस्था करने हेतु विन्ध्याचल एच वी डी सी के पिछले से पिछले स्टेशन पर उत्तरी तथा दक्षिणी बसों के बीच एसीवाई पास उपलब्ध कराने के एन आर ई बी के प्रस्ताव की जांच की जानी चाहिए।

12. परमाणु रिएक्टर की संरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा हरदुआगंज–मुरादनगर तथा खुर्जा 220 कि. वा. सब स्टेशनों को इनमें से किसी भी सब–स्टेशन पर बिजली उपलब्ध होने के तत्काल बाद इसे एन ए पी एस को देने के लिए स्थायी अनुदेश जारी कर जाने चाहिए।

13. पावरग्रिड के मंडोला सब–स्टेशन पर 400 कि.वा. दादरी–मंडोला लाइन, बल्लभगढ़ सब–स्टेशन पर 400 कि.वा. बल्लबगढ़–बस्सी लाइन, तथा डेसू के महरौली सब–स्टेशन पर 220 कि.वा. महरौली–नजफगढ़ लाइन की क्रमशः पावरग्रिड तथा डेसू द्वारा जांच की जानी चाहिए।

14. उत्तर रेल द्वारा पश्चिम अप में रेल कर्षण के लिए बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली मुहैया कराने के लिए वैकल्पिक फीडिंग प्वाइंटों की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए।

15. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अपनी प्रणाली की स्टार्ट अप प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। रिहंद/ओब्रा हाइड्रो स्टेशनों से सप्लाई का विस्तार इलाहाबाद से आगे नहीं की जाना चाहिए। इसी प्रकार यमुना हाइड्रो स्टेशनों से सप्लाई का विस्तार मुरादनगर से आगे नहीं किया जाना चाहिए। पनकी को बिजली सप्लाई का विस्तार 400 कि. वो. कानपुर–पनकी सर्किटों पर कानपुर (पावरग्रिड) से किया जाना चाहिए और आगरा/हरदुआगंज/अलीगढ़ को 220 कि.वो. औरिया–आगरा सर्किटों पर औरिया गैस पर आधारित स्टेशन से किया जाना चाहिए।

16. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अपने ग्रिड सब–स्टेशनों को इस आशय के कड़े–अनुदेश जारी करने चाहिए कि वे रेलवे कर्षण को सप्लाई की लिए बहाली के संबंध पहली प्राथमिकता दें।

17. एन.आर.ई.बी. द्वारा विभिन्न संगठक प्रणाली के लिए नियोजित शंट कैपेसिटर बकाया समाप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाने चाहिए।

18. सभी विभिन्न 400/220 कि.वो. सब–स्टेशनों पर लगे खराबी रिकार्डरों तथा आनुक्रमिक घटना रिकार्डरों के तालमेल समक्रमण के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

दिल्ली से कोटद्वार के लिए रेलगाड़ी

478. **श्री बलराज पासी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लोगों से दिल्ली से कोटद्वार के लिए सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाईयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, दिल्ली और कोटद्वार के बीच 4041/4042 मसूरी एक्सप्रेस तथा (के.एन/8 के एन पैसेंजर गाड़ी में थ्रू सवारी डिब्बे) पहले एवं दूसरे दर्जे का 1, शयनयान दर्जे के 2, दूसरा दर्जा साधारण के 2) उपलब्ध हैं जिन्हें नजीबाबाद में गाड़ियों में लगाया जाता है तथा हटाया जाता है।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग

479. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग ने देश के 125 प्रखंडों में 1,25,000 व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है?

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत देश में घुने गए प्रखंडों की संख्या तथा ऐसे प्रखंडों के चयन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया का मापदंड क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो रोजगार प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्धारित समय सीमा क्या है;

(च) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक प्रखंड में अनुमानतः कुल कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) 2 अक्तूबर, 1994 को महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती की स्मृति में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में 1000 दस्तकारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किये जाएंगे।

(ग) देश में चुने गये ब्लॉकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ब्लॉकों का चुनाव करते समय, पुनः संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) के अन्तर्गत पिछड़े ब्लॉकों को वरीयता दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ.) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समय–सीमा तीन वर्ष निश्चित की गई है।

(च) प्रत्येक ब्लॉक के लिए अनुमानित निवेश 3.00 करोड़ रुपये अपेक्षित है जो कि बजट सहायता, डी आर डी ए वित्तीय संस्थानों, लाभार्थियों आदि से पूरा किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	चुने गये ब्लॉकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	5
3	अरूणाचल प्रदेश	1
4	बिहार	11
5.	गुजरात	6
6.	हरियाणा	3
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8	जम्मू और कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	6
10.	केरल	4
11.	महाराष्ट्र	9
12.	मध्य प्रदेश	15
13.	मिजोरम	1
14.	नागालैंड	1
15.	राजस्थान	४
16.	तमिननाडु	5
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	पंजाब	1
19.	उड़ीसा	9
20.	त्रिपुरा	1
21.	पश्चिम बंगाल	9
22.	मेघालय	1
23.	लक्ष्यदीप	1
24	गोवा	1
25.	मणिपुर	2
26.	अंडमान और निकोबार	1
		125

[अनुवाद]

मंत्री के लिए निजी स्टाफ

480. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष सहायक, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, अतिरिक्त निजी सहायक, चालक, चपरासी, और सुरक्षा कार्मिकों सहित सरकार में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के निजी स्टाफ की स्वीकृत पात्रता क्या है; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के मंत्री के लिए निजी स्टाफ पर अनुमानित औसतन कितना व्यय होता है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को सामान्यतः ग्राहक वैयक्तिक स्टाफ की संख्या व पदों का स्तर विवरण–I से IV में दिया गया है। सुरक्षा कर्मी वैयक्तिक स्टाफ का हिस्सा नहीं होते।

(ख) मंत्रियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राहृय वैयक्तिक स्टाफ में पदों पर वेतन, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा अंतरिम राहत पर आने वाला प्रति माह अनुमानित औसत खर्च नीचे दिया गया है :–

रतर	अनुमानित औसत खर्च (प्रतिमाह)
कैबिनेट	78,547 रुपये
स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री	73,022 रुपये
राज्य मंत्री	66,057 रुपये
उप मंत्री	34,655 रुपये

विवरण–I

केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों के वैयक्तिक स्टाफ की सामान्य पात्रता कैबिनेट मंत्री

स्टाफ की श्रंणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.86 से यथा–संशोधित)	अगियुक्तियां
निजी सचिव	1	(3700–5000 रु.) (4500–5700 रु.)	
अतिरिक्त निजी सचिव	2	(3000–4500 रु.)	
सहायक निजी सचिव	2	(2000–3500 रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000–35000 रु.)	--वही–
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	(1640–2900 रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" में शामिल।
हिन्दी आशुलिपिक	1	(1400–2600 रु.)	के. स. आशु. से. में शामिल नहीं (यदि मंत्री को आवश्यकता हो)
लिपिक	1	(950–1500 रु.)	के. स. लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
ड्राईवर	1	(950–1500 रु.)	
जमादार	1	(775–1025 रु.)	
चपरासी	4	(750–940 रु.)	

विवरण-II

स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.1986 से संशोधित)	टिप्पणी
निजी सचिव	1	(3700–5000 रु.)	
		(4500–5700 रु.)	
अतिरिक्त निजी सचिव	1	(3000–4500 रु.)	
सहायक निजी सचिव	2	(2000–35000 रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशु. सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000–3500 रु.)	के. स. आशु. सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	2	(1640–2900 रु.)	के. स. सेवा. के ग्रेड "ग" में शामिल।
हिन्दी आशुलिपिक	1	(1400–2600 रु.)	के. स. आशु. सेवा में शामिल नहीं (यदि मंत्री को आवश्यकता हो)
लिपिक	1	(950–1500 रु.)	के. स. लिपिक सेवा के अवर श्रेणी
ड्राईवर	1	(950–1500 रु.)	ग्रेड में शामिल।
जमादार	1	(775–1025 रु.)	
चपरासी	3	(750–940 रु.)	
कुल :	14		

विवरण–III

राज्य मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.1986 से यथा–संशोधित)	अभियुक्तियां
1	2	3	4
निजी सचिव	1	(3700–5000 रु.)	
		(4500–5700 रु.)	
अतिरिक्त निजी सचिव	1	(3000–4500 रु.)	

1	2	3	4
सहायक निजी सचिव	1	(2000–3500 रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000–3500रू0)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	2	(1640–2900 रु.)	के. स. आशु. सेवा के ग्रेड "ग" में शामिल।
हिन्दी आशुलिपिक		(1400–2600 रु.)	(के. स. आशु. सेवा में सम्मिलित नहीं) (यदि मंत्री द्वारा मांगा जाए)
लिपिक	1	(950–1500 रु.)	के. स. लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
ड्राईवर	1	(950–1500 रु.)	
जमादार	1	(775–1025 रु.)	
चपरासी	3	(750–940 रु.)	
कुल :	13		

विवरण-IV
उप मंत्री

स्टाफ की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (1.1.1986 से यथा–संशोधित)	अभियुक्तियां
निजी सचिव	1	(3700–5000 रु.) (4500–5700 रु.)	
प्रथम वैयक्तिक सहायक	1	(2000–3500 रु.)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "क" तथा "ख" (संविलित) में शामिल।
द्वितीय वैयक्तिक सहायक	1	(1640–2900 रु.)	के. स. आशु. सेवा के ग्रेड "ग" में शामिल।
लिपिक	1	(950–1500 रु.)	के. से. लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में शामिल।
ड्राईवर	1	(950–1500 रु.)	
जमादार	1	(750–1025रु.)	
चपरासी	1	(750–940 रु.)	

नई दिल्ली में भूमिगत रेल

481. **प्रो0 प्रेम कुमार धूमल : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 नवम्बर, 1995 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार जापान के "आफीसियल एंड फंड" ने नई दिल्ली हेतु प्रमुख भूमिगत रेल परियोजना की व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां। आईसीएफ (जापान) ने राइट्स द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के सन्दर्भ में दिल्ली एम आर टी एस परियोजना का तकनीकी मूल्यांकन करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) आई. ई. सी. एफ. द्वारा उक्त तकनीकी मूल्यांकन के लिए चुने गये परामर्शदाताओं की टीम की दिसम्बर, 1995 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में पहुंचने और फरवरी, 1996 के अन्त तक उसकी अन्तिम रिपार्ट पेश करने की उम्मीद है।

(ग) इस समय इस परियोजना को शुरू करने की कोई नियत तारीख नहीं बताई जा सकती।

मुरारीकुलम पर "स्टापेज"

482. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में मरारीकुलम पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का "स्टापेज" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्य नहीं पाया गया।

रेल गाड़ियों की समय सारिणी

483. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न दिशाओं से दिल्ली/नई दिल्ली को आने वाली रेल गाड़ियों की समय सारिणी की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन माह के दौरान किन–किन गाड़ियों ने इस समय सारणी का पालन नहीं किया है; और

(ग) इन गाड़ियों के समय पर पहुंचने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कड़ी निगरानी और अलग–अलग स्तरों पर दैनिक मानीटरिंग करना मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर समय पालन के बारे में दैनिक बैठकों सहित तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फुट प्लेट निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा निरीक्षकीय एवं कार्यालय स्तर पर गाड़ियों के समय पालन के संबंध में अभियान चलाए जाते हैं तथा प्रणाली में जहां भी खामी पाई जाती है उसे दूर किया जाता है।

विवरण

गाड़ियां

1. 1449 महाकौशल्या एक्सप्रेस
2. 2001 शताब्दी एक्सप्रेस
3. 2003 शताब्दी एक्सप्रेस
4. 2006 शताब्दी एक्सप्रेस
5. 2012 शताब्दी एक्सप्रेस
6. 2014 शताब्दी एक्सप्रेस
7. 2016 शताब्दी एक्सप्रेस
8. 2018 शताब्दी एक्सप्रेस
9. 2179 ताज एक्सप्रेस
10. 2301/2305 राजधानी एक्सप्रेस
11. 2303/2381 पूर्वा एक्सप्रेस
12. 2391 मगध एक्सप्रेस
13. 2401 श्रमजीवी एक्सप्रेस

14. 2404 जम्मू तवी एक्सप्रेस
15. 2414 जयपुर एक्सप्रेस
16. 2411 गोंडवाना एक्सप्रेस
17. 2417 प्रयागराज एक्सप्रेस
18. 2419 गोमती एक्सप्रेस
19 2421 राजधानी एक्सप्रेस
20. 2423 राजधानी एक्सप्रेस
21. 2429 राजधानी एक्सप्रेस
22. 2431 राजधानी एक्सप्रेस
23 2462 मंडोर एक्सप्रेस
24. 2479 गोवा एक्सप्रेस
25. 2498 शान–ए–पंजाब
26. 2553 वैशाली एक्सप्रेस
27. 2615 जी.टी. एक्सप्रेस
28. 2617 मंगला एक्सप्रेस
29. 2621 तमिलनाडु एक्सप्रेस
30. 2625 केरला एक्सप्रेस
31. 2627 कनार्टका एक्सप्रेस
32. 2723 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस
33. 2801 पुरूषोत्तम एक्सप्रेस
34. 2815 पुरी एक्सप्रेस
35. 2951 राजधानी एक्सप्रेस
36. 2953 ए.के. राजधानी एक्सप्रेस
37. 3111 सियालदह एक्सप्रेस
38. 4003 आगरा इंटर सिटी एक्सप्रेस
39. 4005 इंदौर इंटर सिटी एक्सप्रेस
40. 4007/4013 सद्‌भावना
41. 4010 एकता एक्सप्रेस
42. 4011 नौचंदी एक्सप्रेस
43. 4023 कालिंदी एक्सप्रेस
44. 4034 जम्मू मेल
45. 4042 मसूरी एक्सप्रेस
46. 4047 गोंडा एक्सप्रेस
47. 4055 ब्रहमपुत्र एक्सप्रेस
48. 4057 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
49. 4083 महानंदा एक्सप्रेस
50. 4086 हरियाणा एक्सप्रेस
51. 4096 हिमालय क्वीन
52. 4163 संगम एक्सप्रेस
53. 4229 लखनऊ मेल
54. 4546 सहारनपुर एक्सप्रेस
55. 4554 हिमाचल एक्सप्रेस
56. 4555 बरेली एक्सप्रेस
57. 4590 भटिंडा एक्सप्रेस
58. 4646 शालीमार एक्सप्रेस
59. 4648 फ्लाईंग मेल
60. 4649 सरयू यमुना एक्सप्रेस
61. 4673 शहीद एक्सप्रेस
62. 4660 अमुतसर एक्सप्रेस
63. 4682 लुधियाना एक्सप्रेस
64. 4722 श्री गंगा नगर एक्सप्रेस
65. 5014 काठगोदाम एक्सप्रेस
66. 5609 अवध असम एक्सप्रेस
67. 5621 एन.ई. एक्सप्रेस
68. 7021 दक्षिण एक्सप्रेस
69. 8301 हीराकुंड एक्सप्रेस
70. 8475 नीलांचल एक्सप्रेस
71. 8477 कलिंग एक्सप्रेस
72. 8543 समता एक्सप्रेस
73. 9760 जयपुर एक्सप्रेस

सूची में वे गाड़ियां भी शामिल हैं जो एक दिन ही लेट चलीं।

किराये की कोख वाली मां (सरोगेट मदर)

484. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त तथा गुर्दे के व्यापार की ही तरह महिलाएं अब अपना डिंब बेच रही हैं तथा अपना गर्भाशय दूसरे के बच्चे के लिये किराये पर दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर अंतुले) : (क) ऐसी कोई विशेष घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षमता का उपयोग

485. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु उर्जा संयंत्रों की क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) इसके अधिकतम उपयोग के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर काम शुरू करने की तारीख से लेकर 31 अक्तूबर, 1995 तक उनका क्षमता उपयोग नीचे दिए अनुसार हैं :

यूनिट का नाम	क्षमता गुणक %
1	2
तारापुर परमाणु बिजल घर–1	54
तारापुर परमाणु बिजली घर–2	55
राजस्थान परमाणु बिजली घर–2	60*
मद्रास परमाणु बिजली घर–1	49
मद्रास परमाणु बिजली घर–2	47
नरोरा परमाणु बिजली घर–1	29
नरोरा परमाणु बिजली घर–2	40
ककरापार परमाणु बिजली घर–1	35
ककरापार परमाणु बिजली घर–2	69

*यह आंकड़े 31 जुलाई, 1994 तक के हैं, चूंकि राजस्थान परमाणु बिजली घर–2 में 1 अगस्त, 1994 से मख्य अनुरक्षण कार्य किए जा रहे हैं।

(ख) परमाणु विद्युत संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं, टरबाइनों का अधिक विस्तृत निरीक्षण और उनमें परिवर्तन किया जाना तथा टरबाइन जनित्र संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त कार्य बल का गठन, ग्रिड संबंधी समस्याओं की वजह से संयंत्रों को कम से कम बार बंद किए जाने के लिए विद्युत ग्रिडों के कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधीकरण और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना, उपस्करों के प्रतिबंधी मानीटरन कार्य को सुदृढ़ करना, संयंत्रों के बंद किए जाने संबंधी प्रबन्धन कार्य, निवारक और प्रागुक्तिपरक अनुरक्षण कार्य, अतिरिक्त कल–पुर्जों के सम्बन्ध में योजना तैयार करना और परिचालन कार्य तथा अनुरक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण जारी रखना।

रेल लाइन

486. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दैतारी–बंसपानी रेल लाइन को विकसित करने का कार्य निजी क्षेत्र को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह तीन वर्षों और चालूं वित्तीय वर्ष के दौरान सम्बलपुर–तालचर और बंसपानी जगपुरा लाइन को बिछाने और कटक–पारादीप रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए रेल बजट में कितनी निधि आबंटित की गई थी और इन वर्षों के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या उपर्युक्त रेल लाइनों के लिये बजट में किये गये आबंटन की तुलना में खर्च की गई राशि कम है; और;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) दैतारी--बांसपानी लाइन पर बजटीय सहायता से नई लाइनों के लिए उपलब्ध कराए गए आबंटन में से वित्त पोषण करके कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल इस क्षेत्र में स्थापित हो रहे इस्पात संयंत्रों के परिणामस्वरूप इस लाइन की तत्काल आवश्यकता तथा उपर्युक्त शीर्ष में संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस लाइन की निजी भागीदारी से शीघ्र पूरा करने की संभावनाओं का पता लगााया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लघु उद्योग

487\. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री वृशिण पटेल :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विभाग के अंतर्गत उपयुक्त प्रौद्योगिकी वाले एकक चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये एकक देश में कहां--कहां चल रहे हैं और इनका वार्षिक बजट कितना--कितना है;

(ग) क्या इन एककों ने क्रमीण दस्तकारों हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधर पर कुछ नए औजारों का विकास किया है; और

(घ) यदि हां, तो विकसित किये गये औजारों के नाम क्या है और इन औजारों को किन--किन उद्योगों में प्रयोग किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग, नई दिल्ली में ही एकक कार्य कर रहा है और वर्ष 1995--96 के लिए इसका बजट परिव्यय 60.00 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) ग्रामीण दस्तकारों के लिए उपयुक्त तकनीकी एकक की वित्तीय सहायता से विकसित नयी प्रौद्योगिकी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. सूत बनाने वाली मशीन (कॅयर, साबीग्रास, मुंज और सनहेम्प)।
2. रोगनधारी लकड़ी के खिलौने बनाने वाली मशीन।
3. अकिक पॉलिसिंग मशीन।
4. मेडिसिनल प्लांट प्रोसेसिंग मशीन।
5. बांस उत्पाद बनाने वाली मशीन।
6. शाल और कारपेट बुनने के लिए खड्डी।
7. ब्रास और बेल मेटल इन्डस्ट्री के लिए उपकरण/औजार।
8. ईंधन कुशल बेकिंग ओवन।
9. कच्ची हल्दी प्रक्रमण के लिए संयंत्र ।
10. पापड़ बनाने वाली मशीन।
11. शूगर बीट प्रकरण मशीन।
12. ताला बनाने के लिए उपकरण/औजार।
13. ब्ल्यू पोटरी क्लिन्स।
14. सिट्रोनेला ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों के स्टाफ को आवास सुविधा

488\. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**
डा. रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री मंगलराम प्रेमी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस संसदीय दल के स्टाफ को सामान्य लाईसेंस फीस पर सरकार के पूल से विभिन्न श्रेणियों के आवास आबंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्वार्टरों के आबंटन का आधार और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद में अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टाफ को उपरोक्त आधर पर अब तक आवास आबंटित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद में मान्यता प्राप्त अन्य दलों स्टाफ को आवास आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य दलों के स्टाफ को आवास कब तक आबंटित किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग) विभिन्न संसदीय दलों के स्टाफ को आवास का आबंटन, उन मौजूदा दिशा–निर्देशों के आधार पर किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि केवल अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा मान्यता प्रदत्त राजनीतिक दलों के स्टाफ को ही आवास दिए जायें। कांग्रेस संसदीय दल के स्टाफ के अलावा संसद में अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों जैसे बी.जे.पी., जनता पार्टी, बी सी पी आई (एम), सीपीआई आदि को भी मकान आबंटित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

489. **श्री प्रबीन डेका : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत **दिसम्बर, 1994 से असम** राज्य को पहले से ही शत–प्रतिशत **केन्द्रीय सहायता** दी जा रही है। **यह सहायता** राज्य के आदिवासी क्षेत्रों समेत सम्पूर्ण असम को कवर करती है।

किराया अधिनियम

490. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री काशीराम राणा :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13.11.1995 के "पायोनियर" में "रेन्ट एक्ट विल हैरास सैलरीडक्लास शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली किराया अधिनियम, 1955 में परिवर्तन करने की लगातार मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ग) इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों में परिवर्तन करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संसद (राज्य सभा) को सरकार द्वारा सूचित किया जा रहा है कि अभ्यावेदनों के आलोक में ऐसे उपबन्धों में संशोधन करने के पश्चात् यह अधिनियम कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित किया जायेगा।

मुम्बई स्थानीय दैनिक रेलयात्री सम्मेलन

491. **श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थानीय दैनिक रेलयात्री सम्मेलन ने रेलवे के स्थानीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने के संबंध में हाल ही में कोई संकल्प पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में दोषपूर्ण समय–पालन गाड़ियों में अत्यधिक भीड़–भाड़ 12 सवारी डिब्बे वाले रेकों की आवश्यकता, बोरीवली और विरार के बीच रेलपथ को चौहरा करने, बोरीवली–विरार लोकल शुरू करने, वसई–दिवा खंड को उपनगरीय यातायात के लिए खोलने और उपनगरीय सेवाओं में सुधार से संबंधित अन्य मुद्दे उठाए गए हैं।

(ग) रेलों ने सम्मेलन में उठाए गए अधिकांश मुद्दों के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य तथा पश्चिम रेलों पर 104 सेवाएं परिचालित कर रहे 12 यानों वाले दस रेक चलाए जा रहे हैं; वसई रोड तथा दिवा के बीच 4 डी.एम. यू. पुश पुल सेवाएं शुरू की गई हैं; अधिकांश स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुलों और इलेक्ट्रॉनिक संकेतक जैसी यात्री सुविधाएं मुहैया कर दी गई हैं। मुख्य स्थलों पर बेहतर संचार एवं उद्घोषणा प्रणाली की स्थापना की गई है। उपनगरीय सेवाओं के समय-पालन पर व्यस्त अवधि के दौरान विशेष निगरानी रखी जाती है।

ई.एम. यू. (उपनगरीय) गाड़ियों का दाहानू अर्थात विरार से आगे तक विस्तार कने के लिए तीन फेज ड्राइव सहित दो प्रकार के वोल्टेज वाला (1500 वोल्ट डी. सी./25 के. वी. ए. सी.) ई. एम. यू. स्टाक अनिवार्य है ताकि वे विरार तक 1500 वोल्ट डी. सी. और विरार से आगे 25 के. वी. ए. सी. प्रणाली पर चल सकें। ऐसे स्टाक की खरीद के बारे में निर्णय ले लिया गया है।

केरल में सर्वेक्षण कार्य

492. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 के बजट में सम्मिलित केरल में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) केरल के लिए वर्ष 1995-96 के बजट में निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्य शामिल किए गये थे :

(1) सवरीमाला से डिंडीगुल तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण (अंशतः केरल में)।

(2) थाकाझी-थिरुवल्ला-पाथानामथिट्टा रेल लाइन (100 कि.मी.) के लिए प्रारंभिक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण करने के लिए एजेंसियां निर्धारित की जा रही हैं। रेलवे को, सर्वेक्षण कार्य तेज करने के लिए कहा गया है।

मलेरिया का नियंत्रण

493. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में घातक मलेरिया से कितने व्यक्ति प्रभावित हैं;

(ख) घातक मलेरिया के फैलने का क्या कारण है;

(ग) देश में इस मलेरिया के उन्मूलन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अभी चल रहे हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) एक विवरण सलग्न है।

(ख) पी. फाल्सीपेरम (मालिग्नेंट मलेरिया) के रोगियों की संख्या बढ़ने के मुख्य कारण हैं :-

प्राकृतिक विपदाएं, जैसे अत्याधिक तथा काफी समय तक वर्षा होना, पानी इकट्ठा होना तथा परिस्थितिकी परिवर्तन।

वैक्टरों में कीटनाशकों तथा परजीवियों में मलेरिया नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले आम औषधों के हजम करने की शक्ति आ जाना।

(ग) मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- रोगी का आरम्भावस्था में पता लगाना तथा तत्काल उपचार उपलब्ध करना।
- संचरण को रोकने के लिए कीटनाशकों के प्रभावी इस्तेमाल के जरिए वैक्टर नियंत्रण।
- मच्छर पैदा होने वाले स्थानों में कमी लाने, लार्विसाइड्स के इस्तेमाल तथा जैव-पर्यावरणिक कार्य-नीतियां अपनाकर मच्छरों के अण्डे देने के स्थानों को नष्ट करने के लिए लार्वा-रोधी उपाय।
- मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलापों में तेजी लाना।

(घ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

1995 (सितम्बर तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पी. फाल्सीपेरम (घातम मलेरिया) के रोगियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(घातक मलेरिया) पी. फाल्सीपेरम के रोगी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20886
2.	अरुणाचल प्रदेश	2667
3.	असम	80680
4.	बिहार	3408
5.	गोवा	109
6.	गुजरात	16412
7.	हरियाणा	409
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	10
10.	कर्नाटक	4143
11.	केरल	286
12.	मध्य प्रदेश	59867
13.	महाराष्ट्र	36843
14.	मणिपुर	647
15.	मेघालय	4029
16.	मिजोरम	4479
17.	नागालैंड	232
18.	उड़ीसा	136770
19.	पंजाब	20
20.	राजस्थान	13763
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	4371
23.	त्रिपुरा	4646
24.	उत्तर प्रदेश	741
25.	पश्चिम बंगाल	6550
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान और निकोबार	228
2.	चंडीगढ़	10
3.	दादरा और नागर हवेली	143
4.	दमण और दीव	972
5.	दिल्ली	13
6.	लक्षद्वीप	1
7.	पांडिचेरी	24
	योग :	403162

भारतीय हथियारों की बिक्री

494. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार भारत द्वारा निर्मित हथियारों के लिए नये बाजार का पता लगाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी देश ने भारत द्वारा निर्मित "पृथ्वी" और "अग्नि" प्रक्षेपास्त्रों में अपनी रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रक्षेपास्त्रों के ग्राहकों का पता लगाने हेतु बातचीत कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) भारत, अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के देशों को सैनिक सामान का निर्यात करता रहा है। निर्यात किए जाने वाले सामान में गोलाबारूद, संचार उपस्कर, वैमानिकी भंडार, कपड़े और टेंट आदि शामिल हैं। कलपुर्जे और उप-प्रणालियां विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं।

(ग) इस प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान में भारतीय सैनिक

495. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पाकिस्तान की जेलों में कुल भारतीय सैनिक फंसे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनके आश्रितों को कोई सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय पाकिस्तान की हिरासत में 54 लापता रक्षा कार्मिकों के होने का अनुमान है। लापता कार्मिकों को मारे गए मान लिया गया है और उनके परिवारों को उदारीकृत पेंशन संबंधी लाभ दिए गए हैं जिसमें उदारीकृत परिवार पेंशन परिवार उपदान, बच्चों के लिए संस्थान भत्ता एवं शिक्षण भत्ता भी शामिल है।

नई दिल्ली में आई.आर.सी.ए. भवन में आरक्षण काउन्टरों में कदाचार

496. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के मुख्य आरक्षण केन्द्रों विशेष रूप से आई. आर.सी.ए. भवन, नई दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण शुरू करने और अन्य किस्म की जांचों तथा प्रतिजांचों को शुरू करने के बावजूद आरक्षण स्टाफ और ट्रैवेल एजेन्टों के बीच अभी भी सांठ-गांठ चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर, 1995 के अंतिम सप्ताह में केन्द्रीय जांच ब्यूरों की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में आई. आर.सी.ए. भवन के आरक्षण काउन्टरों पर अचानक जांच कर भारी मात्रा में बेहिसाब और अघोषित नकदी, आरक्षण पर्चियों और फर्जी नामों से आरक्षित की गई टिकटें लगभग सभी काउन्टरों से बरामद की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे अधिकारियों ने इस प्रकार के कदाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) और (ग) 28.9.95 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच में तीन काउंटरों में आरक्षण करने वाले क्लर्कों के पास से अधिक राशि, आरक्षित रेलवे टिकट और विधिवत् रूप से भरी गई मांग पर्चियां बरामद की गई थी।

(घ) ऐसे कदाचार रोकने के लिए निरन्तर अचानक जांच की जा रही है. 1994-95 के दौरान तथा चालू वर्ष में सितंबर, 1995 तक सतर्कता तथा वाणिज्य विभागों द्वारा आई.आर.सी. ए. कॉम्पलेक्स सहित दिल्ली क्षेत्र में 366 जांच की गई थी। 292 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई 181 दलाल और ट्रेवल एजेन्ट पकड़े गये थे।

एझिमाला में नौसैनिक अकादमी

497. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एझिमाला में प्रस्तावित नौसैनिक अकादमी का हाल ही में किसी केन्द्रीय दल ने दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का ब्यौरा क्या है और क्या इस परियोजना पर कार्य में तेजी लाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अकादमी की स्थापना संबंधी नीतिगत निर्णय कब लिया गया था और इस समय परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी; और

(च) इस परियोजना के कार्यान्वयन में यदि कोई विलंब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) केरल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आधारभूत सुविधाओं को स्थापित किए जाने में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए रक्षा सचिव ने वरिष्ठ नौसेना अफसरों के साथ इस स्थान का 4 नवम्बर, 1995 को दौरा किया था। मंत्रिमंडल ने 166.94 करोड़ रुपये की

लागत से एझिमाला में नौसेना अकादमी स्थापित किए जाने के लिए हाल ही में मंजूरी दे दी है। निर्माण चरण तत्काल आरम्भ होगा।

2. निर्माण–चरण को पानी और बिजली की आवश्यकता की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इस स्थान की परिधि से जुड़ी से पांच सड़कों का कार्य भी संतोषजनक रूप से चल रहा है। इस कार्य में राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है।

3. सरकार ने एझिमाला में एक स्थायी नौसेना अकादमी स्थापित किए जाने का सिद्धांत : निर्णय मई, 1982 में लिया था। चूंकि उस समय एक ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी अतः इस परियोजना के संबंध में उस समय कोई लागत अनुमान नहीं दिया जा सकता था।

4. 1984 में भूमि का कब्जा दिए जाने के बाद आधारभूत सुविधाएं स्थापित किए जाने में लगे समय तथा 1987 से संसाधनों की कमी होने से फंड से आबंटन की वरीयताओं में परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप संक्रियात्मक योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन का आबंटन किया जाने लगा और इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन में विलंब हुआ है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के अस्पताल

498. **श्री बी.एल.शर्मा "प्रेम" :**
श्री प्रमथेस मुखर्जी :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में केन्द्र सरकार के अस्पतालों की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को भारी कठिनाईयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं और रोगियों के साथ सहानुभूति का व्यवहार हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन अस्पतालों में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के संबंध में सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग) जी नहीं। केन्द्र सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, हर वर्ष केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं का दर्जा संसाधनों की समग्र उपलब्धता के भीतर बढ़ाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड

499. **श्री ए. वैंकटेश नायक :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने 1994–95 के दौरान आदान लागत में चौतरफा वृद्धि होने और विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल उतार–चढ़ावों के बावजूद कर–पूर्व लाभ दर्ज किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994–95 के लिए कर–पूर्व लाभ 365.08 करोड़ रुपये था।

[हिन्दी]

पल्स-पोलियो

500. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1995 और जनवरी, 1996 में "पल्स–पोलियो" अभियान शुरू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूर–दराज के गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में भी पल्स पोलियो की खुराक उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) 9 दिसम्बर, 1995 और 20 जनवरी, 1996 को 0–3 वर्ष की आयु के बच्चों को ओ.पी.वी. की दो खुराकें दी जाएंगी।

(ग) दूरदराज के गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों में टीकाकरण पोस्टों की स्थापना की जाएगी।

[अनुवाद]

पेंशन प्रभारियों का सम्मेलन

501. **श्री मुही राम सैकिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पेंशन प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में राजधानी में सम्पन्न हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशन प्रशासन के संबंध में 17 राज्यों के राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 9 नवम्बर, 1995 को आयोजित किया गया। इसमें राज्यों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हुई चर्चा से पेंशन की नीति निर्धारण तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावशाली तंत्र की स्थापना के आशय से राज्यों तथा केन्द्र के मध्य समन्वित तथा लगातार सम्पर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर देने से मदद मिली हैं। पेंशनभोगियों की संख्या से संबंधित निश्चित आंकड़ों को रखने की वांछनीयता, पेंशन कार्य का हिसाब-किताब रखने के लिए कम्प्यूटरीकरण के बेहतर उपयोग की सभी राज्यों ने सराहना की है।

सैनिक समाचार

502. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सैनिक समाचार किन-किन प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है;

(ख) क्या ये अंक निर्धारित तिथियों पर प्रकाशित हो जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसका इस पत्रिका के प्रसार और ग्राहक संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पत्रिका का प्रकाशन निर्धारित तिथियों पर सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(च) इस पत्रिका का सभी प्रादेशिक भाषाओं में समय पर प्रकाशन कराने के लिए सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गये हैं अथवा दिए जाने का विचार है; और

(छ) क्या सरकार प्रादेशिक भाषाओं में इस पत्रिका के प्रकाशन को कुछ समय के लिए बंद करने पर सक्रियता से विचार कर रही है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) सैनिक समाचार साप्ताहिक एक साथ 13 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी हिन्दी, असमिया, बंगला, गोरखाली, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू में प्रकाशित होता है।

कतिपय अड़चनों के कारण, जैसे प्रिंटिंग कागज की खरीद में अड़चन सैनिक समाचार संस्करणों को प्रकाशित करने में विलंब होने के कुछ उदाहरण सामने आए हैं। इससे कुछ हद तक पत्रिका का परिचालन प्रभावित हुआ है। इस पत्रिका के नियमित प्रकाशन में होने वाले विलंब से बचने की दृष्टि से कागज की खरीद में आने वाली अड़चनों को दूर किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इस समय, इस पत्रिका का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन बन्द करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा तैयारियां

503. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री श्रीकांत जेना :
श्री केशरी लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अमरीका, फ्रांस और उक्रेन से बड़े पैमाने पर युद्धक हथियार खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारत सरकार की पाकिस्तान

को कुछ सैन्य उपस्कर, जिन पर प्रेसलर संशोधन के अंतर्गत पूर्व में रोक लगा दी गई थी, अब हैंक ब्राउन संशोधन के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराने से संबंधित हाल ही में लिए गए अमरीकी निर्णय की जानकारी है। इस प्रकार की रिपोर्ट भी मिली हैं, जिनसे पाकिस्तान के फ्रांस और उक्रेन से हथियार तथा रक्षा संबंधी उपस्कर प्राप्त करने के इरादों का पता चलता है।

सरकार इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर समुचित उपाय करती है।

[अनुवाद]

"एड्स" टीके

504. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के एक वैज्ञानिक ने कलकत्ता में वेश्याओं पर "एड्स" टीके का परीक्षण किया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए भारत के औषध नियंत्रक से स्वीकृति प्राप्त की गई थी; यदि नहीं तो इस पर औषध नियंत्रक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या वेश्याओं ने उनके साथ "गिनीपिग" जैसा बर्ताव किए जाने के विरूद्ध प्रदर्शन किया है; और

(घ) इसमें शामिल चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (घ) औषध नियंत्रक (भारत) ने ऐसे वैक्सीन परीक्षणों के लिए कोई अनुमोदन नहीं दिया है। पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के पास कथित एड्स के वैक्सीन तथा वेश्याओं द्वारा प्रदर्शन के बारे में भी कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

रक्षा उपकरणों का निर्यात

505. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 1992–93 की तुलना में 1994–95 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) वर्ष 1995–96 के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) 1992–93 में किए गए निर्यात (प्रत्यक्ष और माने गए दोनों) का मूल्य 261.31 करोड़ रुपये था और 1994–95 में यह निर्यात 545.87 करोड़ रुपये अनंतिम का था तथा इसमें 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) 1995–96 में प्रत्यक्ष निर्यात का लक्ष्य 167 करोड़ रुपए रखा गया है।

[अनुवाद]

आम चुनाव

506. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री चित्त बसु :
श्री रवि राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने लोक सभा चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी;

(ख) क्या बैठक में किसी आदर्श आचार संहिता पर चर्चा हुई;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ; और

(घ) क्या चुनाव कराने के लिये कोई विशेष तिथि तय की गई है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह बैठक में चर्चा किए गए उद्देश्यों में से एक था।

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं किया गया था।

(घ) जी नहीं।

[हिन्दी]

"ओसेन सेट" उपग्रह

507. **श्री पंकज चौधरी :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सामुद्रिक सम्पदा की खोज करने और मौसम संबंधी जानकारी हेतु सामुद्रिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए "औसेन सेट" उपग्रह छोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक "औसेन सेट" उपग्रह छोड़े जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) श्रृंखला कार्यक्रम के भाग के रूप में समुद्री क्षेत्रों में विशिष्ट उपयोगों के लिए कुछ स्टेट–ऑफ–दी–आर्ट नीतभारों को अगले कुछ वर्षों के दौरान प्रमोचन के लिए शामिल किया गया है। आई. आर.एस.–पी. 4 उपग्रह, जिसे 1996–1997 के समय ढांचे में प्रमोचित किए जाने की आशा है, में प्रमुख रूप से समुद्रविज्ञानीय उपयोगों के लिए नीतभारों को भेजा जाएगा। इनमें समुद्री कलर मानीटर (ओ.सी.एम.) तथा बहु आवृत्ति क्रमवीक्षण माइक्रोवेव रेडियोमीटर (एम.एस.एम.आर.) शामिल हैं। ओ.सी.एम. नीतभार को विशेष रूप में समुद्री जीव विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिए इष्टतमी बनाया जाएगा। एम.एस.एम.आर. नीतभार मेघ वाले मौसमों सहित सभी मौसमी स्थितियों के दौरान भौतिकी समुद्रविज्ञानीय पैरामीटरों जैसे समुद्री सतह के तापमान, पवन गति और जलवाष्प से संबंधित सूचना प्रदान करने में सक्षम होगा। एक अन्य उपग्रह, जिसे 1990–1999 के समय ढांचे में छोड़े जाने का कार्यक्रम है, द्वारा ओ.सी.एम. के साथ–साथ समुद्र विज्ञानीय नीतभारों जैसे प्रकीर्णमापी और उच्चता मापक यंत्र के उन्नत रूपान्तरों के ले जाने की आशा है। प्रकीर्णमापी और उच्चता मापक यंत्र नीतभार समुद्री सतह की पवनों, तरंगों और धाराओं जैसी समुद्री गतिशील पैरामीटरों पर सूचना प्रदान करने में सक्षम हैं। इन नीतभारों से प्राप्त सूचना से मौसम के संबंध में समुद्र के प्रभाव के अध्ययन के लिए तथा समुद्र की सम्पदा की खोज में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुआवजा

508. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** 7.8.1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 96 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लैटों के निर्माण/आबंटन करने स्वामित्व देने में विलम्ब के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटियों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ख) क्या फ्लैटों के निर्माण/आबंटन करने/स्वामित्व देने में अत्याधिक विलम्ब के लिए 1979 न्यू पैटर्न स्कीम के पंजीकृत व्यक्तियों को भी ऐसा मुआवजा दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो मुआवजा किस दर से और कब तक दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोज़गार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण मात्र फ्लैटों के विलम्बित निर्माण/कब्जे के लिए एस. एफ.एस. फ्लैटों के आबंटियों को मुआवजा देता है। एस.एफ. एस. फ्लैटों के मामले में फ्लैटों का नियतन फ्लैटों के पूरा होने से पहले अग्रिम में ही दिया जाता है और आबंटियों से फ्लैटों की अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत राशि चार अर्द्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम में मांगी जाती है। शर्तों और निबन्धनों के अनुसार डी.डी.ए. को नियतित फ्लैटों का निर्माण ढाई वर्ष की अवधि में पूरा करना होगा और यदि डी.डी.ए. ऐसा नहीं कर पाये तो उसे आबंटियों को उनके द्वारा जमा राशि पर ढाई वर्ष के बाद पहले छः माह के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक और तत्पश्चात 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज/मुआवजा अदा करना होगा।

(ख) और (ग) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों की लागत फ्लैटों के पूरा होने पर आबंटियों से मांगी जाती है और फ्लैटों के निर्माण/पूरा होने की सम्पूर्ण लागत डीडीए द्वारा अपने संसाधनों में से निवेश की जाती है। स्कीम की शर्तों और निबन्धनों में, न्यूपैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 के उन पंजीकृत व्यक्तियों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, जो आवंटन के लिए प्रतीक्षारत हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन

509. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा करने और इसके पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार करने के लिए हाल ही में कोई उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और पुनर्गठन की समीक्षा करने हेतु इस मंत्रालय ने अभी हाल ही में कोई उच्च–स्तरीय बैठक नही बुलाई है। तथापि, गृह मंत्री द्वारा 5.6.1995 को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें शहरी कार्य और रोजगार मंत्री, दिल्ली के उप–राज्यपाल, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव तथा इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण के गठन स्वरूप और इसके कार्यों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का अंश

510. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से देश से औद्योगिक विकास में लघु उद्योग क्षेत्र के एककों का योगदान बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994–95 सहित गत तीन वर्षों के दौरान इनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र में किये गये कुल निवेश की तुलना में लघु उद्योगों में निवेश की गई पूंजी बहुत कम है; और

(घ) यदि नहीं, तो 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान निवेश की गई पूंजी का अलग–अलग प्रतिशत क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में देश के औद्योगिक विकास/उत्पादन में लघु उद्योग इकाईयों के योगदान में बढ़ोतरी होती रही है। 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 में यह हिस्सा प्रतिशत में क्रमशः 40.18, 40.58 तथा 40.62 रहा। 1994–95 के लिए तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्माण केन्द्रों की स्थापना

511. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्यरत निर्माण केन्द्रों की संख्या कितनी है और आगामी तीन वर्षों के दौरान कितने नये केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, तत्सम्बन्धी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक केन्द्र की स्थापना में होने वाला व्यय क्या है और उनके लिए धनराशि प्रदान करने और उसके वित्त पोषण का क्या साधन है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन निर्माण केन्द्रों के लिये स्थान का पता लगाने के लिए कोई मानक मार्ग निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन केन्द्रों को हुडको द्वारा दी गई वित्तीय अथवा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों द्वारा निर्मित सामग्री को उत्पाद शुल्क में छूट दी है अथवा दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) आज की तारीख में पूरे देश में भवन निर्मिति केन्द्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत 207 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। चूंकि यह कार्यक्रम मांग पर आधारित है, अतः राज्य–वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इन केन्द्रों को चलाने का खर्च, प्रत्येक केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे क्रिया–कलापों की प्रकृति तथा भूमि की उपलब्धता/केन्द्र को राज्य सरकार/प्रवर्तक एजेंसी से बुनियादी

सहायता जैसे अन्य कारकों पर निर्भर करते हुए भिन्न–भिन्न है। केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे क्रिया–कलापों की किस्म पर निर्भर करते हुए भारत सरकार से 3–5 लाख रु. तक का अनुदान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, हडको उन्हें भूमि विकास, मशीनरी/उपकरण, निर्माण आदि के लिए सहायता देता है। के.एफ.डब्ल्यू अनुदान में से हडको कार्यशील पूंजी तथा मशीनरी आदि के लिए अधिक से अधिक 22 लाख रुपये तक उदार ऋण भी देता है।

(ग) और (घ) केन्द्रों की स्थापना बताई गई स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्र स्थापित करने बाबत विचार किया गया है।

(ङ) विभिन्न केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा कुल 4.87 करोड़ रु. के अनुदान देने के अतिरिक्त हडको ने 16.37 करोड़ रु. के.के. एफ. डब्ल्यू. अनुदान। 1.12 करोड़ रुपये के हडको अनुसंधान एवं विकास अनुदान तथा 4.20 करोड़ रुपये के उदार ऋण का वायदा किया है। हडको ने 150 परियोजना प्रबन्धकों तथा 98 पर्यवेक्षकों/मास्टर मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया है। इन केन्द्रों को अधिक राज्य सहायता सुनिश्चित करने के लिये हडको राज्य अभिकरणों से भी समन्वय स्थापित करता है। इन केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इसने आवास प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास कार्य पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया है।

(च) और (छ) सरकार ने विभिन्न भवन निर्मिति केन्द्रों द्वारा उत्पादित भवन निर्माण सामग्रियों/घटकों पर 1989 से उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी हुई है।

विवरण

दिनांक 15.11.1995 की स्थिति के अनुसार चल रहे भवन निर्मिति केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरा

	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	कार्यात्मक
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	28
2.	अरूणाचल प्रदेश	—
3.	असम	3
4.	बिहार	2
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	5
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	16
11.	केरल	24
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	महाराष्ट्र	13
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैण्ड	—
18.	उड़ीसा	15
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	34
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	28
23	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	6
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	दिल्ली	4
27.	अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	1
28.	चण्डीगढ़	—
29.	दादर एण्ड नागर हवेली	
30.	दमन तथा द्वीव	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पाण्डिचेरी	2

सबके लिए स्वास्थ्य

512. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 2000 ई. तक "सबके लिए स्वास्थ्य" उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य तय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या 2000 ई. तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या नया लक्ष्य तय किया गया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) जी हां। लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) से (ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए 30.6.1995 की स्थिति के अनुसार देश भर में 1,31,900 उप केन्द्रों, 21,693 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2385 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से बने ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के एक बहुत–बड़े नेटवर्क की स्थापना की गई है। द्वितीयक और तृतीय स्तर के अस्पताल, जो रेफरल संस्थाएं हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को विशिष्टीकृत स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं। मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिविहीनता, एड्स और कैंसर इत्यादि जैसे संचारी और गैर–संचारी रोगों की रोकथाम/उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण समेत शिशु जीवन–रक्षा और सुरक्षित मातृत्व के लिए जोर दिया गया है। देश की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सीय और स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के लिए नेटवर्क को व्यापक बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए संयुक्त क्षेत्र के साथ सम्पर्क स्थापित करने इत्यादि सहित उद्योगों, निगम निकायों, निजी, स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यथोचित स्तरों की तुलना में उपलब्धियां

क्र.सं.	सूचक	रा.स्वा. नीति में यथोचित स्तर	लक्ष्य 1985	1990	2000		उपलब्धियों का वर्तमान स्तर (अद्यतन उपलब्ध आंकडों के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शिशु मृत्यु–दर						
	ग्रामीण	136 (1978)	122			86	
	शहरी	70 (1978)	60			50	
	संयुक्त	125 (1978)	106	87	60 से कम	80	73(1994)
	प्रसवकालीन मृत्यु–दर	67 (1976)			30–35	49.6	47.5(1992)
2.	आशोधित मृत्यु–दर	14 लगभग	12	10.4	9.0	9.6	9.2(1994)
3.	स्कूल पूर्व बाल		20–24				
	(1–5 वर्ष) मृत्यु–दर	24 (1976–77)	–	15.20	10	26.5	26.5(1992)

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मातृ मृत्यु–दर	4–5(1976)	3–4	2–3	2 से कम	4	4(1993)
5.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा–दर(वर्ष)		55.1	57.6	64	58.1(1986–91)	60.6(1991–96)
	पुरुष	52.6(1976–81)					
6.	जन्म के समय 2500 ग्राम से कम भार वाले नवजात शिशु (प्रतिशत) लगभग	30	25	18	10	–	30(1992)
7.	आशोधित जन्म–दर	35 लगभग	31	27.0	21.0	29.9	28.6(1994)
8.	कारगर दम्पत्ती सुरक्षा–दर (प्रतिशत)	23.6 (मार्च, 82)	37.0	42.0	60.0	44.1(मार्च, 91)	45.4(मार्च, 94)
9.	शुद्ध प्रजननात्मक दर	1.48(1981)	1.34	1.17	1.0	–	1.6
10.	वृद्धि दर (वार्षिक)	2.24(1971–81)	1.90	1.66	1.20	214	(1981–91)
11.	परिवार–आकार	4.4(1975)	3.8		2.3	4.0 (1988)	
12.	प्रसव–पूर्ण परिचर्या प्राप्त कर रही गर्भवती माताएं (प्रतिशत)	40–50	50–60	60–75	100	60(1988)	82(1993)
13.	प्रशिक्षित दाईयों द्वारा करवाए गए प्रसव (प्रतिशत)	30–35	50	80	100	40–50	47.3(1992)
14.	टीकाकरण स्थिति (प्रतिशत कवरेज)						
	टी.टी. (गर्भवती महिलाओं के लिए)	20	60	100	100	78.16	82.48(1993–94)
	टी.टी. (स्कूली बच्चों के लिए)						
	10 वर्ष		40	100	100	60.5	60.5
	16 वर्ष	20	60	100	100	86.45	86.45
	डी.पी.टी.						
	(3 वर्ष से कम आयु के बच्चे)	25	70	85	85	98.19	93.10(1993–94)

1	2	3	4	5	6	7	8
	पोलियों (शिशु)	5	50	70	85	101.51	93.57(1993–94)
	बी.सी.जी. (शिशु	65	70	80	85	101.51	96.95(1993–94)
	डी.टी. (स्कूल में प्रवेश करने वाले नए बच्चे 5–6 वर्ष)	20	80	85	85	82.0	82.0
	टायफायड (स्कूल में प्रवेश करने वाले नए बच्चे 5–6 वर्ष)	2	70	5	85	62.6	(1987–88) 62.6
15.	कुष्ठ पता लगाए गए कुष्ठ रोगियों में से जिन रोगियों में रोग की रोकथाम की गई उनकी प्रतिशतता	20	40	60	80	65.0	74.86
16.	क्षय रोग पता लगाये गये क्षय रोगियों में से जिन रोगियों में इस रोग की रोकथाम की गई, उनकी प्रतिशतता	50	60	75	90	66	66
17.	दृष्टि विहीनता व्याप्तता दर	1.4	1	0.7	0.3	1.49	1.49

× = 4 मिलियन अनुमानित कुष्ठ रोगियों में से 1983 के पश्चात् ठीक किए गये रोगी

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983××

आंखों की रोशनी का चला जाना

513. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री श्रीकान्त जेना :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कई मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मरीजों की उपेक्षा करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) 11 रोगियों, जिनमें आपरेशन के पश्चात् संक्रमण हुआ, में से 8 रोगियों में संक्रमण की रोकथाम कर ली गई थी। तीन रोगियों में संक्रमण को रोका नहीं जा सका और उनकी दृष्टि पुनः स्थापित नहीं की जा सकी।

(ख) तथा (ग) इस मामले की पूरी तरह से जांच की गई है। तथापि, संक्रमण के स्त्रोत का पता नहीं लगाया जा सका। पर्याप्त ढंग से कुल मिलाकर संक्रमण–रोधी उपायों का ध्यान रखा जा रहा है।

विद्युत और डीज़ल इंजन

514. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाने वाले विद्युत और डीजल इंजनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं, रेल इंजनों का अधिग्रहण आवश्यकता पर आधारित होता है तथा यह प्रत्याशित परिवहन आवश्यकताओं, कर्षण भाग तथा रेल इंजनों की संभावित उत्पादकता पर निर्भर करता है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने तथा डीजल रेल इंजन कारखाने को चालू वर्ष के लिए क्रमशः 130 बिजली/तथा 138 डीजल रेल इंजनों का निर्माण करने का लक्ष्य दिया गया है।

आमान परिवर्तन

515. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कांडला क्षेत्र में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) कांडला पहले ही बड़ी लाइन से जुड़ा है। इस क्षेत्र में गांधीधाम–भुज (58 कि.मी.) मीटर लाइन को बड़ी लाइन बदलने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को 26.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पहले ही 1995–96 के रेल बजट में शामिल कर लिया गया है। आवश्यक (अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा)

इंजनों का बदला जाना

516. **डा.(श्रीमती) के.एस. सौन्दरम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के डीजल इंजनों के बदले जाने की समय–सीमा निर्धारित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) यद्यपि डीज़ल रेल इंजनों के लिए जीवट आयु निर्धारित होती है लेकिन उनका बदलाव आयु. एवं हालत के मानदंड के अनुसार किया जाता है।

राजस्थान में आमान परिवर्तन

517. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन–किन स्थानों में छोटी लाइन तथा मीटर लाइन है;

(ख) क्या उपर्युक्त दोनों लाइनों में से किसी को सरकार के समान आमान कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कलमाडी) : (क) राजस्थान में स्थित छोटी लाइन/मीटर आमान को लाइनों के नाम मीटर आमान की लाइनें :

1. रेवाड़ी–हनुमानगढ़ (अंशतः हरियाणा में)
2. हिसार–बीकानेर (अंशतः हरियाणा में)
3. हनुमानगढ़–सरूपसर कैनाल लूप
4. रतनगढ़–डिगाना
5. रतनगढ़–सरदार शहर
6. चुरू–जयपुर
7. लोहारू–सीकर
8. रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा
9. आगरा–बांदीकुई (अंशतः उत्तर प्रदेश में)
10. मकराना–परबतसर
11. पिपर रोड–बिलाड़ा
12. जयपुर–टोडारायसिंह
13. फुलेरा–अजमेर
14. अजमेर–मेहसाणा
15. लूनो–मुनाबाव
16. बालोतरा–पचपदरा साल्ट डिपो
17. जोधपुर–मारवाड़
18. समदड़ी–भीलड़ी (अंशत गुजरात में)

19. अजमेर–चित्तौड़गढ़

20. चित्तौड़गढ़–नीमच (अंशतः मध्य प्रदेश में)

21. बड़ी सादडी –मारबाड़

22. चित्तौड़गढ़–अदईपुर–अहमदाबाद (अशंतः गुजरात में)

छोटे आमान की लाइन

1. धौलपुर–सिरमुतरा–तांतपुर

(ख) और (ग) इनमें से एक आमान परिवर्तन योजना के अन्तर्गत शामिल की गई लाइनें :

	खंड	**स्थिति**
1.	सरूपसर–हनुमानगढ़	कार्य को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।
2.	रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा	–वही–
3.	लोहारू–सीकर–रींगस–जयपुर	–वही–
4.	मकराना–परबतसर	कार्य प्रगति पर है।
5.	लूनी–मुनाबाव	कार्य को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।
6.	समदड़ी–भीलड़ी	कार्य रोक दिया गया है।
7.	अजमेर–मेहसाणा	कार्य प्रगति पर है।
8.	चित्तौड़गढ़–उदयपुर	कार्य प्रगति पर है।
9.	आगरा–बांदीकुई	–वही–

(घ) शेष लाइनों पर दसवीं योजना में आमान परिवर्तन कार्यक्रम का अगला चरण शुरू किए जाने पर विचार किया जाएगा क्योंकि पहला चरण आठवीं और नवीं योजना को कवर करता है।

भूमि का आबंटन

518. **श्री पीयूष तीरकी : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामाजिक धर्मार्थ तथा कला कार्यों हेतु आबंटित भूमि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा ऐसे कदाचार को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि के लिये क्या औसत कीमत वसूल की जाती है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसी भूमि के बड़े पैमाने पर हो रहे दुरुपयोग का कोई मामला उनके द्वारा नहीं पकड़ा गया है। तथापि, जब कभी भी ऐसे दुरुपयोग का कोई मामला नोटिस में आता है तो आबंटन और पट्टे की शर्तों और निबन्धों के तहत कार्रवाई की जाती है। दिल्ली में संस्थानों के लिए भूमि की कीमतें क्षेत्रीय आधार पर तय की जाती हैं जो क्षेत्र पर निर्भर करते हुए 35 लाख रुपये प्रति एकड़ से 80 लाख रुपये प्रति एकड़ तक भिन्न भिन्न होती हैं।

[हिन्दी]

औषधियों पर प्रतिबन्ध

519. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित 40 प्रतिशत औषधियां हानिकारक हैं;

(ख) क्या ये औषधियां पश्चिमी देशों में प्रतिबंधित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता औषधि नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ देशों में 44 औषधों के इस्तेमाल की अनुमति वापस ले ली है। इनमें से 26 औषधों का भारत में विपणन अनुमोदित नहीं था, विशेषज्ञों के परामर्श से 11 औषधों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा शेष 7 औषधों को चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से विपणन की अनुमति दी गई है बशर्ते लेबलों तथा पैकेट के अन्दर आवश्यक चेतावनी विवरण दिए गए हों।

(ग) और (घ) देश भर में अच्छी किस्म की औषधों के विनिर्माण में एकरूपता लाने के लिए औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत बने विनियमों में बेहतर

निर्माण प्रक्रिया के प्रावधान किए गए हैं। इन प्रक्रियाओं का पालन करना विनिर्माण लाइसेंस देने की एक पूर्व अपेक्षा है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रोपैथी

520. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलैक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान निषेध संबंधी कोई दिशा–निर्देश/आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) इस पद्धति के विकास को वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे सरकारी मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रेषित माल की चोरी

521. **श्री मोहन रावले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में रेलवे द्वारा बुक किये गये मालों के कम हो जाने, प्राप्त न होने, चोरी होने तथा क्षमता से अधिक माल लादने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया; और

(घ) स्थिति में सुधार करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं, वस्तुतः ऐसे मामलों में कमी आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	दायर किए गए दावों की संख्या	भुगतान किए गए मुआवजे की राशि (करोड़ रुपये में)
1992–93	216,954	22.34
1993–94	193,012	25.43
1994–95	177,614	25.31

(घ) रेलें ढुलाई के लिए सौंपे गए माल की संरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परेषण बिना चोरी या क्षति के अपने गन्तव्य स्थल तक पहुंचते हैं, निरंतर प्रयास कर रही हैं, इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निवारक उपाय किये जाते हैं जिनमें परेषणों की समुचित पैकिंग, उन्हें चिन्हित करना और लेबल लगाना, ब्रेक यानों तथा सामान यानों की उचित पैड–लाकिंग, वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त मालडिब्बों का उपयोग करना, भेदय क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल द्वारा मालगाड़ियों का मार्गरक्षण करना, अचानक जांच करना और रेल सुरक्षा बल तथा राज्य रेलवे पुलिस के बीच निकट संपर्क एवं समन्वय रखना आदि शामिल हैं, पारगमन में हानि और क्षति से बचने के लिए माल को ब्लाक रेकों के जरिए तेजी से भेजा जा रहा है।

कम मूल्य की भवन निर्माण सामग्रियां

522. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय संसाधनों तथा अपशिष्टों पर आधारित कम मूल्य की भवन निर्माण सामग्रियों के उपयोग को प्रचारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्माण केन्द्रों द्वारा कम मूल्य की भवन निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत छः महीनों के दौरान सीमेंट के मूल्य में असामान्य वृद्धि से भवन निर्माण गतिविधियों में गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो सीमेंट के मूल्य को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) किफायती भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के उत्पादन तथा उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(एक) प्रमाणिक प्रौद्योगिकी और भवन निर्माण सामग्री का चयन, विस्तार तथा संवर्धन करने एवं वहनीय मानको और निर्माण की किस्म के अनुसार भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी

संवर्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी) की स्थापना की गई है।

(दो) किफायती तथा नई प्रौद्योगिकी मुहैया करने तथा कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल में सुधारा करने के लिए भवन निर्मित केन्द्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(तीन) कम लागत की कुछ प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों और प्रतिमानों में शामिल कर लिया गया है। राज्य एजेन्सियों को इन प्रतिमानों को अपनी अनुसूचियों में शामिल करने की सलाह दी गई है।

(चार) उड़न राख, फोस्फोजिप्सम, लाल मिट्टी जैसे कृषि/औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क में छूट/रियायत जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दिये गये हैं।

(पांच) राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल भवन निर्मित केन्द्रों द्वारा उत्पादित भवन निर्माण सामग्रियों की पूरी रेंज उत्पादन शुल्क में छूट पाने की पात्र है।

(छ) उड़न राख की मुफ्त आपूर्ति, उड़न राख के उत्पाद स्रोतों के निकट रियायती दरों और शर्तों पर भूमि का आबंटन जैसे कुछ अन्य बुनियादी प्रोत्साहन भी दिये गये हैं।

(सात) आवास तथा नगर विकास निगम (हडको), कृषि/औद्योगिक अपशिष्टों आदि का इस्तेमाल करके भवन निर्माण सामग्री बनाने वाली इकाइयों को इक्विटी सहायता और नियतकालीन ऋण दोनों मुहैया करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक भी इन इकाइयों को इक्विटी सहायता दे रहा है।

(आठ) देश के विभिन्न भागों में आवास योजनाओं को मंजूरी देते समय हडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास एजेन्सियों को अपने-अपने क्षेत्रों के अनुकूल कम लागत की निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण तकनीकों को शामिल करने के बाबत बाध्य करने के लिए अपने वित्तीय प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं।

(नौ) हडको, मितव्ययी तथा समुचित निर्माण तकनीक का इस्तेमाल करने की इच्छुक आवास एजेन्सियों को वास्तुकीय डिजाइन तथा परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है।

(ख) और (ग) भवन निर्मित केन्द्रों के माध्यम से सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों की सप्लाई करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि स्वायत्तशासी संगठनों के रूप में ये केन्द्र स्वयं पहल करके ऐसे कार्यकलाप शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करने वाले केन्द्रों को केन्द्र सरकार का उच्च अनुदान (अधिकतम 5 लाख रुपये तक सीमित) उपलब्ध है।

(घ) निवेश तथा ऊपरी लागतों में वृद्धि, भाड़ादरों में बढ़ोतरी आदि के कारण सीमेंट की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और यह आवास कार्यकलापों पर असर डालते हुए निर्माण की लागत में वृद्धि का एक कारण है।

(ङ) सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है विभिन्न बाजारों में मूल्यों का निर्धारण बाजारू ताकतों (मार्किट फोरसिज़) द्वारा किया जाता है। तथापि, सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने और अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में इसके प्रेषण के लिए सरकार प्राथमिकता आधार पर कौल, रेलवे वेगनों आदि के आबंटन जैसी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है ताकि मूल्यों में असामान्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए बाजार तंत्र सुदृढ़ किया जा सके।

पवन ऊर्जा का दोहन

523. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति इकाई पवन ऊर्जा की उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा की बढ़ती हुई उत्पादन लागत को देखते हुए ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के दोहन को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) पवन विद्युत उत्पादन की औसत लागत सामान्यतया 2.00–2.50 रुपये प्रति यूनिट के बीच है, जो स्थल विशेष पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई संवर्द्धनात्मक और राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय प्रोत्साहनों में पांच वर्षों का कर अवकाश

100 प्रतिशत संवर्द्धित ह्रास, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में रियायत/छूट शामिल है। कुछ राज्य सरकारों/ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की, वीलिंग, बैंकिंग, खरीद-वापसी की अनुमति है। कुछ राज्यों में तीसरे पक्ष को बिक्री और बिक्री कर प्रोत्साहन भी उपलब्ध हैं।

उपरि पुल

524. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने सड़क उपरि पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक पुल के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार ने निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 5 समपारों के बदले लागत में भागीदारी के आधार पर।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेलें रेल पथों के ऊपर ही पुल खास का निर्माण करती हैं। राज्य सरकार पहुंच मार्गों का निर्माण करती हैं, रेलवे रेलपथ के ऊपर पुल के निर्माण का कार्यक्रम इस प्रकार से बनाती है जिससे कि उसे पहुंच मार्गों का कार्य पूरा होने के साथ-साथ अथवा पहले पूरा किया जा सके। सरकार द्वारा कार्य की प्रगति हेतु समुचित प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

(ख) लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माणाधीन ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

कार्य का विवरण	प्रगति		टिप्पणी
	रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	
1. भरूच-समपार सं. 179 सी के बदले ऊपरी सड़क पुल	2%	—	राज्य सरकार द्वारा अभी पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।
1. वापी-समपार सं. 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल	85%	60%	
3. संत रोड-पिपलोद-समपार सं. 28 के बदले ऊपरी सड़क पुल	—	—	राज्य सरकार योजना में परिवर्तन चाहती है।
4. साबरमती-गांधीग्राम-समपार सं. 11 के बदले ऊपरी सड़क पुल	—	—	नक्शे तैयार हैं। निर्माण कार्य पर रेलवे के हिस्से का कार्य राज्य सरकार द्वारा पहुंच, मार्गों पर कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद भी किया जाएगा।
5. सूरत-समपार सं. 146 के बदले ऊपरी सड़क पुल	—	—	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं. नक्शे तैयार हैं. राज्य सरकार द्वारा पहुंचे मार्गों पर कार्य शुरू कर दिए जाने के बाद रेलवे के हिस्से का कार्य शुरू किया जाएगा।

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण

525. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की सुरक्षा हेतु सैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाये जाने को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश

जारी किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनिवार्य सैन्य शिक्षा आरम्भ किया जाना हमारे देश को लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, अनिवार्य सैन्य शिक्षा पर भारी व्यय करना पड़ेगा और उससे इसके अनुरूप ही लाभ प्राप्त होंगे, ऐसी संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

कारों का निर्यात

526. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित और विकासशील देशों में भारत में निर्मित कारों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारत में निर्मित कारों के निर्यात का ब्यौरा और प्रतिशतता क्या है;

(ग) किस देश को सर्वाधिक कारों का निर्यात किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कारों के निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। 1992–93 के दौरान 14,651, 1993–94 के दौरान 17,572 और 1994–95 के दौरान 23,092 कारों का निर्यात किया गया था जिसमें 1993–94 के दौरान 20% और 1994–95 के दौरान 31% की वृद्धि दर्ज की गयी है।

(ग) कारों का निर्यात मुख्यतया नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, तुर्की, हंगरी, ग्रास, इटली, पोलैंड, स्पेन, स्लोवाकिया आदि को किया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारों के निर्यात द्वारा अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा की राशि लगभग 218.60 मिलियन अमरीकी डालर होने की सूचना है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

527. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने वर्ष 1994–95 के दौरान महाराष्ट्र में कुछ नये एककों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। निगम ने अपनी किराया खरीद, उपकरण को पट्टे पर देने और कच्चे माल में सहायता संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994–95 के दौरान 25 नये एककों को वित्त पोषित किया है।

(ग) भारत सरकार देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने महाराष्ट्र में अपने कार्यकलापों को बढ़ाया है। नागपुर में एक अस्थाई कार्यालय जुलाई, 1995 में पहले ही खोला जा चुका है। पुणे में एक अन्य अस्थाई कार्यालय शीघ्र ही खोला जा रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लिए जल आपूर्ति योजना

528. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक और विदेशों के कुछ वित्तीय सहायता से विभिन्न जिलों में जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं, और उन पर कितना खर्च आएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विश्व बैंक और वित्तीय संस्थानों से बात करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से दो योजनाएं यथा—महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल–जल व्ययन परियोजना स्टेज–II (चरण–I) तथा मिड–वैतरण (बम्बई–IV) जल आपूर्ति शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल–जल व्ययन परियोजना स्टेज (चरण–I) में भयन्दर नगर परिषद् क्षेत्र थाना नगर निगम, बिदाण्डी नगर परिषद् तथा आस–पास के गांव, कल्याण नगर निगम क्षेत्र उल्लास नगर परिषद आते हैं। प्रस्तावित परियोजना के तहत लाभान्वित होने वाली आबादी लगभग 52 लाख (1991 की जनगणना) है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में परियोजना क्षेत्रों में मल–जल व्ययन/कम लागत की सफाई सुविधाएं शुरू करने का विस्तार किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 863 करोड़ रुपये है।

मिड–वैतरणा जल–आपूर्ति परियोजना में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने का विचार किया गया है तथा इसकी विकास के आगामी विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहचान की गई है। इस परियोजना के तहत, वैतरणा नदी पर ऊपरी वैतरणा बांध तथा निचले बैतरणा बांध के बीच एक बांध बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस बांध परियोजना पर लगभग 570 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल–जल व्यजन परियोजना स्टेज–II (चरण–I) के मामले में राज्य सरकार को अभी तकनीकी मंजूरी निधियन पहलू से मंजूरी तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी जैसी पूर्व शर्तों को पूरा करना है।

मिड–वैतरण (बम्बई–IV) के मामले में तकनीकी तथा निधियन पहलू संबंधी मंजूरी मिल चुकी है परन्तु राज्य सरकार को अभी कुछ स्पष्टीकरण देने हैं जो उनसे मांगे गये हैं।

रेलवे वैगन

529. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम मंत्रालय ने उत्तरी क्षेत्र में वर्तमान में तथा आगामी दिनों में पैट्रोलियम उत्पाद की मांग को पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु अधिक टैंक वैगनों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार को लकड़ी की ढुलाई दिल्ली में कराने हेतु माल डिब्बों की भारी मांग की जानकारी है;

(घ) क्या रेलवे इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए प्रति सप्ताह दीमापुर से दिल्ली के लिए एक रेल एक्सप्रेस चलाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) रेलों ने कांडला/कोयाली और बज बज से उत्तर भारत तक पेट्रोल, तेल और स्नेहक के संचलन को प्राथमिकता दी है। उच्चतर लदान करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ समन्वय करके निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(एक) टंकी मालडिब्बों के फुटकर संचलन को कम करने के लिए कतिपय क्षेत्रों में संचलन का यौक्तिकीकरण।

(दो) कतिपय चुनिंदा साइडिंगों पर रात्रि में लदान तथा उतराई शुरू करना।

(तीन) कतिपय टर्मिनलों पर इंजन–ऑन–लोड संकल्पना लागू करना।

(चार) संचलन में वृद्धि करने के लिए पेट्रोल तेल, स्नेहक यातायात का कंटेनरीकरण संबंधी सिद्धांत अपनाना।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, फुटकर मांगों को मिलाकर रेक पूरा किया जाता है और सप्लाई की व्यवस्था की जाती है बशर्ते कि रेक उपलब्ध हों और अन्य परिचालनिक कठिनाइयां न हों।

[हिन्दी]

अस्पताल

530. **डा. साक्षीजी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए विदेशों तथा अनिवासी भारतीयों से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं हेतु उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चिकित्सा परिषद्

531. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा परिषदों की स्थापना किन–किन चिकित्सा पद्धतियों के लिए की गई है;

(ख) क्या इन चिकित्सा परिषदों के कर्मचारियों और अधिकारियों को समान वेतनमान दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें समान वेतनमान दिए जाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) देश में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई है।

(ख) और (ग) सभी मामलों में वेतनमान एक जैसे नहीं हैं क्योंकि ये कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ परिषदों ने वेतनमानों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव

532. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खन्डूरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर समस्या के समाधान हेतु कौन–सी पैकेज योजना घोषित की गई है :

(ख) क्या चुनाव आयोग द्वारा कश्मीर में चुनाव रद्द किए जाने के बाद भी उक्त पैकेज योजना लागू होगी;

(ग) क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को यह पैकेज योजना स्वीकार्य नहीं थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राजनैतिक पैकेज को राज्य की स्वायत्तता की अपनी वचनबद्धता के अनुरूप तैयार करने हेतु इसमें सुधार करने का है;

(ङ) क्या सरकार इस पैकेज योजना को समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ख) प्रधान मंत्री द्वारा 4 नवम्बर, 1995 को एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के लोगों से, आतंकवादियों के खिलाफ दृढ़ता से डट जाने और पूरी तरह शांति–बहाली में मदद करने एवं अपनी खुद की चुनी हुई सरकार बनाने का अनुरोध किया गया था। अनुच्छेद–370 के अधीन राज्य का विशेष दर्जा बनाए रखने की सरकार की वचनबद्धता दुहराई गई थी और यह कहा गया था कि सरकार का प्रयास राज्य के सभी तीनों क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए संविधान के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य को स्वायत्तता को और मजबूती प्रदान करने का होगा। 1975 में किए गए समझौते के सम्पूर्णतम कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दुहराया गया था और आगे यह भी कहा गया था कि यदि राज्य विधानमंडल इस उद्देश्य हेतु राज्य के संविधान में संशोधन के लिए कार्रवाई करे तो सरकार को "वजीर–ए–आजम" और "सदर–ए–रियासत" के नामकरण बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। राज्य में विकास के मुद्दों पर सरकार द्वारा दिए गए बल और केन्द्रित ध्यान और राज्य की अर्थ–व्यवस्था को समय बद्ध रूप से पुर्नजीवित करने की आवश्यकता तथा राज्य के लिए और वित्तीय एवं विकास लाभ तैयार करने के लिए सरकार की वचनबद्धता पर भी वक्तव्य में प्रकाश डाला गया था।

(ग) से (च) उपर्युक्त उल्लिखित वक्तव्य पर लोगों के विभिन्न वर्गों, राजनैतिक ग्रुपों और समाचार–जगत में विविध प्रतिक्रियाएं हुई हैं। सरकार लगातार यह कहती रही है कि राज्य में एक माहौल बनाने और सुधरी हुई स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से वह विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ बात–चीत एवं विचार विमर्श के लिए हमेशा तत्पर है जिससे कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके तथा शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाकर एक जनतांत्रिक एवं चुनी हुई सरकार लाई जा सके। ऐसी बात–चीत और विचार–विमर्श में स्वायत्तता के सवाल के जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं जैसा कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। सरकार इस दिशा में चलती रहेगी और उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी और इस बारे में हमारे प्रयासों में कोई ढील नहीं आएगी।

[अनुवाद]

शहरी योजना तथा अभिकल्प

533. **श्री धर्मण्णा मोंडयूया सादुल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी योजना तथा अभिकल्प के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिये दो राष्ट्रीय नकद इनामों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन में श्रेष्ठता विषयक, प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के अनुमोदन से निम्नलिखित दो वर्गों के लिये अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन में श्रेष्ठता विषयक प्रधान मंत्री पुरस्कार योजना आरंभ करने का निर्णय किया है।

(क) असाधारण कोटि के पर्यावरण सृजन की परिचायक पूर्ण हुई शहरी योजनाएं व डिजाइन परियोजनाएं।

(ख) शहरी योजना तथा डिजाइन में प्रारूपस्तरीय या कार्यान्वियन स्तरीय अभिनव शैलियों/संकल्पनाओं तथा योजनाओं वाली परियोजनाएं।

ये पुरस्कार उन सभी भारतीय वास्तुकारों, नगर योजनाकारों व उनसे जुड़े पेशेवर लोगों, उनकी फर्मों और सरकार, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के लिये सुलभ होंगे जिन्होंने भारत भर में किसी भी जगह परियोजनाओं का प्रारूपण/संचालन किया हो।

पुरस्कार

वर्ष 1995–96 से आरंभ करके द्विवार्षिक आधार पर उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कारों का प्रस्ताव है प्रत्येक श्रेणी में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार क्रमशः श्रेष्ठ और द्वितीय श्रेष्ठ परियोजनाओं के लिए होंगे जो क्रमशः असाधारण कोटि के पर्यावरण सृजन तथा नूतन शैलियों/संकल्पनाओं और योजनाओं की परिचायक होगी और जिनमें शहरी योजना व डिजाइन क्षेत्र में विस्तृत अभिकल्प/रेखा चित्र तथा 3–डी मोडल शामिल होंगे।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये की राशि व प्रशस्ति पत्र का तथा द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) की राशि का प्रावधान है।

प्रतियोगिता-प्रविष्ठि अपेक्षाएं

प्रत्येक पुरस्कार योजना के तहत शामिल होने वाला, भौगोलिक क्षेत्र प्रत्येक प्रतियोगी हेतु न्यूनतम 100 हेक्टेयर (एक सौ हैक्टेयर) होगा। तथापि, अनुमोदन समिति के विवेकाधिकार से 75 हैक्टेयर (पचहत्तर हैक्टेयर) क्षेत्र की योजनाओं पर भी विचार किया जा सकेगा। पूर्ण हुई परियोजनाओं के बाबत प्रतियोगिता प्रविष्ठि के साथ विगत पांच वर्ष के अन्दर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 'न्यूनतम शैली–संकल्पनाओं व योजनाओं हेतु पुरस्कार योजना बाबत प्रविष्ठियों के प्रसंग में वे सकंल्पना योजनाएं प्रस्तुति की तारिख से दो वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये।

पुरस्कार स्वीकृति मानदण्ड

पुरस्कार स्वीकृति के लिये विचार हेतु पात्र मानी जाने वाली प्रतियोगिता प्रविष्ठियों को निम्नलिखित में से यथासंभव अधिक से अधिक मानदण्ड पूरे करने होंगे :–

(1) लक्षित प्रयोजन के लिय नगर/चुना गया इलाका या क्षेत्र हर तरह से कार्यमूलक हों,

(2) पर्यावरण संजृन सौंदर्यपरक तथा गुणवत्तामूलक हो,

(3) टिकाऊ पर्यावरण वाला हो,

(4) शहरी योजना व डिजाइन किफायती व परिचालन पैर्टन की हो,

(5) गरीबतर वर्गों के लिए भागीदारमूलक हो,

विहित प्रक्रिया के अनुसार श्रेष्ठ तथा द्वितीय श्रेष्ठ समझी गई प्रविष्ठियां ही दोनों श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार स्वीकृति के लिये पात्र मानी जायेगी।

अनुमोदन समिति का निर्णय, शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (शहरी विकास विभाग) तथा प्रधान मंत्री की स्वीकृति मिल जाने के बाद अंतिम माना जायेगा।

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण

534. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुरादनगर और मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा ; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) मुरादनगर और मेरठ शहर के बीच (30 कि.मी.) दोहरीकरण का कार्य 31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया है जिसके लिए वर्ष 1995-96 में 5 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस लाइन पर बोल्ट योजना के अंतर्गत अति शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 1997-98 है।

[अनुवाद]

बंगलौर-अहमदाबाद एक्सप्रेस

535. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंये कि :

(क) क्या सरकार को बंगलौर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हुबली होकर चलाने हेतु हुबली के निवासियों द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

पोलियो के टीके

536. **श्री राम बदन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिलाए जाने वाली पोलियों की दवा की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कमी को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य न्यास

537. **श्री राजेश कुमार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के स्थान पर स्वास्थ्य न्यासों के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कूड़े से विद्युत उत्पादन

538. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कूड़े से विद्युत के उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) आरम्भ की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) शहरी, म्यूनिसिपिल तथा औद्योगिक कूड़े से ऊर्जा प्राप्ति पर राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए एक पाइलट कार्यक्रम हाल ही में चलाया गया था। इसका उद्देश्य उचिष्ट सहित औद्योगिक तथा शहरी कूड़े से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अभिवृद्धि करना है। इस कार्यक्रम के अधीन परियोजना प्रस्ताव अभी तक अभियोजकों तथा लाभानुभोगी संगठनों के साथ निरूपण तथा विकास के प्रथम चरण में है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

539. **डा. आर. मल्लू :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें बैंक ऋण संघ से खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋणों की गारंटी दिये जाने पर सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका नाम तथा ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक केवल तमिलनाडु और मिजोरम राज्य सरकारों ने अपने राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से ऋण संघ से धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक गारंटी मुहैया की है।

[हिन्दी]

रेलवे प्लेटफार्मों पर अप्राधिकृत विक्रेता

540. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर रेलवे पुलिस की सांठ–गांठ से अप्राधिकृत विक्रेता सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे खान–पान विभाग को इन अप्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्लेटफार्मों पर अप्राधिकृत बिक्री को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ख) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खान–पान का प्रबंध, फल तथा जूस की बिक्री को छोड़कर, कमीशन बेंडरों के जरिए विभागीय तौर पर किया जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अप्राधिकृत वेंडिंग के मामले समय–समय पर देखने में आते हैं। अप्रैल 95 से 22.11.95 तक 1345 अप्राधिकृत वेंडर पकड़े गए थे तथा उनसे 2,74,615 रु. का जुर्माना वसूल किया गया था। तथापि, अप्राधिकृत वेंडिंग के कारण होने वाली हानि की गिनती नहीं की जा सकती।

(घ) गाड़ियों तथा स्टेशन परिसरों में अप्राधिकृत वेंडरों/खोमचे वालों द्वारा खाद्य पदार्थों या वस्तुओं की बिक्री करना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 के अंतर्गत एक अपराध है। इस बुराई को दूर करने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों तथा रेल सुरक्षा बल को मिलाकर एक कृतक बल बनाया गया है। इस कृतक बल द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

औषधों की सप्लाई

541. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने औषधों की सप्लाई के विषय में अपना असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष किन–किन राज्यों ने अपना असंतोष व्यक्त किया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान मेडिकल स्टोर संगठन द्वारा औषधों की सप्लाई के बारे में किसी भी राज्य सरकार ने अपना असन्तोष व्यक्त नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशन

542. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अधीन मुरैथा और जेकतर रेलवे स्टेशनों को निजी ठेकेदारों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) मितव्ययिता के उपाय के तौर पर रेलवे ने मुरैथा और टेकटार (जेकतर नहीं) फ्लैग स्टेशनों को मौजूदा सुविधाओं/सुख सुविधाओं में कमी किए बिना ठेकेदार द्वारा परिचालित करने का विनिश्चय किया है, बहरहाल, इस प्रस्ताव के विरुद्ध जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए फ्लैग स्टेशनों को ठेकेदार के माध्यम से चलाने के विनिश्चय को लंबित रखा गया है।

रेल लाइन

543. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान मार्ग में संशोधन करते हुए न्यू जलपाई गुड़ी से दोमोहानी होते हुए अलीपुर द्वार तक वैकल्पिक रेल मार्ग बनाने हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) बरास्ता न्यू माल और राजा मात खावा, न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार तक एक वैकल्पिक मार्ग का सृजन किया जाएगा। तथापि यह मार्ग न्यू दोमुहानी जो न्यू जलपाईगुड़ी तथा न्यू कूच बिहार के बीच एक स्टेशन है, से होकर नहीं गुजरेगा।

ई. एम. यू. सवारी डिब्बे

544. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर तथा सियाल दह और खड़गपुर तथा वर्दमान के बीच ई.एम.यू. सवारी डिब्बों के शुरू करने की लम्बे समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक और तकनीकी कारणों की वजह से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

545. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य वर्गों के लोगों के लिये आवासों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवास की गंभीर समस्या वाले स्थानों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के किन्हीं स्थानों का चयन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री. आर.के. धवन) : (क) से (ख) आवास राज्य विषय है और जनता के विभिन्न वर्गों के लिए उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार आवास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आबंटन करने हेतु विभिन्न स्थानों पर साधारण पूल रिहायशी वास का निर्माण किया जाता है।

(ग) और (घ) उन नगरों, अधिकांशतः महानगरों में जहां किराया बहुत अधिक है और भूमि उपलब्ध है, साधारण पूल रिहायशी वास के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। साधारण पूल रिहायशी वास दिल्ली के अलावा बंगलौर, मद्रास, कोचीन, कलकत्ता, नागपुर, शिलांग, इम्फाल, चंडीगढ़, इन्दौर, कानपुर शिमला, इलाहाबाद, भोपाल, गाजियाबाद, श्रीनगर, न्यू–बम्बई, राजकोट, अगरतला, हैदराबाद, आदि नगरों में बनाये गये/बनाये जा रहे हैं।

(ङ) साधारण पूल रिहायशी मकानों का निर्माण पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कलकत्ता, गंगटोक, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी में स्वीकृत/शुरू किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कोटे में बढ़ोत्तरी

546. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सि वेल सेवाओं में कितने भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया है;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं में भर्ती किए गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिको के लिए कोटा में बढ़ोत्तरी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) समूह "क" की सिविल

सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। तथापि, उन्हें कतिपय स्थितियों में अधिकतम आयु सीमा में आयु संबंधी छूट दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग जोकि सिविल सेवाओं के लिए भर्ती करता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सिविल के लिए भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों के आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

भारत विरोधी अभियान

547. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अक्टूबर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक रेडियो स्टेशन फार ऐंटी इंडिया कैम्पेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भारत विरोधी अभियान की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सरकार को प्रश्नाधीन रिपोर्ट की जानकारी है। यह सच है कि पाकिस्तान चोरी–छिपे प्रसारणों इत्यादि सहित विभिन्न माध्यमों से जम्मू और कश्मीर में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करता रहा है। इन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है तथा स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर विभिन्न माध्यमों से ऐसे दुष्प्रचार का खण्डन करने की कार्रवाई की जा रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान तथा जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा की गतिविधियों में इसकी सीधी संलिप्तता की पोल पर्याप्त रूप से खुल गई है। इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान

548. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात में नये समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में गुजरात सहित देश के किसी भी भाग में समुद्री प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

549. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** 23 अगस्त, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) चालू योजना के दौरान केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कितना आबंटन किया गया ;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक राज्यवार वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई/व्यय हुई; और

(ग) वर्ष 1995–96 के लिये योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई और अप्रैल–सितम्बर, 1995 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग) केन्द्रीय तथा केंन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 1995–96 (चालू योजना) के दौरान किया गया आबंटन संलग्न विवरण–I में दिया गया है। 1994–95 तथा 1995–96 (अप्रैल से सितम्बर, 1995 तक) के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशि क्रमशः संलग्न विवरण–II और III में दी गई है। पूर्णतः केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत राशि अधिकतर संस्थाओं को जारी की जाती है न कि राज्यों को।

विवरण

केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 1995-96 (केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमों) के लिए किया गया आबंटन :

क्रम सं.	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय 1995–96
I. केन्द्रीय	**प्रायोजित कार्यक्रम**	करोड़ रुपये
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (जिसमें काला–आजार, फाइलेरिया तथा जापानी एनसिफ्लाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल हैं।	139.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	80.00
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	50.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	72.00
5.	राष्ट्रीय गिनी–कृभि उन्मूलन कार्यक्रम	0.30
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें रक्त निरापदता उपाय तथा राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है।	80.00
7.	राज्यों में औषध नियंत्रण तथा खाद्य मानक प्रशासन को सुदृढ़ बनाना :	
	(क) राज्यों में औषध जांच सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहायता	2.00
	(ख) राज्यों में औषध निरीक्षण संबंधी कर्मचारी बढ़ाने के लिए सहायता	0.50
	(ग) राज्यों को उनकी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता	1.00
8.	भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता	0.20
9.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	1581.00
II. पूर्णतः	**केन्द्रीय योजनाएं :**	
	ग्रामीण स्वास्थ्य	
1.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़	0.40
2.	संचारी रोगों के नियंत्रण संबंधी संस्था	10.45
3.	गैर–संचारी रोगों पर नियंत्रण/रोकथाम	17.15
4.	अस्पताल तथा औषधालय	34.55
5.	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संबंधी संस्थाएं	120.26
6.	अन्य कार्यक्रम	39.20
7.	भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्यौपैथी	22.99

विवरण-II

1994-95 के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्यों को भुगतान की गई रकमों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	एनएमईपी 1994–95	एनएलईपी 1994–95	एनटीसीपी 1994–95	एनपीसीबी 1994–96	एनएआईडी 1994–95	एससीपी 1994–95	एनएफडब्ल्यूपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	712.57	257.02	274.88	89.28	257.73	11062.37	
2.	अरूणाचल प्रदेश	125.06	17.77	6.97	6.80	12.19	178.93	
3.	असम	540.78	36.47	42.03	37.56	50.37	3488.38	
4.	बिहार	385.11	180.75	235.07	53.58	87.00	10945.98	एनएमईपी—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
5.	गोवा	13.68	3.84	10.33	4.82	41.82	166.67	
6.	गुजरात	970.06	77.57	162.05	55.00	129.29	7525.79	
7.	हरियाणा	341.84	12.59	43.37	43.43	62.27	2541.03	एनएलईपी—राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
8.	हिमाचल प्रदेश	109.68	15.29	61.11	21.62	87.27	2174.74	
9.	जम्मू व कश्मीर	85.20	8.79	41.55	29.41	12.35	3027.19	
10.	कनार्टक	476.65	130.86	81.80	76.96	138.33	9307.80	एनटीसीपी—राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
11.	केरल	51.68	109.72	74.43	93.59	100.88	6517.04	
12.	मध्य प्रदेश	1682.01	216.81	185.25	198.57	217.79	10385.16	
13.	महाराष्ट्र	1121.65	97.11	610.18	225.90	292.60	9994.27	एनपीसीबी—राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
14.	मणिपुर	105.71	6.28	10.26	11.72	52.50	557.96	
15.	मेघालय	84.85	10.53	4.86	6.84	40.29	343.77	
16.	मिजोरम	79.66	14.21	2.32	13.53	56.40	194.08	एनएआईडीएससीपी—राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
17.	नागालैंड	150.11	6.81	8.62	8.51	67.33	400.67	
18.	उड़ीसा	236.08	223.20	83.96	91.58	126.10	6312.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	पंजाब	377.52	25.58	61.34	41.97	64.50	3760.93	एनएफडब्ल्युपी—राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम
20.	राजस्थान	560.59	58.20	156.51	118.30	123.84	10991.90	
21.	सिक्किम	0.80	24.06	7.28	1.34	17.83	222.05	
22.	तमिलनाडु	137.35	191.36	134.88	105.89	277.44	9728.14	
23.	त्रिपुरा	114.65	24.41	10.45	24.80	3.00	772.36	
24.	उत्तर प्रदेश	890.78	354.78	383.04	244.80	121.00	23783.52	
25.	पश्चिम बंगाल	449.64	176.78	439.47	84.24	185.64	6447.51	
26.	अंडमान निकोबार	104.96	8.38	14.11	4.79	31.27	70.90	
27.	चंडीगढ़	55.20	10.55	2.08	5.61	28.65	138.25	
28.	दादरा व नगर हवेली	19.56	3.54	2.68	0.85	25.15	24.00	
29.	दमन व दीव	7.10	3.78	4.88	4.07	26.15	21.25	
30.	दिल्ली	91.33	9.31	52.04	22.27	97.73	1173.00	
31.	लक्ष्य द्वीप	3.23	4.44	0.46	4.04	27.52	9.30	
32.	पांडिचेरी	10.42	11.07	6.80	1.53	10.18	80.00	

विवरण-III

1995-96 (अप्रैल-सितम्बर, 1995) के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्यों को भुगतान की गई रकमों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एनएमईपी	एनएलईपी	एनटीसीपी	एनपीसीबी	एनएआई डीएससीपी	एनएफडब्ल्यूपी (अप्रैल नवम्बर, 1995)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	730.75	101.50	197.24	168.46	137.00	4281.23	
2.	अरूणाचल प्रदेश	182.55	8.25	2.73	3.31	65.81	118.26	
3.	असम	1301.22	10.00	65.67	14.83	57.70	1635.39	
4.	बिहार	408.47	56.00	224.93	28.46		5161.45	एनएमईपी—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम
5.	गोवा	16.75	0.25	5.79	2.32		100.58	
6.	गुजरात	1035.92	9.00	314.23	19.50	118.61	2629.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	360.91	3.50	31.95	4.47		1035.13	एनएलईपी–राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
8.	हिमाचल प्रदेश	197.26	3.50	10.10	7.73	156.75	693.70	
9.	जम्मू व कश्मीर	106.90	2.24	16.60	11.29		744.49	
10.	कर्नाटक	398.36	50.00	150.41	44.70	120.00	4873.20	एनटीपीसी–राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
11.	केरल	73.21	38.00	156.18	46.02	102.35	1803.84	
12	मध्य प्रदेश	1397.53	58.50	145.62	178.92	137.00	4061.72	
13.	महाराष्ट्र	995.20	10.00	293.25	185.16		4624.39	एनपीसीबी–राष्ट्रीय दुष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम
14.	मणिपुर	194.34	1.74	3.44	6.69	83.87	297.81	
15.	मेघालय	179.44	4.00	12.97	4.18	18.00	199.11	
16.	मिजोरम	151.08	6.00	7.72	1.80	36.00	138.45	एनएआईडीएससीपी– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
17.	नागालैंड	171.29	1.50	11.40	4.22	40.00	157.30	
18.	उड़ीसा	338.22	56.00	111.52	146.76		2398.25	
19.	पंजाब	429.39	10.00	32.95	7.62		1367.25	एनएफडब्लूपी–राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम
20.	राजस्थान	848.20	14.50	219.57	161.14	90.00	4737.18	
21.	सिक्किम	9.23	10.00	19.15	0.58	25.00	177.59	
22.	तमिलनाडु	334.72	57.00	228.85	169.04	300.00	3026.67	
23.	त्रिपुरा	307.17	9.50	8.70	4.60	38.00	246.21	
24.	उत्तर प्रदेश	1084.82	88.50	284.74	115.02		9994.29	
25.	पश्चिम बंगाल	344.37	40.00	103.67	13.08	288.82	4930.77	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	100.38	6.50	8.90	5.45	50.58		
27.	चंडीगढ़	59.46	0.50	1.07	4.86	51.69		
28.	दादरा व नगर हवेली	21.33	0.50	2.93	1.41	42.00		
29.	दमन व दीव	8.77	2.00	5.98	1.77	43.05		
30.	दिल्ली	63.16	0.25	101.30	7.52	82.00	1122.01	
31.	लक्ष्यद्वीप	4.06	2.00	2.52	1.36	46.41		
32.	पांडिचेरी	54.84	0.75	3.64	1.04	55.05	66.55	

नई रेलगाड़ी

550. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट और अल्लेप्पी के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाईयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

पेंशन दर

551. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के पहले तथा बाद में सेवानिवृत होने वाले विशेष रूप से अधिकारियों की पेंशन दर में काफी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 से पहले तथा बाद में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों का पेंशन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेवानिवृत्ति की तिथि पर विचार किये बिना पद तथा सेवाकाल के आधार पर पेंशन में एकरूपता की मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1.1.1986 से पहले सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की पेंशन निम्नलिखित दरों/स्लैब पद्धति के अनुसार परिकलित की गई थी :–

औसत परिलब्धियां	पेंशन की दर
प्रथम 1000 रु.	50%
अगले 500 रु.	45%
शेष परिलब्धियों के लिए	40%

पेंशन दर/सूत्र को चौथे वेतन आयोग की सिफारिश पर 1.1.1986 से संशोधित किया गया था 1.1.1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेनाओं के अफसरों और अफसर से निचले रैंक के कार्मिकों को पेंशन अब पेंशन के लिए गणनीय औसत परिलब्धियों के 50% की दर पर परिकलित की जाती है। 50% की संशोधित पेंशन दर/सूत्र 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के लिए भी लागू किया गया। वर्ष 1986 से पहले के इन पेंशनभोगियों की पेंशन 50% सूत्र के लाभ दिए जाने के बाद 1.1.1986 से पुनः परिकलित और समेकित की गई थी। अतः वर्ष 1986 से पहले और बाद के रक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन दरों में कोई असमानता नहीं है।

2. विभिन्न अंतरालों पर सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की पेंशन की राशि में कुछ असमानता है। यह असमानता इस तथ्य के कारण है कि पेंशन का मामला सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन और संबंधित व्यक्ति द्वारा की गई अर्हक सेवा की अवधि से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1986 से पहले और उसके बाद के पेंशनभोगियों की पेंशन में असमानता कम करने के लिए 1.1.1986 से पूर्व के रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन 50% सूत्र लागू करके और महंगाई राहत का उपभेक्ता मूल्य सूचकांक 808 तक विलय करके उनकी पेंशन पुनः परिकलित करके समेकित की गई थी। उन्हें पेंशन में एक बार की वृद्धि भी मंजूर की गई थी।

3. अभी सरकार ने पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग बिठाया है और आयोग के पास विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ पेंशन के मौजूदा ढांचे की जांच करना और सशस्त्र सेना के कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

552. **श्री गुमान मल लोढा** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रतिबद्ध औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने में असमर्थ है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) औद्योगिक विकास केन्द्रों की कुल संख्या क्या है जिन्हें सितम्बर, 1995 के अन्त तक स्थापित करने का लक्ष्य था और अब तक कुल कितने केन्द्रों की स्थापना की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जून, 1988 में पूरे देश में 70 विकास केन्द्रों के विकास के लिए विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी।

70 केन्द्रों में से 69 केन्द्रों के स्थापना–स्थल को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। 66 केन्द्रों के संबंध में परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं जिनमें से अब तक 41 को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है। शेष 19 परियोजना रिपोर्टें चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों के मूल्यांकनाधीन हैं।

(घ) और (ङ) जी, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र

553. **श्री प्रबीन डेका : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय कुल कितने कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र हैं;

(ख) 1993–94 और 1994–95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक केन्द्र को कितनी–कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई और जारी की गई;

(ग) क्या इन केन्द्रों में कुष्ठ रोगियों को कोई मुफ्त दवाईयां प्रदान की जा रही हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) इस समय असम राज्य में 304 कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) राज्य, जो कि इन केन्द्रों को आगे अनुदान देते हैं, को 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	नकद	सामग्री	कुल
1993–94	18.00	1.49	19.49
1994–95	20.00	16.47	36.47

इसके अतिरिक्त जिला कुष्ठ सोसाइटियों के माध्यम से इन केन्द्रों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 175.93 लाख रुपये की राशि भी जारी की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी कुष्ठ रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए राज्य को कुष्ठ रोधी औषधें सप्लाई की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न, नहीं उठता।

अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

554. **श्री तारा सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ और कानपुर छावनी बोर्डों ने "ओल्ड ग्रांट" क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की है;

(ख) क्या यह निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे के किये गये हैं और इन भूखंडों पर तीसरे पक्ष और अनधिकृतम कब्जाधारकों ने काफी अधिक मुनाफा कमाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समझौतों की जांच का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा छावना अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत "ओल्ड ग्रांट" स्थलों पर अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) जी, हां। उक्त निर्माण भवन के नक्शे से संबंधित स्वीकृति लिए बिना बनाए गए हैं। अतः उन्हें गिराए जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तीसरे पक्षकारों तथा अनधिकृत कब्जाधारियों द्वारा उक्त भूमि पर प्रीमियम वसूल किए जाने से संबंधित कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ग) और (घ) छावनी बोर्ड को, जो स्वतंत्र सांविधिक निकाय है, ऐसे अनधिकृत निर्माणों से निपटाने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के तहत पूरे तौर पर अधिकार प्राप्त हैं।

सेना द्वारा भूमि का अर्जन

555. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, राजौरी और पुन्छ में वे किसान जिनकी भूमि सेना द्वारा अर्जित की गई है, अपनी भूमि हेतु किराये में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ये किराये पिछली बार कब निर्धारित किए गए थे;

(घ) क्या सरकार का विचार सेना की आवश्यकताओं के अलावा अतिरिक्त भूमि को किसानों को वापिस करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार 16 फरवरी, 1993 से संशोधित किराये का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है।

(ग) ये किराए पिछली बार राज्य सरकार द्वारा 16.2.1993 को निर्धारित किए गए थे।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है जो सेना की आवश्यकता से अधिक हो।

नौसेना को इण्डोनेशिया की सेवाएं

556. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया ने भारत में अपनी नौसेना हेतु मरम्मत, बंकर बनाने ओर अन्य सुविधाओं के लिए सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं के नियम और शर्तें क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। इण्डोनेशिया से मरम्मत/बंकर बनाने के लिए किसी प्रकार की विशिष्ट सुविधा कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

परिवार नियोजन नीति

557. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान परिवार नियोजन नीति से अब तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एम. एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ परिवार नियोजन के बारे में नई नीति पर चर्चा की गई है;

(ग) यदि हां तो इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जन्म दर 1951–61 में 41.7 प्रतिशत से घटकर 1994 में 28.6 प्रतिशत रह गई है। कुल प्रजनन दर 1951–61 में 5.97 से घटकर 1993 में 3.6 रह गई है । शिशु मृत्यु दर 1951–61 में 146 से घटकर 1994 में 73 रह गई है। अनुमान है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप मार्च, 1995 तक 182.76 मिलियन जन्मों को रोका गया है।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय नीति का एक प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया गया था। जनसंख्या संबंधी मुद्दों के समस्त पहलुओं पर विचार करते हुए विशेषज्ञ दल ने अन्यों के साथ निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :–

(एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए योजना में लैंगिक समानता का एकीकरण।

(दो) वर्ष 2010 तक 2.1 की कुल प्रजनन दर को हासिल करके जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को और बढ़ने की गति में वृद्धि करने के लिए एक समर्थ वातावरण और सशक्त तंत्र का सृजन करना।

(तीन) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का तेज और कारगर कार्यान्वयन।

(चार) विदित पसंद के आधार पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था।

(पांच) जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं की भागीदारी।

(छः) कार्यान्वयन में अत्यधिक अन्तरों को भरने के लिए जनसंख्या और समाज विकास निधि का सृजन।

(सात) अन्तर–क्षेत्रीय अभिमुखीकरण के जरिए जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जनसंख्या और सामाजिक विकास आयोग का गठन। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया गया है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योग संवर्द्धन एवं विकास योजना

558. **श्री फूलचंद वर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना में ग्रामीण उद्योग संवर्द्धन एवं विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए 50 परियोजनाएं स्वीकृत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई परियोजना स्वीकृत की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो इनके स्थान कौन–कौन से हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग द्वारा "ग्रामीण उद्योग विकास योजना" के नाम से कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। तथापि सरकार द्वारा मार्च, 1994 में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत ढांचागत विकास योजना (आई. आई. डी.) (जिसमें प्रौद्योगिकीय समर्थन सेवाएं भी शामिल हैं) की शुरूआत की गई है।

(ख) से (ङ) आई. आई. डी. योजना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लगभग 50 केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना है। प्रत्येक केन्द्र की 5.00 करोड़ रुपये की लागत केन्द्रीय सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस. आई. डी. बी. आई.) द्वारा 2 : 3 के अनुपात में उठाई जायेगी। जिसमें केन्द्रीय सरकार का योगदान अनुदान के रूप में होगा और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का योगदान ऋण के रूप में होगा। पांच करोड़ रुपये से अधिक की लागत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी की जायेगी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के प्रस्तावों का भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया जायेगा और इन पर स्वीकृत हेतु योजना के अंतर्गत गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा। अब तक 11 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों के लिए 13 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। गांव नंदनतोला, तहसील अमरपतन, जिला सतना में परियोजना स्थापित करने संबंधी मध्य प्रदेश के एक प्रस्ताव को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अब मूल्यांकित कर दिया है और उसे स्वीकृति हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाएं

559. **डा. मुमताज अंसारी :**
श्री राम बदन :
श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री चंद्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 30 नवम्बर, 1995 तक विशेष रूप से पिछले छह महीनों की अवधि के संदर्भ में वर्षवार और प्रत्येक जोन में कितनी रेल दुर्घटनाएं और पटरी से उतरने की घटनाएं हुईं;

(ख) उन दुर्घटनाओं और पटरी से उतरने की घटनाओं के मुख्य कारण क्या–क्या हैं;

(ग) रेल कर्मचारियों और उपकरणों की विफलता के कारण कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(घ) इनमें कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए तथा रेलवे की कितनी संम्पत्ति की क्षति हुई;

(ङ) उन दुर्घनाओं और पटरी से उतरने की घटनाओं से पीड़ित लोगों को दी गई सहायता/राहत का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) संबंधित सूचना इस प्रकार है :

रेलें	दुर्घटनाओं की कुल संख्या				गाड़ी के पटरी से उतरने की कुल घटनाएं			
	1992–93	1993–94	1994–95	अप्रैल–अक्तू1995	1992–93	1993–94	1994–95	अप्रैल–अक्तू1995
मध्य	53	51	56	26	36	41	46	21
पूर्व	46	47	35	14	35	37	28	11
उत्तर	66	70	74	26	46	43	54	22
पूर्वोत्तर	38	35	28	19	27	25	16	17
पू.सी.	50	45	50	12	50	40	49	11
दक्षिण	50	50	62	27	40	36	31	15
द.म.	56	57	50	25	45	47	39	19
द.पू.	107	104	92	44	96	91	84	40
पश्चिम	58	61	54	21	39	41	41	17
मैट्रो	–	–	–	1	–	–	–	–
जोड़	524	520	501	215	414	401	388	173

(ख) गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं सहित रेल दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की विफलता, रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की विफलता, उपस्करों की विफलता, तोड़–फोड़, प्रासंगिक कारणों (यथा पशु का गाड़ी के नीचे आ जाना, रेलपथ पर पत्थर गिर जाना आदि) एवं कारकों के कारण हुई;

(ग) से (ङ) सूचना इस प्रकार है :

	1992–93	1993–94	1994–95	अप्रैल–अक्तूबर, 1995*
रेल कर्मचारियों की विफलता	363	358	348	125
उपस्करों की विफलता	57	55	38	24
मारे गए व्यक्तियों की सं.	282	379	305	480
घायल हुए व्यक्तियों की सं.	823	905	687	648
रेल सम्पत्ति को हुई हानि की लागत (करोड़ रु. में)	66.1	57.09	52.34	35.18
दिये गए मुआवजे की राशि (लाख रु. में)	237.16	178.01	176.69	203.28
अनुग्रह राहत की राशि (लाख रु. में)	15.62	20.29	11.70	39.06

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(च) रेलें गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं।

रेलों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों का बेहतर अनुरक्षण और संरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। संरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

1. सभी ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइन स्टेशनों पर उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक रेलपथ परिपथन पूरा कर लिया गया है सिवाय 362 स्टेशनों के जिन पर इसे मार्च, 1996 तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष 679 स्टेशनों केलिए स्टार्टर से अग्रिम स्टार्टर से अग्रिम स्टार्टर रेलपथ परिपथन जून, 2996 तक पूरा कर लिया जाएगा। उपर्युक्त कार्यों पर लगभग 100 करोड़ रु. की लागत आएगी।

2. आगे जाने वाली गाड़ी के लिए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल के पीछे हटने तक स्लाट दिए जाने को रोकने के लिए सिगनल परिपथन में परिवर्तन करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। अग्रिम स्टार्टर पर स्टेशन मास्टर के स्लाइड कंट्रोल की भी व्यवस्था की जाएगी।

3. स्टेशन कर्मचारियों, चलती गाड़ियों के चालक और गार्ड के बीच 200 करोड़ रु. की लागत से एक संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रणाली का नागपुर–दुर्ग और दिल्ली–मुगलसराय खंडों के बीच परीक्षण किया जा रहा है; इस प्रणाली में "एसओएस" बटन लगा होगा जिससे 5 कि.मी. की परिधि के भीतर की सभी गाड़ियों और स्टेशनों को चेतावनी मिल सकेगी।

4. रेलपथ संरचना को सुदृढ़ किया गया है। फिश प्लेटों को हटा कर और पटरियों की झलाई करके उन्हें झलाईयुक्त लंबे पटरी पैनलों में बदला गया है। कुल रेलपथ के लगभग आधे भाग पर, जिसमें लगभग समस्त महत्वपूर्ण मुख्य लाईनें शामिल हैं, लचकदार स्थिरकों सहित कंक्रीट स्लीपर लगाए गए हैं।

5. रेलपथ का अनुरक्षण टाई टैम्पिंग और गिट्टी साफ करने वाली मशीनों से किया जाता है। अब रेलपथ भी रेलपथ नवीकरण गाड़ियों और पोर्टल क्रेनों की सहायता से बिछाया जा रहा है।

6. रेलपथ ज्यामिती और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी करने के लिए, अत्याधुनिक रेलपथ अभिलेखी यानों, दोलनलेखी यानों और सुवाह्य त्वरणमापी यंत्रों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

7. आंख से न दिखने वाले पटरी के अप्रत्यक्ष दोषों का पता लगान के लिए पराध्वनिक (अल्ट्रासोनिक) दोष संसूचकों का उपयोग किया जाता है।

8. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा में सुधार लाने के लिए, श्रव्य–दृश्य अलार्म संस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए, मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित दो श्रव्य–दृश्य अलार्म सेट बैंगलूर के निकट परीक्षणाधीन हैं। इनकी बिना चौकीदार वाले अन्य समपारों पर भी उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

9. यह विनिश्चय किया गया है कि बिना चौकीदार वाला कोई नया समपार नहीं खोला जाएगा। सभी समपार चौकीदार युक्त होंगे।

10. चल–स्टाक की स्थिति म सुधार किया गया है। चौपहिया माल–डिब्बों को बेहतर बोगी वाल–ब्रेक स्टाक में बदला जा रहा है।

11. विर्निमित किए जा रहे नए सवारी–डिब्बे आईसीएफ/इस्पात बॉडी के हैं जो बेहद मजबूत और एंटीटेलिस्कोपिक हैं।

12. धुरों के अपने आप टूट जाने के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में उत्पन्न होने वाले दोष के मामलों को समय से ढूंढ निकालने के लिए सभी नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में पराध्वनिक जांच उपस्कर लाए गए हैं।

13. दुर्घटना हो जाने पर, और आगे दुर्घटना रोकने के लिए सामने की दिशा से आ रही गाड़ी के चालकों को संकेत देने हेतु रेल इंजनों पर फ्लैशर लाइटें लगाई गई हैं।

14. कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर प्रोजेक्टर, स्लाइडों, दुर्घटना के मामलों का अध्ययन और उन पर परिचर्चा जैसी बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं जुटा कर और बल दिया गया है।

15. परिचालन कोटियों (सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक चालक) के भर्ती स्तर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं आरम्भ हो गई हैं।

16. चालाकों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर संस्थापित किए गए हैं। कानुपर और तुगलकाबाद में एक–एक सिमुलेटर कार्य कर रहा है। दो अन्य आस्ट्रेलिया से आयात किए जा रहे हैं।

17 ड्यूटी आरंभ करने से पूर्व श्वास–विश्लेषण टैस्ट द्वारा चालकों की मद्यपान की जांच की जाती है। विशेष जांच भी की जाती है।

18. चलती गाड़ी के चालक को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने तथा यदि वह चालक पूर्व–निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर न दे तो गाड़ी को रोक देने के लिए "सहायक चेतावनी प्रणाली" पहले ही बंबई के उपनगरीय खंडों पर चालू कर दी गई है।

19. आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों और ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया गया है।

20. निरीक्षणों और अचानक जांचों की बारंबारता बढ़ा दी गई है और संरक्षा अभियान आरंभ किए गए हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण

560. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आर्थिक दृष्टि से कमजोर युवाओं को केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संसद के वर्तमान सत्र में इस संबंध में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खोई पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

561. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 चीनी मिलों ने खोई पर आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) खोई पर आधारित विद्युत उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अभी तक लगभग 18 चीनी मिलों ने मंत्रालय में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का निर्णय चीनी मिलों द्वारा न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरी करने पर निर्भर करता है जैसे कि कार्यक्रम के उपबंधों के अनुसार अवधि ऋणों का अनुमोदन, विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करना आदि।

[हिन्दी]

सीमा सड़क संगठन द्वारा चट्टानों को विस्फोट द्वारा उड़ाना

562. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन की एक पलटन खुड़ा (बद्रीनाथ मार्ग) में तैनात है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्फोट के लिए विस्फोटक सामग्रियों का भंडारण ऐसे स्थान पर किया गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है और यह वहां की जनसंख्या के लिए खतरनाक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विस्फोटक सामग्री भंडार को अन्यत्र स्थानांतरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा

563. **श्री बलराज पासी** : क्या **प्रधान मंत्री** 26 अप्रैल, 1995 के तारांकित प्रशन संख्या 326 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस एजेंन्सी ने ग्राम बयेला मल्ला, डाकघर दिरवनी खाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा मिल की स्थापना का कार्य हाथ में लिया था;

(ख) पवन ऊर्जा मिल के चालू न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे एकाएक बन्द करने के क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी (नेडा) ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए बजट से 10 कि. वा. क्षमता का पवन बैटरी चार्जर स्थापित करके पौड़ी गढ़वाल जिले के बयेला मल्ला ग्राम के विद्युतीकरण के लिए एक परियोजना हाथ में ली थी। नेडा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसर्स राघव ट्रेडिंग कम्पनी नई दिल्ली को पवन बैटरी चार्जर स्थापित करने, चालू करके सप्लाई करने के लिए आदेश दिया गया था। पद्धति मौके पर दे दी गई थी लेकिन घटकों के बेमेल होने के कारण स्थपना नहीं हो सकी। नेडा ने फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ कर दी है ।

इस बीच में ग्राम बयेला मल्ला का सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत पद्धति से विद्युतीकरण हो चुका है।

[हिन्दी]

उपनगरीय ट्रेनों का किराया

564. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय ट्रेनों के किरायों में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां

565. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय में अथवा किसी अन्य प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने देश में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों जैसे गलगण्ड,बौनापन,क्रेटिन्स तथा हल्के–हल्के स्नायु तंत्रीय विकारों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के सहयोग और सहायता से हाल ही में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों ने आयोडीन की कमी से होने वाली उपरोक्त बीमारियों, उनके कारण और इलाज के बारे में लोगों में, विशेष रूप से स्कूल, कालेज के छात्रों और ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है तथा उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने बिना आयोडीन के नमक के उपयोग पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है; और

(च) उन राज्य सरकारों को बिना आयोडीन के नमक के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजी करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) देश में किये गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 540 लाख लोग गलगण्ड रोग से पीड़ित हैं और लगभग 88 लाख लोग आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य रोगों से पीड़ित हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जन प्रचार माध्यम द्वारा सरकार लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है और सभी वर्गों के लोगों का आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय भाषाओं में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

(ङ) गोवा, केरल राज्यों और संघराज्य क्षेत्र पांडिचेरी में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आंन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में आंशिक प्रतिबन्ध हैं उड़ीसा राज्य द्वारा जारी प्रतिबन्ध अधिसूचना प्रास्थगित रखी गयी है।

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गयी है कि वे अपने राज्य/संघराज्य क्षेत्रों में आयोडीन रहित नमक की बिक्री को प्रतिबन्धित करें।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गलगण्ड और अन्य आयोडीन अल्पता विकारों से पीड़ित अनुमानित व्यक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी	गलगण्ड और अन्य आयोडीन अल्पता विकारों से पीड़ित अनुमानित व्यक्ति
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	6.30	1.68
2.	असम	180.40	11.68
3.	गोआ	10.00	2.75
4.	हिमाचल प्रदेश	42.80	4.28
5.	जम्मू और कश्मीर	59.80	11.24
6.	मणिपुर	14.20	3.67
7.	मेघालय	13.30	0.62
8.	मिजोरम	4.90	3.38
9.	नागालैंड	7.70	1.19
10.	सिक्किम	3.10	1.17
11.	त्रिपुरा	30.50	3.48
12.	चंडीगढ़(संघ राज्य क्षेत्र)	4.50	1.11
13.	दादर व नागर हवेली	1.00	0.22
14.	दमन व दीव	0.70	0.09
15.	दिल्ली	62.20	17.10
16.	आंध्र प्रदेश	176.00	62.10
17.	बिहार	350.00	67.20
18.	गुजरात	217.00	46.00
19.	हरियाणा	30.00	5.79
20.	कर्नाटक	310.30	27.90
21.	केरल	80.00	16.60
22.	मध्य प्रदेश	230.00	86.00
23.	महाराष्ट्र	484.50	60.20
24.	उड़ीसा	40.00	9.90
25.	पंजाब	40.00	14.80
26.	राजस्थान	47.70	7.50
27.	तमिलनाडु	41.00	8.15
28.	उत्तर प्रदेश	700.00	138.11
29.	पश्चिम बंगाल	90.00	20.70
30.	अंडमान व निकोबार दीप समूह	सर्वेक्षण नहीं किया गया	
31.	लक्षद्वीप		
32.	पांडिचेरी		

यात्री एवं माल वहन क्षमता

566. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे की यात्री एवं माल वहन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्री एवं माल वहन क्षमता, में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार द्वारा तैयार विशिष्ट योजना/दीर्घकालिक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यात्री एवं माल वहन क्षमता में वृद्धि करने हेतु

कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है अथवा इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) यात्री तथा माल यातायात ढोने की क्षमता प्राप्त होने वाले यातायात, परिसंपत्तियों की उत्पादकता तथा विश्वसनीयता, यातायात के मौसमी होने टर्मिनलों की कुशलता, यातायात के प्रवाह, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति आदि अनेक कारकों पर निर्भर करती है; चूंकि इसमें अनेक परिवर्तनीय कारक शामिल होने हैं, क्षमता का एक संपूर्ण आंकड़ा देना संभव नहीं है; बहरहाल, प्राप्त होने वाले प्रत्याशित यातायात और रेलों की क्षमता के आधार पर चालू वर्ष के लिए यात्री यातायात का लक्ष्य 332.66 बिलियन यात्री कि. मी. निर्धारित किया गया है और माल यातायात के लिए परिवहन निपज का लक्ष्य 277.82 बिलियन शुद्ध टन कि. मी. निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) रेलों ने अतिरिक्त माल तशा यात्री वहन क्षमता के सृजन के लिए अनेक दूरगामी नीतियां तैयार की हैं, जैसे आमान परिवर्तन, विद्युतिकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी ग्रेडोन्नयन लंबी दूरी के यात्री यातायात को कम दूरी के यात्री यातायात से अलग करना, यात्री तथा मालगाड़ियों में डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना आदि।

(घ) चालू वर्ष अर्थात 1995–96 के लिए रेलवे की यात्री एवं माल यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 7500 करोड़ रुपये के योजना आकार का प्रस्ताव किया गया है।

ट्रैक सर्किट

567. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने कुछ स्थानों में ट्रैक सर्किट करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुझावों को लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल संरक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेल पथ सर्किटों की व्यवस्था की जा रही है तथा 31.3.95 को स्थिति इस प्रकार थी :

(i) मुख्य लाइन पर उल्लंघन चिन्हों से उल्लंघन चिन्ह तक किया गया रेल पथ परिपथन	–2866 स्टेशन
(ii) लूप लाइनों पर उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक किया गया रेल पथ परिपथन	–1271 स्टेशन
(iii) उल्लंघन चिन्ह से ब्लाक सैक्शन सीमा तक किया गया रेल पथ परिपथन	–1285 स्टेशन

रेल–पथ परिपथनों की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है; तथा रेलपथ परिपथन संबंधी कार्य हर वर्ष निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाते हैं।

दमे का टीका

568. **श्री (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में दमे के लिए कोई नया टीका विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या इस टीके का कोई परीक्षण किया गया है; और

(घ) यह टीका बाजार में कब तक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान की जलापूर्ति योजना

569. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने विभिन्न जिलों में जलापूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बारे में कोई परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विश्व बैंक की वित्तीय

सहायता से इस परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के. धवन) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित दो स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव किया है :–

(1) दूसरी राजस्थान जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना/इससे जयपुर नगर को तथा मार्ग में पड़ने वाले 3 कस्बों और 91 गावों में जल की आपूर्ति मिलेगी जयपुर नगर में सीवरेज सिस्टम की लागत 442.40 करोड़ रुपये है।

(2) राजस्थान के अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, तथा उदयपुर नामक पांच बड़े नगरों के लिये 2022.17 करोड़ रु. की लागत के जल आपूर्ति तथा सीवरेज परियोजना प्रस्ताव से इन पांच नगरों में जल आपूर्ति में सुधार होगा।

(ग) जी हां। किन्तु यह तभी संम्भव होगा जब विश्व बैंक इन परियोजनाओं को स्वीकृत कर देगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुविधाओं में सुधार करना

570. **श्री पीयूष तीरकी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सीमांत रेलवे के अंतर्गत अलीपुरद्वार जंक्शन तथा न्यू अलीपुर द्वार स्टेशन पर तथा वहां स्थित विश्रामगृहों में खान–पान सुविधाओं को आधुनिक तथा बेहतर बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) इन स्टेशनों पर विश्रामालयों की सामान्य दशा सुधारने की योजना है; जहां तक खान पान सेवाओं का संबंध है वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

अखबारी कागज का उत्पादन

571. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजप्रिन्ट का उत्पादन इसकी मांग के अनुरूप है,

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान कागज की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ग) इस शताब्दी के अन्त तक अखबारी कागज की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(घ) क्या भारतीय मिलों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप कागज का उत्पादन हो रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज तथा कागज के आयात संबंधी विवरण इस प्रकार है :–

मात्रा (लाख टन में)

वर्ष	अखबारी कागज	कागज
1992–93	2.43	00.39
1993–94	3.11	00.47
1994–95	2.92	00.60

(ग) इस शताब्दी के अन्त तक अपेक्षित अखबारी कागज की अनुमानित मात्रा करीब 9 लाख टन होगी । सरकार ने कागज की मांग की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :–

(1) 1989 से औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र के रूप में 6.55 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता मंजूर की गई है।

(2) नयी औद्योगिक नीति के तहत, खोई, कृषि अपशिष्टों और अन्य गैर परंपरागत कच्चे मालों से बनी न्यूनतम 75% लुगदी पर आधारित अखबारी कागज के एककों की, स्थापना–स्थल संबंधी नीति के अधीन, अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसीकरण से मुक्त रखा गया है। इसके फलस्वरूप, अगस्त, 1991 से अखबारी कागज का उत्पादन करने के इच्छुक उद्यमियों द्वारा 38 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किये गये हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 19.55 लाख टन है।

(3) अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए काष्ठ लुगदी के आयात करने पर सीमा–शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(4) अखबारी कागज को उत्पादन शुल्क से मुक्त रखा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) देश में कागज की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपय किये हैं :

(1) काष्ठ लुगदी तथा रद्दी कागज का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के प्रतिबंध के 10% आयात शुल्क की कम दर पर करने की अनुमति दी गई है।

(2) गैर परंपरागत कच्चे मालों से बनी न्यूनतम 75% लुगदी पर आधारित कागज की इकाइयां स्थापनास्थल संबंधी नीति के शर्तों के अधीन, अनिवार्य लाइसेंसीकरण से मुक्त हैं।

(3) चावल तथा गेहूं का पुआल, जूट, मेस्टा अथ्वा खोई व अन्य गैर परंपरागत कच्चे माल से बनी लुगदी जिसका भार 75% से कम न हो, से बनाया गया लिखाई व छपाई का कागज तथा अलेपित शिल्प कागज को मूल्य अनुसार 5% कम उत्पाद शुल्क की दर के दायरे में रखा गया है।

(4) कम से कम 50% तक कृषि अपशिष्ट और अन्य गैर परम्परागत कच्चे मालों का इस्तेमाल करने वाली लघु और बड़ी कागज मिलों पर नियनित शुल्क पर 20% के मुकाबले क्रमशः 10% और 15% की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क प्रभारित किया जाता है।

स्वास्थ्य संस्थान की अमरीकी संस्था से सम्बद्धता

572. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क सं. रा. अमेरिका में स्थित नेशनल सर्टिफिकेशन एजेन्सी फॉर हेल्थ केयर ने देश में किसी संगठन को सम्बद्वता/मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो संगठन का क्या नाम है; और

(ग) नेशनल सर्टिफिकेशन एजेन्सी फॉर हेल्थ केयर द्वारा तथा ऐसे सम्बद्व संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रम परीक्षा का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) से (ग) नेशनल सर्टिफिकेट एजेन्सी फॉर हैल्थ केयर पर्सनल संबंधी सूचना विदेश मंत्रालय से एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण

573. **श्री मोहन रावले :**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने कमजोर वर्गों की कालोनियों और लघु भूखण्डों पर एक अतिरिक्त तीसरी मंजिल के निर्माण की अनुमति देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो किस स्तर पर मामला लम्बित पड़ा है;

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के. धवन) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास की योजना

574. **श्री शोभनान्द्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना के धीमें कार्यान्वियन की जानकारी है;

(ख) इस क्षेत्र में प्रगति की गति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य से बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं; और

(घ) पूर्ववर्ती वर्ष में इस धन के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के. धवन) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास स्कीम (आई. डी. एस. एम. टी.) के पूर्व दिशानिर्देशों के तहत, प्रकल्पित स्तर पर ऋण व संस्थागत वित्त प्राप्ति सहित समूची धन व्यवस्था को कारगर न पाकर उन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। नये दिशा–निर्देशों में नगर/कस्बा विकास योजनाओं के अनुसार परियोजना पैकेज शुरू करने हेतु केन्द्रीय अनुदान, राज्य अनुदान और वित्तीय संस्थाओं/अन्य स्रोतों से ऋण की एक मिली–जुली व्यवस्था है। योजना के लिए वार्षिक धनराशि में भी वृद्धि की गई है। बड़ी संख्या में छोटे व मझोले कस्बों को थोड़ा–थोड़ा धन देने के बजाए, आर्थिक गति–विधि बढ़ाने में सक्षम चुनींदा क्षेत्रीय विकास केन्द्रों में समेकित अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है।

(ग) चालू वर्ष हेतु आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम के लिये 35 करोड़ रु. रखे गए हैं।

(घ) आठवीं योजना (1992–97) के प्रथम तीन वर्षों में आई. डी. एस. एम. टी. के लिये नियत बजट राशि और राज्य सरकारों /संघ राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :–

वर्ष	बजट नियतन	दी गई केन्द्रीय सहायता (रु. करोड़ में)
1992–93	15.00	11.60
1993.94	22.00	21.50
1994.95	25.00	24.41

वर्ष 1979–80 से 1994–95 तक 749 कस्बे आई. डी. एस. एम. टी. में शामिल किये गये और परियोजना चलाने हेतु 230.17 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई। 30.6.1995 तक राज्य सरकारों/संघ राज्यों ने आई.डी.एस.एम.टी. के तहत 339.66 करोड़ रु. के कुल खर्च की सूचना दी है।

मारीशस को प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता

575. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारीशस सरकार ने अपने निर्माण संबंधी आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) एक संयुक्त टास्क फोर्स जिसमें भरतीय उद्योग परिसंघ तथा मारीशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने दोनों देशों के बीच एक प्रौद्योगिकी विकास तथा सहयोग कार्यक्रम की सिफारिश की है।

भारत मारीशस में औद्योगिक प्रशिक्षण का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है।

[हिन्दी]

सेना के लिए भूमि का अधिग्रहण

576. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ स्थानों विशेष रूप से गुजरात में सेना के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विस्थापितों को राज्यवार मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का राज्यवार ब्यौरा तथा राज्य सरकार की भूमि के लिए देय हस्तांरण मूल्य सहित अनुमानित मुआवजे को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित राज्य		क्षेत्र (एकड़ में)	अनुमानित मुआवजा (रुपए में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2134.681	10,15,38,434
2.	असम	2319.773	5,01,76,465
3.	अरूणाचल प्रदेश	5229.757	83,11,621
4.	बिहार	3.90	2,60,714

1	2	3	4
5.	गुजरात	5769.822	13,77,70,614
6.	हरियाणा	20.363	13,70,600
7.	हिमाचल प्रदेश	16.47891	5,09,63,685
8.	जम्मू कश्मीर	18687.835	83,77,06,902
9.	कर्नाटक	12994.978	25,21,70,379
10.	केरल	152.054	1,36,36,241
11.	मध्य प्रदेश	15380.440	9,22,24,251
12.	महाराष्ट्र	50113.494	8,62,85,626
13.	मणिपुर	187.77	38,242
14.	मेघालय	28.18	6,59,919
15.	मिजोरम	—	—
16.	नागालैंड	1214.50	53,47,363
17.	उड़ीसा	54687.074	43,35,77,059
18.	पंजाब	3610.405	17,87,02,919
19.	पांडिचेरी	—	—
20.	राजस्थान	15347.657	32,98,23.173
21.	सिक्किम	198.10	3,26,70,777
22.	तमिलनाडु	6358.34	9,95,14,343
23.	त्रिपुरा	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	2520.549	8,13,19,274
25.	पश्चिम बंगाल	81.139	34,96,560
26.	अण्डमान निकोबार	31	25,25,000
27.	दिल्ली	20	1,60,00,000
28.	गोवा दमन एवं दीव	216.05	52,40,263
29.	लक्षद्वीप	6.056	45,72,000
30.	चण्डीगढ़	4.79	1,14,65,078

[अनुवाद]

प्लेटफार्म शेड्स

577. **डा. अमृतलाल कालीदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे के कई रेलवे स्टेशनों में प्लेटफार्म शेड नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने स्टेशन हैं, जहां पर प्लेटफार्म शेड नहीं है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या चालू रेल बजट में इस परियोजना को शामिल किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सौर ऊर्जा परियोजना, बिहार

578. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय और विदेशी कम्पनियों द्वारा बिहार में सौर ऊर्जा परियाजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) जी नहीं। बिहार में सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थपना के लिए भारतीय और विदेशी कम्पनियों से कोई प्रस्ताव नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

एड्स के रोगी

579. **डा. साक्षी जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उत्तर प्रदेश में एड्स के कितने रोगियों का पता लगाया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में किन-किन अस्पतालों में एड्स की जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में एड्स. के 9 मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य की विभिन्न संस्थाओं में एच. आई. वी./एड्स की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

1. जिला अस्पताल, गोरखपुर।
2. जी. एस. वी. मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. जिला अस्पताल, इलाहाबाद।
4. के. एल. शर्मा अस्पताल, मेरठ।
5. के. जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ।
6. एम. जी. पी. जी. आई. लखनऊ।
7. मेडिकल कालेज आगरा।
8. जिला अस्पताल नैनीताल।
9. जिला अस्पताल, देहरादून
10. जिला अस्पताल, शाहजहांपुर।
11. एम. एल. बी. मेडिकल कालेज, झांसी।

(ग) 31.3.95 तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास 203.45 लाख रुपये बगैर खर्च किए हुए थे, चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई हालांकि 371.13 लाख रुपये का आबंटन है। सूचित किए गए आबंटन के लिए राज्य सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान बिना खर्च की गई शेष राशि को खर्च करने के अधिकार हैं।

[अनुवाद]

रेल किराए में वृद्धि

580. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल किराए में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या सरकार की रेल किराए में हो रही निरन्तर वृद्धि को रोकने की कोई योजना है?

(ख) सरकार, निवेश लागतों में वृद्धि की तुलना में किराया स्तर को समायोजित करने में अधिकतम प्रतिबंधों का उपयोग कर रही है।

विवरण

1.4.1992 विभिन्न दर्जों के किरायों में नीचे लिखे अनुसार वृद्धि की गई थी। (1992-93)

दर्जा	दूरी स्लैव (कि. मी.)	प्रति टिकट वृद्धि
1	2	3
दूसरा दर्जा (साधारण)	1–10	कोई वृद्धि नही
	11–15	0.50 रुपये
	16–250	1 से 4 रुपये
	251 और अधिक	5 रुपये
दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस)	निम्नतम स्लैब पर 1 रुपया, जो 1300 कि. मी. से अधिक की दूरी के लिए उत्तरोत्तर बढ़कर अधिकतम 25.00 रुपये हुआ।	
वातानूकूल पहला दर्जा	सभी दूरियों के लिए 20%	
वातानुकूल शयनयान पहला दर्जा तथा वातानूकूल कुर्सीयान	सभी दूरियों के लिए 15%	
दूसरा दर्जा शयनयान अधिप्रभार	कोई वृद्धि नहीं	

दूसरा दर्जा मासिक सीजन टिकटों के किराए नीचे लिखे अनुसार संशोधित किए गए थे :–

1	2	3
दूरी स्लैव (कि.मी.)	प्रति टिकट वृद्धि (रुपये)	
1–10	कोई वृद्धि	
11–15	11.00	
16–70	20.00	
71–150	25.00	
1.4.1993	कोई वृद्धि नहीं सिवाय दूसरा दर्जा साधारण एकल यात्रा के 1–10 कि. मी.	
(1993–94)	दूरी स्लैब के किरायों को पूर्णांकित करने के/दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस, वातानूकूल पहला दर्जा, वातानूकूल शयनयान, वातानूकूल कुर्सीयान तथा पहले दर्जे में सभी दूरियों के लिए 10% की वृद्धि मेल/एक्सप्रेस तथा साधारण दोनों गाड़ियों में यात्रा का एक नया दर्जा "शयनयान दर्जा" शुरू किया गया। शयन यान दर्जे में प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी 200 कि. मी. निर्धारित की गई।	

दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के किराए नीचे लिखे अनुसार संशोधित किए गए थे :–

दूरी स्लैब	प्रति टिकट वृद्धि (रुपये)
1–50	5.00
51–100	10.00
101–120	20.00
121–140	30.00
141 और अधिक	40.00

1.4.1994 किराए नीचे लिखे अनुसार संशोधित किए गए थे :–

(1994–95)

1. दूसरा दर्जा (साधारण)	1–100 कि. मी.	कोई वृद्धि नहीं
	101 कि. मी. और अधिक	1 रुपये से 5 रुपये दूरी के आधार पर

2. दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) : किरायों को इस प्रकार आनुपातिक बनाया गया था :

51–65 कि. मी. 101–110 कि. मी 116–125 कि. मी	किरायों में 1 रूपये से 3 रूपये तक की मामूली कमी की गई थी।
151–155 कि. मी.	
1–15 कि. मी. 66–70 कि. मी. 111–115 कि. मी.	कोई वृद्धि नहीं।

1	2	3
126 130 कि. मी.	कोई वृद्धि नहीं;	
156–165	कि. मी.	
201–205	कि. मी.	
अन्य दूरियों के लिए–1 रुपये से 20 रुपए दूरी के अनुसार।		
3. शयनयान दर्जा :– दूसरे दर्जे के किरायों से 25% अधिक		
4. वातानुकूल पहला दर्जा वातानुकूल शयनयान पहला दर्जा, वातानुकूल कुर्सीयान	सभी दूरियों के लिए 6%	
5. वातानुकूल 3–टियर–	वातानुकूल कुर्सीयान किरायों से 25% अधिक किरायों वाले यात्रा का एक नया दर्जा	
6. **सीजन टिकट**		
दूसरा दर्जा मासिक सीजन टिकट	1 रुपये से 40 रुपये किरायों को 5 रुपये के गुणज में पूर्णांकित किया गया।	
पहला दर्जा	दूसरा दर्जा मासिक सीजन टिकटों के किराए का 4 गुणा।	

निजी अस्पताल

581. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभांगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कितने निजी अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गयी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से और अधिक निजी अस्पतालों की मान्यता प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कर्नाटक के निम्नलिखित प्राईवेट अस्पताल मान्यता प्राप्त हैं :–

(एक) सम्मनय प्रयोजन के लिए एम. एस. रामय्या चिकित्सा शिक्षण अस्पताल

(दो) केवल सी. ए. बी. जी. और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए मणिपाल अस्पताल

(तीन) केवल सी. ए. वी. जी. और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए बोकार्ड अस्पताल और हार्ट इंस्टीट्यूट;

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, बैंगलूर ने राज्य सरकार के अत्यधिक भीड़ वाले अस्पतालों और पहले से मान्यता प्राप्त प्राईवेट अस्पतालों के बोझ को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन और अधिक प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

स्वास्थ्य शिक्षा

582. **श्री राजेश कुमार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च की गई कुल धनराशि का अनुपात कितना है; और

(ख) भारत में पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय पुनर्गठन के दौरान वास्तविक सामाजिक क्षेत्र में पहले की अपेक्षा कम धनराशि खर्च करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) हालांकि स्वास्थ्य शिक्षा पर किए गए कुल खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक वार्षिक राशि का आबंटन किया जाता है।

(ख) विश्व विकास रिपोर्ट, 1993 के अनुसार स्वास्थ्य खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद (1990) का 6 प्रतिशत है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का 1.3 प्रतिशत भी शामिल है।

सामाजिक क्षेत्रों के लिए आबंटन लगातार बढ़ रहा है जोकि नीचे दिए गए आकड़ों से स्पष्ट है :–

सामाजिक सेवाएं (रुपये करोड़ों में)	
छठी योजना (1980–85)	14,035.26
सातवीं योजना (1985–90)	29,350.46
आठवीं योजना (1992–97)	79,001.90

औद्योगिक विकास

583. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम का जम्मू में एक कार्यालय संकटग्रस्त जम्मू और कश्मीर में तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिए खोला गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की गई है; और

(घ) राज्य में औद्योगिक विकास के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने जम्मू में एक कार्यालय स्थापित किया है। इस निगम ने, एस.एस.आई. इकाईयों को अल्म्यूनियम, तेल, तांबा, पेराफीन बाक्स, तार की छड़, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जैसे दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कच्चे माल का एक डिपो भी स्थापित किया है तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध किए हैं। इसने पहले ही, 25 भावी और वर्तमान एस.एस.आई. यूनिट–धारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। यह निगम निम्नलिखित सुविधाऐं भी उपलब्ध करायेगा :–

(i) हायर परचेज और लीज आधार पर मशीनरी की खरीद और कच्चे माल/कार्यशील पूंजी के लिए वित्त।

(ii) एस.एस.आई. यूनिटों के लिए बिल डिसकाऊन्टिंग सुविधा, और

(iii) एस.एस.आई. उत्पादों के लिए विपणन सुविधायें और सरकारी खरीद के लिए सिंगल प्वांईट रजिस्ट्रेशन।

(ग) राज्य में उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहनों का निम्नलिखित पैकेज घोषित किया गया है :–

– मशीनरी, भूमि और बिल्डिंग पर 30 प्रतिशत पूंजी निवेश आर्थिक सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा 30.00 लाख रु. है।

– 100 के वी.ए. से लेकर 1 के.वी.ए. क्षमता वाले जनरेटर सेटों की लागत पर 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता।

– कार्यशील पूंजी पर ब्याज पर 5 प्रतिशत छूट।

– 5 वर्षों तक आयकर में छूट।

– एस.एस.आई. यूनिट–धारकों द्वारा उत्पादित, उत्पादों पर 12.2 प्रतिशत की दर पर मूल्य अधिमान।

– राज्य के बाहर से कच्चे माल की खरीद और निर्मित वस्तुओं को राज्य से बाहर बेचने पर एस.एस.आई. यूनिटों को कर (टॉल टैक्स) की अदायगी से छूट।

– गुणवता नियंत्रण परीक्षण उपकरण की खरीद पर 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता।

– 0.48 प्रति यूनिट की दर से औद्योगिक यूनिटों के लिए बिजली की व्यवस्था जो देश में सबसे कम है।

(घ) राज्य में उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(एक) जम्मू के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर साम्बा में, 30.00 करोड़ रु. की लागत पर विकास केन्द्र (ग्रोथ सेन्टर) विकसित किया जा रहा है। यह, 838 एकड़ क्षेत्र में सड़क, जल–आपूर्ति, बिजली, दूर–संचार,

सम्मेलन कक्ष जैसी सभी अपेक्षित सुविधाएं और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराएगा।

(दो) कश्मीर घाटी में ओमपुरा/लस्सीपोरा में एक दूसरा विकास केन्द्र (ग्रोथा सेन्टर) विकसित करने का प्रस्ताव है।

(तीन) केन्द्र सरकार की एकीकृत मूल–संरचना विकास की एक योजना के अर्न्तगत उद्यमपुर जिले में बुटाल वलियां में 120 एकड़ क्षेत्र में 5.00 करोड़ रु. की लागत पर एक औद्योगिक इस्टेट स्थापित किया जा रहा है। उद्यमियों के लिए लगभग 500 विकसित भूखंड उपलब्ध होंगे।

(चार) जम्मू के नजदीक करथोली में 238 एकड़ क्षेत्र में एक अन्य औद्योगिक इस्टेट विकसित किया जा रहा है। यह, छोटी के साथ–साथ मझोली/बड़ी औद्योगिक इकाईयों के लिए एक संयुक्त इस्टेट होगा।

(पांच) बरी नगर में, लगभग 2.00 करोड़ रु. की लागत पर उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक उद्यमी विकास संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(छ) जम्मू में भारत सरकार की सहायता से एक निर्यात संवर्द्धन उद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

मेडिकल स्टोर्स

584. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित मेडिकल स्टोर्स डिपुओं में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तरह की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार ने इन मेडिकल स्टोर्स में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें खरीद करने में हुई अनियमितताओं, पक्षपात और भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) सतर्कता मैनुअल में निहित उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए आरक्षण

585. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में नई जलपाईगुड़ी स्टेशन से अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में केवल दो शायिकायें आरक्षित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या **बढाने के लिए** क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) 19.7.95 से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर 2423 गुवाहाटी–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूल –2 टियर में 3 शायिकाओं का आपात कालीन कोटा निर्धारित किया गया है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के लिए इस कोटे से अधिक की मांग गुवाहाटी में उपलब्ध आपात कालीन कोटे में से पूरी करने हेतु विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

माइक्रो जल विद्युत परियोजना

586. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों में माइक्रो जल विद्युत की विपुल सम्भावनाएं विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है या करा[illegible] प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) से (ग) जी हां, महोदय। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर किए गए सर्वेक्षणों और अध्ययनों के अंतिम परिणामों के अनुसार राज्य में नदियों/नहरों पर लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए लगभग 130 मेगावाट समग्र क्षमता के 161 स्थलों की पहचान की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फाइलेरिया के रोग

587. **श्री टी. जे. अंजलोज :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय फाइलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) केरल में फाइलेरिया उन्मूलन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को किस प्रकार की सहायता राशि दी गई; और

(घ) इन केन्द्रों को वर्ष 1995–96 के दौरान कितनी सहायता राशि दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) केरल में इस समय फाइलेरिया के 1864 रोगी हैं।

(ख) केरल में इस समय 16 फाइलेरिया नियंत्रण यूनिटें, 2 सर्वेक्षण यूनिटें तथा 9 फाइलेरिया निदानालय कार्य कर रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल लार्वानाशी तथा औषधियों के रूप में विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि प्रदान की गयी :–

वर्ष	लाख रुपये में
1992–93	31.12
1993–94	21.28
1994–95	28.78

(घ) फाइलेरिया नियंत्रण हेतु केरल को 1995–96 की अवधि में 28.44 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

प्रक्षेपास्त्रों का तैनात किया जाना

588. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री सुदर्शनराय चौधरी :
श्री राम कापसे :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्नि, पृथ्वी तथा त्रिशूल प्रक्षेपास्त्रों को तैनात किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस तैनाती की संभावित समय–सीमा क्या है;

(ग) इन प्रक्षेपास्त्रों का वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(घ) प्रत्येक प्रक्षेपास्त्र के लिये कितनी धनराशि खर्च की जायेगी?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अग्नि एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना थी जिसका उद्देश्य पुनः प्रवेश वाहन प्रौद्योगिकियां स्थापित करना था। ऐसा होने के कारण यह प्रयोक्ता की आवश्यकताएं पूरी करने वाली शस्त्र प्रणाली परियोजना नहीं थी। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के प्रयोक्ता सफलतापूर्वक पूरे कर लिए जाने पर अनुवर्ती कार्यकलाप चल रहे हैं। त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र अपने विकास संबंधी परीक्षणों के अंतिम चरण में है और उसके प्रयोक्ता परीक्षण वर्ष 1996–97 के दौरान किए जाने की आशा है, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरे किए जाने के बाद सेनाओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए इसका नियमित उत्पादन प्रारम्भ होगा।

(ग) और (घ) इस प्रकार के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

589. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समय पूर्व सेवा निवृत्त के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के वर्तमान अवसर क्या हैं; और

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं।

(1) केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर रखा है :–

	केन्द्रीय सरकार	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक
समूह "ग" पद	10%	14.5%
समूह "घ" पद	20%	24.5%

(2) इसके अलावा, परा सैन्य बलों में सहायक कमांडेट के पदों में 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

(3) रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती पूरी तौर पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं।

(4) केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताओं में नीचे दिए अनुसार छूट दी जाती है :–

(क) **आयु में छूट** : समूह "ग" और "घ" पदों तथा साथ ही उन समूह "क" और "ख" पदों, जिनके लिए भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं से इत्तर रूप में की जाती है, के मामले में सैन्य सेवा में तीन वर्ष जोड़कर छूट दी जाती है। समूह "क" और "ख" के उन पदों के मामले में आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाती है जिनमें भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाती है।

(ख) **शैक्षिक अर्हताओं में छूट** : सेना कक्षा 1, 2 और 3 प्रमाण–पत्रों को क्रमशः आठवीं कक्षा, छठी कक्षा और चौथी कक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष माना गया है। जिन भूतपूर्व सैनिकों ने कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है और सेना कक्षा प्रमाण–पत्र पास किया है, वे उन पदों के लिए पात्र हैं जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक अथवा समकक्ष है। उप पदों के लिए, जिनके मामले में स्नातक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, वे भूतपूर्व सैनिक पात्र हैं जिन्होंने मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पास की है और कम से कम 15 वर्ष सेवा की है।

(5) कई राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण देने का प्रावधान कर रखा है।

(6) सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों की नियोज्यता में सुधार करने और उन्हें स्व–रोजगार पाने के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

(7) सेमफैक्स–1, सेमफैक्स–2, और सेमफैक्स–3 योजनाओं के अंतर्गत स्व–रोजगार लगाने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(8) बड़ी मात्रा में तरल पैट्रोलियम गैस/कोयले के परिवहन के लिए भूतपूर्व सैनिक परिवहन कम्पनियां बनाई गई हैं।

(9) भूतपूर्व सैनिकों के लिए निपटान योग्य अतिरिक्त वाहनों का आबंटन किया जाता है।

(10) जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा नियंत्रित निधियों से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(11) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा के लिए रेल किराये में 75% छूट और परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों और युद्ध में स्थायी रूप से निशक्त हुए अफसरों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में हवाई यात्रा के किराये में 50% की छूट दी जाती है।

(12) निकटवर्ती यूनिट चालित कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

2. चिकित्सा सुविधाएं :

(एक) भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और किसी भी प्रकार की पेंशन पाने वाले दिवंगत सेना कार्मिक के परिवार सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क बहिरंग–रोगी उपचार कराने के लिए पात्र हैं। इन कार्मिकों को उपलब्धता के आधार पर सैन्य अस्पतालों में आंतरिक–रोगी उपचार भी उपलब्ध कराया जा सकता है। मौजूदा सैन्य अस्पतालों के अतिरिक्त 24 एम आई रूम और 12 दंतचिकित्सा केन्द्र भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों और उनके आश्रितों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सेनाओं और केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से विशेष तौर पर स्थापित किए गए हैं।

(दो) भूतपूर्व सैनिक अपने निवास के निकट के सिविल अस्पतालों/डिस्पेंसरियों से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

(तीन) गंभीर रोगों से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों को बाइपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और गुर्दा प्रत्यारोपण जैसे उपचार के लिए अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में सिविल अस्पतालों में उपचार पर किए जाने वाले कुल व्यय के 60% तक आर्थिक सहायता दी जाती है। कैंसर और अधरांगघात संबंधी विशेष उपचार के लिए भी इसी प्रकार प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है।

(चार) रोग के स्वरूप और उसकी गंभीरता को देखते हुए पात्र मामलों में रक्षा मंत्री की विवेकाधिकार निधि से अधिकतम 8000 रु. तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

एड्स नियंत्रण

590. **श्री प्रवीन डेका** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एड्स के मामलों का दुगना होने की काल अवधि अफ्रीका की पांच वर्षों और पश्चिम देशों की सात वर्षों की काल अवधि की तुलना में एक वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो इस रुझान पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तकनीक सलाहकार समिति समाप्त कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) 31 अक्टूबर,1994 की स्थिति के अनुसार देश में एड्स कुल संचित 885 रोगी सूचित किये गये थे जबकि 31 अक्टूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार एड्स के सूचित किए गए कुल 2095 रोगी हैं।

(ख) देश में एच.आई.वी./एड्स के निवारण और नियंत्रण हेतु एक व्यापक योजना इस समय क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सलाहकार समिति को कार्य सौंपा गया है।

सूर्य ग्रहण

591. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत तथा विदेशों में 24 अक्तूबर, 1995 को लगे सूर्यग्रहण के सम्बन्ध में एकत्रित किये गये आंकड़ों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों ने देश तथा विदेश में किये गये सभी परीक्षणों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के सभी भागों से दृष्टि खोने के मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) देश तथा बाहर की कई संस्थाओं तथा वैयक्तिक समूहों ने 24 अक्तूबर, 1995 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान अवलोकन अभियान चलाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा समूहों/संस्थाओं को वैज्ञानिक प्रयोग/अवलोकन अभियान चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी। इन अभियानों से प्राप्त आंकड़ों का आकलन एक दीर्घकालिक आंतरिक प्रक्रिया है क्योंकि इससे विश्लेषण की विभिन्न पेचीदा वैज्ञानिक पद्धतियां जुड़ी हुई हैं।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के महानिदेशालय के कार्यालय को कोई विशिष्ट सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

सियालदह से लालगोला तक रेलगाड़ी

592. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लोगों ने प्रातः काल में सियालदह से लालगोला तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) सियालदह से लालगोला के लिए सुबह दो यात्री गाड़ियां यथा 361 पैसेंजर तथा 363 पैसेंजर उपलब्ध हैं। सियालदह से सुबह एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यवहारिक नहीं हैं।

भारत रूस रक्षा अधिकारियों की बैठक

593. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और रूस के रक्षा अधिकारियों के बीच कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत—रूस संयुक्त समूह की सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक बैठक मास्को में

अगस्त, 1995 में हुई थी। बैठक में दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा और आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी।

[हिन्दी]

दिल्ली न्यायिक सेवा में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग

594. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992–93 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए 86 उम्मीदवारों का चयन किया;

(ख) यदि हां, तो इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः कितनी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन उनके लिए आरक्षित कोटा के अनुपात में नहीं था;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों ने उक्त परीक्षा दी थी; और

(ङ) क्या सरकार उच्चतर न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति–कोई नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) अनुसूचित जाति – 149

अनुसूचित जनजाति – 8

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में अपेक्षित उपबंध दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 में विद्यमान है। उसके नियम 22 में यह उपबंध है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पद पर आरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगा। उच्चतर न्यायिक सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के उपबंध के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए इस विषय को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार/दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही उठाया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विदेशी आकलन

595. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1995–96 के दौरान एडवार्ड डनलप हॉस्पीटल (इंडिया) लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ देश में 56 अत्याधनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने शिष्टमंडल के साथ–साथ कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा ग्रेट ब्रिटेन के संघ के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की;

(ग) वे कौन–कौन से स्थान हैं जहां ये परियोजनाएं स्थापित किए जाने की संभावना हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों के लोग इससे किस हद तक लाभान्वित होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) यह अभी अन्वेषणात्मक स्थिति में है। परियोजना का उद्देश्य पहले फेज में दिल्ली, बम्बई और आसपास के इलाकों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से अस्पतालों, पोलीक्लीनिकों और नैदानिक केन्द्रों की स्थापना करना है।

(घ) परियोजना के पूरे होने पर देश में विशिष्टता वाले अस्पतालों और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ जायेगी।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं

596. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला सैनिक बोर्ड गोपेश्वर चमोली (उत्तर प्रदेश) द्वारा अब तक युद्ध में मारे गये कितने सैनिकों की विधवाओं की सहायता की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में इस प्रयोजन हेतु व्यक्ति–वार तथा स्थान–वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि जिला सैनिक बोर्ड गोपेश्वर अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) जिला सैनिक बोर्ड अपने संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चमोली में जिला सैनिक बोर्ड, गोपेश्वर ने गत तीन वर्षों के दौरान 34 युद्ध–विधवाओं की सहायता की है तथा 6.8 लाख रुपये की राशि खर्च की है। इन 34 युद्ध–विधवाओं में से प्रत्येक को 5,000 रुपए का आवास–अनुदान तथा 15,000 की नकद राशि मंजूर की गई हैं। इस सम्बन्ध में मामलावार तथा स्थानवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

2. उन उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में, जो संभवतः राज्य सरकार द्वारा जिला सैनिक बोर्ड, गोपेश्वर के लिए निर्धारित किए गए हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

खान-पान सेवाएं

597. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर निजी पार्टियों द्वारा चलाई जा रही खान–पान सेवाओं के स्तर में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सभी महत्वपूर्ण तथा लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में खान–पान सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं, रेलों द्वारा खान–पान सेवाओं के स्तर में सुधार करने के लिए निरंती प्रयास किए जाते हैं। क्षेत्रीय रेलें लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जा रही है सेवाओं के स्तर में गिरावट की रोकथाम करने के लिए निरंतर निरीक्षण करती हैं। प्राप्त शिकायतों की विधिवत् जांच की जाती है और उत्तरदायी पाए गए ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) जी नहीं, केवल नई खान–पान सेवाओं का प्रबन्ध लाइसेंसधारियों द्वारा संभाला जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृति कार्यक्रम

598. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व सन् 2000 तक आयोडीन न्यूनता विकृति को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना बनाई गई थी और इस योजना के ब्लू प्रिंट कार्यवाही हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के पास भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में मंत्रालय ने यूनेस्को के सहयोग से इस वर्ष के अंत तक समस्त नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु की जाने वाली विशिष्ट कार्यवाही का पता लगाने के लिए भारत में उपर्युक्त कार्यक्रम को वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने हेतु कोई बैठक बुलाई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्य सरकारों ने अपने यहां आयोडीन रहित नमक के प्रयोग से होने वाले रोगों अर्थात् थॉयराइड आदि से बचने के लिए आयोडीन रहित नमक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(च) यदि नहीं, तो उन राज्यों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है जिन्होंने आयोडीन रहित नमक के प्रयोग पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध नहीं लगाया है; और

(छ) सभी राज्यों द्वारा आयोडीन रहित नमक पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने हेतु की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) जुलाई, 1993 में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् के तीसरे सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया

गया कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। तदनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सन 2,000 ई. तक आयोडीन अल्पता विकारों के उन्मूलन के लक्ष्य को पाने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने और कार्यक्रम के समर्थन को सुनिश्चित करने संबंधी कार्यनीतियों की समीक्षा करने के लिए 1995 तक आयोडीन युक्त नमक की सर्वसुलभता पर यूनिसेफ के सहयोग से 14 जुलाई, 1995 को एक बैठक आयोजित की गई।

(ङ) और (च) गोवा, केरल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में कोई प्रतिबंध नहीं है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आंशिक प्रतिबंध है। उड़ीसा राज्य द्वारा जारी प्रतिबंध अधिसूचना प्रास्थगित रखी गयी है।

(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गयी है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोडीन रहित नमक की बिक्री को प्रतिबंधित करें।

हल्के लड़ाकू विमान परियोजना

599. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने हल्के लड़ाकू विमान परियोजना से अलग होने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को जारी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। यह परियोजना संतोषजनक ढंग से चल रही है। डिजाइन, विकास, निर्माण और एकीकरण का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक हल्का युद्धक वायुयान पहले ही 17 नवंबर, 1995 को असेम्बली हैंगर से रोल आउट किया जा चुका है। विस्तृत भू–परीक्षणों के बाद हल्के युद्धक वायुयान की पहली परीक्षण उड़ान 1996 की अंतिम तिमाही में किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

औद्योगिक पार्कों की स्थापना

600. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये पार्क राज्य–वार कहां कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या ये आधुनिक औद्योगिक पार्क 1995–96 में विकसित कर लिए जायेंगे,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) निजी क्षेत्र के सहयोग से गुड़गांवा, हरियाणा में एक औद्योगिक आदर्श नगर का स्थापन्न करने का प्रस्ताव है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण इत्यादि जैसे प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं। परियोजना का विवरण तैयार किया जा रहा है। 1995–96 के बाद परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

601. **डा. साक्षीजी :** क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रो में विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उपलब्ध कराई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) लखनऊ शहर के लिए अध्ययन कराने के लिए केन्द्रीय सहायता के

रूप में 3 लाख रु. की राशि दी गई थी। यह अध्ययन 1994 में पूरा हो गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी अधिनियम का उल्लघंन

602. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टफोलियो निवेश तथा इस योजना से संबंधित प्रथाओं के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने पर मै. रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ट्रेनों का विलम्ब से चलना

603. **श्री हरिन पाठक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद–मुरादाबाद लाइन पर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 7 से 8 घण्टे विलंब से चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि आंदोलनों, खराब मौसम, उपस्कर की खराबी, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों की गतिविधियों इत्यादि के कारण कभी–कभार गाड़ियां देर से चलती हैं।

(ग) से (ङ) गाजियाबाद और मुरादाबाद के बीच (37 कि. मी.) कहीं–कहीं दोहरी लाइन बिछाने का कार्य 30 करोड़ की लागत से वर्ष 1995–96 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए 1995–96 में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस लाइन के कार्य को बोल्ट स्कीम के अंतर्गत लिए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 1997–98 है।

निधियों का आबंटन

604. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिये कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं।

(ख) इस आबंटन में से गुजरात का कितना हिस्सा है।

(ग) चालू वर्ष में तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में गुजरात में आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में गुजरात के लिए स्वीकृत विदेशी तथा गैर–सरकारी निवेशों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास प्रभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिए चालू वर्ष तथा आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :–

अवधि	परिव्यय
1995–96 (सकल बजटीय सहायता)	147/करोड़ रुपये
आठवीं योजना	588 करोड़ रुपये

(ख) इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय परिव्यय से अपनी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के स्रोतों से, इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान गुजरात में अब तक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सहायता प्राप्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1992–95 की अवधि के दौरान खाली वीडियो कैसेट, पीसी बोर्ड, कम्पैक्ट डिस्क तथा कम्पैक्ट डिस्क ड्राइव और इलैक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं और घरेलू क्षेत्र

तथा शत–प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाई (ईओयू) योजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए गुजरात राज्य में इलैक्ट्रॉनिकी इकाइयों के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश शामिल है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में इलैक्ट्रॉनिकी विभाग में महामना प्राप्त परियोजनाएं/कार्यक्रम

क्र.स. परियोजना/कार्यक्रम

मूल संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित :

1. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, गांधी नगर

2. इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, बड़ौदा

प्रायोजित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं :

3. कम लागत वाले डॉप्लर बीएचएफ ओम्नी रेंज (डीवीओआर) तथा पारम्परिक वीओआर (सीवीओआर) प्रणाली का विकास गुजरात संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी लिए (जीसीईएल), बड़ौदा

4. कृषक सूचना प्रणाली प्रोटोटाइप का विकास चरण–1 इंस्टीट्यूट फार स्टडीज एण्ड टॉस्फारमेशन, (आईएसटी), अहमदाबाद

5. अंकीय प्रतिबिम्ब संसाधन तकनीक के माध्यम से सूती तन्तु जाल विश्लेषक का विकास, अटीरा, अहमदाबाद

6. अनुरूपांतर स्वचालन परियोजना, अहमदाबाद वस्त्र तथा औद्योगिक अनुसंधान संघ (अटीरा), अहमदाबाद

7. वस्त्र इलैक्ट्रॉनिकी परियोजनाएं–औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिकी संवर्धन कार्यक्रम (आईईपीपी) केन्द्र, अहमदाबाद

8. पटसन यंत्रीकरण कार्यक्रम, अटीरा, अहमदाबाद

जनशक्ति विकास से सम्बन्धित :

9. 24 संस्थानों में कम्प्यूटर शिक्षण जिसमें बी.टेक,एम टेक, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्पात, (एमसीए), कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए), कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पॉलिटेक्निक उपरान्त डिप्लोमा (पीपीडीसीए) तथा डेटा प्रविष्टि प्रचालक/प्रोग्रामर शामिल है।

10. 4 स्थानों पर इलैक्ट्रॉनिकी में विज्ञान निष्पात के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम

11. विश्व बैंक की सहायता से जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए बड़ौदा तथा अमहमदाबाद स्थित दो संस्थानों में समुचित सक्षमता एवं प्रशिक्षण सहित एकीकृत जनशक्ति विकास कार्यक्रम "इम्पैक्ट"

अन्य

12. 52 स्थानों पर विवेक दर्पण

मानव अंगों का व्यापार

605. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 मानव अंग व्यापार को रोकने में असफल रहा है और देश में गुर्दा, कार्निया, आदि का मानव अंगों की बिक्री जारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 गोवा, हिमाचल प्रदेश, और महाराष्ट्र राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 4.2.95 से लागू किया गया था। अन्य सभी राज्यों सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे उक्त अधिनियम को अपनाने पर विचार करें। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने उक्त अधिनियम को लागू कर लिया है। उक्त केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप एक अधिनियम अर्थात ए.पी. मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1995 आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है। मानव अंगों के व्यापार और बिक्री को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन तथा किया जा सकता है जब सभी राज्य इसे अंगीकार करके गंभीरता से क्रियान्वित करें। केन्द्रीय सरकार शेष राज्यों से बारम्बार अनुरोध करती रही है कि वे इस अधिनियम को शीघ्रता से अंगीकार कर लें।

रेल सेवाओं का निजीकरण

606. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधाना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1995 के "द हिन्दू–बिजनेस लाइन" में "प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे सर्विसेज मूटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार में उन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जिनके निजीकरण पर विचार किया जा सकता है, जैसे की दूर संचार सुविधाएं, रख रखाव सुविधाएं खान पान सेवाएं और होटल, स्टेशनों और आमनती समान घरों का रख--रखाव माल भाड़ा घरों को विशेष विक्रय अधिकार इत्यादि।

(ग) बजटीय सहायता की कमी के कारण रेलों ने कतिपय क्रियाकलापों को निजी क्षेत्रों को देने का विनिश्चय किया है जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा तथा संसाधनों की तंगी से भी राहत मिलेगी। अपने डिब्बे के स्वयं मालिक बनें योजना तथा "बोल्ट" योजना को निजी निवेशक पहले ही अनुकूल प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं।

सामान्य से कम वजन के लिए

607. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री वृशिण पटेल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु मृत्यु, शिशु उत्तरजीविता और विकास, सामान्य से कम वजन के शिशु और उनका अवरुद्ध विकास, भारत के लिए गम्भीर चिंता के विषय बने हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) जी हां।

(ख) शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में टीकाकरण, मुख सेव्य पुनर्जलीकरण चिकित्सा, रक्ताल्पता का रोग निरोधन और विटामिन "ए" की कमी को दूर करना, निमोनिया का उपचार, स्तनपान को बढ़ावा देना और जन्म में अंतर रखना शामिल है। कमजोर ब्लाकों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के माध्यम से संपूरक पोषाहार दिया जाता है।

भारत का रक्षा व्यय

608. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का रक्षा व्यय चीन और पाकिस्तान के रक्षा व्यय की तुलना में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1987 के बाद से अनेक एशियाई देशों की तुलना में भारत के रक्षा व्यय की अभिमुखता में लगातार गिरावट आती गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या गत आठ वर्षों के दौरान भारत में सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण का कार्य प्रायः पूर्णतया ठप्प रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रक्षा व्यय में बढ़ोतरी करने और सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग--अनुसंधान तथा विकास विभाग) तथा संसदीय कार्य में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण करते समय संभावित खतरों की बदलती स्थिति, प्रौद्योगिकियों, भौगोलिक एवं राजनीतिक परिवेश तथा संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जाता है। आधुनिकीकरण की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए प्रति वर्ष सम्मिलित प्रयास किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा व्यय स्थिर नहीं रहा है। आधुनिकीकरण के लिए हर वर्ष रक्षा बजट में कुछ राशि अलग से रखी गई है।

यू. पी. एस. सी. मुख्यालय के सामने धरना/सत्याग्रह

609. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से संघ लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के समक्ष भारतीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने तथा अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु सत्याग्रह तथा धरना आयोजित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इन मांगों पर विचार किया गया है। सरकार इसकी सिफारिशों पर विचार कर रही है। चूंकि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं, अतः सरकार इन पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।

वैगन उद्योग

610. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वैगन निर्माताओं को मैन्यूफैक्चरिंग मदों को फ्री सप्लाई की सुविधा वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप वैगन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या वैगन उद्योग ने सूचित किया है कि वह चालू वित्त वर्ष में 24,000 वैगन की सप्लाई नहीं कर पाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप देश में वैगनों की कितनी कमी हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं। पहिया सेट और कार्ट्रिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग फ्री-सप्लाई के मदों के रूप में जारी है। इसके अलावा, रेलों द्वारा मालडिब्बा विनिर्माताओं की ओर से इस्पात और वात ब्रेकों की खरीद भी की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियां

611. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही विकसित महिलाओं के लिए खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां "सेन्ट क्री मैन" के संबंध में यह पाया गया है कि स्तन कैंसर के अंतिम चरण III और IV में कम से कम 25 प्रतिशत मामलों में यह गोलियां अधिक प्रभावी सिद्ध होंगी;

(ख) यदि हां, अब तक किये गये परीक्षणों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इस औषधि के प्रयोग को न केवल परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु बल्कि स्तन कैंसर की चिकित्सा में भी बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) से (ग) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने सेन्टक्रोमैन नामक एक गैर हारमोनल गर्भ निरोधक विकसित किया है जिसने स्तन कैंसर के उपचार में कुछ प्रभाव दर्शाया है। भारत में 232 रोगियों को कवर करते हुए 7 केन्द्रों में क्लीनिक जांच की गई है। 182 रोगियों पर अध्ययन पूरा हो गया है। 58% मामलों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई । जांच जारी है।

[हिन्दी]

बीड और सूरत के लिये उच्च अधिकार प्राप्त समिति

612. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड और सूरत में फैली बीमारी का पता लगाने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, क्या क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) (एक) समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह महाभारी जनपदिक रोग विज्ञानी, परिस्थतिकी और सूक्ष्मजीवविज्ञानी प्रमाण के आधार पर प्लेग बेसिल्स वाई. पेस्टिस के कारण फैली।

(दो) समिति ने पाया कि जहां माइक्रोबस का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध है, वहां परिधीय स्तर पर नैदानिक क्षमताओं का उन्नयन करने की जरूरत है।

(तीन) संक्रमण रोगों के नियंत्रण और निवारण के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी और उत्तरकारिता पद्धति स्थापित करने की सिफारिश की ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम

613. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई नया कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये अन्य क्या उपाय किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देने हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों की व्यवस्था पहले ही से मौजूद हैं। इसमें तीन या उससे कम बच्चों के पश्चात् बध्यीकरण करवाने पर एक विशेष वेतन वृद्धि, आवास निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर में छूट और वन्ध्यीकरण करवाने के लिए विशेष आकस्मिक अवकास शामिल है। सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश दो जीवित बच्चों तक सीमित है।

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक परिणामोन्मुखी कार्य योजना तैयार की गई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए आवास

614. **डॉ. साक्षी जी** : क्या **शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1994-95 और 1995-96 के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/न्यून आय वर्ग के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं के क्रियान्वयन का काम किन-किन एजेन्सियों को दिया गया; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी सहायता दी गई है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के धवन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1994-95 और 1995-96 (अगस्त, 1995 तक) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रमशः मद संख्या-14 (घ) और (ङ) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में ई. डब्ल्यू. एस. (आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग) और एल. आई.जी. (निम्न आय समूह) के लिए बनाए गए मकानों की कुल संख्या इस प्रकार है :-

	1994-95	1995-96 (अगस्त, 1995 तक)
ई. डब्ल्यू. एस.	4553 इकाई	353 इकाई
एल. आई. जी.	1595 इकाई	244 इकाई

आवास राज्य विषय होने के नाते, ये स्कीमें राज्य सरकार द्वारा उसकी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) राज्य सरकार इन कार्यक्रमों को अपने समग्र योजना नियतन के अन्तर्गत शुरू करती है और इस प्रयोजनार्थ कोई नियत केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। इसके अलाया, हडको राज्यों को ई.डब्ल्यू.एस. और एल. आई. जी. मकानों के निर्माण के लिए ऋण भी देती है।

[अनुवाद]

12.02 म.प.

देश में मूल्य स्थिति के बारे में

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं देश में मूल्य स्थिति के बारे में यह मुददा उठा रहा हूं। मैं...के रूप में इसकी विशेषता बताऊंगा।...(**व्यवधान**) प्रधान मंत्री जी सदन से जा रहे हैं क्योंकि मैं देश में मूल्य स्थिति का महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं हम अपने स्थगन प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं। यदि अन्य सदस्य चाहें तो मैं उन्हें भी कहने का अवसर दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल स्थिति बता रहा हूं। हम इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहे थे क्योंकि स्थिति कष्टप्रद और असहनीय थी और है। स्थिति कष्टप्रद और असहनीय ही नहीं है बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से बहुत खराब और गुमराह करने वाली भी है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि यह असहनीय है ? ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी सरकार के शासन में ऐसा है, मैं आपको चकित कर देने वाले आंकड़े दूंगा-वर्तमान शासन के दौरान सब कुछ प्रबल रहा-बल्कि यह सब कुछ पिछले कुछ समय से चल रहा है। मैं आपको 1960 और 1961 के आंकड़ों पर आधारित मूल्य सूचकांक दूंगा जो 100 था, आज खेतिहर मजदूर की जीवन यापन लागत 1450

है। इसका मतलब यह है कि इन वर्षों के दौरान एक खेतिहर मजदूर की जीवन यापन लागत चौदह गुणा से अधिक बढ़ गई है और अगली लोक सभा की बैठक से पहले यह पन्द्रह गुणा होने जा रही है। यही वजह है कि स्थिति असह्य हो गई है।

इस भयावह मूल्य स्थिति की दूसरी विशेषता यह है कि ...(**व्यवधान**)....क्या मैं अपनी बात जारी रखूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मंत्रियों में व्यवस्था। बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न करने के बाद वे यहां पर भी अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूप स्थिति आज इतनी कष्टप्रद हो चुकी है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि यह गुमराह करने वाली और खराब है ? क्योंकि पिछली बार चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि वे कीमतें कम करेंगे।

उनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वे सभा में आकर चुनावों के दौरान दिए गए वक्तव्य को कार्यान्वित कर पाने की कोशिश न कर पाने के लिए क्षमा मांगें। हमें मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से हम कई बातों के लिए क्षमा मांगने की मांग करते हैं। एक बहुत बड़े देश की पूरी आबादी की जानकारी के लिए, किसी चुनाव को जीतने के लिए, झूठे वायदे करने के लिए, उन्हें कोई क्षमा नहीं मांगनी है।

अब मैं आंकड़ों के आधार पर कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। उनका दावा है कि मुद्रास्फीति एक अंक में है, अर्थात् मुद्रास्फीति की दर दस प्रतिशत से कम है। वास्तविकता यह है कि जब थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इसकी परिगणना करते हैं तो यह दस प्रतिशत से कम होता है। कहानी का एक रोचक और महत्वपूर्ण भाग यह है कि औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक और खेतिहर मजदूरों के थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में तेजी से बढ़ता है, हमारे समाज के अत्यधिक असंगठित और बहुत बड़े भाग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। वास्तव में पिछले पांच वर्षों के दौरान खेतिहर मजदूरों के लिए जीवन यापन लागत सूचकांक तीन अंकों पर पहुंचने वाला है। पिछले पांच वर्षों के दौरान खेतिहर 1991 में मज़दूरों के लिए मूल्य सूचकांक 803 था और 14 अक्तूबर 1995 की स्थिति के अनुसार यह 1450 है और इस दर से इस वित्तीय वर्ष के अंत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1600 होगा जो शतप्रतिशत वृद्धि का सूचक है। यह तीन अंकों में पहुंचने वाली बात है। अब यह हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है।

इस बात पर आने से पहले मैं अपने ग्रंथालय के एक प्रकाशन से यह दर्शाना चाहता हूं कि पिछले चार महीनों अर्थात् मई, जून, जुलाई और अगस्त के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर औद्योगिक कामगारों के लिए मुद्रास्फीति की दर कैसे बढ़ी है। जब वे "एक अंक" की बात करते हैं तो थोक मूल्य सूचकांक की बात करते हैं मुद्रास्फीति की दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में बात नहीं करते हैं जिनमें पिछले चार महीनों के दौरान वृद्धि हुई है। मई में यह 10.29 प्रतिशत, जून में 10.47 प्रतिशत, जुलाई में 11.39 प्रतिशत और अगस्त में 10.92 प्रतिशत, ग्यारह प्रतिशत के लगभग था। इनमें से कोई भी दो अंकों से नीचे नहीं है। यदि औद्योगिक कामगारों की यह स्थिति है जो संगठित हैं और मूल्य वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि देश में खेतिहर मजदूरों के साथ क्या हो रहा है।

हाल ही में दालों, चावल और अन्य चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है। दालों की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में शतप्रतिशत वृद्धि हुई है। कल प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जो तर्क दिया, जिसे कल प्रश्नकाल के दौरान पूरा नहीं किया जा सका था, कि मांग और पूर्ति में अन्तर है और इसी वजह से यह हो रहा है। दुर्भाग्य से यह बात सच नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि खाद्यान्नों की आपूर्ति, जिसका वे दावा करते हैं; एक रिकार्ड है। उनका कहना है कि वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़ी है। वे खाद्यान्नों के उत्पादन 189 मिलियन टन से बढ़ाकर 191 मिलियन टन करके आंकड़ों को संशोधित कर रहे हैं। फिर भी खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने आज भी कहा है कि हम चावल निर्यात भी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भण्डार हैं जिसे वे हानिकारक समझते हैं।

फिर भी खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं। चीनी को ही लीजिए। हमें मालूम है कि इस वर्ष गन्ने की फसल अच्छी हुई है। हमें मालूम है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए चीनी का निर्यात किया जा रहा है। हमें मालूम है कि कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार तथा पिछले वर्ष चीनी घोटाले के कारण चीनी की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई। महोदय वास्तविक स्थिति यह है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अलग—अलग मदों की कीमतों का उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन उत्तर में उन्होंने कहा था कि पिछले तीन महीनों से भी अधिक समय के दौरान गेहूं की कीमतों में रिकार्ड उत्पादन के बावजूद 4.10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, जिससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ जाती है, पिछले तीन महीनों के दौरान मूल्यों की वृद्धि दर, उनके सरकारी वक्तव्य के अनुसार, 4.10 प्रतिशत है। सब्जियों की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मैं आंकड़े

आपको बताता हूं। चावल की कीमतों में 1.80 प्रतिशत, वृद्धि हुई है, पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमतों में 1.20 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले तीन महीनों के दौरान तिलहनों की कीमतों में 4.10 प्रतिशत और दालों की कीमत में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कहां ले जाएगा ? योजना आयोग के अर्द्ध–प्रकाशित मध्यावधि–मूल्यांकन के अनुसार अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं और अधिकाधिक लोगों को एक दिन में दो वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। यह हो रहा है। हम गर्व से कहते हैं कि अकाल नहीं है। पूरी जनसंख्या, जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत मारे जा रहे हैं और हमारी चाल, हमारा दृष्टिकोण अर्थात् सरकार का दृष्टिकोण हमेशा की तरह ही है, उद्योगों में रोजगार उत्पन्न मत करो, उनमें रोजगार कम करो और **रोजगार योजना** के माध्यम से भोजन करो। आप भुखमरी से जनता में बीमारी उत्पन्न करो और उसके बाद चुनावों से पहले उनसे वायदा करो कि आप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण है। आप ये चीजें उत्पन्न कीजिए और उसके बाद चुनावों से ठीक पहले इस प्रचार के साथ आओ जैसे कि पिछली बार आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के वायदे के साथ आये थे। महोदय मैं इस बात पर आऊंगा कि यह क्यों हुआ और क्या इसे रोका जा सकता था।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा कोई भी मुददा नहीं है जो सत्ताधारी दल सहित इस देश के हर एक नागरिक को प्रभावित करता है। [illegible] की कीमत भी बढ़ रही है जिससे आपको समस्याएं पेश आ रही हैं। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करता हूं कि उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में कमी करने के बावजूद हम कीमतें कम नहीं कर सके। इसका मूल कारण प्रशासनिक मूल्यों, एक विशुद्ध और आसान सरकारी कार्य में संशोधन है। मैं आपको आंकड़े दूंगा। 1991 में जिस साधारण चावल की कीमत 377 रुपए प्रति क्विंटल थी आज उसकी कीमत 537 रुपए प्रति क्विंटल है। 1991 में अच्छे किस्म के जिस चावल की कीमत 437 रुपए प्रति क्विंटल थी आज उसकी कीमत 617 रुपए प्रति क्विंटल है। यही बात गेहूं के मामले में भी है। 1991 में जिस गेहूं की कीमत 280 रुपए प्रति क्विंटल थी 1994 में उसका निर्गम मूल्य 402 रुपए प्रति क्विंटल है और हमारे योजना आयोग सहित हमारे विश्लेषकों ने यह बात स्वीकार की है कि इस मूल्य वृद्धि बाजार की इस असहृय स्थिति का एक मुख्य कारण प्रशासनिक मूल्यों की भूमिका है।

मैं एक और चीज का उल्लेख करना चाहता हूं। सभी विकसित देशों में मुद्रास्फीति की दर दो या तीन प्रतिशत से नीचे तक ही नियंत्रित है फिर भी कतिपय कारणों से आयात लागत बढ़ रही है। सीमा शुल्क में कमी करने और इस तथ्य के बावजूद कि हम उन देशों से आयात कर रहे हैं। जिनमें मुद्रास्फीति की दर बहुत कम है, देश में आयात के कारण मुद्रास्फीती बढ़ी है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस असहनीय स्थिति से जुड़े हुए सभी कारण सरकार की आर्थिक नीति से संबद्ध हैं, जो लोगों के हित में मूल्यों में राज सहायता देने से इन्कार करती है, जो खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता में कटौती करने की कोशिश करती है और एक ऐसी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करती है जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नाम पर आयात पर निर्भर है।

अन्य कारण भी हैं। वास्तविकता यह है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। वास्तविकता यह है कि हमारे पास एक बड़ा भण्डार है जिससे दोनों में कमी होती है। बढ़े हुए विदेशी मुद्रा भण्डार के कारण यह धन के विस्तार पर दबाव डाल रहा है। दूसरी ओर यदि विदेशी मुद्रा के भण्डार में कमी आती है तो उससे भी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, आपने बहुत अच्छा कहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

चूंकि हमारे सामने ऐसी स्थिति है इसलिए रणनीति के हिसाब से मूल बात यह है कि आर्थिक नीति को बदला जाना चाहिए जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर राजसहायता में वृद्धि करना शामिल हो। यह पहली बात है। जैसा कि हम बार–बार मांग करते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उन्हें 14 आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश के लोगों के साथ जो क्रूरता बरती जा रही है वह सरकार को हमेशा के लिए इस तरह से पलटेगी कि वह देश में फिर कभी भी सत्ता में नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शरद यादव जी बोलेंगे। उन्होंने नोटिस दे रखा है। मैं उस नोटिस की अनुमति नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अभी निर्मल दादा ने महंगाई जैसे सवाल, जिसने सम्पूर्ण देश में व्यापक

पैमाने पर लोगों की जिन्दगी तबाह की हुई है, के बारे में कहा। वे तो अर्थशास्त्री हैं लेकिन हम तो एक पोलिटिकल वर्कर के नाते, सब लोगों से मिलने के नाते जानते हैं कि आज हर चीज के दाम जो महंगाई को प्रभावित करते हैं, चाहे वह ऑयल की प्राइस हो या और कुछ हो, पिछले पांच वर्षों में ही लगभग तीन गुने बढ़ा दिए गए हैं। किसी भी देश में ऑयल के दाम तीन गुने नहीं बढ़े। इसी तरह से ये जो आर्थिक नीति लाए हैं, यदि उस पर मोटे तौर पर निगाह डालें तो देखेंगे कि इस देश में मिनरल वाटर की बोतल 12 रुपये में मिल रही है जबकि दूध की बोतल 10 रुपये में मिल रही है। इसी तरह से चाहे सब्जी हो, घी हो, ग्रेन हो, इन सारी चीजों के दाम दो–तीन गुने बढ़ गए हैं। गरीब व्यक्ति तबाह हो रहा है। एक जमाना था जब महंगाई की वजह से नव–निर्माण का आन्दोलन शुरू हुआ था और उसके चलते इस देश में इमरजैंसी लगी थी और एक सरकार को जाना पड़ा था। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसे हमारे अर्थशास्त्री निर्मल दादा ने आंकड़ों के साथ रखने का काम किया है। वे आंकड़े मेरे पास तो नहीं हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज महंगाई जैसा सवाल हर आदमी को पूरे देश में जिस तरह से काट रहा है, जिस तरह से लोगों की जिन्दगी तबाही के दौर में चली गई है, चाहे वह रेल के किराये हों, चाहे वह और चीजों की बात हो, आम जिन्दगी में जितनी चीजें हैं, खेत और खलिहान में जिन चीजों का इस्तेमाल होता हैं, उसमें खाद के दाम, फर्टिलाइजर के, पेस्टीसाइड्स के दाम इतने बढ़ गये हैं कि इस देश में जो 70 फीसदी लोग गांव में बसते हैं, चाहे वह खेती करने वाले हों और चाहे वह मजदूरी करने वाले हों, यह काम आज उनके लिए एक घाटे का सौदा हो गया है। एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है, वह मर रहा है, लेकिन इस देश में यह सरकार पूरी तरह से महंगाई रोकने में नाकाम रही है।

आज हमारे रुपये की हालत क्या है ? डालर के मुकाबले रुपये का भाव ब्लैक मार्केट में या अलग हिस्से में 40 रुपये चल रहा है और आपकी सरकार रिजर्व बैंक के चलते 34 रुपये में आज बड़ी मुश्किल से आपने करके रखा है, वह भी नकली है, कब वह उठ जाय, पता नहीं।

यह सरकार बराबर कहती है कि फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ गया। मैं यह सोचता हूं कि फॉरेन रिजर्व जो हमारा बढ़ा है, वह आपके पौरुष से नहीं बढ़ा है, वह आपने सहयोग करके लिया है। उसका अधिकांश हिस्सा सहयोग का हिस्सा है और इस देश में ऐसी हालत है कि महंगाई के चलते पूरे देश में आम आदमी की जिंदगी तबाही पर है। चाहे जिस चीज की बात हो चाहे जो भी उपभोग करने के समान हो, उन सब चीजों के दाम बढ़े हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि वुड एण्ड वुज प्रोडक्ट्स के दाम 169 परसेण्ट बढ़ गये, फर्टिलाइजर्स के दाम 100 परसेण्ट बढ़ गये, टैक्सटाइल के दाम 45 परसेण्ट बढ़ गये...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह 1994 का आंकड़ा है, फिर और बढ़ गये हैं।

श्री शरद यादव : अभी और बढ़ गये, जो निर्मल दादा ने कहा। फूड आर्टीकल्स के दाम 49 परसेण्ट बढ़ गये, फ्यूल के दाम 49 परसेण्ट बढ़ गये, ऑल कमोडिटीज मिलाकर दाम 44 परसेण्ट बढ़ गये। इस तरह की जो हालत है, वह 45 साल में पूरे देश में कभी नहीं हुई, जितना इस सरकार के चलते महंगाई का आसमान छूने का काम हुआ है। आम आदमी उससे तंग और तबाह है।

इसमें सरकार के खिलाफ आपको एडजर्नमेंट मोशन लेना चाहिए था, इस सवाल पर तो सरकार को हम लोगों को सैंशर करने का मौका आपको जरूर देना चाहिए था, जो मामूली डिबेट में चला जा रहा है। इस पर फिर से, नये सिरे से बहस कराने का काम हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सरकार को और इस सरकार की पॉलिसीज को, चाहे वह न्यू इकोनोमिक पॉलिसी हो और चाहे और तमाम तरह की चीजें हों, इसमें गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, नौकरीपेशा आदमी इस सरकार की नीतियों के चलते तबाह हो गया है, इसलिए मैं इनकी निन्दा ही नहीं करता हूं, इस सरकार को अब रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी चुनाव कराके देश की जनता को फैसला करने का मौका देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी, क्या आप भी यही बात कहना चाहते हैं ?

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : जी, हां। मैं भी इस प्रश्न पर बोलूंगा। आपकी अनुमति से मैं दोनों प्रश्नों पर बोलूंगा क्योंकि मैंने नोटिस दे रखा है। यह एक आर्थिक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यदि आपको यही बात कहनी है तो आप अपनी बात जारी रखिए। यदि आपको कुछ और कहना है तो आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं एक ही में दोनों बातें कहूंगा क्योंकि यह आर्थिक प्रश्न का भाग है। यह ज्यादा उपयुक्त होगा।

मेरे मित्रों और सहयोगियों श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और

श्री यादव जी ने जो कहा है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मूल्य वृद्धि का प्रश्न एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इसमें पूरा देश शामिल है। यह हर नागरिक को चिन्तित करता है। पूर्ण आर्थिक स्थिति के अन्य पहलू हैं जो कि समान रूप से चिन्ताजनक हैं जिनके बारे में कतिपय उल्लेख किए गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने कहा था कि इस पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कल यह निर्णय लिया गया था कि हम अध्यादेशों और विधेयकों को पारित करेंगे और उसके बाद तीन महत्वपूर्ण विषयों अर्थात् आर्थिक स्थिति, विदेश नीति सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : उसके बाद जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर आपकी सुविधानुसार कभी चर्चा कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : यदि आप आर्थिक स्थिति पर पूर्ण चर्चा करवाने जा रहे हैं तो मैं मूल्य वृद्धि के बारे में अपने दल की चिन्ता प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री जसवन्त सिंह : यदि आप अनुमति देंगे तो उसके बाद मैं अन्य मुद्दे उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यदि आप मुद्रास्फीति के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं समझता हूं कि आप आर्थिक स्थिति पर व्यापक चर्चा करवाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बाद में जिन मुद्दों का उल्लेख किया है मैं आपको उन पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : ठीक है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, आपका धन्यवाद। मूल्य वृद्धि का प्रभाव केवल दुखद और भयावह ही नहीं है भयावह यह है कि सरकार मूल्य–वृद्धि को रोकने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि वह ऐसी नीति को जारी रखे हुई है जिससे साधारण व्यक्ति की क्रय शक्ति कम हो रही है।

इस प्रकार यह मूल्य वृद्धि के प्रभाव को महत्वपूर्ण बनाता है। अतः यद्यपि यह सत्य है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत लम्बे समय से चली आ रही है और इस कारण स्थिति मूलतः भिन्न है। सरकार द्वारा विकास के बारे में ढिंढोरा पीटने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जहां तक साधारण व्यक्ति का संबंध है, मूल्य वृद्धि भयावह है जो सरकार को कमजोर कर रही है जिसको उसे सहन करना होगा क्यों उसका कोई इलाज नहीं है। सरकार ने यही अनुमान लगाया है। सरकार ने निराशा और मोहभंग होने की भावना का अनुमान लगाया है। जो कुछ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कह चुके हैं मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी लेकिन मैं यह बताना चाहूंगी कि जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में वृद्धि का संबंध है, हम देखते हैं कि 1989–90 में यह संख्या 34.3 प्रतिशत थी और दिसम्बर 1992 तक यह संख्या 40.69 प्रतिशत तक बढ़ गई। यह अब भयंकर रूप ले रही है। यह बात इस तथ्य में और अधिक ठोस ढंग से सामने लाया गया है कि कुपोषण और रुग्णता केवल वयस्कों में ही नहीं बढ़ रही है बल्कि बच्चों में भी बढ़ रही है। यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इस देश में 63 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। इसका कारण यह है कि जो नीति जारी रखी जा रही है वह लोगों की क्रय शक्ति बहुत बुरी तरह से कम कर रही है और हम देखते हैं कि भुखमरी, निर्जलीकरण से मौतें हो रही हैं तथा मलेरिया जैसी अन्य बीमारियों से भी मौतें हो रही हैं क्योंकि इन बीमारियों के प्रति लोगों के प्रतिरोधी शक्ति कम हो गई है क्योंकि पोषणता का स्तर कम हो गया है। यह सब हो रहा है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं कि वह यह है कि हम देखते हैं कि खाद्यान्नों के भण्डार भरे हुए हैं लेकिन साथ ही खाद्यान्न उठाने वालों की संख्या अत्यधिक कमी आई है। लोग खाद्यान्न नहीं खरीद पा रहे हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि सार्वजनिक प्रणाली में वस्तुओं की कीमतें कम करने के बजाय सरकार ने 1.8 लाख टन गेहूं मॉर्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम कीमत पर बेचा है और यह एक निर्यात करने वाली कम्पनी है। अतः भोजन का निर्यात किया जा रहा है जबकि हमारे लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। जहां तक औषधियों का संबंध है, एक बार फिर हम देखते हैं कि सरकार की नई औषधि नीति के कारण क्लोरोमाइसीटीन और एम्पीसीलिन जैसे प्रतिजैविका और रिफैम्पीसिन जैसी क्षय रोग रोधी औषधियों और निवाक्वीन जैसी मलेरिया रोधी औषधियों की कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि यदि आज गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

मैं सिर्फ यह कहकर अपनी बात कह कर समाप्त करना चाहती हूं कि कतिपय तरीके हैं जिनसे सरकार स्थिति को बदलने

के उपाय कर सकती है। हमारी तीन निश्चित मांगें हैं। पहली मांग यह है कि सार्वजनिक प्रणाली में बढ़ाए गए मूल्यों को पचास प्रतिशत कम किया जाये। सरकार कहती है कि इसके लिए 1600 करोड़ रुपए राजसहायता की आवश्यकता है। महोदय क्यों नहीं ?

हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का घाटे में अपनिवेश किया जा रहा है, हम देखते हैं कि घोटाला हो रहा है जिससे देश को 5000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और इसके बाद भी सरकार कहती है कि वह अतिरिक्त राजसहायता नहीं दे सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हम कह चुके हैं कि हम देश में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करवा रहे हैं। अब आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं अपनी केवल दो अन्य मांगों का उल्लेख करूंगी। हमारी पहली मांग यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों में पचास प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। हमारी दूसरी मांग यह है कि चूंकि सरकारी भण्डार भरे पड़े हैं और सरकार को मालूम नहीं है कि इसका क्या करना है, उसे "काम के बदले अनाज" देने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ताकि हमारी सहायता लोगों तक पहुंच सके। हमारी तीसरी मांग यह है कि चौदह आवश्यक वस्तुओं को मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाए।

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा करवाने का संकेत दिया है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कीमतों के संबंध में जो कुछ हो रहा है वह उन लोगों द्वारा पूरी तरह से जिम्मेदारी और चिन्ता के निरसन का सूचक है जिन्हें देश की जनता के न्यूनतम हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्र का विश्वास सौंपा गया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि प्रधान मंत्री एक दिन यह कहने लगें कि 'यदि लोगों को रोटी नहीं मिलती, तो वे 'केक' खायें।'

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिराचिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं मूल्य-वृद्धि के मुद्दे में विस्तार में नहीं जाना चाहती। यह एक ज्वलंत समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इसके कारण परेशानी हो रही है। मूल्य-वृद्धि की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत सरकार पर ही निर्भर है।

1991 में इस सरकार का चुनावी मुद्दा और दावा यह था कि वे मूल्यों को 1990 के स्तर पर लायेंगे। लेकिन मूल्यों में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचे जाने वाले चावल की कीमत जून, 1991 में 2.89 रुपये थी, 1994 में इसका बिक्री मूल्य 6.90 रुपये है—अन्य वस्तुओं की भी—जैसे गेहूं की कीमत भी 2.34 रुपये प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर अब 4 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गई है। अन्य वस्तुओं में भी इन वर्षों के दौरान तीव्र वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है। पिछले एक वर्ष में दाल की कीमतों में दुकानी वृद्धि हुई है। जिन वस्तुओं की कीमतें, 1991 में 12 रुपये थी, अब उसकी कीमत 36 रुपये हो गई है। चार वर्षों की अवधि में कई वस्तुओं की कीमतें दुगनी से लेकर तिगुनी हो गई हैं। सरकार मूल्यों को काबू में रखने के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब इस तरह से चिल्लाना बंद करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, इस मुद्दे पर पूरी बहस कराई जाये। हमारे पास सुझाव देने के लिए ठोस प्रस्ताव हैं। हर वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है चाहे यह खाद्य वस्तुएं हों या वस्त्र सामग्री या दवाईयां या रसोई गैस या कोई भी वस्तु हो।

महोदय, अन्त में, मैं नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो हो रहा है, उसके बारे में उल्लेख करना चाहती हूं, जहां से समाज के सबसे गरीब लोग अपने लिए खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। इन दुकानों में भी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। यह दर्दनाक है। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल की कीमत 2.89 रुपये प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर 5.32 रुपये हो गई है, गेहूं की कीमत 3.32 रुपये प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर 4 रुपये प्रति कि.ग्रा. हो गई है। निर्धारित मूल्यों में वृद्धि के कारण गरीब लोग आवश्यक खाद्य वस्तुएं नहीं खरीद सकते।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप ने अपनी बात कह दी है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले कई जनजातीय इलाकों में भूख से मौतें हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी हैं जो दूसरे मुद्दे उठाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कई सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दी है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जनजातीय, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। विहार, गुजरात और कई अन्य क्षेत्रों से हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रणाली का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उनके पास कोई कार्य नहीं है। काम के बदले अनाज

उपलब्ध नहीं है। इस देश में क्या होने जा रहा है ? देश में विपत्ति आने वाली है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम इस विषय पर पूर्ण बहस चाहते हैं। आधे घंटे की बहस से सरकार के समक्ष मुद्दे नहीं रखे जा सकते हैं उन्हें कुछ करना चाहिए अन्यथा देश में विपत्ति आने वाली है। यही मेरा मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : अब, क्या सरकार इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहती है।

मेरे विचार से सरकार के पास कोई सूचना नहीं थी और हम सरकार से तुरंत उत्तर की आशा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि कुछ सदस्यों ने मूल्यों में वृद्धि की बात उठाई है और वे जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा इस बारे में क्या किया जा रहा है, इसलिए क्या सरकार के लिए इस संबंध में बाद में कुछ कहना संभव होगा।...**(व्यवधान)**

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : विपक्ष के नेताओं की बैठक में हमने निर्णय लिया था कि आर्थिक नीति और आर्थिक स्थिति पर पूर्ण बहस कराई जानी चाहिए। मानवीय सदस्यों ने आज जो भी बातें कही हैं उस पर हम अपना दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज, मैं नहीं समझता, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जो कई टिका-टिप्पणियां की हैं, उस पर गैर-सरकारी रूप से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास आर्थिक नीति पर विचार करने का अवसर होगा, तो हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वे केवल इस मुद्दे पर ही केन्द्रित रहे अर्थात् "क्या मुद्रास्फीति हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या किया जायेगा।" इस अल्प विषय पर मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार की ओर से कोई व्यक्ति एक वक्तव्य दें।

...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार यह वक्तव्य कब देगी ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, अगर इस चर्चा में से कोई बड़ी चर्चा निकलने वाली है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : इकोनोमिक इशूज पर फुलस्केल डिबेट लेने की बात थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप इकोनोमिक इशूज पर पूरी बहस करेंगे, तो उसमें कीमतों का मामला पीछे पड़ जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने उनसे इस मुद्दे पर वक्तव्य देने को कहा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कीमतों का पिन-प्वाइंट नहीं हो सकता है। कीमतों से सब परेशान हैं। आज संसद में जो सवालों के सरकार द्वारा उत्तर दिए गए हैं, मैं उनको देख रहा था। सरकार बढ़ती हुई कीमतों के संकट को कम कर के दिखाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं देख रहा था, साग-सब्जियों के दाम बढ़े हैं या नहीं, सवाल यह पूछा गया था। मंत्री महोदय ने कहा कि यह तो मौसमी-बढ़ाव है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह उनका एक ही उत्तर होता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था। अगर आप पूरी इकोनोमिक सिचुएशन पर बहस करेंगे, तो बहुत अच्छा है। कल शायद आपके चैम्बर में भी चर्चा हुई थी, मगर उसमें प्राइस-राइस का मामला जितना महत्वपूर्ण रूप से लेना चाहिए था, उतना नहीं ले सके। इसलिए आज आपने उठाने का मौका दिया है, तो उत्तर देने के लिए कोई होना चाहिए था। वित्त मंत्री भी नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने एक विशिष्ट अनुरोध किया था जब यह सुझाव दिया गया था कि हम मूल्य-वृद्धि को एक विशिष्ट मुद्दे के रूप में उठा सकते हैं। मैंने अनुरोध किया था कि इसका उत्तर देने के लिए कोई मंत्रालय होना चाहिए, अन्यथा यह व्यर्थ ही होगा। यह इस तरह होगा कि मानो हमने सरकार से उत्तर का आग्रह नहीं किया। मैंने यह आग्रह किया भी था और मेरा विचार था कि कुछ किया जायेगा।

श्री राम कापसे (ठाणे) : क्या हम केवल मूल्य-वृद्धि पर पूर्ण-बहस करा सकते हैं ? बहस से मदद मिलेगी, केवल वक्तव्य पर्याप्त नहीं होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, बहस के दौरान हमने कहा था कि ये मामले शून्य काल के दौरान उठाये जा सकते हैं,

प्रश्न काल के दौरान सरकार से उत्तर नहीं मिलेगा। अब, जबकि आपने निदेश दिया है कि उन सभी बातों पर जिन्हें आपने सुझाया है, सरकार की ओर से एक विशिष्ट वक्तव्य दिया जाये, तो हम यह वक्तव्य देंगे...**(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : आप वक्तव्य कब देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कल दे सकते हैं। हम यह माननीय अध्यक्ष से निर्धारित करेंगे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, बैठ जाईए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो भी चीज हम क्रमबद्ध ढंग से करना चाहते हैं। आप बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने दो बातें तय की हैं। कृपया आप सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने दो बातें तय की हैं क्योंकि हम मूल्य–वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। मैंने मूल्य–वृद्धि पर बहस की अनुमति दी है और बहुत अच्छे वक्तव्य दिये गये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं जब खड़ा हूं अब आप कृपया चुप रहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी यह क्या हो रहा हैं? मंत्री महोदय ने अपने अधिकार के अन्तर्गत यह कहा है कि "हम बहस का विस्तृत उत्तर देंगे जिस समय आर्थिक नीति पर पूर्ण बहस कराई जायेगी।" लेकिन मेरी राय में इस मुद्दे का स्पष्ट उत्तर दिया गया था और इसीलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया था और सरकार आगे आई। मुझे आशा है सरकार कल या परसों तक वक्तव्य दे देगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी बैठ जाएं और उचित ढंग से काम करें, तो कुछ परिणाम निकलेगा। लेकिन यदि आप एक ही समय अपनी सभी बातें कहना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बहस पूरी होने दें और बहस के अंत में, रेल मंत्री सभा में और मैंने उत्तर देने के लिए कहा है, वे सभा में उपस्थित होंगे तथा इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सैफुद्दीन और जसवंत सिंह जी को बोलने की अनुमति दूंगा।

मैंने कहा है, आप लोग समझा करें कि जब हम बहस कर रहे हों, तो मैं मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए नहीं कहूंगा। बहस समाप्त होने पर, वह वक्तव्य देंगे और मैंने उनसे सभा में रुकने के लिए कहा है। उन्हें सभा में रुकने दीजिए। लेकिन, यदि वे एक मिनट के अन्दर 'हां' या 'नहीं' कहते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बहुत गलत तरीका है। आप बिना सोचे समझे, अपनी इच्छानुसार काम करवाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग किसी भी समय खड़े हो जाते हैं, किसी भी समय प्रश्न पूछ लेते हैं, किसी भी समय कहते हैं कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी, हां मंत्री महोदय, क्या आप जानते हैं जो वे जानना चाहते हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : आप क्या चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया मजाक का समय नहीं है। आप सीधा उत्तर दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, वहां खड़े हैं, आप उठ कर खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : मुझे मालूम नहीं है कि समस्या क्या है। समस्तीपुर–दरभंगा लाइन पर काम चल रहा है और इसके लिए बजट दिया हुआ है और हमने इस परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का वचन दिया है। जनवरी में वहां कार्य पूरा हो जाएगा...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक, मंत्री महोदय, आपने उत्तर दे दिया है।...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, आप पहले बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि यह इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म होगा, जनवरी में जाकर शुरू करने वाला हूं। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, 2 बार रेल मंत्री जी ने इस संबंध में आश्वासन दिया। आज वहां पर बंद का आह्वान किया गया है, इससे पहले भी बंद का आह्वान किया जा चुका है। पिछले सत्र में 5000 मिलोमीटर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की योजना हाथ में ली गई, जिसमें बिहार के हिस्से में केवल 37 किलोमीटर लाइन आई। यह काम भी नवंबर में पूरा होना था, फिर और एक महीना आगे बढ़ा दिया गया। अब दिसंबर तक इस काम को करने की बात की जा रही है। इस तरह से बार–बार समय में परिवर्तन होने की वजह से लोगों में एप्रीहेंशन हैं और कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस योजना में विलंब करवाने का काम कर रहे हैं, जो इस काम को नहीं होने देना चाहते। इसलिए अब दिसंबर की जो तारीख दी जा रही है, उसमें इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाएगा या नहीं। क्योंकि एजीटेशन का कारण यही है। यदि इस काम को दिसंबर तक कर दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुरेश कलमाडी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आरोप सही नहीं है कि कोई इस काम को रोकना चाहता है। मैंने कहा है, मैं रिव्यू करके बतला रहा हूं कि जनवरी के अंत तक यह काम समाप्त हो जाएगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आपके सामने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था कि धनराशि को किसी अन्य कार्य पर खर्च किया गया था...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाडी : नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं अभी आपको और श्री शरद यादव, दोनों को बता रहा हूं कि जनवरी के अंत तक लाइन पूरी हो जायेगी।

श्री राम विलास पासवान : यह सच है। लेकिन वह धनराशि अन्य कार्यों पर खर्च कर दी गई है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री झा, वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आप जानते हैं कि सभा से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई किसी बात का कोई महत्व नहीं होता है जबकि मंत्री महोदय स्वयं यहां पर हैं और एक विशिष्ट वक्तव्य दे रहे हैं, अब, मैं इस मुद्दे पर और कोई विवाद या बहस नहीं चाहता। अब आप कृपया बैठ जाइए।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : तो फिर मैं भूख–हड़ताल करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप भूख हड़ताल पर जाना चाहते हैं तो यह आपका अपना दृष्टिकोण है।

श्री योगेन्द्र झा : कलमाडी जी आप लोगों को अकसाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे फोन पर बताया था 15 जनवरी को कूच किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धनराशि को अन्यत्र नहीं लगाया जा रहा है। वह धनराशि खर्च हो गई है इसके बावजूद यदि आप खड़े रहने के लिए आग्रह करते हैं और कुछ कहने के लिए ही कुछ कहते हैं, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र झा : यह सच नहीं है।

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहस कल से और इससे पहले से ही चल रही है। मंत्री महोदय द्वारा सभा में किए जा रहे इस आश्वासन पर अधिक विश्वास तभी किया जा सकता है। क्या वह यह बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व माननीय मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किए गए पूर्व आश्वासन को पूरा क्यों नहीं किया गया। अब माननीय सदस्यों की यह भावना है कि पिछले आश्वासनों की तरह ही इस आश्वासन को भी पूरा नहीं किया जायेगा, मंत्री महोदय इसे इंकार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पूर्व आश्वासनों को पूरा क्यों नहीं किया गया।...**(व्यवधान)**

जल-संसाधान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, इन पर शून्य काल में बहस नहीं की जा सकती। रेलवे की अनुदलों की पूरक मांगों पर चर्चा होगी और ऐसे स्पष्टीकरण जानने के लिए तब उचित समय होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं क्योंकि अनुदानों की पूरक मांगों पर बहस होनी है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विशिष्ट रूप से और सुस्पष्ट शब्दों में एक बार नहीं कई बार कहा है कि इसे पूरा किया जायेगा लेकिन फिर भी आप उनके वक्तव्य पर अविश्वास करने में आनन्द की प्राप्ति करते हैं, तो मैं आपको इस आनन्द प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस लाइन को पूरा करने की इज़ाजत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र से लोक सभा में हमारी उपस्थिति शून्य है। वे इस क्षेत्र के लोगों को दंड दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि लोक सभा चुनावों के बाद, लाइन पर काम नहीं होगा। यह उनकी राजनीतिक साजिश है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे सदस्यों को बोलने देंगे या नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, कल से मैं इसके विरोध में भूख हड़ताल करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप भूख हड़ताल करना ही चाहते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन आप संसद–परिसर में भूख हड़ताल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं।

(व्यवधान)

***श्री जी. भाडे गौडा** (माण्डया) : अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्व जानता है कि कर्नाटक राज्य एक शांति प्रिय राज्य है। पूरे राज्य में शांति और अमन है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, पिछले एक वर्ष से, जब से श्री देवगोड़ा ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री का पद संभाला है तब से पूरी स्थिति बदल गई है। मैं वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लोगों के प्रति किए गए अन्याय की तरफ केन्द्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।** लोगों को शानदार और शान्तिपूर्ण जीवन से वंचित किया गया है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि पूरा कर्नाटक राज्य एक 'पुलिस राज्य' बन गया है। इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरणों को उद्धृत करना चाहता हूं जो राज्य में हाल ही में घटित हुए थे।

महोदय, अति सम्मानीय और हमारे संविधान के निर्माता डा. अम्बेडकर की प्रतिमा वर्तमान कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों का शिकार बनी। हमारे स्वर्गीय नेता के प्रति निरादर के खिलाफ राज्य के सभी जगहों पर नाराजगी व्यक्त की गई। आन्दोलन, धरना, सार्वजनिक, निजी और सरकारी सम्पत्ति को जलाना पूरे राज्य में एक आम बात हो गई है** इन आंदोलनों के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति को हुआ नुकसान कई करोड़ रुपये होगा।** आम लोगों पर ज्यादतियां की जा रही हैं। मुख्य मंत्री राज्य में इन सभी घटनाओं मूक दर्शक बने हुए हैं। महोदय, आपके जरिए मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इसके नैतिक जिम्मेदारी लें और त्यागपत्र दें। लोग सड़कों पर बेटोक–टोक घूमने से डरे रहे हुए हैं।**

मेरे निर्वाचन–क्षेत्र में हाल ही में रचैत संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठी–चार्ज का आदेश दिया गया था। मैं लोगों को शांत करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां गया हुआ था।

मैं तो उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में अपना दायित्व निभा रहा था। बजाए इसके कि मुख्य मंत्री जी मेरे कर्तव्य बोध की सराहना करें, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हत्या करने के प्रयास के आरोप में धारा 370 के अंतर्गत मेरे विरुद्ध मुकद्मा दर्ज करने का आदेश दिया है।...*

एक आई.ए.एस. अधिकारी कर्नाटक सरकार के प्रशासन का एक शिकार बना।...**(व्यवधान)**

श्री जी. भाडे गौडा : महोदय, मुझे मालूम है कि ये लोग क्यों शोर कर रहे हैं।...*

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, यहां क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देख कर इसे सही करूंगा।

श्री जी. भाडे गौडा* : **(व्यवधान)**...महोदय, उन्हें त्याग पत्र देने दीजिए।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर'

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रो. के. वंकेटगिरी गौडा (बंगलोर दक्षिण) : जी हां, महोदय उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : जी हां, जी हां। **(व्यवधान)**...

श्री जी. माडे गौडा : पूरे राज्य में दिन दहाड़े लूटपाट चल रही है।...* केन्द्र को चाहिए कि वह जनता को वर्तमान मुख्य मंत्री के चंगुल से बचाने के लिए आगे आए। महोदय, मैंने विपक्षी दल के रूप में भी काम किया है। मैं विपक्षी दलों के उत्तरदायित्वों से अवगत हूं। मुझे इन लोगों से जो यहां शोर कर रहे हैं। सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, ये लोग क्यों नाराज है....*महोदय, कर्नाटक की वर्तमान गंभीर समस्याओं का एकमात्र समाधान...*। महोदय, मुझे आशा है कि केन्द्र इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करेगा।

धन्यवाद, महोदय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : महोदय, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका अध्ययन करूंगा।

...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप कृपया अनुवाद देखिए। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा और इसे ठीक करूंगा।

...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रत्येक शब्द हटाया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

12.5 म.प.

इस समय श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...**(व्यवधान)**

श्री माडे गौडा और कुछ अन्य माननीय सदस्य भी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।...(व्यवधान)

1.00 म.प.

इस समय श्री माडे गौडा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए। **(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य भी अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उन्हें बोलने की इजाजत क्यों दी है ?...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : वे इस प्रकार की बातें पूरे भारत में कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कार्यवाही वृतान्तों की जांच करने तथा की गई कुछ अत्यंत ही आपत्तिजनक उन टिप्पणियों का पता लगाने का अनुरोध करता हूं। मैं आपसे उन टिप्पणियों को निकाल देने का अनुरोध करता हूं जो असंसदीय हैं क्योंकि किसी मुख्य मंत्री को कहने का कोई कारण नहीं है।* उत्तेजना का कारण जो भी रहा हो, किन्तु कुछ व्यक्तियों जो यहां स्वयं के बचाव हेतु उपस्थित नहीं के संबंध में आलोचना की कुछ सीमा होनी चाहिए।

जहां तक इस मामले का संबंध है, मैं समझता हूं कि स्वयं गृह मंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं, से बेहतर कोई नहीं जानता है। मुख्य मंत्री पर किसी प्रकार का आरोप लगाया जा सकता है, किन्तु यह कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने किसी विशेष अधिकारी को नहीं भेजा। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह एक अत्यंत अनुचित विवाद था तथा इसकी पुनरावृत्ति सदन में नहीं होनी चाहिए। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दोनों पक्षों को संयम रखने को कहें तथा आप कृपया यह पता लगाएं कि क्या–क्या बातें आपत्तिजनक हैं तथा इन्हें सदन की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह किया है। मैंने दोनों पक्षों से संयम रखने तथा उचित भाषा का प्रयोग करने का आग्रह किया है। साथ ही साथ मैंने यह कहा है कि जो कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं रखा जा सकता है उसे नहीं रखा जायेगा। मैंने पहले ही कहा था कि यदि माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी थी तो उनका उत्तेजित होना आवश्यक नहीं था।

श्री जी. माडे गौडा : अध्यक्ष महोदय,...**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाएं। आप जो भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, श्री पासवान जी की सरकार को इन कारणों से बर्खास्त कर देना चाहिए। अथवा उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारी बाग) : अध्यक्ष महोदय, पीछे वालों को कभी बुलायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप आगे आकर बैठ जायें। मैं आपको बुला लूंगा। पहले आप पार्लियामेंट में आने से पहले कहने का तरीका सीखकर आयें। अब आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक में भारी अनिश्चितता तथा उतार–चढ़ाव का उल्लेख कर रहा हूं जो डुप्लीकेट शेयरों सहित कई कारणों के संयोग से उत्पन्न हुई है। इससे पूंजी बाजार तथा देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। मैं जोर देना चाहता हूं कि सरकार से निम्नलिखित पांच छोटे बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। तथा इस संबंध में कार्यवाही करने का आग्रह किया जाए।

1.06 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रथमतः मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस पूरे विषय पर किस प्रकार की जांच के आदेश दिए हैं तथा सरकार की जांच के क्या परिणाम रहे हैं। सदन को यह जानने का अधिकार है तथा हम भी इसे जानना चाहेंगे।

अप्राधिकृत अथवा डुप्लीकेट शेयरों की समस्या सिर्फ संख्यात्मक नहीं है, बल्कि यह अस्पष्ट अवैधता, और इस अवैधता के परिणामस्वरूप हमारे पूंजी बाजार में आत्मविश्वास की भी समस्या है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह समस्या एक कम्पनी तक ही समिति है या यह समस्या अधिक वृहत रूप से फैली है।

तीसरी बात छोटे निवेशकों से संबंधित है। इस प्रक्रिया में उनकी स्थिति सबसे पहले बिगड़ती है और वे प्रत्यक्ष रूप से काफी प्रभावित होते हैं। क्या सरकार ने मुम्बई स्टाक एक्सचेंज से इस आशय के कोई आंकड़े मंगाए हैं कि इससे कितने अल्प निवेशक प्रभावित हुए हैं ?

चौथी बात सरकारी वित्तीय संस्थान–भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण के संबंध में है। ऐसे भी समाचार आये हैं कि एक कम्पनी विशेष के लगभग 8,70,000 शेयरों के डुप्लीकेट शेयर सौदे में भारतीय यूनिट ट्रस्ट शामिल है। यह अत्यधिक चिंताजनक बात है। इसमें सरकार के दो विभाग–वित्त मंत्रालय और कम्पनी कानून विभाग शामिल हैं। क्या वित्त मंत्रालय और कम्पनी कानून विभाग द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जब भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऐसे मामले में शामिल है तो मुझे यह आशंका है कि डुप्लीकेट शेयरों के मामले में अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाएं और अथवा बैंक भी शामिल हो सकते हैं। अतः मेरी अंतिम बात यह है कि क्या सरकार ने ऐसी सभी संस्थाओं से अपने पार्टफोलियों और लेन–देन की जांच करने के लिए कहा है ताकि वे यह साबित कर सकें कि वे ऐसी आपत्तिजनक गतिविधियों में भागीदार नहीं हैं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो प्रायतः उप प्रधान मंत्री की भांति कार्य करते हैं, यहां उपस्थित हैं। क्या वे हमारी चिंता के प्रति कुछ कहना चाहेंगे। और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय भारतीय जनता पार्टी के माननीय उपनेता की टिप्पणी धूर्ततापूर्ण हैं। यहां मैं सिर्फ सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं और अध्यक्ष के निर्देश पर अथवा जब कभी भी आवश्यक हो सरकार की ओर से बोलता हूं।

माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातें संबंधित मंत्री के ध्यान में लाई जाएंगी और मुझे विश्वास है कि सरकार उत्तर देते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शोभनाद्रीश्वर राव...

(व्यवधान)

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, हमें पिछले तीन दिनों से बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। जबकि हमने समय से सूचना दे दी है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बारी–बारी से नाम पुकारूंगा। राव जी, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : यह आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति के बारे में है। महोदय, मैंने इस आशय की सूचना पहले ही दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। मैं बारी–बारी से नाम पुकारूंगा। हमें नियमों से नहीं हटना चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैंने इसकी सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है और मैं उसी के अनुसार सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारूंगा। क्या आप इससे सहमत हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यद्यपि वे मेरी बात से असहमत हैं तथापि वे हमारे साथ सहयोग करेंगे।

अब श्री प्रभूदयाल कठेरिया बोलेंगे। कठेरिया जी आप अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान फिरोजाबाद जनपद, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें पुल निर्माण के संबंध में दिलाना चाहता हूं। 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कर–कमलों द्वारा चंबल के पुल के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था। मैं उस पुल के निर्माण के लिए चार दफे लोक सभा में इस बात को रख चुका हूं। पता नहीं भारत सरकार लोक सभा में बात रखने के बाद भी क्यों नहीं मान रही है ? मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री से मिला था। भारत सरकार बार–बार यह कह रही है कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जितनी भी घोषणाएं हैं उनको कार्यान्वित किया जाएगा।

वहां में विनायत हुसैन का पुल जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है वह अति आवश्यक है। उस पुल के निर्माण होने से आवागमन पर प्रभाव पड़ेगा। जब चंबल अपने आक्रामक रूप लेती है तो बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जहां नाव डूबी हैं व जान–माल की भी क्षति हुई हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी के कर–कमलों द्वारा जिस पुल का शिलान्यास किया गया था उस पुल का निर्माण कराया जाए जिससे वहां की जनता को लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

***श्री वी.एस. विजयराघवन** (पालघाट) : केरल में नारियल की खेती सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वहां एक तिहाई से अधिक जनसंख्या अपनी आजिविका के लिए इस पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। तथापि, केरल के नारियल खेती से जुड़े कृषक नारियल के मूल्य में गिरावट से दुखी है।

भारत सरकार फसल मौसम के काफी पहले ही सभी महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। लेकिन गोलागिरी, नारियल के लिए ऐसा नहीं होता रहा है। 1994 तथा 1995 के मौसमों के दौरान गोलागिरी के समर्थन मूल्य की घोषणा में देरी की गई। 1996 के मौसम के दौरान इसमें विलंब से बचने के लिए केरल सरकार ने इसका समर्थन मूल्य अंतिम रूप से दिसम्बर 1995 तक घोषित कर देने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने 3700 तथा 3900 रुपये प्रति क्विंटल के बीच समर्थन मूल्य रखे जाने की सिफारिश की है। ये दो मांगें बिल्कुल उचित हैं और मैं केन्द्र सरकार से इन्हें स्वीकार कर लेने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : गोलागिरी और नारियल को छोड़कर सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है और गोलागिरी और नारियल की कीमतों में भारी कमी आई है।

अब मैं श्री धनंजय कुमार से बोलने के लिए कहूंगा।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय मैं सरकार का ध्यान पीयरलेस फाइनेंस एक जनरल इनवेस्टमेंट कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा पिछले 28 दिनों से की जा रही भूख हड़ताल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पीयरलेस कम्पनी में लगभग 45 लाख कर्मचारी फील्ड में कार्य करते हैं। पीयरलेस कम्पनी ने 5000 करोड़ धनराशि एकत्र की है। जिसमें से 70 प्रतिशत से अधिक धनराशि आ. निवेश केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में किया गया है। और 20 प्रतिशत से अधिक धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जमा रखी जाती है। पीयरलेस कम्पनी में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया है। पीयरलेस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शुरू की गई योजना द्वारा पांच करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के कारण पीयरलेस कम्पनी में "फील्ड असिसटेंट" के रूप में कार्यरत तथाकथित कर्मचारियों और प्रबन्धन के बीच गलतफहमी पैदा हुई है। इसकी पहले जो कमीशन मिलता था उसमें भारी कमी की गई है और पिछले छः माह से वे लोग इस संबंध में आन्दोलन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि 'फील्ड अस्सिटेन्ट' और प्रबन्धन के बीच समझौता है जिसके तहत अब उन्हें अभी तक 25 प्रतिशत कमीशन मिलता रहा है। और इस समझौते की अवधि मार्च, 1996 में ही समाप्त होने वाली है। वे मांग कर रहे हैं कि पूर्व समझौते की अवधि समाप्त होने तक कमीशन भुगतान इसकी पूर्व दर पर किया जाना जारी रहना चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि उसे इन पैंतालीस लाख लोगों की सहायता करनी चाहिए।

श्रीमान, हम आज इस देश में बेरोजगारी की भयंकर समस्या

---

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

का सामना कर रहे हैं और पैंतालीस लाख परिवारों को पीयरलैस कम्पनी के माध्यम से मिले अप्रत्यक्ष रोजगार से उनका भरण पोषण हो रहा है। पांच करोड़ जमाकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि की सुरक्षा भी अब संदेहास्पद है। अतएवः मैं भारत सरकार से अविलम्ब हस्तक्षेप करने का और आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह करूंगा। अथवा सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से अधिसूचना को वापस लेने के लिए कहना चाहिए और कम्पनी को पूर्व की तरह चलते देने चाहिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक मामले को उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, गत डेढ़ महीने के दौरान हुई भयंकर वर्षा से आन्ध्र प्रदेश में भयंकर क्षति हुई है और इसमें भी श्रीकाकुलम, विजयन्तराम और विशाखापट्नम जिलों में आए समद्री तूफान के कारण स्थिति और भी बिगड़ी है। समुद्री तूफान आने के तुरन्त बाद मुख्य मंत्री महोदय ने क्षेत्र का व्यापक दौरा किया तथा राहत और पुनर्वास कार्य चल रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आपदा राहत कोष से सम्पूर्ण शेष राशि जारी कर दी है और राहत कार्य चल रहे हैं। लेकिन यह सभी प्रबन्ध अस्थाई हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 582 करोड़ की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। माननीय कृषि मंत्री ने आन्ध्र–प्रदेश का दौरा किया था, और मैं अनेक जिलों में गए थे। हालांकि केन्द्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है जिसके कारण राज्य को आपूर्ति क्षति हो रही है। राज्य में सभी सड़कों को भारी क्षति हुई है। हजारों जलाशयों और सिंचाई नहर व्यवस्था में दरारें आ गई हैं। अतएव, मैं केन्द्र सरकार से आन्ध्र सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता को यथा शीघ्र जारी करने का आग्रह करता हूं ताकि पुनर्वास और मरम्मत संबंधी कार्य चलाए जा सकें और सब कुछ ठीक ठाक करके सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

मैं पीठ से यह भी आग्रह करूंगा कि वे आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में समुद्री तूफान और बाढ़ के कारण एक साथ हुई क्षति पर विस्तृत चर्चा कराने की अनुमति दे।

सौभाग्यवश, हाल के बवडर बांग्लादेश की तरफ गया है। अन्यथा हम लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : मान्यवर, आज राजधानी में जो परिवहन निगम की बसें चल रही हैं और परिवहन निगम में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको तीन–तीन महीने के बाद भी वेतन नहीं दिया जाता है और ठीक उसी तरह से उनको तीन–तीन वर्ष का यात्रा भत्ता भी नहीं दिया गया है अर्थात् तीन वर्ष से उनका टी.ए. बकाया है और अपने बकाया का भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों में परेशानी है।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली परिवहन निगम की जो मैटाडोर सांसदों को उनके घरों से संसद तक लाने के लिए लगाई गई हैं और उनमें जो सुरक्षा गार्ड बंदूक लेकर बैठाए गए हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी इस बन्दूक में गोली है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ तो सांसदों की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पैसे की कमी के कारण गार्डों को बन्दूक में गोली भी भरने के लिए उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अब आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि कहीं कोई हादसा हो गया, तो ये बिना गोली के बन्दूकधारी कैसे हमारी सुरक्षा कर पाएंगे।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को जो तीन महीने से वेतन नहीं दिया गया है और जो तीन–चार साल से उनको यात्रा–भत्ता एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है, उनके सभी बकाया का भुगतान अविलम्ब किया जाए।

श्री हरि किशोर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन नागपुर स्टेडियम में जब वन डे क्रिकेट मैच हो रहा था तो उसे हजारों लोग देख रहे थे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय को पहले ही उठाया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : लेकिन उसके बाद स्टेडियम का एक हिस्सा कौलेप्स होने के कारण 9 व्यक्तियों की जानें चली गईं और सैकड़ों लोग घायल हो गए। क्या सरकार उसकी जांच करवाएगी ? क्या क्रिकेट ऐसोसिएशन ने उस स्टेडियम को जांचा था या उसके ज्यादा टिकट बेच दिए गए थे जिसका भार वह वहन नहीं कर सका या उसकी बनावट में ऐसी कोई कमी थी जिसकी वजह से वह कौलैप्स हो गया ?...**(व्यवधान)** जांच के आर्डर हो गए लेकिन जिन नौ लोगों की जानें गई हैं, उनका क्या होगा ? क्रिकेट ऐसोसिएशन इस तरह से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कैपेसिटी को जांचा नहीं जा

रहा है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार क्या पुख्ता इन्तजाम कर रही है और मानव संसाधन मंत्रालय, जिसके प्रभारी मंत्री आजकल क्रिकेट से काफी जुड़े हुए हैं, क्या कर रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस समस्या की ओर आपका और सारे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके साथ इस हाउस के सभी लोग संबंधित हैं। एमपीज़ लोकल एरिया डैवलपमेंट फंड के बारे में सभी सांसदों को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। सरकार ने स्वयं माना था और पिछले वर्ष एक करोड़ रुपये एक वर्ष के हिसाब से दिए थे। इस वर्ष मात्र 50 लाख रुपये दिए गए हैं। बाकी के 50 लाख रुपये अभी तक नहीं भेजे गए हैं। समय समाप्त हो रहा है, 2–3 महीने बाकी बचे हैं, शेष राशि तुरन्त भेजी जाए। सरकार शर्त लगाती है कि कम्पलीशन सर्टिफिकेट आएगा उसके बाद बाकी पैसा मिलेगा। पैसा ही साल के अन्त में देंगे तो कम्प्लीशन सर्टिफिकेट कब तक मिल सकता है। यह तो केन्द्र सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है लेकिन जहां दूसरी पार्टी की प्रदेश सरकारें हैं, वहां पर सांसदों को और ज्यादा कठिनाई आ रही है क्योंकि स्थानीय प्रशासन उसमें सहयोग नहीं करता है। अधिकतर जिलाधीश हमारी अनुशंसाओं के अनुसार कार्य नहीं करते। यदि हम लिखते हैं कि वहां 50 हजार रुपये खर्च हो तो वे उसे बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर देते हैं। पिछली बार 5 लाख रुपये दिए थे, उसके बाद 1 करोड़ रुपये दिए हैं। उस पर जो ब्याज का पैसा है, स्कीम के तहत गाइडलाइन में लिखा है कि वह पैसा भी शामिल होगा लेकिन वह शामिल नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार जब तक केन्द्र सरकार की ओर से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, जो इसमें अड़चन डाल रहे हैं, जानबूझकर इस योजना को असफल करने का प्रयत्न करते हैं, सख्त कार्यवाही नहीं होती तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वे अधिकारी ऐसा करते रहेंगे।

कल दुर्भाग्यवश सलमान खुर्शीद साहब ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो भाषण दिया, वह सरकार की नीयत के बारे में इंगित करता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मात्र 5 सांसद हैं फिर भी हमने सांसद विकास निधि योजना को स्वीकृति दे दी। क्या सरकार यह चाहती है कि जहां इनकी पार्टी के सांसद नहीं हैं, वहां पर यह स्कीम ठीक ढंग से लागू या चालू न हो या वहां पर अड़चनें डाली जाएं ? इस तरह का गलत बयान सरकार के एक मंत्री ने दिया। उस समय गृह मंत्री बैठे हुए थे। इससे उन अफसरों की ओर इस तरह का इशारा जाता है।...**(व्यवधान)** आप बैठिए, मैं मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, आप मंत्री नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. पात्र, यदि कोई कठिनाई हो तो माननीय सदस्य सदन के पटल पर इसे व्यक्त करें और यदि कोई खामी हो तो आप उसे दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : मेरा भावार्थ यह है कि दूसरे सदन में बात हुई थी और एक कमेटी बनाने की चर्चा चली थी कि सांसदों की एक कमेटी बने जो इस सबकी मौनीटरिंग करती रहे और उसमें जो दिक्कतें आएं, उन्हें दूर किया जा सके।

क्या केन्द्र सरकार इसके लिए कोई सांसदों पर आधारित कमेटी बनाने का निर्णय लेगी, ताकि यह जो स्कीम है, बहुत अच्छी जो योजना चली है, उसको लागू करने के लिए सही कदम उठाये जा सके और जनता को सही तौर पर इसका लाभ पहुंच सके ?...**(व्यवधान)**

श्री एम.आर. कदम्बूर जनार्दनन (तिरुनलवेली) : महोदय, सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो. प्रेम धूमल : महोदय, सरकार को अवश्य प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय मैं इसी मुद्दे पर हूं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : यह जो लापरवाही बरती जा रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : तीन–चार सदस्य हैं जिन्होंने अपने नाम दिए हैं और जो सांसदों की निजी क्षेत्र विकास योजना को लागू नहीं किए जाने के बारे में बोलना चाहते हैं। उन्हें कहने दीजिए जो वे कहना चाहते हैं। उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद, जो सरकार को इस पर क्या कहनी है, उसे सुनेंगे।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक–एक करके नाम पुकारूंगा। जब मैंने श्री शोभनाद्रीश्वर राव का नाम बुलाया, तो यह नियम से हटकर था। इसलिए, मैंने उनसे यह आग्रह किया कि वे अपना स्थान लें। उसके बाद, मैंने सूची के अनुसार नाम बुलाना शुरू किया। आपको यह बात भी दिमाग में रखनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको आखिर में समय दूंगा।

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अभी हमारे माननीय धूमल जी ने कहा था, उसी संबंध में मैं बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कालराजी, मैं उन सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिन्होंने अपने नाम दिए हैं और जो सांसदों की निजी क्षेत्र विकास योजना पर बोलना चाहते हैं। यह उचित क्रम में है तथा यदि मैं उन्हें एक-एक कर बुलाऊं तो मुझे स्वविवेक को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अभी हमारे धूमल जी ने कहा था, उसी सम्बन्ध में मैं बोलना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र में भी परेशानी है। पहले साल पांच लाख रुपये दिये गये थे, उसके बाद एक करोड़ दिया गया था, इस साल कुल 50 लाख रुपया दिया गया है, उसके लिए फौरन हमारी क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत हमारे डी.एम. के पास बाकी पैसा भेजे, जिससे हमारा काम आगे हो सके।...**(व्यवधान)**

श्री राम टहल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिस बात की चर्चा धूमल जी ने की है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे साथ जो वहां हो रहा है, उस सम्बन्ध में थोड़ी-सी बात कहना चाहता हूं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र रांची पड़ता है, जिसमें एक असेम्बली क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है वहां रांची प्रशासन को 6-7 महीने पहले ओर एक दो योजनाओं का पैसा एक साल पहले वहां दिया गया है, मगर वहां के डीडीसी ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और प्राक्कलन (एस्टीमेट) बनाने का भी अभी प्रयास नहीं किया है। मैं दो तीन रोज पहले वहां से घूमकर आ रहा हूं। मैंने पर्सनली जाकर डीडीसी से 32-2 बार जाकर कहा है, जबकि रांची से हमको 200-250 किलोमीटर जाना पड़ता है, कई पत्र मैंने लिखकर भेजे, टेलीफोन पर बात की, लेकिन वे केवल आश्वासन देते रहे कि तुरन्त काम शुरू करेंगे। अगर अभी तक वह पैसा खर्च किया जाता तो आधे से अधिक योजनाएं पूरी हो गई होतीं, मगर खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन पर कोई असर नहीं है और उनको कोई ख्याल नहीं है कि इस तरह से सांसद का मानहानि का मामला बनता है।

मैं चाहूंगा कि उस पदाधिकारी पर और दोषी कर्मचारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाय और सांसदों के कोष का पैसा सही ढंग से खर्च हो, जो खर्च नहीं हो रहा है। इसमें लापरवाही हो रही है, इसलिए इसकी एक समिति बनाना बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो चाराबासा के अधिकारी ने किया है, उस सम्बन्ध में सदन की कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्यवाही करे, अन्यथा कोई भी योजना सफल नहीं होगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा.एस.पी. यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत सबसे बड़ी परेशानी जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, वह जो इस स्कीम के तहत जो विभाग है, पी.डबल्यू.डी. या आर.ई.एस. विभाग है या गन्ना विभाग है, जिन विभागों के लिए आथोराइज किया जा रहा है कि उनके माध्यम से काम कराये जायेंगे, उन विभागों के कर्मचारी ओपनली 10 लाख पर दो लाख रुपये कमीशन का काट रहे हैं। यह स्थिति मेरे जनपद बदायूं में मुरादाबाद में मुझे स्पष्ट रूप से पता है। हमने एक पुल का निर्माण कराने के लिए इस एरिया डवलपमेंट स्कीम से पैसा दिया था, लेकिन उस डवलपमेंट स्कीम के तहत जो पुल दिया गया, उस पुल का निर्माण कराने के लिए पहले पी.डब्ल्यू.डी. विभाग तैयार नहीं हुआ। आर.ई.एस. विभाग तैयार नहीं हुआ। फिर हमने गन्ना विभाग से सम्पर्क किया तो उन्होंने उसका बजट करीब 15 लाख रुपये का बनाया। लेकिन उसके बाद आर.ई.एस. के लोग कूद गये और उन्होंने उसका बजट 17 लाख रुपये का बनाया। वे दो लाख रुपया कमीशन मांगते हैं। अब एक कालेज के भवन के लिए दस लाख रुपये आबंटित किये तो उसमें भी क्लियरकट उन्होंने दो लाख रुपये मांगे और नहीं देने पर काम करने को तैयार नहीं है। वे बार-बार यह कहते हैं कि अगर हमारा कमीशन नहीं होगा तो हम बनायेंगे। वे खुलेआम यह बात करते हैं और कमीशन मांगते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार कोई ऐसी समिति बनाये जो देखे कि एक पैसा भी कमीशन के रूप में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वे लोग जब एस्टीमेट बनाते हैं तो पहले ही 27 प्रतिशत जोड़कर बनाते हैं। हमें शर्म आती है कि हम यहां से लड़कर सरकार से पैसा लेते हैं और कर्मचारी लूटने का काम करते हैं। इससे हम सांसद ही बदनाम होंगे और जनता हमें ही कहेगी कि सड़क खराब हो गई, पुल टूट गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस मामले की जांच करे कि कहां-कहां कैसा काम हो रहा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नामों को एक–एक कर पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरामपुर) : महोदय, हमारा नाम भी वहां है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है। कृपया मुझे सुनें। नियम यह है कि हम 10 बजे के पहले आएं, सूचना दें तथा यह छप जाय। यह हम लोगों के सामने है। मैं सोचता हूं कि यह मानी हुई बात है। मैं एक–एक करके नाम बुलाऊंगा। आपको धैर्य होना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगमीत सिंह बरार, आपको जाने की जल्दी है।

श्री जगमीत सिंह बरार : नहीं महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कुछ अन्य लोग यहां–वहां बैठते हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, मैं अध्यक्ष पद का सम्मान करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन्होंने अपना नाम समय से दे दिया है, उनके सभी नाम यहां हैं। किसी को दिमाग में कुछ नहीं रखना चाहिए।

श्री जगमीत सिंह बरार : हमें आपकी भावना पर गर्व है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। कृपया विलंब को बर्दाश्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये देने का फैसला इस संसद ने किया है। उसके अनुसार बजट भी पास हुआ है। यह एक अच्छी योजना है और इसका सारे सदन ने बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया था। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी इस योजना को खटाई में डालना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा है कि बाद के 50 लाख रुपये निर्वाचन क्षेत्रों में तब भेजेंगे जब पहले वाले 50 लाख रुपये का हिसाब आ जाये। मेरे क्षेत्र में तो पहले वाले 50 लाख ही नहीं आये हैं। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक पहले 50 लाख रुपये खर्च होकर रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक आगे के पैसे नहीं दिये जायेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नौ महीने या 12 महीने का समय लगता है तो पैसा नहीं आने के कारण जो यह दो साल की कल्पना हमने की थी, यह योजना खटाई में पड़ने जा रही है।

दूसरी गंभीर बात यह हो रही है कि वहां के जिलाधिकारी, क्लेक्टर 50 लाख रुपये के आगे की योजना का एस्टीमेट नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक पैसा नहीं आयेगा, हम कोई योजना नहीं बनायेंगे। इससे योजना बनाने का काम भी रुक गया है।

उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं और सारा सदन भी जानता है, हो सकता है आगामी फरवरी या मार्च में लोक सभा के चुनाव होंगे। फिर ये एस्टीमेट कब बनायेंगे, कब काम होगा। एक बार चुनाव दरवाजे पर आ गया, घोषणा हो गई तो लोग उसमें जुट जायेंगे और फिर चुनाव आचार–संहिता भी लागू हो जायेगी। इससे सारा काम अधूरा रह जायेगा। जनता के उपयोग के लिए जो काम करना था वह नहीं होगा। मेरा आग्रह है कि आज नहीं तो कल वित्त मंत्री जी यहां आयें और 50 लाख रुपया कब भेज रहे हैं, इसका ऐलान संसद में करें।

मैं यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि सरकार इस पर बयान करे कि 50 लाख रुपया कब रिलीज करेगी नहीं तो कल प्रश्नकाल के बाद कोई काम नहीं होगा, यह मैं फोरवार्निंग दे रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की भावनाएं सही हैं। मैं भी यही अनुभव कर रहा हूं। योजना की तैयारी और उसकी अनुमानित लागत में अत्यधिक देरी हो गई है और अनुमानित लागत बहुत अधिक बढ़ गई है। दूसरे इसके कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी हो गई है। तीसरे, कार्य का स्तर गिर रहा है। उच्च अधिकारी इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देते मुझे तो ऐसा ही लगता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : इसका क्या उपाय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका तो सही उपाय है कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनका क्या विचार है।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह सदन का निर्णय है। सदन ने ही यह राशि जारी की है और सदन ने ही नियम बनाए हैं। यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तो लोगों की यह धारणा बनेगी कि संसद सदस्य वह धन ले रहे हैं और

उन्हें बहुत अधिक धनराशि मिल गई है। प्रत्येक संसद सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए उस धन का सर्वोत्तम उपयोग किया है। जैसा कि आपने देखा है आपको पता है यह तो सर्वसम्मत राय है कि स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार हैं। न केवल स्थानीय प्रशासन अपितु केन्द्रीय सरकार भी इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार है क्योंकि यह निर्देश है कि जब तक आप कार्य समापन रिपोर्ट नहीं देते, दूसरी किस्त नहीं दी जायेगी। श्री नाईक ने कहा है कि पहली किस्त ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं पहुंची है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि लोक सभा सचिवालय से किसी व्यक्ति को यहां संयोजन करना चाहिए और तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि यह धनराशि भेजी जा सके और स्थानीय प्रशासन को भी तदानुसार निर्देश जारी किये जाने चाहिए। सदन के ध्यान में यह बात लाई गयी है कि कुछ राज्य सरकारें भी प्रगति में अवरोध पैदा कर रही हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि धन सीधे जिला न्यायधीश के पास जायेगा और यही हो रहा है। अब प्रश्न त्वरित गति से कार्यान्वयन का है। अतः आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि इस साल की पूरी धनराशि अर्थात् एक [illegible] रुपए जारी किये जाएंगे मेरी यही प्रार्थना है।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दमन : इस सत्र की समाप्ति से पूर्व।

श्री राम नाईक : नहीं कल ही।

उपाध्यक्ष महोदय : जनार्दनन जी, धन तो दिसम्बर के महीने में जारी किया जाएगा। जनवरी और फरवरी के महीने में अफसरों के लिए काम बहुत अधिक होता है। उससे पूर्व धन राशि जारी की जानी चाहिए ताकि कार्यान्वयन का कार्य जल्दी पूरा किया जा सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जो भी कठिनाईयां महसूस हो रही हैं वे केवल उन्हीं को बता रहे हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं जो इन कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : कुछ राज्य सरकारें तो धन अपने कोषागारों में रख रही हैं। हम देख सकते हैं किं कुछ राज्यों में हमेशा राजकोष पर प्रतिबंध लगा रहता है। राजकोष प्रतिबंध के कारण समाहर्त्ताओं को धन जारी नहीं किया जा रहा है और वे कार्य आरंभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए धन सीधे जिलाधीश के पास जाना चाहिए और समाहर्ता को वह धन अपने खाते में रखना चाहिए ताकि हम उस पर अर्जित ब्याज प्राप्त कर सकें जिसे उसी उद्देश्य से उपयोग में लाया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग—अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही प्रधान मंत्री ने वित्त मंत्री को इस पर विचार करने के निदेश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी धनराशि जारी की जाए।

प्रो. प्रेम धूमल : जल्दी से जल्दी किस समय तक ?

श्री मल्लिकार्जुन : आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसे कल सुबह ही जारी कर दिया जाएगा ?

प्रो. प्रेम धूमल : आपको कोई तारीख विनिर्दिष्ट करनी चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक इस धनराशि के उपयोग का संबंध है, सभी उस बारे में चिन्तित हैं। यह धनराशि संसद सदस्यों द्वारा उनकी अपनी इच्छा से उपयोग करने के लिए रखी गई है, जिसमें जैसी भी स्थिति हो, जिलाधीश अथवा न्यायाधीश को प्राथमिकता दी गई है, ताकि वे कोई ठोस कार्य कर सकें। इसलिए, इस मामले पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन को एक बहुत ही दुःख की बात बताना चाहता हूं। बी.सीसीएल के कोल–फील्ड में 25 सितम्बर को अचानक कोलयरी में पानी घुस जाने से 67 मजदूरों की मृत्यु हो गई। यहां न अभी तक पानी सूखा है और न 67 मजदूरों में से एक मजदूर की लाश निकाली जा सकी है। आपको याद होगा, बीसीसीएल की एक कोलयरी में पहले गैस के कारण 64 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोई भी महीना ऐसा नहीं है, जब दर्जनो लोग ऐसी दुर्घटनाओं में मारे न गए हों। जहां तक सिक्योरिटी और सेफ्टी का सवाल है, कोल इंडिया की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। मजदूरों को जानवरों की तरह से खटाया जाता है। मजदूरों को जबरदस्ती अण्डरग्राउन्ड माइनिंग में ढकेला जाता है। जिसके चलते इस तरह की घटनायें चलती हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह घटना 26 तारीख को हुई थी और मैं 28 तारीख को घटनास्थल पर गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक आदमी जो वहां पर रखवाली

के लिए रखा गया था, उसको प्रोजेक्ट आफिसर ने यह कह कर हटा दिया कि यह बैठ कर पैसा लेता है। मैं कहता हूं, अगर वह आदमी रहता, तो वह देखता कि पानी बढ़ रहा है और वह हल्ला करता, तो सारे मजदूर जो बेमौत मारे गए हैं, वे खान में से निकल जाते और उनकी मौत नहीं होती। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, 15–20 साल पहले एक बांध बनाया गया था, जो काफी कमजोर हो गया है...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इस बारे में कल वक्तव्य देने के लिए सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : ठीक है, मंत्री महोदय कल स्टेटमेंट दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले भी घटनायें हुई हैं और आगे भी घटनायें होंगी। इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाए किए हैं, कौन–कौन दोषी आफिसर हैं, इन आफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, क्या राहत पहुंचाई गई है, क्या सेफ्टी के इन्तजाम किए गए हैं और जो पैसा लेकर कोल इंडिया के आफिसर खा जाते हैं, ऐसे आफिसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है–ये सब बातें स्टेटमेंट में आनी चाहिएं।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय सवाल है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, श्री घाटोवार, और गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं।

आप जानते हैं, सदन में डिमान्डस पर गिलोटिन के चलते बहुत से महत्वपूर्ण मंत्रालयों, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, पर बहस नहीं हो पाती है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

क्या 60 के दशक के मध्य में देश में जानलेवा बीमारियां फिर से आ गई थीं यह माना जाता है ?

[हिन्दी]

विशेषज्ञों का मत है कि मलेरिया, कालाजार और एन्टिफ्लाइटिस किलर डिजीज है। 60 दशक के अन्दर ऐलान किया गया था कि ये बीमारियां देश के अन्दर नहीं रहेंगी। इस बारे में मैं एक साइन्टिस्ट को कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

हम अभी भी इस बारे में अंधकार में हैं कि प्लेग कैसे फैलता है और जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता हमें इस बारे में विश्वस्त नहीं हो सकते कि रोग दुबारा नहीं आएगा।

आप जानते हैं, सूरत में क्या हुआ है। इसके बाद बिहार में कालाजार को लेकर मामला हर क्षेत्र में उठा रहे हैं। हम चाहते हैं जिन किलर डिजीज के बारे में मैंने नाम गिनाए हैं, उनके बारे में भारत सरकार की तरफ से सोच होनी चाहिए। इस बारे में सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय को कहने से काम नहीं चलेगा। सारी कैबिनेट को इस बारे में सोचना चाहिए। 60 दशक के बाद यह मामला लापता हो गया, लेकिन अब यह फिर वैजन्स के साथ लौट रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मलेरिया, प्लेग, एन्सिफलाइटिस वैकटिरिया बोर्न डिजीज है। ये सारी बीमारियां पूर्वी हिन्दुस्तान में बहुत हैं। माननीय मंत्री, श्री घाटोवार, सदन में मौजूद हैं।

आप असम, बंगाल राजस्थान में देखेंगे कि इस तरह की जितनी किलर डिसिजिस है वे बार–बार सिर उठा रही हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि देश के सारे गरीब लोग साधारण तौर पर इसके शिकार होते हैं। ये बीमारियां सारे देश में फैल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, घाटोवार जी यहां बैठे हुए हैं यह इस पर कुछ रेसपोंस दें और यहां होम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं। यह कोई खास मंत्रालय का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय सवाल है इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए युद्धस्तर पर वैज्ञानिकों की पूरी बैठक बुलाएं कि इस तरह से ये जो बीमारियां सिर उठा रही हैं इन बीमारियों के खिलाफ देश के पैमाने पर किस तरह से इनको रोका जाए। इस बारे में सरकार सारे सदन और देशवासियों को विश्वास में ले, यह मैं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विषय है उच्च शिक्षा के निजीकरण तथा व्यावसायीकरण के विरोध में 29 नवम्बर को अखिल भारतीय विद्यार्थियों की हड़ताल। इस चर्चा में भाग लेने के लिए पांच सदस्य हैं। मैं एक–एक कर के बुलाऊंगा।

कृपया अपने भाषण संक्षेप में दीजिए। अब, मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : मैं भिन्न विषय पर बोलना

चाहता हूं। कृपया उन पांच सदस्यों को बाद में बोलने का मौका दीजिए...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक–एक करके बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

श्री उमराव सिंह : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन पांच सदस्यों को एक साथ बोलने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन मेरा एक मित्र विषय हैं।...(**व्यवधान**)

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, भारतीय विद्यार्थी संघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ सहित पांच अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन और 29 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय विद्यार्थी संगठन, 47 विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ और 450 से अधिक कालेजों के विद्यार्थियों के संघों ने एक संयुक्त कार्यकारिणी समिति नियुक्त की है और वे आज 29 नवम्बर, 1995 को विद्यार्थियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। उनके मांगपत्र में नौ बाते हैं। वे सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम छः प्रतिशत और वार्षिक केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा पर तत्काल व्यय करने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष के बजट में भी केवल 1.5 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। यह बहुत अल्प राशि है। इसके साथ ही वे मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात वास्तव में चौंका देने वाली है कि सरकार स्वयं वित्त पोषण के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में तथाकथित निजीकरण का रास्ता अपना रही है और शिक्षा का अत्याधिक व्यवसायीकरण हो रहा है। इसके साथ ही हड़ताल पर बैठे हुए विद्यार्थी संविधान के भाग IV में रोजगार के अधिकार को तथा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि भारत–अमरीका सैन्य समझौता तथा रक्षा समझौता जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संप्रभुता के विरुद्ध है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इन नौ मुद्दों पर वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं विद्यार्थियों की मांगों को तत्काल पूरा करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रामचन्द्र डोम। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए क्योंकि सभी सदस्यों को अभी बोलने का अवसर देना है।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है और मैं इसका समर्थन करता हूं। आज, हमारे देश के सभी विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वे सामान्य रूप से शिक्षा और विशेषकर व्यवसायिक शिक्षा के निजीकरण तथा व्यवसायीकरण का विरोध कर रहे हैं। इन दिनों नई आर्थिक नीति तथा नई शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा का बहुत ज्यादा और गलत तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा है।

महोदय, दूसरी ओर जगह–जगह निजी संस्थान गठित हो रहे हैं। यह शैक्षणिक संस्थान निजि व्यवसायियों द्वारा चलाए जा रहे हैं और शिक्षा को अब वस्तु एक व्यापारिक वस्तु माना जा रहा है। इसलिए शिक्षा और रोजगार के मूल अधिकार को गलत तरीके से कम किया जा रहा है। इसलिए इस देश के विद्यार्थी भारतीय विद्यार्थी संघ तथा अन्य विद्यार्थी संगठनों के अन्तर्गत शिक्षा तथा रोजगार के अधिकार में इस गलत तरीके से की गई कटौती के विरोध में हड़ताल पर हैं। इसलिए मैं इस नीति के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता हूं जोकि केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और सरकार की शिक्षा के इस अभियन्त्रित निजीकरण तथा व्यवसायीकरण को रोकना चाहिए और हमारे देश के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार को एक व्यापक वक्तव्य के साथ आगे आना चाहिए तत्काल शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण को रोकना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस विषय पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पहले मेरे साथियों ने इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की है। मैं सारे देश के छात्रों द्वारा कराई गई मांगों का समर्थन करने के लिए उनके साथ शामिल हूं। मेरा विश्वास है कि आज 12 मीलियन छात्र इस समय हड़ताल पर हैं यह दुर्भाग्य की बात है कि जिन छात्रों को अध्ययन करना चाहिये था, सरकार की गलत नीतियों के कारण हड़ताल कर रहे हैं और सड़कों पर हैं। उनकी मांगें उचित हैं। यह शैक्षिक जीवन तथा कुल मिलाकर शिक्षा और राष्ट्रीय हित से संबंधित है। मेरा विश्वास है कि सरकार की नई नीतियों, जिनमें निजीकरण पर बल दिया गया है तथा भुगतान पर अच्छी शिक्षा की उपलब्धता के कारण जिस तरह का भेदभाव छात्रों के साथ किया जा रहा है, उसे दूर किया जाना चाहिये। सरकारी शिक्षा पूर्णतः सोचनीय स्थिति में हैं। हमारे छात्र समुदाय, जिन्हें हम देश का भविष्य मानते हैं, को हर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये, ताकि वे उचित और स्वस्थ वातावरण में आगे बढ़ सकें। खेल–कूद की सुविधा और बेहतर शिक्षा जैसी हर एक सुविधा उन्हें दी जानी चाहिये तथा शिक्षा और रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाये और अन्य चिंताओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये तथा यदि आज नहीं तो कल को निश्चित तौर पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा (क्योंझर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग अनियमित टेलीफोन कनेक्शनों के कारण परेशान हैं। प्रयोक्ताओं को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ? आजकल कई घटनाएं हो रही हैं। कई आपदाएं तथा अन्य खतरनाक बातें हो रही हैं। टेलीफोन कनेक्शन क्यों नहीं लग रहे हैं ? महोदय, इस विभाग में एक मुख्य महाप्रबन्धक, श्री त्रिलोकी हैं। वह इस वहां पर काफी समय से कार्य करते आ रहे हैं। वह लोगों की अपेक्षा कर रहे हैं। श्री सुखराम भी इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं स्वयं ही इस माननीय सभा की जानकारी में यह बात लाया हूं और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। मेरा क्षेत्र एक जनजातीय तथा औद्योगिक क्षेत्र हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र, क्योंझर एक जनजातीय क्षेत्र है और यह नया विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र है। मैं मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा अनुरोध है कि इस पर तत्काल ध्यान दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरा विचार है कि यदि इसके बाद कोई एक या दो मिनट तक ही बोले, तो हम इसे जल्दी ही समाप्त कर सकते हैं।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सूची से हटकर कार्यवाही चलाई जाये, तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। श्री नवल किशोर राय।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बिहार राज्य से आता हूं। देश में आबादी के हिसाब से बिहार दूसरे स्थान पर है लेकिन विकास की दृष्टि से यह सबसे पिछड़ा राज्य है। इस राज्य के प्रति केन्द्र सरकार की उपेक्षा लगातार चलती आ रही है। मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य में उर्दू भाषा–भाषी एक करोड़ से अधिक है लेकिन वहां पर कोई केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय नहीं है। पिछले 40 साल से बिहार राज्य में केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग बिहार राज्य की तरफ से चली आ रही है। समय–समय पर इस सदन में भी हम लोगों ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है। लेकिन अब तक इसका कोई निदान नहीं हुआ है। मैं आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि हमारे राज्य में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना करे। बिहार राज्य के एक करोड़ उर्दू भाषा–भाषी इस मांग को लेकर आंदोलित हो रहे हैं और दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में वे भारी संख्या में संसद पर प्रदर्शन करेंगे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं सूची से बाहर नहीं जा सकता। यदि ऐसा मामला है, तो सभी को अवसर दिया जायेगा।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, सूची में दर्ज नामों से हटने के लिए मुझ पर दबाव न डालें।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि उर्दू भाषा–भाषी लोग हमारे राज्य बिहार में सबसे अधिक हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बिहार राज्य में केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार–बार यही क्यों दोहरा रहे हैं? मैं अब श्री छेदीपासवान का नाम पुकारता हूं।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू की तालीम के लिए अलीगढ़, जामिया...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं हो रहा है।

माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। नाम सूची में है। सूची मेरे सामने है। आपमें थोड़ा धैर्य होना चाहिये। कभी आपको शुरू में अवसर मिल जाता है, कभी बीच में तथा कभी अन्त में। धैर्य रखना पूर्णतया आवश्यक है।

...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : हम सभी धैर्य रख रहे हैं। कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दीजिये।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं अनुमति दूंगा। श्री रमेश चेन्नितला।

...**(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बिहार राज्य में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग से अपने को सम्बद्ध करता हूं। बिहार में केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय खोला जाए, यह हमारी मांग है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ भी कहा है कि वह सच है। किन्तु आपने पहले से सूचना क्यों नहीं दी ? श्री राय ने सूचना दी है और वह बोल चुके हैं, आप इसका बहाना बनाना चाहते हैं।

...**(व्यवधान)**

2.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का अनुशासन मत तोड़िये। आखिरकार, अन्य सदस्य भी हैं, जो सभा की कार्यवाही चाहते है, चाहे यह समुचित ढंग से चले अथवा दूसरे ढंग से चले, कई वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री चेन्नित्तला, आप संक्षेप में बोलें क्योंकि दो बजकर दस मिनट हो गये हैं, हमें मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करनी है। यदि प्रतीक्षारत सदस्यों की बारी नहीं आई तो वे अप्रसन्न होंगे।

श्री रमेश चेन्नित्तला : उपाध्यक्ष महोदय, केरल के लोगों को राज्य में रेलगाड़ियों के डिब्बों की कमी के कारण काफी कठिनाइयां हो रही हैं। उदाहरण के लिए केरल एक्सप्रैस, आईलैंड एक्सप्रैस, गांधीधाम एक्सप्रैस, विलासपुर एक्सप्रैस तेजगति से चलने वाली रेलगाड़िया केरल से होकर चलती हैं। इन रेलगाड़ियों के डिब्बों में कमी कर दी गई है। इसके कारण लोगों को काफी कठिनाईयां हो रही हैं। डिब्बों में कमी किए जाने के कारण अन्य राज्यों में कार्य कर रहे लोगों को भी काफी कठिनाइया हो रही हैं। राज्य मे चलने वाली ईनाडू एक्सप्रैस और एक्जीक्यूटिव एक्सप्रैस से भी रेलवे ने डिब्बों में कटौती कर दी है। मैं नही जानता कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। दैनिक यात्रियों और कार्यालयों में कार्यरत लोगों को भारी कठिनाइया हो रही है।

हमने इस मामले पर दक्षिण रेलवे के समक्ष यह मामला उठाया था। किंतु उन्होंने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। हमारे लिए यह एक विशेष मौसम है, सबरीमाला तीर्थयात्रा चल रही है। यह उत्सवाचल रहा है। उत्सव के मौसम के कारण कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास तथा देश के अन्य भागों से सबरीमाला तीर्थयात्रा के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। इस विशेष मौसम के अवसर पर डिब्बों की संख्या में कटौती कर दी गई है। दक्षिण रेलवे ने तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों से भी डिब्बों में कटौती की है।

वास्तव में हम राज्य के अन्य भागो से सबरीमलाई के लिए और अधिक रेलगाड़ियां चाहते हैं ताकि तीर्थयात्री आ सकें और सबरीमलाई में दर्शन कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अन्तिम वक्ता होते तो मैं आपको और अधिक समय दे सकता था। अन्य व्यक्तियों को भी बोलना है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह समय का प्रश्न है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि मेरे राज्य के लोगों की सहायता की जाये।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बराड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके दो मिनट लूंगा। मैं आपके माध्यम से एक विशेष मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विश्व भर में सिख कौम के लिए सिखों के लिये आज मुझे सदन में यह शब्द इस्तेमाल करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वे बहुत बेविश्वासी के घेरे में घिरे हुए हैं। एक बहुत बड़ा इनसिडैंट पंजाब में हुआ। जसवंत सिंह खालरा जो कि ह्यूमन राइट्स ऐक्टिविस्ट थे, उनको 6 सितम्बर को पंजाब की पुलिस ने उठाया और कामांडोज ने 15 दिन के बाद ऐलिमिनेट कर दिया। आज इंटरनैशनल मीडिया में विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है। जिस इन्सान के खिलाफ कोई मुकदमात नहीं थे, उसको इसलिये पंजाब की पुलिस ने मार दिया कि उस आदमी ने ह्यूमन राइट्स ऐक्टिविस्ट होते हुए 25 हजार, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, 25 हजार अनआईडेटिफाइड बॉडीज को क्रीमिऐट किया। अमृतसर जिले में 25 हजार लाशों का म्यूनिसिपल रिकॉर्ड उस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐक्सपोज किया। इसलिये जसवन्त सिंह खालरा को उठा कर उसकी हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में यह बात आई तो उन्होंने सी.बी.आई. की इन्क्वायरी आर्डर की लेकिन भारत की सरकार, भारत के होम मिनिस्टर, भारत के प्रधान मंत्री और कांग्रेस सरकार पुलिस को इसे छिपाने और प्रोटैक्ट करने की बात कर रही है। इससे बड़ी शर्मिन्दगी की बात और कोई नहीं हो सकती है। आज इस कारण देश से अलाहदगी के मुद्दे लोगों के मन में उठते हैं कि माइनॉरिटीज के साथ कैसे सलूक हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिंड का समय और लूंगा। यही नवम्बर वह 1984 वाला ब्लैक नवम्बर है। 11 बरस बीत जाने के बाद भी, मेरी खुशकिस्मती होती, अगर आप मुझे उस समय बोलने का समय देते जब गृह मंत्री जी यहां बैठे थे। अभी तक एक भी आदमी को पनिश नहीं किया गया है।* आज सारी दुनिया में इस तरह की बात चल रही है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं महसूस करता हूं कि इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नामों को निकाल देता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : और इससे मैं बड़ा गलत काम कोई नहीं हो सकता है। अंत में मैं कहूंगा कि मैं देश हित में बात कर रहा हूं। मेरी बात आज कड़वी लगेगी लेकिन 11 वर्ष बीत जाने पर भी देश के होम मिनिस्टर उन तीन फाइलों को, जिनके नाम मैंने लिये हैं, छिपाकर बैठे हुये हैं। वे इन्क्वायरी और आर्डर नहीं कर रहे हैं। उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं जबकि सीबीआई कह रही है कि उन लोगों को गिरफ्तार करो। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है।

अंत में फैज़ अहमद फैज की कुछ लाईनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा :

निसार मैं तेरी गलियों में ऐ वतन,
जहां चली रस्मे कोई सर न उठा के चले
जहां जल है किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं
दी जा रही है।
और ये बात करने को तड़पती है, जुबां मेरी।

आप यहां बैठे हैं, मुझे वक्त मिल गया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब ...**(व्यवधान)****

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं इस देश के अत्यन्त अल्पसंख्यक समुदाय से हूं और मैं इसी भेदभाव का शिकार हो रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैंने जो कहा है वह सही है और मैं हर एक शब्द जो मैंने कहा है, उसी पर कायम हूं।

[हिन्दी]

मैं भारत सरकार को वार्न करना चाहता हूं कि 1984 के दंगों के जिम्मेदार लोगों को पनिश नहीं किया गया है और यदि ह्यूमन राईट्स एक्टिविस्ट्स के साथ ऐसा बर्ताव होता रहा तो यह देश एक नहीं रह सकेगा। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री शंकरराव दे. काले (कोपरगांव) : महोदय, महाराष्ट्र राज्य में, विशेष रूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अहमदनगर जिले में गन्ने की पिराई लगभग दो महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चीनी फैक्ट्रीयां गन्ना आपूर्तिकर्त्ताओं के देयों का भुगतान एक पखवाड़े के भीतर करने के लिए बाध्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काले जी, कृपया इसे पढ़ने के बजाय, इसे संक्षेप में बतायें।

श्री शंकरराव देव काले : लेकिन न तो जिला सहकारी बैंकों और न ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों ने भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध कराया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों के प्रति असहयोगी दृष्टिकोण अपनाने के कारण स्थिति बद से बदतर हो गई हैं। राज्य में सहकारी आंदोलनों के विकास में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों की पिछले पांच से छः दशकों से प्रशंसनीय भूमिका रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी करके यह पूछा है कि मौजूदा निदेशक बोर्ड का स्थान क्यों नहीं लिया जाना चाहिये। इसका बैंकों के कार्य तथा जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रीयों को अपने गन्ना—उत्पादकों को नियमित रूप से भुगतान करने के लिए धनराशि की मंजूरी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र राज्य के इस अविवेकपूर्ण कदम से सहकारी संस्थानों में, विशेष रूप से गन्ना फैक्ट्रीयों में तबाही—सी मचा दी है।

अतः, महोदय, आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप करें और सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए कहें ताकि सहकारी चीनी मिलों को आवश्यक धनराशि जारी की जा सके जिससे वे अपने गन्ना उत्पादकों को भुगतान कर सकें।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेरघाट से 27 नवम्बर को 130 व्यक्तियों को लेकर एक नाव खगड़ियां, साहबपुर कमाल की ओर लगभग 9 बजे गयी। कमलाघाट पर वह नाव डूब गयी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लोगों के डूबने का विषय राज्य विषय हैं। आप केन्द्र सरकार से कार्यवाही करने की उम्मीद कैसे करते हैं। आपको यह मामला राज्य विधान सभा में उठाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : यह स्टेट का मामला नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उस नाव में 130 व्यक्ति थे और वह साहबपुर कमाल घाट पर नाव डूब गयी। उसमें अभी तक केवल 3 लाशें निकाली गयी हैं और बिहार सरकार अभी तक 77 लाशों को निकालने में नाकामयाब रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका कारण यह है कि वहां पर फैरी सेवा में पिछले 20 साल से कोई सुधार नहीं किया गया है और जहां नाव में 25–30 आदमी होने चाहिये, उसमें 100 से ज्यादा चढ़ते हैं।

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कल भी मैंने कहा था कि मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनाने का सवाल 45 सालों से लगातार चला आ रहा है, उसे बना दिया जाना चाहिये था लेकिन उसके न बनने से वहां हर महीने कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है। यू.पी. में एक हजार किलोमीटर गंगा की तराई है और वहां 20 पुल हैं लेकिन बिहार में 500 किलोमीटर एरिया में गंगा की तराई लेकिन वहां मात्र 3 पुल हैं और चौथा पुल निर्माणाधीन है। मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हर वर्ष जब इतने आदमी गंगा में डूब कर मर जाते हैं तो यह सिर्फ राज्य सरकार का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि पूरे देश का और केन्द्रीय सरकार का भी मामला बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वहां 77 व्यक्ति निकाले नहीं गये हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार को ऐसे निर्देश दिये जाएं कि जो व्यक्ति वहां डूबे हुये हैं, उनकी लाशों को निकाला जाये, फेरी सेवा में सुधार किया जाये और केन्द्र सरकार ने जो वायदा किया है, मुंगेर में गंगा नदी पर पुल का निर्माण जल्दी शुरू किया जाये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी, जयपुर के टेलीफोन विभाग ने, राजस्थान के या पूरे देश के टेलीफोन विभाग ने नहीं, केवल जयपुर शहर के टेलीफोन विभाग ने दो माह का टेलीफोन किराया 265 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया है यानी एकदम 100 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी है। फ्री कालों की जो छूट थी, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, फ्री कालो की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है या दूसरी कोई सुविधा नहीं दी गई है बल्कि दो माह के किराये में वृद्धि कर दी गयी है। इस संबंध में भारत सरकार को और से जो अधिसूचना जारी की गई है, उसकी प्रति मेरे पास मौजूद है। उसमें कहा गया है कि जिस शहर में एक लाख से अधिक टेलीफोन लग गये हों केवल वहीं पर रेट–वृद्धि की जा सकती है। जयपुर शहर में अभी तक केवल 75,000 टेलीफोन कार्यरत हैं लेकिन भारत सरकार की अधिसूचना के विपरीत, जयपुर के टेलीफोन विभाग ने रेट बढ़ा दिये हैं, जिसे मैं अनुचित और अधिसूचना के विपरीत मानता हूं। मेरी मांग है कि इस बढ़ी हुई दर को वापस लिया जाये और भारत सरकार राजस्थान के जयपुर डिवीजन से कहे कि जब तक जयपुर शहर में एक लाख टेलीफोन नहीं लग जाते, उस समय तक वह दो माह का किराया 265 से बढ़ाकर 360 रुपये नहीं कर सकता। मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं। अगर जयपुर शहर में बढ़ी हुई दर को वापस नहीं लिया जाता तो मैं गुमान मल लोढा जी से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा और यदि मेरी पार्टी आदेश देगी तो जयपुर की जनता की बहादुरी के लिए निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरी मांग को शीघ्रताशीघ्र स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं एक ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जो देश में 16 मिलियन दलित इसाइयों के भविष्य से संबंधित है। वे आंदोलन कर रहे हैं, और उनका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। वे स्वर्ग, हर शैक्षणिक संस्थान के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। आज लगभग समूचे देश में विभिन्न गिरजाघरों के प्रधान पादड़ी अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली आए हैं। अपनी मांगों के समर्थन में सम्पूर्ण इसाई समुदाय हड़ताल पर है यह मामला दलित ईसाइयों तक ही सीमित नहीं है। यह देश में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और प्रशासन में शिरकत का प्रश्न है। प्रशासन में दलित ईसाइयों का प्रतिशत लगातार घट रहा है। वे बहुत गरीब हैं वे महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

महोदय, यदि हाल में बने बौद्ध अनुसूचित जाति के हिन्दू जिन्होंने सिख धर्म को अपना लिया है, आरक्षण के पात्र हैं, तो दलित इसाइयों के साथ भेदभाव बरतने का कोई कारण नहीं बनता। आरक्षण के मुद्दे पर इस सदन में कई बार चर्चा हो

चुकी है। पिछली बार सदन में चर्चा में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आरक्षण की सीमा 60 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाने के उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध को समाप्त करने हेतु भारत के संविधान संशोधन पर विचार किया जाएगा यदि वह संविधान संशोधन सदन में लाया जाता है और स्वीकार किया जाता है, तो मैं सोचता हूं कि वे दलित इसाइयों, जो एक बहुत अत्यन्त सही और न्यायपूर्ण मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, को भी आरक्षण दिया जाएगा। मदर टेरेसा ने भी, जिन्होंने पहले तो दलित इसाइयों के आरक्षण मुद्दे का समर्थन नहीं किया, परन्तु बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इन गरीब लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति है। इसलिए उन पर पूरे देश में आरक्षण विरोधी ताकतों का आक्रमण हुआ और इन्होंने कहा कि मदर टेरेसा कहां नहीं जाएं।

उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति थी जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए मैं मांग करता हूं कि सरकार इसी सत्र में भारत के संविधान में संशोधन लाये और उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण की सीमा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करे। सरकारी सेवाओं में उन्हीं व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए जो कमजोर हैं और जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। सरकार यह घोषणा करे कि दलित इसाइयों को उन अन्य दलितों जो बौद्ध या सिक्ख धर्म अपना चुके हैं, के सामन न्याय मिलेगा। चूंकि उन्हें आरक्षण का अधिकार है, अतः दलित इसाइयों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई भेद–भाव नहीं होना चाहिए। मेरी मांग है कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इसे इसी सत्र में निपटाए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्ज़ापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सरकार में चार–चार ग्रामीण विकास मंत्री हैं लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा आक्रमण इस सरकार के माध्यम से गांवों पर ही हो रहा है। यह देश कृषि प्रधान है और किसान गांव में रहता है। किसान का सबसे बड़ा मूलधन पशुधन है। लेकिन हिन्दुस्तान में सरकार के निर्देश के बावजूद भी पशुधन की हत्या के लिए बहुत से कत्लखाने देश में चल रहे हैं। उसी तरह का एक कत्लखाना अल–कबीर में चल रहा है। वहां एक घण्टे में डेढ़ हजार पशुओं की हत्या होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां गायों के बछड़ों की हत्या की जाती है। आजादी के बाद हिन्दुस्तान में जितना पशुधन था उसकी 40 प्रतिशत संख्या भी आज नहीं रही है। इससे हिन्दुस्तान का गांव गरीब हो रहा है, हिन्दुस्तान के लोग गरीब हो रहे हैं और पशुधन की हत्या दिनोदिन बढ़ रही है। हिन्दुसतान में एक अल–कबीर नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से अल–कबीर हैं जहां पशुधन की हत्या एक घण्टे में डेढ़ हजार की संख्या से की जा रही है। यह बहुत ही चिंताजनक सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल को लेकर हमने सेवाग्राम, जो कि गांधीजी की कर्मभूमि है, वहां से अल–कबीर तक की पदयात्रा उस अल–कबीर के कलखाने को बंद करने के लिए प्रारम्भ की है, जो 6 दिसम्बर को अल–कबीर के कलखाने पर पहुंचेगी। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक अल–कबीर का कलखाना सरकार किसी अध्यादेश या कानून के द्वारा बंद नहीं कर देगी तब तक उसके विरुद्ध आंदोलन, धरने चलते रहेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार ने गाय के बछड़ों की हत्या करने हेतु कानूनी रूप से रोक लगा रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी अल–कबीर में यह इश्तहार लगा हुआ है कि "यहां बछड़ों की भी हत्या की जाती है।" उन बछड़ों की हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि विदेशों में बछड़ों के मांस को बहुत पंसद किया जाता है। मेरी चिन्ता यह है कि बछड़ों की हत्या विदेश कम्पनियों के एजेंटों के माध्यम से उनके निर्देश पर हो रही है। इसलिए चिंता यह है कि विदेशी कम्पनियों की जो भी पंसद होगी वह संसद की चीज सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी कम्पनियों के सामने सरकार घुटने टेक देगी लेकिन हिन्दुस्तान के राष्ट्रवादी लोग विदेशी कम्पनियों के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान यूगोस्लाविया, क्रोशिया और बोस्निया के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे हाल के इतिहास में सबसे भयंकर दुखद घटनाओं में से एक का अन्त हो गया है।

महोदय, केवल कभी–कभी ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के क्षितीज पर एक आशा की किरण दिखाई देती है। अन्यथा यह हमेशा बादलों से ढकी रहती है। लेकिन यह एक ऐसा समझौता है जिसकी सम्पूर्ण मानवता को स्वागत करना चाहिए क्योंकि बोस्निया की घटना बहुत अधिक दुखद थी। यूगोस्लाविया के विघटन के बाद से जैसा आपको मालूम है, बोस्निया–हर्जेगोविना एक स्वतंत्र सोवियत राज्य के रूप में उभरे लेकिन ये विदेशी आक्रमण के अधीन रहे यह न केवल एक गृह–युद्ध का विषय बन गया जिसमें 5 लाख लोगों की जानें गईं और लगभग तीस लाख लोग विस्थापित किए गये लेकिन इसे 'जाति संबंधी परिमार्जन' का नाम दिया गया, जिसे हिटलर जैसी तानाशाही से

अंजाम दिया गया, कदाचित जिसे नाज़ी युग के बाद कोई नहीं जानता था।

तत्पश्चात् सुरक्षा परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना की थी जिसने 'जाति संबंधी परिमार्जन' का इस तरह वर्णन किया "ये नरक असली दृश्य है जो मानव इतिहास के काले पन्नों पर अंकित किए गए हैं। अब, यह काला युग समाप्त हो गया है और हमें आशा और विश्वास है कि जो लोग इस बड़ी दुखद घटना के लिए जिम्मेदार हैं और जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार का दोषी पाया है, उनका पर्दापाश किया जायेगा।

महोदय, यह समझौता अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही में एक नया पृष्ठ है और हमें आशा है कि यह बोलिया–हर्जेगोविना राज्य की अंखड एकता और प्रभुसत्ता को कायम रखेगा, इसे कायम रखना होगा, और देश से सर्बों के रहने वाले क्षेत्रों को अलग होने की अनुमति नहीं देगा। इसे बोस्निया–हर्जेगोविना के अलग होने या विभाजन की प्रस्तावना नहीं बनना चाहिए।

महोदय, कुछ देशों ने वहां शान्ति बनाये रखने के लिए अपनी सेवाएं भेजनी चाहीं थी। मुझे आशा है कि यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो भारत सरकार भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने सहयोग का हाथ बढ़ायेगा, तथापि, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समझौता पर्याप्त नहीं है क्योंकि पहले ही उन लोगों द्वारा विरोध की आवाजें उठाई जा रही हैं जो अपनी चाल में निराश हुए हैं और इसलिए सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह आग्रह करना चाहिए कि वे अपराधी जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय तत्वाधान के अधीन मुकदमा चलाया जाये। दूसरा विदेशी सेनाएं जो वहां या तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के झंडे तले था संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले वहां भेजी गई हैं, उन्हें वहां शान्ति स्थापित करनी चाहिए उन्हें वहां से जैसे–जैसे शान्ति स्थापित होती है, उसी क्रम से वापस किया जाये। तीसरा, विस्थापित लोगों को स्वैच्छिक आधार पर अपने करों को वापस जाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और जो लोग वापस जाना नहीं चाहते हैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के खर्चे पर उनकी पसन्द की जगह जहां वे सुरक्षित अनुभव करते हैं वहां पर पुनर्वासित किया जाये। अन्ततः सभी राष्ट्रों को बोस्निया और हर्जेगोविना के लोगों की सहायता और पुनर्वास के लिए उदार से दान देने के लिए आगे आना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस कार्य के लिए अपना योगदान करेगी। मुझे आशा है कि जब बोस्निया और हर्जेगोविना का आखिरी संविधान लिखा जा रहा है, विदेशी आक्रमण के सभी निशान विलुप्त हो जायेंगे और स्वतंत्र गुट–निरपेक्ष राज्य के विघटन की सम्भावना को पूरी तरह से रोक दिया जायेगा और बोस्निया–हर्जेगोविना की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखा जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अशोक आनंदराव देशमुख (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश महाराष्ट्र में कपास बहुतायत में पैदा होती है, लेकिन जो कपास पैदा करने वाले किसान हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उनके बारे में ही आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कपास खरीद केन्द्र खोलने का जो निर्णय लिया था वह अक्टूबर मास में खोले जाने थे, लेकिन उसमें विलम्ब हुआ और अब 15 नवम्बर को खोले गए हैं और जब उनको पैसा देने की बात आई, तो नकद पैसे की जगह चैक दिए गए। जब उन्होंने चैक जमा कराए, तो बैंक में पैसा न होने के कारण उनको पैसा नहीं मिला। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री ने सांसदों के सामने जिस आकस्मिक निधि को दिए जाने की बात कही थी। वह आकस्मिक निधि उपलब्ध नहीं हुई। उसके बारे में यहां से आदेश तुरन्त जाने चाहिए जिससे किसानों को भुगतान हो सके।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसानों के कपास का खरीद मूल्य 2100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि किसान की लागत के अनुसार खरीद मूल्य तय करना चाहिए। इसको बढ़ाना जरूरी है और उनको इसके लिए थोड़ा एडवांस बोनस देना चाहिए। जैसा आपको मालूम है कि महाराष्ट्र कपास उत्पादक प्रदेश है और वहां पर कपास ही किसान की कैश क्राप है। वहां महाराष्ट्र कार्पोरेशन के पास 250 लाख गांठ इकट्ठी हो गई हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि उसको एक्सपोर्ट करने की परमीशन दी जाए। मैं सिर्फ इन दोनों बातों को कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा थार रेगिस्तान के कारण अभावग्रस्त है। समय पर बरसात न होने के कारण व अकाल के कारण पाली जिले के विशेष तौर से 840 गांवों में त्राहि–त्राहि मची हुई है। उस पर वहां पर नील गावों ने उत्पात मचा रखा है। मैं पिछले 4 वर्षों से लगातार इस सदन में फौरेस्ट डिपार्टमेंट से मांग करता हूं कि सैक्चुरी बनाकर नील गायों को उनमें रखे अन्यथा किसान दिनभर की मेहनत के बाद जब रात्रि में घर चले जाते हैं तो नील गाय आकर उनकी फसल खा जाती हैं।

अतः मेरा निवेदन है कि अकाल और नील गायों के उत्पाद से पीड़ित जो पाली जिला है, उसमें भारत सरकार कैलीमिटी फंड से सहायता दे और डिपार्टमेंट सैक्युरी बनाकर नील गायों को वहां रखे जिनसे किसानों को राहत मिल सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अति महत्वपूर्ण सवाल को यहां रखना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र जहानाबाद है जो उग्रवाद से ग्रसित है। वहां पर बहुत तेजी से उग्रवाद बढ़ रहा है। वहां पर दूरभाष की सख्त जरूरत है। स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एम.ए.आर.आर. पी.सी.ओ. खोलने की जो योजना चलाई गई थी, उसके तहत गांवों में पी.सी.ओ., खोला गया। लेकिन घटिया किस्म की मशीन के कारण वह काम नहीं कर रहा है। एक तरह से सारा पैसा लूट में बदल गया है। मैंने एक बार यहा पर प्रश्न भी किया था तो मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि घटिया किस्म की मशीनें आ गई हैं। हमने उन कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनका भुगतान रोक दिया गया है। लेकिन आज तक वही मशीनें काम कर रही हैं।

अरवल एक अनुमंडल है जहां पर एक एक्सचेंज बना है। वह काम नहीं करता है। वहां जितने लोग लगे हुए हैं, सभी परेशान हैं। वहां पर उग्रवाद वाले इलाके में खास तौर से टेलीफोन की आवश्यकता है ताकि तुरन्त खबर की जा सके।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि भ्रष्टाचार के कारण सारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी तो कोई दूसरा विकास नहीं हो सकता।

2.27 म.प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलाजी, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के वर्ष 1994-95 की वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकाल की सरकार द्वारा समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलाजी, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक डिजाइन एण्ड टैक्रोलॉजी, एमसए.एस. नगर (मोहाली) के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8189/95]

(2) (एक) इलैक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास केंद्र पुणे के वर्ष 1994–95 वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, पुणे के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8190/95]

(3) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8191/95]

(4) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, गोरखपुर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टैक्रोलॉजी, गोरखपुर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8192/95]

(5) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, इम्फाल के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, इम्फाल के वर्ष 1994–95 के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8193/95]

(6) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, कालीकट के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, कालीकट के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8194/95]

(7) (1) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, मोहाली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, मोहाली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8195/95]

(8) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, औरंगाबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टैक्रालॉजी, औरंगाबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8196/95]

(9) (एक) इलैक्ट्रानिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8197/95]

(10) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स अनुसंधान और विकास केन्द्र, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. 8198/95]

(11) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी, श्रीनगर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एण्ड टैक्रालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. 8199/95]

सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1994-95 की वार्षिक प्रतिवदेन और उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8200/95]

(2) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8201/95]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं. एल.टी. 8202/95]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्रीमती मारग्रेट आल्वा की ओर से समापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) दूसरा संशोधन विनियम, 1995 जो 2 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1995 जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1995 जो 22 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियोग, 1995 जो 12 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1995 जो 12 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 376 में प्रकाशित हुये थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1995 जो 30 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434 में प्रकाशित हुये थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1995, जो 3 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1995, जो 3 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8203/95]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनिययम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 357 जो 29 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 9 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या 436 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) सा.का.नि. 358 जो 29 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 9 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या 437 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) सा.का.नि. 359 जो 29 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 9 मई, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8204/95]

(3) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995 जो 21 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 660 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995 जो 26 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8205/95]

आठवीं, नौंवी और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) विवरण संख्या 33 — आठवें सत्र, 1987 का दूसरा भाग

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8206/95]

(2) विवरण संख्या 40 — नौंवा सत्र, 1987 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8207/95]** (3) विवरण संख्या 29 — बारहवां सत्र, 1988 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8208/95]** (4) विवरण संख्या 38 — तेरहवां सत्र, 1989 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8209/95]**	आठवीं लोक सभा
(5) विवरण संख्या 36 — दूसरा सत्र, 1990 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8210/95]** (6) विवरण संख्या 33 — तीसरा सत्र, 1990 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8211/95]**	नौवीं लोक सभा
(7) विवरण संख्या 30 — पहला सत्र, 1991 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8212/95]** (8) विवरण संख्या 25 — दूसरा सत्र, 1991 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8213/95]** (9) विवरण संख्या 26 — तीसरा सत्र, 1991 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8214/95]** (10) विवरण संख्या 23 — चौथा सत्र, 1992 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8215/95]** (11) विवरण संख्या 21 — पांचवां सत्र, 1992 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8216/95]** (12) विवरण संख्या 20 — छठा सत्र, 1993 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8217/95]** (13) विवरण संख्या 16 — सातवां सत्र, 1993 **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8218/95]**	दसवीं लोक सभा

(14) विवरण संख्या 15 — आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8219/95]

(15) विवरण संख्या 13 — नौंवा सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8220/95]

(16) विवरण संख्या 8 — दसवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8221/95]

(17) विवरण संख्या 8 — ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8222/95]

(18) विवरण संख्या 6 — बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8223/95]

(19) विवरण संख्या 4 — तेरहवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8224/95]

दसवीं लोक सभा

खंड 1 और 2

(20) विवरण संख्या 1 — चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8225/95]

वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन, ज्युलॉजी, देहरादून के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण, आदि

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : श्री भुवेनश चतुर्वेदी की ओर से, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :–

(1) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन ज्युलॉजी, देहरादून के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन ज्युलॉजी, देहरादून के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8226/95]

(2) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8227/95]

(3) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8228/95]

(4) (एक) नेशनल अकेडमी आफ साइंस, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल अकेडमी आफ साइंस, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8229/95]

(5) (एक) इंडियन अकेडमी आफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन अकेडमी आफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8230/95]

(6) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार एडवांस्ट साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8231/95]

(7) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8232/95]

(8) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटालार्जी एण्ड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ट रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटालार्जी एण्ड न्यू मेटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8233/95]

(9) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिटयूट, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8234/95]

(10) (एक) इंस्टिट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8235/95]

(11) (एक) टेक्नोलॉजी इनफोरमेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेन्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफोरमेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेन्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8236/95]

(12) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकाडमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकाडमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8237/95]

(13) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8238/95]

(14) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट फार ट्रोपिकल मिटि–योरोलॉजी, पुणे के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट फार ट्रोपिकल मिटि-योरोलॉजी, पुणे के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट फार ट्रोपिकल मिटि-योरोलॉजी, पुणे के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8239/95]

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8240/95]

सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट सहारनपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.सी. सिल्वेरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8241/95]

(2) वर्ष 1995–96 के लिए एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8242/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8243/95]

(4) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8244/95]

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1994-95, आदि के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) हिन्दुस्ताम लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनंतपुरम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरूअनतपुरम के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8245/95]

(2) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के

बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं. एल.टी. 8246/95]

भारत डायनामिक्स लिमिटेड; मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, (रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री सुरेश पचौरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8247/95]

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8248/95]

(तीन) मझगांव डाक लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8249/95]

(चार) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8250/95]

(पांच) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8251/95]

(छह) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, *रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।*

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8252/95]

(सात) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पाद और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 8253/95]

2.28½ म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 नवम्बर, 1995 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 अगस्त, 1995 को पारित किए गए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विधेयक, 1995 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 नवम्बर, 1995 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 25 अगस्त, 1995 को पारित किए गए अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) विधेयक, 1995 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2.29 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं, गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति का छियालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.29¼ म.प.

लोक लेखा समिति

एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं न्यूयार्क में स्थाई मिशन के लिए भवन के बारे में लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

2.29½ म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 28 नवम्बर, 1995 को प्रस्तुत किए गए पचपनवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 28 नवम्बर, 1995 को प्रस्तुत किए गए पचपनवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्यान्ह भोजन के लिए 3.30 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.30 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 3.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.37 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.37 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अंतर्गत मामलों को लेंगे।

नियम 377 के अंतर्गत मामले

(एक) उड़ीसा में उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. कीर्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, मैंने उड़ीसा के बालासोर, भद्रक मयरूगंज और क्योंझर जिलों में किसी उपयुक्त स्थान पर उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बंध में तथ्य सरकार को बताए हैं। देश में सबसे अधिक महाविद्यालयों वाले उत्कल विश्वविद्यालय को कार्यभार के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त इन जिलों को अधिक दूरी के कारण भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि उत्तर उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शीघ्रताशीघ्र कदम उठाए जाएं।

(दो) राजस्थान के घग्घर नदी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (श्रीगंगानगर) : इस बार समस्त भारत में मानसून अच्छा रहा है। हमारे राजस्थान में घग्घर नदी जिसमें कि हरियाणा और पंजाब का पानी भी आता है। यह घग्घर नदी मेरे संसदीय क्षेत्र हनुमानगढ़ शहर के टाऊन और जंक्शन दोनों के मध्य में से होकर गुजरती है। इस नदी के आबादी क्षेत्र में से गुजरने के कारण हमेशा शहर को खतरा बना रहता है।

गत कई वर्षों से इस नदी के बंध जो कि स्थानीय किसानों द्वारा बनाये गए हैं टूट जाने के कारण हमारे कृषक भाइयों की हजारों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है लेकिन यह पानी शहर में पिछले वर्ष तक नहीं घुसा था।

लेकिन मान्यवर घग्घर नदी के तटबन्धों को जो वर्षों पुराने हैं मरम्मत न होने के कारण और इस वर्ष पानी के ज्यादा बहाव के कारण हनुमानगढ़ जंक्शन के आबादी क्षेत्र में घुसकर भारी तबाही मचाई।

इस वर्ष जंक्शन का सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र बांध हटने से जलमग्न हो गया जिसके कारण से व्यापारी व किसान व गरीब हर वर्ग के व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचा है व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है और किसान वर्ग की करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद हो गई। गरीबों के कच्चे मकान टूट

गए। उनके रहने का कोई और ठिकाना नहीं रहा। मेरा अनुरोध है कि बाढ़ से हुए नुकसान का पूर्ण मुआवजा दिया जाए।

महोदय, मैं मुआवजे के साथ–साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इस घग्घर नदी रूपी भयंकर बाढ़ समस्या का स्थायी हल किया जाये। सरकारी सहायता से इस नदी के आबादी क्षेत्र के तटबंधों को पक्का किया जाये।

(तीन) डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : सरकार ने ग्रामों में जो सब–पोस्ट ऑफ़िस खोले हैं, उनमें कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी जोकि पोस्ट ऑफिस के अन्य कर्मचारियों की भांति ही कार्य करते हैं, डाक लाते हैं ले जाते हैं, गांवों में बांटते हैं, उनको सरकार इस विभाग का कर्मचारी नहीं मानती तथा उनके वेतन भी 500 रुपये से 800 रुपये तक हैं। इतने कम वेतन में उनको एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता तथा सरकार उनको अन्य कर्मचारी मानती है। जबकि ये कर्मचारी अपने रिश्क पर बड़े पोस्ट ऑफिसों से डाक मनीऑर्डर आदि लाते हैं तथा उनको बांटते हैं। इनका कार्य विभाग के अन्य कर्मचारियों अथवा पोस्टमेनों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। ये कर्मचारी अपने को विभागीय कराने हेतु कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, परन्तु सरकार ने आज तक इनकी मांगों पर समुचित ध्यान नहीं दिया।

अतः मैं संचार मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश के समस्त ऐसे डाक कर्मचारियों को तुरंत विभागीय कर्मचारी माना जाए तथा उनको अन्य विभागीय कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते आदि की सुविधा भी प्रदान की जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में धनारा घाट निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए शारदा नदी पर एक स्थायी पुल बनाए जाने की आवश्यकता

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत (उ. प्र.) में आजादी के समय हिन्दुस्तान–पाकिस्तान के बंटवारे के समय पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से तमाम हिंदू भाइयों, केशधारी सिख, बंगाली, पूर्वियों को तराई क्षेत्र में शारदा नदी के दोनों तरफ बसाया गया और भूमि भी आबंटित की गई, परन्तु आज 48 वर्षों के बाद भी उन विस्थापित नागरिकों की हालत खराब है, बल्कि दिनों–दिन दयनीय होती जा रही है, क्योंकि बाद के समय नदी से सुरक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, न ही नदी के आर–पार जाने के लिए कोई भी स्थायी पुल की व्यवस्था की गई। हर वर्ष बाढ़ के समय हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होकर बहुत तेज बहाव के कारण सभी फसलें, मकान, मार्ग आदि तहस–नहस हो जाते हैं। करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है और छः माह तक शारदा नदी में नाव भी नहीं चल पाती, जिससे शारदा पार के लोगों का अपने ब्लाक, तहसील, जिले से सम्पर्क कट जाता है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि ट्रांस–शारदा क्षेत्र में केन्द्र द्वारा बसाए गये लोगों के जीवन–यापन, सुरक्षा, यातायात तथा बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नौजलीय नं. 1, नं. 2 रमनगरा, गविया सराय, ट्रांस शारदा क्षेत्र तथा माधव टान्डा से उत्तर में शारदा नदी के पास वाले क्षेत्रों में कम से कम 15–20 ठोकरें बनवाई जाएं, बनी ठोकरों की मरम्मत तथा यातयात और सुरक्षा की दृष्टि से धनारा घाट पर शारदा नदी का स्थायी पुल बनाया जाए।

(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में और अधिक संख्या में रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार राज्य में सीसा रहित पेट्रोल पम्प का वितरक नहीं है, जबकि सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग प्रदूषण रोकने के लिए किया जाता है। सीसा रहित पेट्रोल की बिक्री कतिपय स्थानों पर होने के कारण ऐसी गाड़ियों की खरीद नगण्य है।

साथ ही साथ बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में मात्र एक घरेलू रसोई गैस की एजेंसी है, जबकि इसके प्रमुख प्रंखडों एवं अनुमंडल में घरेलू रसोई गैस की एजेंसी नहीं है। जहानाबाद शहर की आबादी एवं क्षेत्रफल में विस्तार होने के कारण मात्र एक एजेंसी की आपूर्ति से उपभोक्ताओं को काफी कठिनाई होती है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि बिहार की राजधानी पटना एवं इसके मुख्य शहरों में सीसा रहित पेट्रोल का वितरक शीघ्रताशीघ्र नियुक्त किया जाए एवं जहानाबाद शहर में एल.पी.जी. वितरकों की संख्या में वृद्धि कर इसके अनुमंडल अरवल एवं प्रखंड घोषी, कुर्था, मखदुमपुर, काको एवं करपी में भी एल.पी.जी. वितरक नियुक्त करने की व्यवस्था की जाए।

(छह) देश में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में उदारीकरण के चलते बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। गरीब एवं मध्यम वर्ग रोजगार के अभाव में अधिक प्रभावित है। सरकार ने नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। इन सब कारणों

से युवा वर्ग उपेक्षित है। वह देश के निर्माण के बजाय विध्वंसकारी तत्व एवं आतंकवादी तत्वों के शिकंजे में फिसलता जा रहा है। देश में बढ़ रही अपराध प्रवृत्तियों का कारण भी बेरोजगारी ही है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति जिसने 12 क्लास पास कर ली है, उनको 500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाये एवं रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु नये सिरे से प्रयास किया जाये।

3.46 म.प.

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में श्री एस.बी. चव्हाण द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर आगे चर्चा आरंभ करेंगे।

अब श्री प्रमोथेस मुखर्जी अपना भाषण देंगे।

श्री प्रमोथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्रदेश में संवैधानिक प्रायोजिता के महत्वपूर्ण पहलू पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं अपने दल आर.एस.पी. की ओर से यह उल्लेख करने की अनुमति चाहता हूं कि भारत संघ के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हमेशा स्वागत योग्य कदम नहीं होता है। संघीय ढांचे के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। यह लोकतंत्र की एक अच्छी विशेषता नहीं है। अतः मैं इस संवैधानिक संकल्प जिसमें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की उद्घोषणा को अनुमोदित करने की बात कही गई है का अनुमोदन नहीं कर सकता हूं। महोदय, इस संवैधानिक संकल्प को अनुमोदित करना एक संवैधानिक बाध्यता है अतः मैं संवैधानिक बाध्यता के अन्तर्गत इसका समर्थन करता हूं।

मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? आपकी अनुमति से मैं यह कह सकता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश के राज्य पाल द्वारा निभाई गई भूमिका संतोषजनक नहीं है। क्या मैं उस विशेष घटना का दुबारा उल्लेख कर सकता हूं कि उस समय श्री मुलायम सिंह यादव सदन के नेता थे। वह उस समय राज्य के मुख्य मंत्री थे।

3.48 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

महोदया, यह सच है कि श्री मुलायम सिंह यादव सभा के तत्कालीन नेता और मुख्य मंत्री ने बहुमत खो दिया था। राज्यपाल ने उन्हें राज्य विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का कोई अवसर नहीं दिया। हमने उस समय नए चुनावों की मांग की थी। हमने नए चुनाव कराने की मांग इसलिए की क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वहां पर दल–बदल हो। हम खरीद–फरोक्त टालना चाहते थे। महोदय आप अच्छी तरह जानती हैं कि आज हमारे ढांचे में खरीद–फरोक्त और दल–बदल लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए अहितकर है। अतः हमने उस समय नए चुनाव करवाने की मांग की थी। राज्य के राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया था कि जनादेश प्राप्त करने के लिए नए चुनाव करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार चुप रही। वह हमारी मांग के प्रति उदासीन रही और गुप्त समझौते के अन्तर्गत बी.एस.पी. की नेता सुश्री मायावती को राज्य के राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाने की अनुमति दे दी। हम देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई, उसने इस सरकार का समर्थन किया और काफी दिनों तक इसका समर्थन करने के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया।

ऐसी स्थिति है। इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यदि केन्द्र सरकार सतर्क होती तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। कुछ भी हो राष्ट्रपति शासन लागू करना केन्द्र सरकार का शासन लागू करने का रूप है। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य में लोकतान्त्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता के तंत्र को मजबूत करने के लिए व्यवस्था करे। मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं कि सभी के लिए शिक्षा विस्तार करने, सभी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी व्यवस्था करे। यदि सरकार लोगों की दैनिक जरूरतों और आकांक्षाओं पर ध्यान देती है तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं और संवैधानिक अनिवार्यता के अन्तर्गत मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये जो संकल्प रखा है, कोई भी राज्यपाल इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता था कि जो उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। बहुत ही सही समय पर सही फैसला उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया। यह घोषणा होने के दो दिन पहले हम खुद उनसे मिले थे और राज्यपाल महोदय को इस बात का ज्ञापन दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में राजनैतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि विधान सभा को निलम्बित करके आगे रखा जाये क्योंकि हमारे सदाचारी बन्धु, जो हमारे दाहिनी ओर बैठे हुये हैं, इन्होंने जिस तरह की सूची राज्यपाल महोदय को दी थी, क्योंकि राजनीति में शुचिता, शुद्धता पर जितना जोर हमारे मित्रों का रहता है, व्यवहार में आचरण उसके विपरीत रहता है। जिस तरह की मनगढ़ंत सूचियां राज्यपाल को दी जा रही थीं, उसमें राज्यपाल महोदय को इस तरह का काम करना चाहिये था। राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति जी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा गया है कि बीएसपी सरकार द्वारा अपनी घोषणाओं का पालन न करने, भ्रष्टाचार, घोटाले, अपराधवृत्ति, दलित और महिलाओं का उत्पीड़न, शासनतंत्र का अवमूल्यन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महात्मा गांधी का अनादर आदि का आरोप लगाया गया है।

सभापति महोदय, यह तो आरोप है लेकिन अन्दरूनी सच्चाई यह है कि यदि विधान परिषद में नामित होने वाले 9 सदस्यों में से हमारे मित्र की पार्टी के 8 सदस्य ले लिये गये होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादाओं का उल्लंघन होता रहता। बीएसपी की जो नीतियां हैं, विचार हैं, महात्मा गांधी के बारे में जो विचारधारायें हैं, वे इससे मिलती जुलती विचारधारा हैं। इसको खुद मुख्यमंत्री ने एक साल पहले मुख्यमंत्री की हैसियत से कहा था कि मैं महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता नहीं मानता हूं और उसकी भावना के चलते बीएसपी सरकार के इन लोगों ने समर्थन किया था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना त्यागपत्र लिखा है उसमें उनको बहुत बाद में इनके मनुवादी होने का अहसास हुआ। जब चार महीने उन्होंने सत्ता का सुख भोग लिया, जब उन्होंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से करोड़ों रुपयों की साज–सज्जा से एक महल निर्माण करा लिया, उसमें ताजिंदगी रहने का इंतजाम कर लिया तब उनकी ओर से एक चिट्ठी राज्यपाल को जाती है "दलित और मनुवादी ताकतों को एक दलित महिला का मुख्यमंत्री बने रहना रास नहीं आया।" यह कोई नई बात नहीं थी जो वे लिखती, यह तो बहुत पुरानी परम्परा है। जब ये जगजीवन बाबू को नेता मानकर उनको वोट नहीं दिला सकते तो कोई दलित परिवार में पैदा व्यक्ति यह समझे कि उनको मुख्यमंत्री मानकर अनिश्चितकाल तक ये ढोते रहेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह राजनैतिक सोच नहीं थी। लेकिन उसी बदौलत सही लेकिन कुछ दिन भी सत्ता सुख भोग लिया और उस सत्ता का चार महीने तक उपभोग कर लिया।

वे फिर आगे कहती हैं, "आखिर इन मनुवादियों को सरकार गिराने का षड्यंत्र रचना पड़ा और दलितों के हित की बात करने वाले स्वार्थी तत्वों का असली चेहरा सामने आ गया।" कभी यह चेहरा पीछे भी था ? यह चेहरा तो शुरू से सामने था। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल महोदय ने बहुत ही उचित समय पर एक उचित निर्णय लिया।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश चुनावों के बुखार से, चुनावों के झंझट से परेशान है। वहां हर तीसरे महीने एक चुनाव है। जबसे हम लोग लोक सभा में आए हैं विधान सभा के तीन बार चुनाव हो चुके हैं। बीच में जिला परिषदों के चुनाव हुए हैं, ग्राम सभाओं के चुनाव हुए और अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। इस चुनाव के बुखार से उत्तर प्रदेश में प्रशासन, विकास कार्य अवरुद्ध है। अगर संविधान में कोई व्यवस्था रहती कि यह राष्ट्रपति शासन एक साल तक का हो सकता है तो कम से कम मेरे जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश के विकास में, तरक्की में, स्थायित्व में थोड़ा–सा यकीन रखते हैं वे उसका अनुमोदन और समर्थन जरूर करते। इसी के साथ–साथ एक सुझाव और है और सुझाव यह है कि जैसे पिछली बार बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद, शहीद होने के बाद जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो कोशिश हुई कि वह राष्ट्रपति शासन न होकर कांग्रेस का शासन हो। सरकार की मदद से लालबत्ती की गाड़ियां उनके लोगों को मंत्री का ओहदा देने का काम पिछली बार हुआ। सरकार की मदद से अधिक से अधिक ठेके उनके लोगों को दिए जाएं। यह इंतजाम पिछले राष्ट्रपति शासन में हुआ जिसको सुनकर और जिस इतिहास को याद करके एक राजनैतिक कार्यकर्ता का माथा शर्म से झुक जाता है। मैं गृह मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि राज्यपाल जी को इस बात की हिदायत दें कि उत्तर प्रदेश की जनता को राज्यपाल शासन के बहाने कांग्रेस पार्टी के शासन का अहसास न हो। इसकी शुरूआत जो अखबारी खबरों में आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। अभी तक तो लाल बत्ती की गाड़ियां नहीं मिलीं। पिछले चार महीनों में जिस तरह अफसरशाही का शोषण किया गया, जिस तरह पैसा लेकर तबादलों को धंधा बनाकर, उद्योग बनाकर काम किया गया। जिस तरह से पैसे के लेन देन के सवाल को योजनाओं से जोड़कर, विकास से जोड़कर

बड़े अधिकारियों के तबादले, निलंबन व उनकी बर्खास्तगी की गई उससे अफसरशाही का मनोबल गिरा है। उन्हें राष्ट्रपति शासन के जरिये ढाढ़स बंधाने का सिलसिला शुरू होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में विकास की गाड़ी अवरुद्ध है। पूर्वांचल विकास निधि का सारा पैसा दूसरी योजनाओं में खत्म कर दिया गया। जो गांव–गांव सड़कें पूर्वांचल निधि के जरिये बनती, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों के विकास की योजनाएं थीं उनको खत्म करने का काम पिछले 4–5 महीने के शासन में किया गया। उस गति को तेज करिए, उसको बढ़ाने का काम करिए। वहां पिछली सरकारों ने जिस गति के साथ उन झगड़ों को, उन विघटनवादी ताकतों को राकने का काम करना चाहिए था वह उन सरकारों ने नहीं किया।

4.00 म.प.

उत्तराखंड के लोगों को चिढ़ाने का काम हुआ। आज जरूरत है उनके घावों पर मरहम लगाने की। उन पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है और वह सिलसिला शुरू हो। जो उत्तराखंड की आवश्यक मांगें हैं, उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मति से, सारे दलों की ओर से, एक बार नहीं, दो–दो बार प्रस्ताव पास कर के सरकार के पास भेज रखा है। अब भारत सरकार के हाथ में यह बात है। भारत सरकार छलावा नहीं कर सकती है। असत्य बोल कर वहां की जनता को गुमराह नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में शान्ति की प्रथम आवश्यकता है, बुनियादी और प्राथमिक आवश्यकता है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्तराखंड राज्य को अलग दर्जा दिया जाए। इस काम को करने में विलम्ब क्यों हो रहा है। इस चीज को आप क्यों नहीं कर रहे हैं ?

मुझे इस बात की खुशी हुई कि मुजफ्फर नगर में जो घटना हुई, उस घटना के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनका चालान करने और उन पर मुकदमा चलाने की एक इजाजत आपने दी है। यह अच्छी बात है और अगर इस तरह की बात हुई, तो जो निरंकुश अफसरशाही है, जो नौकरशाही है, खासतौर से पुलिस तंत्र है, लाठी तंत्र है, जो राजनीति तंत्र को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम होगा, उस सिलसिले की शुरूआत होगी। इस कामना के साथ मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां के राज्यपाल महोदय, वहां के सांसदों की एक बैठक बुलाएं, विकास गोष्ठियां आयोजित की जाएं। एक नये वातावरण की शुरूआत हो, लेकिन आपके साथ दुष्वारी यह है कि आप सारी बातों को, राजनीति के नक्शे से, राजनीति के चश्मे से देखने की आदत पड़ गई है।

सभापति महोदय, अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। कांग्रेस पार्टी इस बात को पूरे देश में प्रचारित करती है, श्रेय लेने का काम करती है कि स्थानीय निकायों को संविधान का दर्जा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। ठीक है, हम सबका सहयोग था, जनता उसके पक्ष में थी, समय की मांग थी, उसको आपने किया, लेकिन उनके चुनाव समय पर हों, यह दायित्व भी आपका है। जब पुरानी सरकार थी, उस समय स्थानीय निकायों के कार्यक्रम घोषित हो चुके थे। घोषणा के बाद एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में हाइकोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल ने, सरकार का ही जो नुमाईंदा है, सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ता ने, खड़े होकर उच्च न्यायालय में कह दिया कि इसमें जो डीलिमिटेशन हुआ है, उसमें विसंगतियां हैं, भारी पैमाने पर गलतियां हैं और उससे हाइकोर्ट को मजबूर होकर 8–9 महापालिकाओं के बारे में चुनाव स्थगन की घोषणा करनी पड़ी और उसका बहाना बनाकर पूरे राज्य के चुनाव को स्थगित करने का एक निर्णय वहां के शासन और प्रशासन ने ले लिया, जो दुखदाई निर्णय था।

अभी वहां के चुनाव परिणाम आए हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हैं।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : हो भी नहीं सकते।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : होंगे। जब जनता जागरूक होगी। आपके सही चेहरे जनता पहचानेगी। जैसे मायावती जी ने पहचाना और जिनको उत्तर प्रदेश के नगरी इतिहास की जानकारी है, वे इस बात को जानते होंगे कि जितने वोट आज इनको वहां मिले हैं, उतने वोट इनको पहले भी नगरों में मिला करते थे। यह कोई नई बात नहीं है। कोई नई उपलब्धि नहीं है, लेकिन एक समिति उपलब्धि को बड़ा करने का बात, उसको बहुप्रचारित करना, इनके अपने संगठन तंत्र का जो एक पुराना गुण है, उस गुण के चलते, उसको बहुप्रचारित कर रहे हैं। इस पर आपको बहुत इठलाने की जरूरत नहीं है। घबड़ाइए नहीं, नक्षा बन रहा है। भविष्य में इठलाना बन्द हो जाएगा क्योंकि जो परिणाम आएंगे वे आपके विपरीत जाएंगे। यह बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इन बातों को छोड़ दीजिए। चुनाव के परिणाम किस के पक्ष में जाएं किस के विरुद्ध जाएं, लेकिन नगर पालिकाओं के चुनाव होने चाहिए थे, उनको अवरुद्ध करना, उनको रोकने का काम हुआ। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी।

सभापति महोदय, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय, निष्पक्ष रहने और एक स्वच्छ प्रशासन देने का, "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" की

कोशिश करेंगे और एक पार्टी के सलाहकार की हैसियत से, जैसे पिछले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल का भवन कांग्रेस का दफ्तर बन गया, उनके चुनाव प्रचार का कार्यालय हो गया, यह भावना और यह प्रवृत्ति इस बार न आए।

इन्हीं सुझावों के साथ सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए, वहां राष्ट्रपति शासन का समर्थन करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : धन्यवाद सभापति महोदया।

सभापति जी, कल जो इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं।

सभापति महोदया, हमारा देश, भारतवर्ष, दुनिया में सबसे बड़ा देश है। खुशी की बात है कि उस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का लगातार 6 वर्षों से पतन हो रहा है और उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं। वहां 6 वर्षो में 3 बार चुनाव हुए, अरबों रुपये खर्च हुए। 1989 में जनता दल की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह हुए। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 225 विधायक यहां जीतकर आए और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दिया तथा श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों से चूक गई। उत्तर प्रदेश के विकास की बात छोड़कर इस पार्टी को केवल भगवान राम याद आ गए, ये अपना पूर्वजन्म बनाने लगे, इनके सामने स्वर्गलोक आ गया। परिणाम यह हुआ कि जब पार्टी एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी तो अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं शुरू हो गईं। उस पर इनका कोई ध्यान नहीं गया। महिलाओं पर अत्याचार होने लगे, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस जुल्म निरन्तर बढ़ते गए।...(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : ये किस समय की बात बता रहे हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आपके समय की बता रहे हैं। आप परेशान मत हों।...(व्यवधान) सारी बातें नजरअन्दाज करके...(व्यवधान) मेरी चुनौती है...(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : पार्लियामेंट में तो सच बोलना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आपके समय में अनुसूचित जाति के लोगों पर जितने अत्याचार हुए उतने और किसी समय नहीं हुए।...(व्यवधान)

4.07 म.प.

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

श्री राजवीर सिंह : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपको क्या पता, आप रिकार्ड देखिए। मैं आपको बताता हूं कि आपकी सरकार ने पुलिस जुल्म को नजरअन्दाज करना शुरू कर दिया...(व्यवधान) बड़ी मजेदार बात यह है कि ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार नहीं हुए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां इस समय सामने बैठे हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। एक बार आपकी सरकार ने एक अनुसूचित जाति के रोडवेज अधिकारी को अनायास ही मुअत्तल कर दिया। जब मैं उनको कल्याण सिंह जी के पास लेकर गया और कहा कि इस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, इसका केस आप फिर से देखिए तो उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के तराई इलाके का आतंकवादी है। इनको अनुसूचित जाति के अधिकारी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आतंकवादी नजर आने लगे। विवेक तो ये खो बैठे थे। इनके सामने तो केवल यही एक बात थी कि भगवान राम है और भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने भगवान राम को खुश करने में बाबरी मस्जिद ढाह दी। बाबरी मस्जिद ढाने के बाद इनको पता चला कि उत्तर प्रदेश में आग लग गई, चारों तरफ दंगे शुरू हो गए। परिणाम यह हुआ कि लोहता में, बनारस में, अलीगढ़ में दंगे हुए। इतना ही नहीं, आपने तो एक मस्जिद ढाई...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मध्यपीठ को संबंधित कीजिए उन्हें नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : लोग पाकिस्तान में मंदिर ढाने लगे। इतना ही नहीं, एक मस्जिद ढाने पर दुनिया के अन्य दूसरे शहरों में भी अनेक मंदिर ढाहे गए। उत्तर प्रदेश एक विनाश के माहौल पर चला गया जिसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करना पड़ा। फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में बड़ी मजेदार बात हुई कि

दो एक गठबंधन बन गये, एक मनुवाद का विरोध करने वाला गठबंधन बन गया और दूसरा अल्पसंख्यक हरिजन पिछड़े वर्ग का समर्थन करने वाला गठबंधन बन गया। दोनों गठबंधन हो गये यानि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ने एक साथ मिलकर अपना काम शुरू कर दिया। बड़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई और इस दोस्ती में नया नारा दिया जाने लगा कि "तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।" इतना ही नहीं, यह कहा जाने लगा बीएसपी की ओर से मुलायम सिंह पिछड़े वर्ग के मसीहा हैं। बीएसपी की मायावती पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर कहने लगी कि पिछड़ों के मसीहा मुलायम सिंह हैं, मुलायम सिंह जैसा आदमी कोई हो ही नहीं सकता, मुलायम सिंह बढ़िया आदमी है। मुलायम सिंह कहने लगे कि कुमारी मायावती जी, कांशीराम जी, यह दोनों लोग दलितों के सबसे बड़े, महान मसीहा हैं। दोनों एक दूसरे को मसीहा कहने लगे। कांशीराम जी ने कहा कि मुलायम सिंह को तो देश का प्रधान मंत्री होना चाहिए, मैं तो इनको केवल उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री ही बना रहा हूं। मेरा वश चलेगा तो मैं कुछ दिनों में मुलायम सिंह को इस देश का प्रधान मंत्री बनाऊंगा। कुछ दिनों के बाद जब सरकार चली तो सरकार चलने के कुछ ही दिनों के बाद लोग एक दूसरे पर आरोपण करने लगे एक दूसरे का चरित्रहनन किया जाने लगा और मुलायम सिंह कहने लगे, जिनको कि वह नेता मानते थे, उनको कहने लगे कि "यह महिला बहुत ही बड़ी बेईमान है।" महिला कहने लगी कि "मुलायम सिंह बहुत बड़ा गुण्डा है।" मुलायम सिंह कहने लगे कि "यह दलाल है, चोर है"। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया और परिणाम क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद इन लोगों की सरकार चली गई एक शेर में किसी ने कहा है :

> "ऐ खुदा, क्या जमाना हो गया, दो ही दिन में दोस्ताना हो गया,
>
> फिर आग लगी दोस्ती में ऐसी, दुश्वार उनका मुख दिखाना हो गया।"

अब दोनों एक दूसरे का मुख ही नहीं देखना चाहते और फिर परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में आग लग गई मुलायम सिंह चले गये फिर नये दलितों के समर्थकों से दोस्ती हुई, जिनको कुछ दिन पहले वह कहते थे कि यह मनुवादी लोग हैं। फिर अनुसूचित जातियों का एक सुन्दर प्रतिनिधि और कलई मुलम्मा लगाकर उनसे दोस्ती कर ली। ढिंढोरा पीटा गया कि मायावती पहली दलित महिला है, जिनको हम मुख्य मंत्री बना रहे हैं। बात तो बहुत अच्छी हो गई, जैसा कि हमारे साथी मोहन सिंह ने अभी कहा, बहुत बढ़िया बात थी, आपका एहसान भी था कि आपने एक दलित महिला को मुख्य मंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया ? उसके बाद जो कुछ किया, उसको उत्तर प्रदेश का दलित वर्ग कभी भी क्षमा नहीं करेगा। आपने जिस ढंग से उस महिला को मुख्य मंत्री बनाकर अपमानित किया, वैसी देश में कहीं दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। आप राखी बंधवाते थे, एक ओर तो मायावती शुरू-शुरू में कहती थी कि "तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार" इनको मारो जूते चार" और इसके बाद उत्तर प्रदेश की ऐसी विषम स्थिति हो गई, जिस पर कि हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोग मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के चक्कर में पड़कर तिलक, तराजू और तलवार, तीनों से गांव में दुश्मनी कर बैठे। हर एक आदमी ने एक दूसरे के प्रति गटुता भरा एक माहौल तैयार कर लिया और इधर मयावती ने इतना बड़ा धोखा अपने दलितों को दिया, जिसकी कि कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तिलक यानि कलराज मिश्र को राखी बांध आई, तराजू यानि लालजी टण्डन को राखी बांध आई, तलवार यानि राजनाथ सिंह, सत्यदेव सिंह जी बैठे हैं, उनको राखी बांध दी, इधर तो गांव के लोगों से कहा कि तिलक, तराजू और तलवार, तीनों हमारे दुश्मन हैं और इधर गद्दी पर बैठकर आराम के साथ उनको भाई बना लिया, मिठाई भी बांटी गई, बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। चोर से कहा चोरी करो और ईमानदार से कहा कि जागते रहो, यह इनकी स्थिति बनी। सवाल राखी का नहीं है, सवाल दलित प्रेम का नहीं है, सवाल प्रदेश में विकास की स्थितियों का है। सवाल प्रदेश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था का है। सवाल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका है। हमको और आपको इस पर सोचना पड़ेगा। ऐसी विकट स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम इस मामले में राष्ट्रपति जी अथवा केन्द्र सरकार की दूरदर्शिता के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग कर दिया।

यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं। हम लोग इनको अपनी प्रेरणा मानते हैं और पिछले दस बरस से हम इनसे काफी कुछ सीख रहे हैं। इन्होंने कल यहां भाषण देते हुए कहा कि वहां के राज्यपाल ने पहले सही कदम उठाया था। इसके बाद आपका यह कहना था कि वैकल्पिक सरकार बनने का मौका राज्यपाल ने दिया, यह उचित कदम था। फिर माननीय वाजपेयजी ने कहा कि राज्यपाल ने बाद में दबाव में कोई भूल कर दी। हम समझते हैं कि इस टिप्पणी पर माननीय अटलजी को विचार करना चाहिए। 18 दिन तक वहां पर जो मौका दिया गया, उस दौरान किसी आदमी ने कोई सूची पेश नहीं की। न मुलायम सिंह ने पेश की और न अन्य किसी ने पेश की। बल्कि इसके पहले ये कह रहे थे कि विधान सभा भंग कर दी जाये। विधान

सभा का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश में दुबारा चुनाव कराये जायें। यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे थे और मुलायम सिंह भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे। जब विधान सभा भंग नहीं हुई, लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए मौका दिया गया और उस लोकप्रिय सरकार को बनाने के लिए कोई सामने नहीं आया तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करते। इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया वह उचित था।

अजीब विडम्बना है कि प्रदेश की हालत कुर्सी के चक्कर में बिगाड़ दी गई। आज वहां पुलिस जुर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आदमी बाजार जाता है तो वह वापस लौट आयेगा या नहीं यह उसको भरोसा नहीं है। क्राइम बढ़ गये हैं। यह मैं पिछले शासन की बात कर रहा हूं। दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार बढ़ गये थे, आज राष्ट्रपति शासन में उनमें कुछ कमी आई है, नियंत्रण हुआ है। यह एक खुशी की बात है। उसमें भी आज की राजनीति जिम्मेदार है। यह मैं एक महीने पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, उसके बारे में कह रहा हूं कि इतने अपराध बढ़ गये थे।

कल हमारे एक मित्र डा. एस.पी. यादव ने यहां कहा कि 1993 में जो वहां विधान सभा के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के 177 विधायकों में से 45 अपराधी थे, समाजवादी पार्टी के 107 में से 44 लोग अपराधी थे, बीएसपी के 59 में से 19 लोग अपराधी थे, जनता दल के 27 विधायकों में से 11 अपराधी थे, सीपीआई के तीन में से एक अपराधी था और कांग्रेस के 28 विधायकों में से 8 अपराधी थे। कैसे अपराध घटेंगे, कैसे स्थिति पर नियंत्रण होगा ? क्या यही नेहरूजी का प्रदेश है, क्या यही श्रीमती इंदिरा गांधी और चरण सिंह का प्रदेश है, जिसमें इस प्रकार के लोगों की कल्पना की गई थी। केवल वाह-वाही करने से काम नहीं चलेगा। इस पर सोचना चाहिए।

हमें आश्चर्य है और दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रदेश की विधान सभा का पहला ही दिन खून-खराबे से शुरू हुआ हो, उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा। अब की जो सरकार बनी, उसके बनते ही पहले दिन हंगामा हो गया। माननीय स्पीकर केसरी नाथ त्रिपाठी को भी चोटें आईं और वे घायल हो गये। हमें इन सब बातों पर सोचना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति महोदय ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया था केन्द्रीय सरकार ने लागू किया, यह कोई अनुचित बात नहीं थी। जिस प्रदेश की विधान सभा में पहले ही दिन खून-खराबा हो वहां और क्या हो सकता है।

मान्यवर, मैं अंत में उत्तर प्रदेश की स्थिति का वर्णन करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के तहत विकास के कार्य ठप हो चुके हैं।

वहां पर विकास कार्य की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ठेकेदार, इंजीनियर, मुख्य विकास अधिकारी, जनपदों के कलक्टर, ये सारे के सारे लोग सरकार के स्थायित्व को देखकर दलाली और घूसखोरी करने लग गये हैं। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। यहां ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में वर्ष 1993 में दो सड़कों के लिंक मार्ग के लिए, चार तालाब और तीन ड्रेन्स के लिए 24 लाख रुपया खर्च किया गया। यह सारे का सारा काम कागज पर किया गया। पूरे का पूरा 24 लाख रुपया हड़प लिया गया। मैंने जब इस मामले को जिले में उठाया, यहां पर संसद में उठाया तो कलक्टर ने खुद ही एफआईआर दर्ज कराई लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाजीपुर जनपद में सैदपुर भीतरी नामक गांवों के सामने नदी पर तटबंध बनाने के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपया गया। आप आश्चर्य करेंगे कि एक फावड़ा भी मिट्टी नहीं उठाई गई और वह सब रुपया हड़प कर लिया गया। देवकली पम्प कैनाल की सफाई का मामला उठा। हमने चिट्ठी लिखी और पक्ष-विपक्ष सबने ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि 25 लाख रुपया वहां भेजा गया। आठ महीने तक वह रुपया पड़ा रहा लेकिन सफाई नहीं हुई। फिर अचानक एक दिन पम्प कैनाल की सफाई हो गई। उन लोगों ने इसकी सफाई की जो लोग चार साल पहले मर चुके थे। एक ही रात में सफाई हुई। चार वर्ष पहले मर चुके व्यक्ति शाम को जिंदा हुए, रात भर सफाई की और फिर सबेरे मर गये। ये सारे के सारे रिकार्ड पड़े हुए हैं। माननीय विकास मंत्री जी के सामने जनता ने इसकी जांच के लिए कहा लेकिन आज तक इसकी जांच नहीं हुई।

मान्यवर, वृक्षारोपण के लिए साढ़े पन्द्रह लाख पेड़ 3 वर्ष में वहां लग गये। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर में जाकर आप देखें तो पांच सौ भी पेड़ इन तीनों जिलो में नजर नहीं आयेंगे। पता नहीं इस रुपये का क्या हुआ ? मैं माननीय गृह मंत्री जी से दुख के साथ कहूंगा कि मैंने 36 एप्लीकेशन्स दिए हैं और मेरे पास इस बात का रिकार्ड है। कल्याण सिंह जी को, मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को इस भ्रष्टाचार की दास्तां लिखित में दी गयीं। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, हमें इस बात पर दुख होता है कि आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य की गति ठंडी पड़ गई है। जवाहर रोजगार योजना की क्या कहें। हमको एक-एक करोड़ रुपया मिला हुआ है। हमने इस एक करोड़ रुपये की सारी की सारी योजनाएं बनाकर भेज दी हैं। कलेक्टर को बता दिया कि इस रुपये का कहां-कहां खर्च करना है। लेकिन विकास के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनका अजीब हाल है ? जो मुख्य विकास अधिकारी है, जो कलक्टर हैं वह हमसे अलग सर्वे करवा रहे हैं। जिस

विभाग के काम सम्पन्न कराने के लिए हम कह रहे हैं वह जिला प्रशासन उससे काम न करवाकर उस विभाग से काम करवाने जा रहा हैं जो ज्यादा दलाली दे रहे हैं, ज्यादा घूसखोरी करा रहे है। वहां पर जो अपराध बढ़े हैं उनका भी एक कारण विकास कार्य हो गया है। ठेकेदार चाहता है एम.पी. साहब लिखें, विधायक लिखें, नेता लोग लिखें और यदि उसको लिखा हुआ नहीं मिलता है तो कहते हैं कि यही नेता दुश्मन है। वहां जो क्राइम बढ़ रहा है उसका एक कारण यह भी है।

मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा कि इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। हमें इन बातों को संजीदगी से सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य चलेगा या नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय–सी हो गयी थी। ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और जैसा कि और लोगों ने कहा, यह बहुत अच्छा सुझाव है कि सांसदों और वहां के एम.एल.सीज. की एक कमेटी बनायी जाये और वह कमेटी विकास कार्यों पर ध्यान दे। उसको कुछ अधिकार दिये जायें।

मैं एक मामूली–सी बात बताना चाहता हूं। वहां ईंटों की कीमत कुछ समय पहले 800 रुपया हजार थी। यह बात सरकार के रिकार्ड में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि 800 रुपया हजार ईंटें लेकर विकास कार्य किया जायेगा। आज उत्तर प्रदेश में उन्हीं ईंटों की कीमत 900 रुपये हो गई है। जबकि सरकारी रिकार्ड में आज भी 800 ही है। पक्का काम जो कि पहले तेजी से चल रहा था, अब वह धीमी गति से चल रहा है। आज ईंटों की कीमत भी 900 रुपये हो गई है। इससे पक्का काम होना बंद हो गया है। अब केवल कच्चा काम हो रहा है। कहा जाता है कि एम.पी. अपने फंड का इस्तेमाल करें और कच्चे काम के लिये धन दें। यह बड़ी शर्मनाक और दुख की बात है। मैं विपक्ष के नेता वाजपेयी जी यह कहना चाहता हूं कि मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या राय है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। या तो मुसलमानों को इनसे नफरत है या इनको मुसलमानों से नफरत है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है। जब मैंने अपने क्षेत्र में 18 कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसे दिये तो भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति खड़े होकर इसका विरोध करने लगे। यह कौन–सी बात हो गई।...(व्यवधान) इनको कहने दीजिये। इनकी आदत है। वह कहते हैं और हम सुनते हैं।

श्री राजवीर सिंह : मेरा प्वाईंट आफ आर्डर है कि यह जानते हैं कि कब्रिस्तान कहां बनता है ?

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने कुछ श्मशान घाट भी हिन्दुओं के लिए बनवाये, बी.जे.पी. द्वारा फिर बयान दिया जाने लगा कि राजनाथ सोनकर शास्त्री बड़े अच्छे आदमी हैं जो इन्होंने शमशान घाट के लिये धन दिया। इससे पहले कब्रिस्तान को लेकर बड़ा बवेला खड़ा किया गया। यह क्या हो रहा है और यह कैसे चलेगा ? हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी सब यहां के नागरिक हैं और सब को समान अधिकार प्राप्त है। यदि किसी के लिये कुछ काम होता है तो यह कोई विडम्बना की बात नहीं है, यह सहजता की बात है। हर आदमी को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा।

मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करता हूं। मैं गृह मंत्री जी और यहां की सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के बिगड़े हुए हालात में राष्ट्रपति शासन लगाया। वह इसको दूरदर्शिता के साथ संभालें और इसमें कुछ नयापन लायें एवं कुछ और लोगों को नियुक्त करें तभी उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा और उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में अभी हाल में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उसके संकल्प के सम्बन्ध में यहां चर्चा हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि यह सदन इस संकल्प को स्वीकार करे। मैं इसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उत्तर प्रदेश की एक त्रासदी रही है कि पिछले अनेक वर्षों में कई बार विधान सभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पायी। परिस्थितियां राजनीतिक और दूसरी भी कई रही हैं। सन 1989 के बाद 1991, 1993 और अब अगला चुनाव होने की तैयारी है।

मैं अभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित साथियों के विचार सुन रहा था। सभी लोगों ने 6 दिसम्बर की घटना की चर्चा की। 6 दिसम्बर 1992 की बात वह कुछ भूले नहीं हैं। वहां जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय कल्याण सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वह बहुमत की सरकार थी और उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा चुनी गई थी। उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, दिशा और दर्शन को स्वीकार किया था। बाकायदा इलैक्शन मैनिफेस्टो के रूप में प्रसारित और प्रचारित करके इस पर जनता का आश्वासन मांगा था और जिसे जनता ने पूर्ण बहुमत के रूप में दिया। उसके बाद श्री

कल्याण सिंह की सरकार बनी इसके पहले मुलायम सिंह की सरकार काम कर रही थी। माननीय गृह मंत्री जी को मालूम होगा कि मुलायम सिंह की सरकार बैसाखी पर चल रही थी और कांग्रेस पार्टी उसकी प्रमुख बैसाखी थी। तो इस प्रकार उसमें कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। वह सरकार गोली–बारी, माफिया अपहरण, आतंक की पर्यायवाची सरकार बन गयी थी। जन–समर्थन समाप्त हुआ, सरकार गिरी और नये चुनाव हुये। नये चुनाव के लिये भाजपा ने नारा दिया कि भयमुक्त समाज और दंगारहित प्रदेश। उस समय पूरे उत्तर में कर्फ्यू था। उस समय 45 से अधिक महानगरों, नगरों में दंगे हो रहे थे और दंगे के समय तक वक्त ऐसा आया कि बरेली में जब मुलायम सिंह अपने मुख्य मंत्री काल में भाषण कर रहे थे तो दूसरे हिस्सों में दंगे हो रहे थे। उन घावों पर जनता ने मरहम लगाने के लिये भाजपा को बहुमत द्वारा शासनभार सौंपा। इन लोगों ने दृढ़तापूर्वक कार्य किया। हमारे समय में माफिया गायब हो गये और वे माफिया जो मुलायम सिंह की मंत्रिपरिषद् में थे, उन लोगों ने अपहरण को उद्योग बना रखा था और जिसके कारण पूरा प्रदेश त्रस्त था, हमने उन लोगों को जेलों में डाला और जो अपने आपको शेर कहते थे, उनको 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा। वही पुलिस थी, वही प्रशासनिक अधिकारी थे, वही लोग थे, वही पड़ोसी थे, वही हिन्दू और मुसलमान थे लेकिन दंगे के नाम पर दंगे नहीं हुये। हां एक दंगा लोहता में हुआ जिसका सोनकर जी ने नाम लिया लेकिन हमारे नेता माननीय वाजपेयी साहब वहां गये और सरकार ने शीघ्रता से कार्यवाही करके उस पर नियंत्रण पा लिया। दंगे की विभीषिका को देखते हुये आपको स्मरण होगा कि इस दंगे में सबसे कमजोर वर्ग और दलित लोग प्रभावित हुये थे। लेकिन यहां पर मुलायम सिंह नहीं पहुंचे। लोहता दंगे का एक अपवाद रहा। जितनी peace and tranquility पिछले 48 वर्षों में नहीं रही जितनी कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रीत्वकाल में रही। इस बात का दावा कोई और सरकार नहीं कर सकती है। कल्याण सिंह की सरकार सर्वश्रेष्ठ और उत्तम रही। उसके बाद 6 दिसम्बर की ऐसी घटना आयी जिस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। उस घटना का प्रभाव हम लोगों पर तो क्या पड़ेगा, लेकिन अन्य दलों पर क्या पड़ा, हम नहीं जानते हैं लेकिन कांग्रेस माफीनामा लेकर अनेक उपाय आज तक करती चली आ रही है। लगातार एक के बाद एक उप आयोग बनाये जा रहे हैं कि किस प्रकार से अपना बिखरा वोट बैंक जेब में कैसे रख सकें। प्रधान मंत्री जी कितनी भी चादर चढ़ायें लेकिन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करें। ये दोनों ही काम करने चाहिये। इसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिये।

मुझे खुशी है कि चव्हाण साहब राम जन्म भूमि के दर्शन करने तो गये। भले इस बात को देखने के लिये गये कि राम जन्म भूमि की वास्तविकता क्या है और उन्हें स्मरण होगा कि दर्शन के समय उन्हें यह पूछना पड़ा कि मुझे उस स्थान पर ले चलिये।

[अनुवाद]

"कृपया मुझे उस विवादास्पद स्थान पर ले चलिए, जिसका विषय सरकार के विचाराधीन है।"

[हिन्दी]

उस स्थान का महत्व है। वह स्थान कोई बीजेपी का नहीं है मैं इस सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि श्री राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिये। यह कोई इलैक्शन मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है। कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता है। यह मुद्दा तब तक जीवित रहेगा जब तक वहां पर एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता है यह कोई संकीर्ण मुद्दा नहीं है। यह सैकुलरिज्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। इससे परे हटकर हम लोगों को सोचना है। जब भी यहां राम की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात होती है। राम मंदिर की बात होती है तब देश को मजबूत करने की बात होती है तो घुसपैठ और आतंकवाद पर दिमाग जाता है। इसलिए इस देश के अन्दर, वह चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, जब भी मतदाता वोट डालता है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में इस बार इसको घोषित नहीं किया था लेकिन जब मतदाता वोट डालने गया है तो उसके मन में देश की चिंता थी, उसके मन में राष्ट्र की मजबूती की चिन्ता थी, उसके मन में इस देश की समरसता की चिन्ता थी, उसे इस देश का पुरातन वैभव याद आ रहा था और इसलिए जब उसने अपनी मोहर लगायी तो उसके मन में भगवान श्रीराम मंदिर का और भगवान श्रीराम का स्थान उसके हृदय में था। तभी कमल के निशान पर मोहर लगा रही है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आप इस मुद्दे को 6 दिसम्बर से मत जोड़िये। राष्ट्रपति शासन लग गया। आपने हमारी तीन और सरकारों को बर्खास्त कर दिया। वहां कोई राम मंदिर का प्रश्न नहीं था। लोकतंत्र की तब आप दुहाई नहीं देते थे। तब आपने बहुमत और अल्पमत की बात नहीं की। तब हमारे राज्यपालों ने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी कि हमारे यहां कोई दंगा नहीं हुआ है। अगर कोई राम मंदिर का दर्शन करने के लिए हज़ करने के लिए जाए और उस प्रदेश में कुछ हो जाए तो उस प्रदेश की सरकार भंग कर दी जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने किया और उसका परिणाम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया। लेकिन सरकारें बन गई थीं और उस फैसले को पूरा लागू नहीं कर पाए।

हमारी सरकार जाने के बाद नवम्बर, 1993 में जो मतदान हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा सीटें मिलीं और उस समय होर्स ट्रेडिंग की बात नहीं आई। उस समय आपके सामने यह प्रश्न नहीं खड़ा हुआ कि लोकतन्त्र की मर्यादाओं के अनुरूप हमारी पार्टी को सबसे पहले आमंत्रण देना चाहिए था कि आप बनाइये, आपको सबसे ज्यादा बहुमत मिला है। हम नहीं बना पाते तो आप बनाते। आपने बहुत जल्दी में भानुमति का कुनबा जोड़ा। सन् 1989 में कांग्रेस पार्टी ने जब बहुत जल्दी में भानुमति का कुनबा जोड़ा। सन् 1989 में कांग्रेस पार्टी ने जब मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने के बाद अपनी दुर्गति और दुर्दशा कराई थी, आम जनता के मन में अपनी तस्वीर खराब कराई थी, गोली चलाने वाले लोगों का समर्थन करने पर आपको ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया था, आपके माथे पर काला दाग लग गया था उसको तोड़ने का एक मौका 1993 के बाद आपको फिर मिला लेकिन आपने फिर खो दिया। आपने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी न आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इस देश की जनता की इच्छा के अनुसार आएगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी इसको आप और आपकी इच्छाएं नहीं रोक सकती हैं। इस बात को लेकर आपने हमारी सरकार नहीं बनने दी। फिर आपने समर्थन दे 5–7 लोग मिलाकर भानुमति का कुनबा जोड़ लिया है। बीएसपी और सपा की सरकार बन गई। सरकार चलने लग गई, लेकिन उस सरकार को क्या त्रासदी हुई। माननीय शास्त्री जी ने बहुत सही कहा कि उस सरकार की शुरूआत जूतमपैजार से हुई और उस सरकार का अंत भी मीरांबाई मार्ग पर जूतमपैजार से हुआ। किसी भी विधान सभा के इतिहास में, किसी भी संसदीय इतिहास में यह सुनने को नहीं मिला। हम वाद–प्रतिवाद करते हैं, हम टीका–टिप्पणी करते हैं, हम तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, हम विमत प्रकट करते हैं, हम मत भिन्नता प्रकट करते हैं, लेकिन मन भिन्नता इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि जूते चलें, लाठियां चलें, हत्या का प्रयास हो, भूतपूर्व स्पीकर को मारा जाए। जिस गरिमामय सदन से एक से एक स्पीकर, एक से एक नेता गए, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत वहीं से इस देश के अंदर आए उनको हमने इतना अपमानित किया। मुलायम सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उसमें सक्रिय हिस्सेदारी अपनायी व हिंसा का वातावरण शुरू हुआ। अखबारों ने उनके माफिया गिरोहों को उजागर करना शुरू किया। उनके भ्रष्टाचार के एक से एक आयाम कायम हुए। 75 करोड़ रुपए का आयुर्वेद दवाओं का घोटाला हुआ। दो करोड़ की चीनी मिल 50 लाख में बेच दी। जेल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि जेल की जमीन बेशकीमती हो गई थी क्योंकि वे नगर के अंदर पड़ गई थी। मुलायम सिंह जी की गिद्ध दृष्टि उधर भी गई और आपका समर्थन रहा। रोज घोषण होती रही, आपके नेता यहां आते रहे। वे लड़का–लड़की वाले अपने लड़का–लड़की लेकर चले गए, आपसे अलग हो गए क्योंक वे अंत समय तक इच्छा मृत्यु को ग्रसित थे। जैसे बाण–शय्या पर पड़े हों और आपके यहां प्रार्थना करते थे कि समर्थन वापस लीजिए। आपके यहां से उस सरकार का समर्थन वापस नहीं हुआ, हत्या होती रही। आप दंगे की बात करते हो, मैं यहां सदन में चैलेंज करके कहता हूं आप साबित कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी अच्छी कानून और व्यवस्था 18 महीने के भाजपा शासन में थी वैसी कभी नहीं रही। आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपके सामने आंकड़े हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। हरिजनों पर अत्याचार बंद हो गए। हमने पट्टों पर कब्जा दिलाया। 1 लाख 10 हजार मुकदमे नियम 11 के थे। यहां कानून मंत्री जी बैठे है। विरासतनामे के आधार पर जमीने गांवों में जानी चाहिए थी। 10–12 वर्षों से मुकदमे लंबित थे। हमने एक महीने में अभियान चलाकर 1 लाख 10 हजार लोगों को उनका विरासतनामा कराकर एक रेकार्ड कायम किया है और यह रिकार्ड भारत सरकार के पास नहीं हो तो उत्तर प्रदेश सरकार से मंगा सकते हैं। आज तो वहां आपका राज्य है।

सभापति महोदय, दिल्ली से शासन उत्तर प्रदेश का चल रहा है। इसलिए कोई भी तस्वीर आपसे छिपी नहीं रहेगी। यह बात अलग है कि आपके मन में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इन तथ्यों को उजागर कर के, इसकी रोशनी में, आप अपना चेहरा देखने का प्रयास करें, यह आप नहीं कर सकते हैं।

प्रैस पर हमला शुरू कर दिया, हल्ला बोलकर जो प्रैस उनके नीचे नहीं झुकेगा, हल्ला बोल दिया जाएगा। हाकरों को मारा गया। उन हाकरों को मारा गया, उन जीपों को जलाया गया, जो बैंकों से कर्ज लेकर खरीदी गई थीं और वे हाकर, जब हम जाड़े की नींद में रजाई में दुबके होते हैं, तो वह हाकर सुबह पांच बजे, आपको ताजी खबर, ताजी चाय के साथ पिलाने के लिए, परिश्रम कर के, घर पर आपके अखबार डाल कर जाता है। जो अखबार सत्य को उजागर करेंगे, जो भी अखबार स. पा. के उस शहंशाह के खिलाफ लिखेंगे, उनकी दुर्गति की जाएगी। डी.एम. कलैक्टर और एस.पी. खड़े रहते थे। हाकर पीटे जाते थे। जीपें जलाई जाती थीं। अखबर फूंके जाते थे और सभी अधिकारी मूक दर्शक और गुंडे के सहयोगी बने रहते थे और इन सारे कुकृत्यों में माननीय गृह मंत्री जी आप और आपकी पार्टी सम्मिलित रही है।

उसके बाद आपने क्या काम किया, विधायिका के बाद कार्यपालिका का नंबर आया। मुलायम सिंह जी ने जो नीति अपना ली थी, उससे पूरी कार्यपालिका ध्वस्त हो गई है। जाति के आधार पर कार्यपालिका को बांट दिया गया। आवश्यकता

के अनुसार व्यक्ति के आधार पर पद और पद के अनुसार व्यक्ति नहीं चुने गए बल्कि यह देखा गया कि हमारा कौन हो सकता है, कौन कितनी बूथ कैपचरिंग कर सकता है, गुंडों को कौन प्रश्रय दे सकता है, कौन कितने माफियाओं को सम्मान दे सकता है। इस आधार पर बड़े–बड़े अधिकारी चयनित किए गए। परिणाम हुआ मुजफ्फरनगर का कांड। परिणाम हुआ उत्तरांचल की वह मांग। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आज यहां पर हमारे हिमाचल प्रदेश के बंधू बैठे हैं, पंजाब से जब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा अलग हुए हैं, तब से सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश की प्रगति में भागी बन रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सीमाओं पर जो हमारे प्रहरी हैं, जो सैन्य सेवा में हैं उनमें 30 प्रतिशत से अधिक लोग उत्तरांचल के आठ जिलों के बेटे है, वहां के सपूत हैं और ये वे सपूत हैं जो आपकी सीमाओं पर भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए जूझते हैं, लड़ते हैं। उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके सम्मान के साथ, आपके अधिकारियों ने, आपकी अनुमति से कुकर्म किए। यह रैली आपकी अनुमति से यहां आ रही थी, यदि आपको इसे रोकना था, तो उनको खटीमा में क्यों नहीं रोका गया, उनको रानीखेत में क्यों नहीं रोका गया, उनको जोलीकोट में क्यों नहीं रोका गाया, क्यों नहीं नैनीताल की तलहटी में बाजपुर और किच्छा में रोका ग़या, क्यों उनको यहां तक आने दिया गया ? उसके बाद रात के अंधेरे में, बत्ती जलाकर, गन्ने के खेत में चीखों और गोलियो की आवाजों के बीच में बरबरता की गई, सरकार चुप रही। मुलायम सिंह ने उस पर पानी डाल दिया। आप चुप रहे। आपकी मानवता कुछ नहीं बोली। सी.बी.आई. आपकी सेंट्रल ऐजेंसी थी जिसने इसकी जांच की। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : और उन्हीं के साथ आपने सरकार बनाई।

श्री सत्यदेव सिंह : आप क्यों तकलीफ में पड़ते हैं। अभी यदि यही चंडीगढ़ में हो जाएगा तब आप तिलमिलाएंगे। अभी तो उत्तराखंड आप से जरा दूर है।

श्री पवन कुमार बंसल : जिन्होंने यह करवाया था, बाद में उन्हीं के साथ बैठकर आपने सरकार बना ली, मैं तो यह कह रहा हूं।

श्री सत्य देव सिंह : आप चिन्ता मत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार कैसे बनी, वह भी मैं बता रहा हूं। जरा सुनने का मादा रखिए। श्रीमान सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन सुननी जरूर चाहिए। उत्तरांचल की आवाज को आप गोलियों और बारूद से बन्द करना चाहते हैं, तो वह कभी बन्द नहीं होगी। अगर आप से उत्तरांचल के प्रति प्रेम होता, मन में सम्मान होता तो जब पहला प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, सर्वसम्मत प्रस्ताव, इतिहास में यह पहला सर्वसम्मत प्रस्ताव था कि उत्तरांचल का निर्माण किया जाए और आठ पहाड़ी राज्यों को मिलाकर के अलग राज्य की स्थापना की जाए। यह राज्य वहां की जनता की भावनाओं के मनोनुकूल है। यह राज्य की आवश्यकता है। वह अपना विकास स्वयं कर सके, अपने सम्मान की रक्षा कर सके। वहां का पहाड़ी कहलाने वाला आदमी सिर्फ होटलों में बर्तन मांजे और सीटी बजाकर चौकरीदारी करते रहे, सिर्फ यही नहीं हो, वह ऊपर उठ सके और हिमाचल प्रदेश की तरह से उसका भी सम्मान होना चाहिए। वह प्रस्ताव आपके पास है। यही नहीं, फिर दुबारा मुलायम सिंह के समय में वह प्रस्ताव पुनः भेजा गया, लेकिन वह प्रस्ताव मंत्री ज़ी केन्द्र सरकार के गलियारों में आज भी धूल फांक रहा है।

महोदय, आज आपके राज्यपाल, आने वाले चुनाव में किस तरह से संजीवनी पिलाकर कांग्रेस की इस लाश को खड़ा कर सके, सारी योजना इस बात के लिए बना रहे हैं। आपने सी.बी.आई. की जांच अब स्वीकार कर ली। उस समय आपके राज्यपाल कहां गए थे। उसी समय दबाव देकर यह बात क्यों नहीं कहीं गई कि यदि सी.बी.आई. की जांच हुई है, तो जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उन्हें सजा दी गए। मुलायम सिंह ने एक बार कहा कि सी.बी.आई. कह देगी, तो मान लेंगे, लेकिन फिर अपनी बात से पलट गए और फिर कहने लगे कि यदि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह देगी, तो मान लेंगे। बहरहाल उनको तो मानना ही नहीं था। वैसे भी जनता ने उनको यह अवसर भी नहीं दिया।

महोदय, आज देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। कश्मीर में चुनाव होना जरूरी है। आतंकवाद पर नियंत्रण पाने के लिए जनमत संग्रह हमारे लिए लाभकारी होगा, हितकर होगा, यदि यह कहा गया होता, तो कश्मीर के चुनाव का कोई विरोध नहीं करता। कश्मीर में वे परिस्थितियां होनी चाहिएं जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत लोग न्यायपूर्वक हिम्मत के साथ निकल सकें। आप क्या चाहते हैं कि सी.आर.पी., बी.एस.एफ. और इंडियन आर्मी जो वहां लगेगी, उन्हीं के मतदान करवाकर कह देंगे कि 100 वोट मिले, 50 वोट मिले इसलिए विधान सभा का गठन हो रहा है, वहां से संसद सदस्य चुनकर आ रहे हैं। आप बार–बार धारा 370 के बारे में हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं कि 70 रहेगी। अरे, 370 लाख रहे, सवाल इस बात का है कि कश्मीर रहेगा या नहीं। यह मत भूलिए कि सदन

से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था। सन् 1962 में चीन की लड़ाई के बाद भी 7–8 दिन की बहस के बाद एक प्रस्ताव स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के नाते स्वीकार किया गया था। जब आपने कहा था कि हम सारी भूमि चीन के अवैध कब्जे से खाली करवाएंगे। लेकिन यह प्रस्ताव था जो बिना बहस के पास हुआ है, जिसमें हमने इस सदन में, इस देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत ने प्रस्ताव पास करके इस बात को माना है कि कश्मीर का जो शेष भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसे हम खाली करवाएंगे। आप वज़ीरे आज़म बना रहे हैं, राष्ट्रपति बना रहें हैं, बाकी आप खाली भी करवाएंगे। आपको मुसीबत लेनी होगी और उसे झेलनी भी पड़ेगा। दो नावों में पैर रखकर चलने का नतीजा क्या होता है दोस्तो, इसे आप भली प्रकार जानते हैं।

आपने उत्तर प्रदेश में औरं क्या किया। जंगल राज समाप्त करते–करते भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंच गया। जेल के बारे में मैंने आपको बताया। शायद इनको आश्चर्य हुआ कि जेल क्यों बेचा जा रहा था। जेल इसलिए बेचा जा रहा था कि वह बाजारों के केन्द्र में पड़ गया। जमीनों के मूल्य रातो–रात लाखों–करोड़ों रुपये हो गए। कौड़ियों के भाव बेचकर मुलायम सिंह जी ने अपनी जेबें गरम की। लेकिन सुश्री मायावती उस सरकार की पार्टनर थी। इसलिए उन सारी चीजों पर उनकी गिद्ध दृष्टि रहा करती थी। हर हफ्ते और 15 दिन में हिसाब करती थी। वे गणित में जरूर कभी तेज रही होगी। बहुत अच्छा हिसाब–किताब था, आठ आने तक का हिसाब होता था।

दूसरी सबसे खतरनाक बात मुलायम सिंह के राज में यह हुई कि वह सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के नाते बनी। तुष्टिकरण के नए आयाम खोले गए। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में उर्दू अनुवादक रखे गए।

[अनुवाद]

. उत्तर प्रदेश में अब कहीं भी किसी नागरिक द्वारा कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हो क्या रहा है। उर्दू ट्रान्सलेटर रख लिए गए। आप जरा राज्यपाल से पूछिए कि वे पुलिस मैनुअल के अन्दर काम करेंगे और वर्दी पहनेंगे ? उनका सुपरविज़न कौन करेगा, उनके दायित्व क्या होंगे ? हमारे थानों में लिखा हुआ है–दलाल प्रवेश वर्जित है। हो क्या रहा है। वहां पर दलाल ही बैठते हैं। अब तो एक सरकारी दलाल बैठ गया–उर्दू अनुवादक। उसके पास कोई काम नहीं है, पुलिस रैगुलेशन्स को मैनीपुलेट करेगा। उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि आपको वोट चाहिए और उनको एक ही व्यक्ति चाहिए। देश चला जाए भाड़ में, कूड़ेदान में, वोट चाहिए, वोट है नहीं कहीं। आप चाहे जितना कर लीजिए, यह नहीं मिलने वाला। फिर पूरे प्रदेश में उर्दू टीचर रख दिए गए। शान्ति सुरक्षा बल बना दिए गए। हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। जाति के आधार पर भर्ती हो गई।...(व्यवधान) मैं आपको जो बात बता रहा हूं, उसे सुन लीजिए। उर्दू में पढ़ाई नहीं होगी तो एलर्जी कैसे होगी।...(व्यवधान) मैं शान्ति सुरक्षा बल के बारे में बता रहा था। शान्ति सुरक्षा बल का कानून पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है। गृह मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप उसे मंगवा लीजिए कि शान्ति सुरक्षा बल कैसे कैन्स्टीट्यूट होगी। उसमें यह लिखा गया है कि दुनियाभर के देश से, उसमें मुस्लिम राष्ट्रों के भी नाम हैं, कुछ और राष्ट्रों के हैं, यदि कोई व्यक्ति आता है और इच्छा जाहिर करता है कि वह भारत में रहेगा तो वह शान्ति सुरक्षा बल में भर्ती हो जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसको पुलिस करैक्टर कैरीफिकेशन नहीं मिला है, प्रोवीज़नल भर्ती हो जाएगी और उसे दो साल में अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो दंगे सड़कों और नगरों में हो रहे थे, वे दंगे आप बैरेक्स में घसीटना चाहते हैं। सुरक्षा बल के नाम पर शायद बैरेक्स में दंगे होंगे यह शान्ति सुरक्षा बल नहीं है। न शान्ति रहेगी न सुरक्षा रहेगी, बल रह जाएंगे और बलो में ही आपस में गोलियां चलेंगी। यह भी जल्दी होने वाला है। पी.ए.सी. के विद्रोह में आर्मी और पी.ए.सी. में उत्तर प्रदेश के रामनगर में गोलियां चली थीं। वह इतिहास मत भूलिए। यह शान्ति सुरक्षा बल उसी का परिणाम होगा। तुष्टिकरण का इतना घिनौना चेहरा आप प्रकट कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत के साथ आप इस बात को कहते हैं। देश के बारे में सोचिए। आप यहां अनन्त तक नहीं रहने वाले हैं। 1995 आ रहा है। जब भी चुनाव होंगे तब आप जा रहे हैं, यह तय हो चुका है। हो सकता है आगे आप फिर कभी आ जाएं। आपको प्रायश्चित करने का समय मिलेगा। इस देश की संस्कृति और परम्परा में प्रायश्चित से बड़ा अपना अपराध स्वीकार करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के द्वारा दिए गए बनवास को आप सहृदयता से स्वीकार करेंगे।

भगवान राम तो 14 वर्ष तक बनवास में थे, पता नहीं आप कितने दिन तक रहेंगे। लेकिन भगवान राम से तुलना करना और उनके बारे में आपको कुछ भी समझाना मुश्किल है। दोस्तो, ऐक सवाल आपकी तरफ से आया था कि बसपा सरकार क्यों बनाई, हमने बसपा की सरकार को समर्थन क्यों दिया ? हमने बसपा सरकार को पूरी ईमानदारी से समर्थन दिया। अगर राखी भी बंधवाई तो यह परम्परा हिन्दुत्व की है, इस भारत की पहचान

की परम्परा है। हिन्दू से मुसलमान ने भी राखी बंधवाई है, इतिहास के पन्ने खोलकर देखिये कि राखी के उस कच्चे धागे का महत्व क्या होता है, उसको आप समझिये...**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पीठ में छुरा भोंकना।

श्री सत्यदेव सिंह : उसके तो आप कलाकार हैं और यह सदन इसका गवाह है, आप जहां बैठे हैं, वह छुरा किसके हाथ में है और पीठ किसके पास है, इसका उदाहरण आप स्वयं बैठे हैं।**(व्यवधान)*** (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**(व्यवधान)** (कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : 17 तारीख को महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखते हैं, उस पत्र का एक अंश में कोट करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "मौजूदा विधान सभा दिसम्बर 1993 में गठित की गई थी और इसके अभी तीन वर्ष बाकी हैं। अतः विधान सभा को भंग करने से पहले वैकल्पिक टिकाऊ सरकार बनाने के लिए सतत प्रयास करना उचित होगा। परिणामस्वरूप मेरी राय है कि विधान सभा भंग करने के बजाय उसे निलंबित रखना उचित होगा।"

[हिन्दी]

यह पत्र की मंशा है, उसको उन्होंने कोट किया है। यह कोट करने के बाद यहां पर कहा गया कि किसी ने दावा पेश नहीं किया। हम स्वयं राज्यपाल से मिलने गये थे और हमारा जो पत्र है, वह सदन का रिकार्ड नहीं बन सकता है, लेकिन उसमें हमने उनसे साफ–साफ कहा था, हमने राज्यपाल से परिस्थितियों का वर्णन करते हुए सारी बातें लिखी थीं। मैंने कहा कि हमने मायावती जी को समर्थन दिया था, यह कहकर के दिया था कि आप अपनी सरकार बनाइये और चलाइये, हम बाहर से आपको समर्थन देंगे, लेकिन समर्थन देते समय मुलायम सिंह के पीरियड का जो आतंक था, जो अत्याचार थे, जो कानून और व्यवस्था जी, जो हरिजनों का उत्पीड़न था, जो महिलाओं का अपमान था, यह सारे विषय, यह सारे इश्यूज उस समर्थन के साथ जुड़े हुए थे इन सारी चीजों पर नियंत्रण लगेगा। मुलायम सिंह यादव ने जो उद्योग शुरू किया था, इनके पीरियड में इनस्टेबिलिटी के कारण क्या हुआ कि न उद्योगपति आये, न बिजनेसमैन आयें तो सारा का सारा उद्योग मायावती की सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग, आतंकवाद, ब्लैकमेल को बना दिया। जिस रोज जाने की बात का वह अपने पत्र में क्लेम करती हैं कि वह पहली मुख्य मंत्री रही हैं, उनको किसी ने गलत सूचना दी, इससे पहले इस परम्परा को मुलायम सिंह जी ने भी शुरू नहीं किया, बल्कि इसको माननीय कल्याण सिंह जी ने शुरू किया था कि मंडलीय स्तर पर जाकर अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क करके जिलों की समस्या मौके पर सुलझाने की प्रक्रिया को, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, इसी की नकल उन्होंने की और उस नकल में उन्होंने क्या किया, जहां पहुंची, वहां ससपेंड किया और श्रीमान् शास्त्री जी, अगर आप उनका रिकार्ड उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ा, ज्यादा हरिजन अधिकारियों का उत्पीड़न किया गया। आई.जी. रैंक से लेकर, कमिश्नर रैंक से लेकर अगर ससपेंड हुए हैं, निलम्बित हुए हैं, स्थान्तरित हुए हैं तो वह उन्होंने किये हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप भी किसी से कम नहीं थे, एक से बढ़कर एक।

श्री सत्यदेव सिंह : उसके बाद मायावती जी हमको अपना पत्र लिखती हैं, इस्तीफे में उस समय मायावती जी को यह पार्टी नहीं नजर आई, जबकि उनके सम्मान की रक्षा के लिए हमारे जैसे लोगों ने सारी रात उनकी रक्षा की। जब बत्ती कटी हुई थी, टेलीफोन कटा हुआ था, पानी बन्द था, गलती से एक टेलीफोन लगा हुआ था, जो कांशीराम जी के सूट नं. एक में लगा हुआ था, जहां वह ठहरा करते थे, उनके लिए एक डायरैक्ट टेलीफोन लगा हुआ था, जिसके बारे में वहां के मुलायम सिंह के लोग नहीं जानते थे, वरना सारा पीएवीएक्स सिस्टम तोड़ दिया गया था, उनका टेलीफोन से दुनिया में कनैक्शन नहीं था। उनको नग्न करके उनकी हत्या की योजना थीं, उस समय मायावती जी को भाजपा बहुत अच्छी लगी।

इस सदन के भी माननीय अटल जी ने अगर इतना कोहराम न मचाया होता, इस सदन की कार्यवाही ठप्प न की होती, पूरे देश में यह संदेश गया होता तो यह कांग्रेस पार्टी जो आप तक मसीहा बनती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोट बैंक लेकर चलती है, आज अगर उसकी महिलाओं के ऊपर अपमान हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो उसको वह

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भूल गये, लेकिन मायावती जी ने प्रधान मंत्री जी के लिए मिरेकिल आफ डैमोक्रेसी को कोट किया है। ठीक है, वह उनकी अनुग्रहीत होगी, मैं भी मानता हूं कि जब तक आपका इशारा नहीं होता, राज्यपाल महोदय उनको बुलाते नहीं तो उस समय उन्होंने कह दिया।

[अनुवाद]

स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी दलित महिला को किसी राज्य का मुख्य मंत्री बनने का अवसर मिला है। लेकिन साम्प्रदायिक और मनुवादी ताकतें एक दलित महिला को किसी राज्य का मुख्य मंत्री बनना पंसद नहीं करती हैं और अंत में उन्होंने मेरी सरकार को गिराने के लिए षडयंत्र रचा है।

[हिन्दी]

मान्यवर, अगर हमें उन्हें गिराना होता तो हम उन्हें बनाते नहीं। हम यह एक्सपेरीमेंट नहीं कर रहे थे। हमने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन मायावती जी ने वे सभी काम शुरू कर दिये, वही तुष्टिकरण की नीति, वही भ्रष्टाचार और उसके नये–नये आयाम। कोई बाहर से लोग नहीं आते हैं, वहां पर सात डिस्टीलरीज के लाइसेंस नौ–नौ करोड़ रुपया लेकर दिये गये। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह सत्य है और भ्रष्टाचार के नये आयाम बना दिये। प्रशासन की वही दशा हो गई कि जाति के आधार पर पूरे प्रशासन तंत्र को कुठाराघात करके उसे कुंठित कर दिया गया। ईमानदारी नहीं पूछी गई, योग्यता नहीं जांची गई, पद नहीं देखे गये, व्यक्ति देखे गये और पद दे दिये गये कि इनको नियुक्ति दो। पूरे प्रदेश का प्रशासन ठप हो गया। राष्ट्रपति शासन में भी ठप हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन को और सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरा पहला आग्रह होगा कि वहां तत्काल चुनाव कराने की घोषणा करें। एक चुनाव हुआ है, सारे लोग कोई हाथी, साइकिल, लड़का, लड़की लेकर चुनाव मैदान में थे। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मेनडेट है, कल्याण सिंह की सरकार को मिला है। वहां के लोगों ने प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को भी देखा, राष्ट्रपति शासन को भी देखा, मुलायम सिंह की सरकार को भी देखा और मायावती की सरकार को भी देखा। हमारे मित्र जो दलितों की बात करते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि दलित हमारे साथ हैं, आपके साथ नहीं हैं। आप इस कल्पना को भूल जायें। ...(**व्यवधान**) आप बैठ जायें, आप तो हमारे यहां आने वाले हैं, आप क्यों खड़े हो गये हैं, वरना आपका करेक्टर फिर खराब हो जायेगा। इसलिए आप बैठ जायें।

वहां अभी स्थानीय निकाय के चुनावों में इस बात पर मोहर लगी है। पिछली तीन सरकारों को वहां की जनता ने देखा। बहुत से लोग कहते हैं कि यह शहरी पार्टी है। शहर में जीतकर आते हैं। कानपुर में एक लाख तिरासी हजार वोट से जीतने वाला शहर के वोटों से नहीं आता है। गोविन्द नगर विधान सभा को देखें कि कहा है, उनका 3/4 हिस्सा देहात में है, यह आप भी जानते हैं। सारे नगर निगमों में देहातों का वर्चस्व छा गया है। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, कानून व्यवस्था गिर गई है, लोग देहात में रहते हैं, खेती देहात में जाकर करते हैं। आज कासमो पुलिस करेक्टर है। जगह–जगह शहर भारत की प्रतिमूर्ति है।

[अनुवाद]

यह देश अर्थात भारत का प्रतिबिम्ब है।

[हिन्दी]

सोशल स्ट्रक्चर, इकोनोमिक स्ट्रक्चर इंटरमिगल हो चुका है। इसलिए ये चुनाव इस बात के प्रतीकात्मक चुनाव हैं, इस बात का मैनडेट हैं हमको, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, उसके कार्यक्रमों का और सिद्धान्तों का इस प्रदेश की 14 करोड़ की जनता ने समर्थन किया है। जहां से पूरे देश में संदेश जाता है कि लाल–किले पर कौन प्रधान मंत्री बोलेगा, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर, लखनऊ से होकर आता है और कहीं से नहीं आता। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि वह क्या चाहती है। वह अनाचार, कदाचार और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। महात्मा गांधी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सब पूज्य हैं। पूज्य तो हमें डा॰ अम्बेडकर भी हैं जिनको हम प्रातः स्मरण में याद करते हैं। आपके यहां कोई प्रातः स्मरण नहीं होता जिसमें महापुरुषों के नाम याद कराये जायें। हम रोज सवेरे स्मरण करते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का प्रयास करें। लोक सभा के बाद वहां विधान सभा के चुनाव कराये जायें।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति भी तोड़ी जाती है।

श्री सत्य देव सिंह : जितनी जल्दी चुनाव होंगे और चुनाव से पूर्व यदि कांग्रेस थोड़ा सा भी सम्मान चाहती है तो गवर्नर को केपटिव गर्वनर नहीं बनाइये। उसको सारे अधिकार मिल गये हैं, एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश की 14 करोड़ जनता की अगुवाई करने का अधिकार मिल गया है। इसका नेतृत्व यहां

आपके हाथ में भी है। आप ईमानदारी से, गृह मंत्री के नाते, भारत सरकार के प्रतिनिधि के नाते, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के नाते नहीं, आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं, मेरे भी हैं और कांग्रेसियों के भी हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपका कृत्य पोलिटिकल इंटेशन के आधार पर नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करिये, भ्रष्टाचार को रोकिये। आज वहां विकास रुक गया है, विकास की गति वापस जा रही है। दो करोड़ रुपये देने का कहा, 50 लाख गायब है। वहां काम नहीं होता। जीरो आवर में भी बहुत से सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था। क्या केन्द्र सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आतंकवादियों से बात नहीं कर सकती, प्रदेश सरकार से बात नहीं कर सकती कि सांसदों की जो निधि है जिसको प्रदेश सरकार के माध्यम से लागू करना है, प्रदेश सरकार की एजेंसीज वह काम नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

क्या आप इस मामले पर गौर नहीं करेंगे ? यह गंभीर अनुवर्ती परिणाम वाला मामला है। यह संविधान जो इस सभा में विहित है की संपूर्णता को भी एक चुनौती है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार का निर्देश होता है, नहीं मान रहे हैं, राष्ट्रपति शासन है, गर्वनर बदल दें। क्या करियेगा।

5.00 म.प.

मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि चुनाव से भयभीत मत होइये। भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो यह हमारा सौभाग्य है। आज बात इस बात पर चल रही है लेकिन पहले कांग्रेस हटाओ चलता था। आज सारे लोग एक हो रहे हैं। कॉमन फैक्टर एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में न आने पाए। उधर के लोग भी इसलिए टूटते हैं, बिखरते हैं। समता पार्टी खत्म हो गई। चार लोग चार जगह चले गये। आपकी भी यही दशा होने वाली है। आपमें लड़का–लड़की अभी अलग गये हैं, कुछ दिनों में सास–बहू भी चली जाएंगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : सभापति महोदय, मैं इस बात से एकदम सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन हालात ऐसे थे कि वहां राष्ट्रपति शासन की घोषण करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। यह अपरिहार्य था। अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं राज्य विधान सभा को निलंबित रखकर, अर्थात विधान सभा को भंग करने में विलम्ब करके केन्द्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को स्थिति का फायदा उठाने का अवसर दिया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यवाही से उसने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को एक बार पुनः कुचला है।

कांग्रेस पार्टी और केन्द्र में इसकी सरकार की नितान्त जन–प्रतिकूल नीतियों और सतत अवसरवाद ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले इस विशाल राज्य को ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है जिसका संकीर्ण राजनैतिक लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी शक्तियां शोषण कर रही हैं।

अब आम चुनाव होने वाले हैं और ये शक्तियां सभी चीजों को अस्थिर करने के लिए मथुरा और काशी को मुद्दा बनाकर साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए तैयार हो गई हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि राजनैतिक शक्तियों के कतिपय जोड़–तोड़ और मेल मिलाप के पश्चात उत्तर प्रदेश में आप अफसर शाही और पुलिस बल विभाजित हो गया है, व्यापक सामाजिक तनाव की जड़ें गहरी हो गई हैं। और राजनीति का साम्प्रदायिकत्व और अपराधीकरण और भ्रष्टाचार तथा लोगों की अनकही दुर्दशा एक सामान्य बात हो गई है। अतः समय की पुकार है कि हमें अतीत से सबक सीखना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या केन्द्र में कांग्रेस सरकार अतीत से कोई सबक लेगी। लेकिन समय की मांग यही है अतीत से सबक लिया जाये और स्थिति का साहसपूर्वक मुकाबला किया जाये।

उन्हें देखना चाहिए कि यह राज्य पुनः साम्प्रदायिकता की चपेट में न आए और राज्य भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति लौटा दी जाये। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की सच्ची भावनाओं की कद्र की जाए और उन्हें सही दिशा में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि शहरी क्षेत्रों और पंचायत स्तरों पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकायों को आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएं।

अन्ततः मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि किसानों और अन्य पददलित वर्गों के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाए बगैर सरकार के लिए अस्थिरता की समस्या और सामाजिक तनाव का समाधान करना संभव नहीं होगा। स्थिरता कोई स्वर्ग से उतर कर नही आएगी अथवा यह किसी की सदिच्छा पर निर्भर नहीं करती। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ–साथ कारगर भूमि सुधार ही राजनैतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय का आधार बन सकते हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण पश्चिम बंगाल है। नौ राजनैतिक दलों की सरकार 18 लम्बे वर्षों से स्थिरता पूर्वक

शासन कर रही है। अन्य राज्यों के लिए यह एक उदाहरण है। लोगों के भरपूर समर्थन से वे दल एक स्थिर सरकार चला रहे हैं और लोगों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। यह सब जनोन्मुखी नीति के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने भूमि सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं और इसी के साथ उन्होंने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। आपको उनसे सबक सीखना चाहिए। मुझे आशा है कि यह सरकार हमारे सुझावों पर ध्यान देगी। मेरी आपको चेतावनी है कि इनकी उपेक्षा करके आप अपने को संकट में ही डालेंगे। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मेरा सरकार से यह पुरजोर आग्रह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव आगामी लोक सभा चुनावों के साथ ही कराए जाएं।

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : सभापति महोदय, इस मुद्दे पर दिए गए भाषणों को मैंने पूरे ध्यान से सुना और इन भाषणों की विशिष्टता का अहसास मुझे बाद में हुआ कि ये चुनावी भाषण है और इस सभा में इसका पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे पर सभी प्रकार के आरोप–प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। माननीय सदस्यों ने जो यहां कहा है उनमें से एक दो मुद्दों को छोड़कर, जिन्हें सरकार की स्थिति स्पष्ट करने हेतु स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक मानता हूं, अन्य किसी राजनीतिक मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा।

महोदय, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और राज्यपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वे विधान सभा को स्थगित रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय श्री वाजपेयी जी ने कहा है कि राज्यपाल पर कोई दबाव डाला गया है जिसके कारण उन्होंने दस दिनों बाद अपना विचार बदल दिया और सरकार को सिफारिश की कि हम राष्ट्रपति को यह सुझाव दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग किया जाए। दस दिनों में क्या हो गया ? मैं भी श्री वाजपेयी जी से ऐसा प्रश्न करना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि वे भा.ज.पा. (भारतीय जनता पार्टी) के सर्वेसर्वा हैं। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा भंग कर दी जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस आठ–दस दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने विचार बदलने पड़े और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने हेतु अपना दावा पेश करना पड़ा ? भारतीय जनता पार्टी और स.पा. (समाजवादी पार्टी) दोनों ही इस जोड़–तोड़ में लगे थे कि क्या राज्य में उनकी सरकार बनने की कोई संभावना हो सकती है, यदि और कुछ नहीं तो कम–से–कम चुनाव के दौरान काम चलाऊ सरकार ही बना लें। मैं इन बातों का विस्तार में उल्लेख नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसके परिणाम को समझते होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के मामले में भी मानदंड बदल गए हैं। अतः मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं मानता की दल–बदल की कोई गुजाइंश छोड़ी जानी चाहिए और किसी दल विशेष को अपना पांव जमाने का मौका दिया जाए जिस पर अंततः राज्यपाल को यह सुझाव देने का दायित्व होगा कि क्या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सरकार चलाई जा सकती है अथवा कोई अन्य राजनीतिक दल स्थाई सरकार बना सकती है। इसीलिए तीसरे दिन से ही–तीसरा या चौथा दिन हो सकता है–राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि राज्य में ये सारी घटनाएं घट रही हैं और अब वे यह चाहते हैं कि हम इस प्रकार की गतिविधियों को चलाने का कोई मौका नहीं दें और जल्द–से जल्द विधान सभा भंग कर दें। हमने विधि मंत्रालय से विचार विमर्श किया क्योंकि शुरू में उन्होंने बोम्बई प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उधृत किया था और तत्पश्चात् हमें इस बात पर विचार करना पड़ा कि इस प्रकार विधान सभा को भंग किया जाना कानूनी तौर पर व्यवहार्य है अथवा नहीं। विधि मंत्रालय के विचार जानने के बाद हमने राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा भंग कर दी जाए। इस प्रकार 18 तारीख से 28 तारीख के बीच दस दिनों का समय अत्यंत कठिन रहा और जो कार्य हमने किए वह भी कोई सुखद कार्य नहीं था।

केन्द्र सरकार के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना कभी सुखद कार्य नहीं होता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से यथासंभव हम बचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम को देखते हुए सरकार के पास राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर शायद ही कोई विकल्प बचा हो और हमें राज्यविधान सभा भंग करने हेतु अपरिहार्य कदम उठाना पड़ा।

सबसे पहले मैं इस सभा को एक बात और कहना चाहूंगा। छह माह का समय पड़ा है और इस छह महीने में आपकी सारी अपेक्षा राज्यपाल से ही है। कुछ उन बातों का उल्लेख करते हैं जो 1993 और 1992 में और उससे पहले घटित हुई थी। फिर भी मैं श्री सोनकर शास्त्री को आश्वासन देता हूं कि यदि मुझे पूरा ब्यौरा दिया जाए तो मैं उन मामलों के आवश्यक जांच के लिए राज्यपाल को भेजूंगा। यदि आप कोई साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तो मैं यह अब भी कर सकता हूं। साक्ष्य के बिना मैं नहीं समझता हूं कि हम किसी सरकार अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही के बारे में सोच भी सकते हैं।

महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून ओर व्यवस्था की स्थिति अत्यधिक खराब थी। मैं नहीं समझता हूं कि इससे और कुछ बुरा उत्तर प्रदेश में हो सकता था। मैंने यह देखा है कि अभी भी सभी प्रकार के माफिया उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और उन्होंने दिल्ली तक

अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा लिया है। दिल्ली में जो अपराध हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी आंशिक रूप से सम्बंद्ध रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि व्यक्ति को व्यवहारिक बनना होगा और इस बात पर विचार करना होगा कि क्या संभव है और क्या नहीं। भगवान के लिए कृपया राज्यपाल की देखरेख में राष्ट्रपति शासन और केन्द्र सरकार के उत्तर दायित्व में अन्तर को समझने की कोशिश करें। यह समझना गलत है कि केन्द्र सरकार ही शासन करेगी। ऐसी बात नहीं है। राज्यपाल वहां जो भी करते हैं उसमें केन्द्र सरकार इस बात के अलावा कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि जब केन्द्र सरकार यह पाती है कि कुछ बातों का घोर उल्लंघन हो रहा है, जिन्हें कि टाला जाना चाहिए और जब इसे यह कहते हुए राज्यपाल के ध्यान में लाया जा सकता है कि "ऐसी बात हुई है जिसके बारे में हमें बताया गया है और हमें विश्वास है कि आप इस पर ध्यान देंगे और इसमें सुधार करेंगे।"

यह सच है कि पेयजल की कमी है वाजपेयी जी ने कहा था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, जो राजधानी है, में भी जलापूर्ति कम हैं। उस क्षेत्र में बिजली की भी कमी है। कमजोर वर्गों के लिए बनायी गयी सभी योजनाओं का भी कार्यान्वयन भली भांति नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार उन्होंने निगरानी करना, कार्यक्षेत्र में जाना और निरीक्षण करना और यह पता लगाना जरूरी नहीं समझा कि किस प्रकार हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रकार के लाभ जो केन्द्र सरकार ने उन्हें अपने राजकोष से प्रदान किये हैं, लक्षित लोगों तक पहुंच जायें और उन्होंने यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक नहीं समझा कि इन योजनाओं का लाभ हम उन्हें कहां तक दे पाते हैं।

अतः हमारा निश्चित रूप से यह प्रयास होगा कि ऐसे निर्देश दिये जाएं कि राज्यपाल से यह आग्रह किया जाता है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि ये योजनायें लम्बित न रहें तथा वह वर्ग जिसे लाभ दिया जाता है वे पूर्णतया निराश न महसूस करें।

महोदय, विपक्ष के माननीय नेता द्वारा सलाहकारी के सम्बन्ध में एक और मुद्दा उठाया गया था। यह सच है कि अभी तक हमने सलाहाकारों की नियुक्ति नहीं की है। ऐसा नहीं किया गया था क्योंकि राज्यपाल ने कुछ और समय दिये जाने की मांग की थी। अब हम सहमत हैं कि सलाहकारों की नियुक्ति की जानी है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सभी जिलों में जाना राज्यपाल के लिए असंभव है। अतः शीघ्रताशीघ्र सलाहकारों की नियुक्ति करनी होगी। महोदय, परामर्शदात्री समिति के संबंध में मैं बिल्कुल निश्चित नहीं हूं कि क्या किसी परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है। सामान्यतः ये परामर्शदात्री समितियां उस समय लाभदायक सिद्ध होती हैं। जब किसी विधान पर विचार किया जाता है। उन मामलों में जहां लम्बे समय जैसे दो वर्ष अथवा तीन वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन है, जहां किसी विधान की आवश्यकता होती है जैसे कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने, हमने समिति का गठन किया। कुछ मामलों में कोई विधान लाये जाने से पूर्व उनसे परामर्श करना होता है। तथा निरीक्षण करने के लिए विधान सभा, विधान परिषद के सदस्यों और जन प्रतिनिधियों की बैठक के बारे में भी विचार किया जा सकता है। राज्यपाल एक या दो बार उनसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनकी बैठक बुला सकते हैं। यदि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में किसी, योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उनकी कोई शिकायत है तो उन सभी जनप्रतिनिधियों को शिकायत करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और हम यह प्रयास करेंगे कि जो भी सहायता अपेक्षित है उन्हें उपलब्ध करायी जाए।

अन्य वक्ता द्वारा एक दो मुद्दे और उठाये गये हैं। जो मेरे विचार में उत्तराखंड के संबंध में है। 10 नवम्बर को उस क्षेत्र में शायद कुछ घटनायें घटी थीं। घटना स्थल से दूर दो शव पाये गये थे। हमें शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गया है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे मामले डूब कर मरने के संबंध में हैं जब कि आरोप यह है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा तंग किया गया था और इसलिए यह मांग की गयी है कि उन अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए।

मेरी समझ से जब तक कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता तब तक शायद मैं यही नहीं कह सकता कि आप अधिकारियों को निलम्बित कर दें। न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। न्यायिक जांच होगी और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो निश्चित ही हमें अधिकारियों के निलम्बित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। परंतु जब तक प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, तब तक मैं नहीं समझता कि सरकार या राज्यपाल के लिए इनमें से किसी भी अधिकारी को निलम्बित कर पाना संभव हो सकेगा।

एक दो बातें चुनावों के बारे में कहनी है। मैं अनायास टूटते यह नहीं कह सकता कि चुनाव अप्रैल में होंगे या मई में; या फिर एक साथ चुनाव होंगे। या अलग अलग तारीखों को। अंततोगत्वा सारी बातें अर्ध सैनिक बलों पर निर्भर होगी। निर्वाचित आयोग निश्चित ही जोर देकर बताएगा कि उसे कितने अर्धसैनिक बलों की आवश्कयता पड़ेगी। हमारे पास अत्यंत समिति बल हैं। जम्मू-कश्मीर में भेजे गए कुछ बलों को वापस बुला कर आयोग को सौंपा जा सकता है। परन्तु हमारे पास अभी

उपलब्ध अत्यंत सीमित बल है और उसकी क्षमता के अनुसार हम निश्चित ही उनके समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे।

मुझे उस समय सचमुच आश्चर्य हुआ जब कि हमारे एक माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं। वह श्री कल्याण सिंह की तारीफ कर रहे थे। बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के संबंध में हू ब हू उद्धरण के रूप में तो नहीं, पर श्री कल्याण सिंह के भाषण का एक अंश उन्होंने पढ़ा। एक किस्म की भावना उन्होंने यहां अभिव्यक्त की। मुझे पता नहीं कि यह विचार भाजपा की पार्टी के रूप में है अथवा उनका व्यक्तिगत बाबरी मस्जिद के विध्वंस के विषय में यदि यह भाजपा का विचार है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। उनका कहना है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विरुद्ध कही गई या की गई कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। परन्तु जो आपने और विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी जी ने उन्हें कहा था और शायद श्री जसवंत सिंह ने भी कहा था कि हम इस बाबरी मस्जिद या राम मंदिर को इस विवादित ढांचे को जो कहें—नहीं छूएंगे; क्या आपकी बात से यह भावना स्पष्ट होती है ? आपने ये सारे भाषण सदन में दिए हैं। मुझे पक्का पता है कि माननीय सदस्यों ने, विशेषतः भाजपा के सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विध्वंस के बाद आपकी क्या कार्यवाही रही ? आपका क्या दृष्टिकोण है ? आपने पूरे देश में श्री कल्याण सिंह की इस तरह शोभा यात्रा कराई मानो वह कोई बहुत बड़े शहीद हों और उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ढांचे के विषय में क्या आपका दृष्टिकोण यही है? खेद है, यदि यही दृष्टिकोण है, तो मुझे विश्वास है, आप समझ सकते हैं कि इसके क्या परिणाम होंगे। यह सचमुच इतना आसान नही है। अब आप बिल्कुल अलग परिवेश में विचार कर रहे हैं और आपने जिस प्रकार के भाषण दिए हैं, उनसे कम से कम इतना आभास होता है कि जो कुछ हुआ, उसे आप उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। निस्संदेह, यह जो घटना घटी, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी। यह हम सभी के लिए शर्म की बात थी और पूरी दुनिया में शर्म से हमें अपने सर झुकाने पड़े। जब हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र की बात करते हैं तो हमें उन तत्वों पर भी विचार करना चाहिए जो देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का आधार ही नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि अयोध्या का काम उन्होंने पूरा कर लिया और अब वाराणसी एवं मथुरा की भी बारी है। ये लोग खुल्लमखुला ऐसा कह रहे हैं। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। इस प्रकार पूरा कार्यक्रम कुछ ढांचों के विध्वंस पर निर्भर है। एक बात में वे सफल हुए हैं। इन दो ढांचों के बारे में वे खुलमखुल्ला बोल रहे हैं। कुछ ताकतें हैं जो विभिन्न नामों और विश्व हिन्दू परिषद के नाम से खुले आम इस बात का प्रचार कर रही हैं। मैं केवल भाजपा के अपने मित्रों को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस दिशा में उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। जब तक यह सरकार है तब तक हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे इसमें जो भी खतरे हों, आप निश्चित रहें कि आपके प्रयास सफल होने नहीं जा रहे। अयोध्या के मामले में भी आप अदालत में गए और जब आपको बात अच्छी नहीं लगी तो आपने ढांचा ही तोड़ दिया अब वे ये बातें कह रहे हैं। मैं नहीं समझता ...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अभी किस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है...(**व्यवधान**)

श्री एस.बी. चव्हाण : आप यहां नहीं थे जब आपके मित्र यहां चर्चा कर रहे थे। मैंने किसी अन्य मुद्दे का उल्लेख नहीं किया है। मैं सिर्फ इस देश में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। यदि धर्मनिरपेक्षता को समाप्त किया जायेगा तब हीं हम अपने समस्त अधिकारों तथा सभी धर्म निरपेक्ष शक्तियों की ताकतों के साथ हम इसका मुकाबला करने जा रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दे हैं और हम इस कार्य को आपको इस प्रकार नहीं करने देंगे। मुझे इस शब्द के प्रयोग पर खेद है—आपने ऐसा हमें धोखा देकर किया है। इसके बाद शपथपत्र दायर करके आपने यह आभास दिया है कि आप ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। इसके बाद, यह स्वतः ही स्पष्ट हो गया कि इन ढांचों को गिराने की आपकी एक निश्चित योजना थी। जो वास्तव में बाद में बिल्कुल साफ हो गयी।

एक माननीय सदस्य उर्दू भाषा की भी बात कर रहे थे, मानो उर्दू भाषा की भी बात कर रहे थे, मानो उर्दू भाषा का मुस्लिमों के साथ कुछ संबंध है। मुझे एक बात कहते हुए खेद है। इसका कोई संबंध नहीं है। क्या हर्ज है यदि कुछ उर्दू के भाषान्तरकारों को नियुक्त किया जा रहा है ? उर्दू उस क्षेत्र की मुख्य भाषा है तथा यदि उर्दू के भाषान्तकारों की नियुक्ति हो रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको उन्हें काम प्रदान करना होगा। तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वर्गों के व्यक्तियों को जो उर्दू भाषा बोलते हैं, भी लाभ पहुंचे। ...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : क्या वह मुख्य भाषा है?...(**व्यवधान**)

श्री एस.बी. चव्हाण : हां उत्तर प्रदेश में मैं हिन्दी तथा उर्दू भाषा में कोई अंतर नहीं मानता हूं...(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : आपने कहा है कि उर्दू मुख्य भाषा है ...(**व्यवधान**)

श्री एस.बी. चव्हाण : इसे समझने की कोशिश कीजिए।

हिन्दी के प्रति अनावश्यक धर्मान्धता नहीं जोड़ी जानी चाहिए तथा इसी प्रकार की भावना उर्दू के मामले में भी लागू नहीं हो। दोनों को साथ–साथ चलना होगा। गांधी जी ने यही कहा था। उन्होंने 'हिन्दी' अथवा उर्दू के बजाए 'हिन्दुस्तान' को तरजीह दी। हम सभी को इसी प्रकार की भावना को अपनाना होगा। सभी वर्गों के व्यक्तियों को साथ लेना पड़ेगा...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : संविधान को 'हिन्दुस्तानी' के लिए संशोधित कर दें।...**(व्यवधान)**

श्री एस.बी. चव्हाण : हां हमें सचमुच ही कोई हल ढूंढना होगा। यह तभी एक सम्पर्क की भाषा हो सकती है। अन्यथा यह न तो हिंदी होगी तथा न ही उर्दू। वे इसका फारसीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वे इसमें तथा हिन्दी में भी बड़ी संख्या में अरबी शब्दों को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार का हिन्दी रूपांतर हमें प्राप्त होता है, तब मुझे यह समझने के लिए कि विचार वास्तव में क्या कहा गया है मेरे पास अंग्रेजी रूपांतर का होना आवश्यक है। मैं इस प्रकार की भाषा को नहीं समझ पाता हूं। मेरे पास अंग्रेजी का रूपांतर होना आवश्यक है।

अतः यदि आप दोनों भाषाओं को कठिन बनाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों भाषाएं संभवतः सम्पर्क की भाषा नहीं बन सकती हैं। किन्तु आप कृपया इसे ध्यान में रखें कि आप राजनीति में अनावश्यक रूप से साम्प्रदायिकता नहीं लाएं तथा भाषा के मुद्दे को इस प्रकार से साम्प्रदायिक नहीं बनाएं।

मैं समझता हूं कि इन्हीं दो मुद्दों पर राष्ट्रपति शासन के अतिरिक्त बोलने का मैंने विचार किया था। इसीलिए मुझे इन्हें चुनाव भाषणों का पूर्वाभ्यास कहना पड़ा था।

प्रो. प्रेम धूमल : प्रतिदिन आप पूर्वाभ्यास ही कर रहे हैं।

श्री एस.बी. चव्हाण : धर्मनिरपेक्षता तथा उर्दू भाषा को छोड़कर मैं नहीं समझता हूं कि मैंने किसी अन्य मुद्दे का उल्लेख किया है।

मैं सदन से संकल्प स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आपने पर्वतीय क्षेत्रों के स्वायत्तता के संबंध में कुछ नहीं कहा है।

श्री एस.बी. चव्हाण : हम उस क्षेत्र में स्वायत्त परिषद् देने को तैयार हैं। लेकिन इन विषयों पर उचित ढंग से कुछ विचार करना आवश्यक होगा। हम इस पर सोचेंगे। लेकिन सिद्धांत से मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल कोयला मंत्री ने अन्य सदन में जेस्लिटैंड की कोयला खान दुर्घटना पर वक्तव्य दिया। वह वक्तव्य इस सदन में नहीं दिया गया है।

जल-संसाधान मंत्री तथा संसदीय मामलों के मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस सभा में हमें कार्यक्रम पत्रक में दी गई कार्यसूची के अनुसार चलना है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न सुनिये। कोयला मंत्री ने कल अन्य सदन में कोयला खान दुर्घटना के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। लेकिन उन्होंने इस सभा में वक्तव्य नहीं दिया।

सभापति महोदय : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वक्तव्य कल दिया जाना है।

श्री बसुदेव आचार्य : कल क्यों ? हम कल तक प्रतीक्षा क्यों करें ?

5.32½ म.प.

मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम संबंधी विरचित प्रारूप के अनुमोदन के बारे में संकल्प

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (झ) के अन्तर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेधिकार) संशोधन नियम, 1995 संबंधी विरचित प्रारूप, जो 23.3.1995 को सभा पटल पर रखा गया था, का अनुमोदन करती है।"

(श्री शरद दिघवे **पीठासीन** हुए)

5.33. म.प.

यह एक छोटा संकल्प है जिसमें वस्तुतः मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते का अंतर हटाने पर विचार किया गया है। उन्हें उपमंत्रियों और मंत्रालय के सचिवों से भी कम

भत्ता मिल रहा है। अब यह संशोधन इनमें समानता लाने के लिए रखा गया है और इन तीनों को सचिव को देय भत्तो के बराबर भत्ते मिलेंगे। अब उप मंत्री नहीं हैं। अब केवल राज्य मंत्री और केबीनेट मंत्री ही हैं। वे भी उसी प्रकार से भत्तों के हकदार होंगे जिसका विभाग का सचिव हकदार हो। इस संबंध में असंगति को हटाने के लिए यह संकल्प रखा गया है। मैं यह आशा करता हूं कि सभा इस संकल्प को पारित करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (झ) के अन्तर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1995 संबंधी विचरित प्रारूप, जो 23.3.1995 को सभा पटल पर रख गया था, का अनुमोदन करती है।"

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : मैं इस अत्यंत अहानिकर विधायी कार्य के पीछे माननीय मंत्री के इरादे की सराहना करता हूं। मैं संक्षेप में माननीय मंत्री को यही कहूंगा कि मुझे नियम 3 और 4 के खंड (ख) और (ग) में आपत्ति है। मैं यह नहीं जानता कि मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों, जिनके लाभार्थ हमारे सामने यह संकल्प रखा गया है, को इसे पढ़ने का समय भी मिला होगा। नियम संख्या (3) में, पहले 30 रुपये था और अब आप यह कहते हैं कि यह सचिव के समतुल्य होगा। मेरी आपत्ति राशि के बारे में नहीं है, मुझे भारत सरकार के मंत्री की नौकरशाह से तुलना पर आपत्ति है। आप इसे पारित कर सकते हैं परन्तु मेरी बात सुन लीजिए। आप यह कह सकते है कि इसमें शैक्षणिक अथवा लेखा परीक्षा अथवा अन्य आवश्यकताएं हैं। परन्तु हम मंत्री की किसके साथ बराबरी कर रहे हैं ? मुझे आशा है कि सरकार के इस प्रारूपण को और अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता था। मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है कि सरकार को आगे आकर यह कहती है वह अपने मंत्रियों को उतना भत्ता प्रदान करेगी जितना वह अपने विभाग के सचिवों को देती है। यदि वे इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है परन्तु, मैं संतुष्ट नहीं हूं।

नियम संख्या (4) में यह कहा गया है कि यह पहले भी 15 रुपये है और यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो यह पायेंगे कि हम अपने मंत्रियों को अपने सचिवों की तुलना में आधी सुविधाएं दे रहे हैं। हर सम्भव तरीके से आप इन औपचारिकताओं को पूरा कीजिए परन्तु, कृपया इन बातों पर गम्भीरता से ध्यान दीजिए। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जो मंत्री पदों पर आसीन हैं। क्या आप अपने साथ किए जा रहे व्यवहार से खुश हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं इससे नाराज नहीं हूं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय जसवंत सिंह जी ने संसदीय शिष्टाचार एवं मर्यादा से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है ? और मैं माननीय मंत्री महोदय से बस यही निवेदन करूंगा कि वे इस स्तर पर मतदान के लिए जोर न दें। इसे लंबित रखें, रोक कर रखें, इसे कल या परसों और अधिक स्पष्ट रूप देकर पारित करें। अन्यथा, मंत्रियों का सचिवों के साथ तुलना किया जाना अत्यन्त हास्यास्पद लगेगा। मेरी राय में आप इसे एक दिन के लिए रोक कर इसमें संशोधन कर कल प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा यही सुझाव है।

श्री एस.बी. चव्हाण : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह जी द्वारा उठाई गई इस बात की कि इसमें बेहतर शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए था, तारीफ करता हूं। अस्तु, अब मिलने वाले भत्तों के मामलों के लिए यदि 'सचिवों' के स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना बेहतर होता। लेकिन मैं समझता हू कि अब इसे स्थगित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पारित कर दिया जाए।

श्री सुधीर गिरी (कन्टाई) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है कि मसौदा संकल्प माननीय मंत्रियों की चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए है उन्होंने यह भी कहा है कि मसौदा संकल्प का उद्देश्य उन सुविधाओं को उच्च सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बराबर करना है। मुझे पता नहीं है कि इस तरह का कदम क्यों उठाया जा रहा है। मंत्रीगण निश्चय ही सरकारी नौकर नहीं हैं क्योंकि वे लाभ कमाने की आकांक्षा से सरकारी पदों को ग्रहण नही करते। वे लोगों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आए हैं। लोगों से मेरा मतलब उन लोगों से है। जिन्हें आजीविका के लिए सरकारी सहायता तथा सहयोग की आवश्यकता है।

मुझे पता है कि वे लोग आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित होते हैं। अतः यदि मंत्रियों की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो तो देश के लिए अच्छा होगा। उन वंचित लोगों की कम से कम यह आशा होती है कि उनके प्रतिनिधि की उन मुश्किलों का सामना करें जो वे कर रहे हैं।

लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है अनेक वर्तमान मंत्रियों पर नैतिकता के मामले में कचचे होने का आरोप है जिसको हम सार्वजनिक जीवन में इतना महत्व देते हैं। अतः, मुझे लगता

है कि हम उन्हें बढ़ी हुए सुविधाओं से परहेज करने की बात समझा पाने में सफल नहीं हो पायेंगे। हालांकि मैं इस विधेयक का न तो समर्थन ही करता हूं और न ही विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (झ) के अन्तर्गत (मंत्री भत्ते, चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1995 संबंधी विरचित प्रारूप, जो 23.3.1995 को सभापटल पर रखा गया था, का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : हम चर्चा हेतु अब अगला मामला करेंगे। श्री राम नाईक।

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस अध्यादेश और इस विधेयक जिसे चर्चा हेतु लिया जाएगा, के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर आपत्ति है। यह विशेष विधेयक, निक्षेपागार विधेयक, 1995 कल ही यानि 28 नवम्बर को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। और किसी विधेयक में संशोधन करने हेतु कम से कम दो दिन का नोटिस दिया जाना होता है।

मेरा अनुरोध है कि आप पर पृष्ठ 40 नियमों का पैरा 79 देखें। नियम 79 (1) कहता है :

"यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाता हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्ताव किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दे, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।"

संक्षेप में संशोधन प्रस्ताव देने के लिए न्यूनतम दो दिन का समय दिया जाना चाहिए। जैसा कि यह विधेयक कल प्रस्तुत किया गया था, हम संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सके। अतएव इस विचार से इस विधेयक पर आज चर्चा भी हो सकती है। इस विधेयक पर कब चर्चा हो सकती है और सदन की राय पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरे, मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर भी विचार हो। हमने आज काफी काम निबटा लिया है। अतएव, मेरा अनुरोध है कि हमें संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम समय दिया जाना चाहिए और इस विधेयक पर चर्चा कब होनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह नियमों से संबंधित मामला नहीं है। लेकिन मेरी आपत्ति अति गंभीर है। मुझे इस विधेयक की प्रति अपने लिफाफे के जरिए कल प्राप्त हुई। इस विधेयक का अध्ययन किए बगैर कोई विधेयक पर चर्चा कैसे कर सकता है। अतएव, मेरा आपसे अनुरोध है कि अब लगभग 6.00 बजने वाले हैं। जैसाकि यह अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था और अब इसके स्थान पर विधेयक आएगा। अन्य अध्यादेशी के लिए भी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। अतएव, इस विधेयक से पूर्व उन विधेयकों पर पहले चर्चा होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री सदैव ही गैर बुद्धिमत्ता पूर्ण बात नहीं कहते हैं।

अतएव वे इस पर विचार कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से अन्य मामलों पर भी चर्चा किए जाने का आग्रह करता हूं।

तब मैं कहूंगा कि नियमों का अनुपालन हर हालत में किया जाना चाहिए। लेकिन मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम समय दिया जाना चाहिए क्योंकि तब यह निर्णय आ सकता है कि संशोधन हेतु प्रस्ताव चर्चा जारी रहने के दौरान भी स्वीकार किए जाने चाहिए। यह कहीं भी नहीं है अतः इस पर विचार करें। अतः मेरा सुझाव है कि इसे आज प्रस्तुत नहीं करके किसी अन्य मामले की प्रस्तुत नहीं करके किसी अन्य मामले की प्रस्तुता करें। जहां तक मेरा संबंध है तो मैं समझता हूं कि सर्वाधिक प्रस्ताव के बावजूद इस विधेयक को पारित कराने में ज्यादा कठिनाई है। लेकिन उचित होगा कि इस विधेयक को उन विधेयकों के बाद लिया जाना चाहिए। जो हो पहले ही परिपात्रित किए जा चुके हैं।

श्री राम नाईक : एक और बात है कि यह संशोधन का लघु विधेयक नहीं है बल्कि यह एक विस्तृत विधेयक है और एक विस्तृत विधेयक हेतु विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह एक मूल विधेयक है। अतएव हमें निश्चित रूप से इस विधेयक पर बोलने की आवश्यकता है। इस बात पर मद्दे नजर भी यह आवश्यक है कि सभा को स्थगित किया जाए।

जल-संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : जैसा कि श्री निर्मलकान्त चटर्जी सदैव ही उचित और बुद्धिमतापूर्ण बात कहते हैं अतएव मुझ इस मामले पर उनकी सलाह मानने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि ये हमारे मित्र सदन में सदैव अपने नेताओं की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। इनके नेतागण कार्यमंत्रणा समिति में सदन में कार्यसंचालन और समय इत्यादि देने के बारे में अनेक वायदे करते हैं। या तो उनमें अपने नेताओं के प्रति सम्मान नहीं है और

या वे अपने नेताओं की बातों को समझते ही नहीं हैं। मुझे सदन को 15 मिनट पूर्व स्थगित करने में कोई परेशानी नहीं है। यह पूरी तरह ठीक है। यदि श्री निर्मलकान्ति चटर्जी समझते हैं कि सदन को समय से 15 मिनट पूर्व स्थगित करना उचित है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह मामला पूरी तरह से तालमेल के अभाव का है।

श्री जसवंत सिंह : मेरे मित्रवर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रकाशन्तर से कुछ टिप्पणियां करना उचित समझा है। मुझे अपनी पार्टी से भरपूर तथा प्रचूर समर्थन प्राप्त होता है। श्री राम नाईक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। व्यवस्था के प्रश्न में कुछ ठोस बात थी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस पर वह व्यवस्था देंगे।

श्री जसवंत सिंह : संसदीय कार्य मंत्री से मेरा निवेदन यह है कि जब आप किसी बात की स्वीकृति दें तो शालीनतापूर्वक दें, प्रकाशन्तर से हम पर कटाक्ष नहीं करें। मुझे बस यही कहना है।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री भी इस बात पर सहमत हैं यह चर्चा कल के लिये रखी जानी चाहिए, यह कल जारी रहेगी लेकिन श्री राम नाईक का व्यवस्था का प्रश्न तर्कसंगत नहीं है। सभा कल 11 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

5.47 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 30 नवम्बर, 1995/9 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।